खण्ड–486, अंक–4
शुक्रवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1935
(20 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2013)

(खण्ड 486 में 4 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	7
मुजफ्फरनगर प्रकरण पर श्री हुकुम सिंह द्वारा उनके ऊपर कल मुख्य मंत्री द्वारा लगाए गए आरोप का खण्डन एवं मुख्य मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किये जाने की मांग	7-8
प्रश्नोत्तर	8-105
आज की कार्यसूची के नत्थी 'क' के अतारांकित प्रश्न संख्या-179 के अपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	105-107
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	107-111
इलाहाबाद नगर निगम द्वारा स्थाई सफाई कर्मियों की संख्या हेल्थ मैनुअल के अनुसार बढ़ाने तथा ए0डब्ल्यू0पी0 के करार को निरस्त कराकर स्वयं व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111-112
विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के राकेश मार्ग जो जी0टी0रोड से शनि मन्दिर तक क्षतिग्रस्त है की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद बस्ती में एन0एच0-28 स्थित क्षतिग्रस्त दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112-113
जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर के मध्य प्रवाहित होने वाली सई नदी के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी की बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत दोस्तपुर से डेवाढ़ तक अर्ध निर्मित सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
कानपुर महानगर के बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुये मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114-115
प्रदेश के जलभराव वाले क्षेत्रों में सी0सी रोड बनाये जाने पर शासनादेश द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित बुद्ध विहार की मानकों के विपरीत बनी सड़कों की जांच कराकर समस्या का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
मेरठ महानगर की बाहरी बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
कानपुर महानगर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के प्रमुख मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत वीरांगना अवन्ती बाई जिला पंचायत इंटर कालेज में व्याप्त अव्यवस्था का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद शाहजहांपुर में रास घाट (हनुमन्त धाम) व रेती रोड के मध्य एप्रोच रोड सहित एक छोटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद आगरा की शालीमार कालोनी से लेकर कर्मयोगी कालोनी फुव्वारा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेंटर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण हेतु 200 हैडपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद बलिया के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद बरेली के ग्राम लच्छिमपुर मजरा की एस0डी0एम0 द्वारा निरस्त सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पूर्व की भांति लच्छिमपुर में ही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	122-123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के बाढ़ पीड़ित किसानों का पुनर्वास किये जाने एवं मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी की डाला से मारकुंडी तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
जनपद बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज-शाही शेरगढ़ बहेड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124-125
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट-भट्ठे के लाइसेंस निर्गतीकरण में पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
पत्रकारिता जगत में कार्य करने वालों को कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत सिरहरि अनुसूचित जाति बस्ती से सलैया यादव बस्ती तक 03 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद लखनऊ के विकास खंड काकोरी स्थित सीते विहार कालोनी बेगरिया खेड़ा में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127-128
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली की विभिन्न विद्युत समस्याओं की निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां की विभिन्न ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में मुरवार से डेटा जलालपुर सम्पर्क मार्ग पर बना कलुओ बेलोट रजवाहा पर बने पुल की मरममत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र लालगंज एवं सरेनी में पेयजल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129-130
जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम गधियांव में मुख्य मार्ग से 800 मी0 की लिंक रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के ब्लाक जवां में मुख्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
जनपद बांदा की अतर्रा तहसील में रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
प्रदेश में शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राजस्व ग्रामों के अभिलेखों में अंकित श्रेणी-3 को निरस्त कर श्रेणी-5 में अंकित न किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
सीलिंग एक्ट से अतिरिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की शासन द्वारा समयबद्ध पैरवी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद लखनऊ के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय, अलीगंज की अधीक्षिका द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134-135
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में नेपाली नदियों से हो रहे नुकसान की रोकथाम करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	135
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135-136
जनपद जौनपुर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद सहारनपुर के नकुड़ ब्लाक स्थित शाकुम्बरी डिस्टलरी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	138
जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर सीवर लाइन खोदने के उपरान्त क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद चन्दौली के बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को विगत 03 माह से चीनी न वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद आगरा में टी0टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य मानकों के विपरीत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में बाढ़ एवं बारिश से हुई हानि की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत ईशानगर गन्ना क्रेन्द्र से टेड़िया सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में प्रस्तावित नये विकास खंड के मुख्यालय की स्थापना ग्राम सभा डीहा या बुबरा में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद फिरोजाबाद में जिला योजना 2011-12 के अन्तर्गत कतिपय निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
लखनऊ-फैजाबाद सड़क मार्ग में मटियारी चौराहे से गणेशपुर तक सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
प्रदेश के 'आलिया स्तर' के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142-143
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के कतिपय इलाकों में सीवर की सफाई न होने से उत्पन्न के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में महाराजगंज तराई से ललिया मार्ग में बारिश के कारण कूड़े के ढ़ेर इकट्ठा हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
लखनऊ मध्य क्षेत्रों के नालों की सफाई कराकर लोहे की जाली से ढके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की जर्जर सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	144-145
जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत यमुना नदी कटान रोके जाने हेतु पिचिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145-146
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम रायपुर में निर्माणाधीन पुल के निर्माण हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत मण्डी समिति के द्वारा निर्मित दो दर्जन सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146-147
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	147
लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत भवन संख्या 22/641, इंदिरा नगर में बरसात से होने वाले जलभराव को दृष्टिगत रखते हुये सड़क को ऊँचा किये जाने एवं सड़क का ढ़ाल विपरीत दिशा में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
जनपद मेरठ में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, गढ़ रोड़ की खाली पड़ी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर के वार्ड अम्बेडकरनगर में क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर, जे रेलनगर में श्रीराम पब्लिक स्कूल द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा में बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149-150
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में दिनांक 09 अगस्त, 2013 को श्री भरत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने एवं आरोपी श्री रमेश वैश्य को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	150-151
जनपद बलिया से सौनोली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बजट का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	151
जनपद मुरादाबाद के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	151-152
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	152
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत आरोपुर से कटोखर चौराहे तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद चन्दौली के साधन सहकारी समिति द्वारा किये गये खाद घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153
प्रदेश के वायरलेस कर्मियों का वेतन एवं अन्य सुविधायें मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुरूप सामान्य पुलिस कर्मियों से अधिक किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत भवन संख्या 22/641, इंदिरा नगर के मालिक को आवास विकास परिषद् द्वारा कब्जा-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद बरेली की कतिपय सड़कों/गलियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154-155
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पेयजल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई की कतिपय सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155-156
जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु 100 हैंण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के कतिपय जर्जर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत विकास खंड ईशानगर में नलकूप कनेक्शन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157
जनपद गोरखपुर अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को विकास खंड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहघाट में संचालित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157-158
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन में नये सिरे से चकबन्दी न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	158
जनपद महोबा के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि में कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	158-159
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	159-160
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अर्न्तगत सूचना ...	160
जनपद ललितपुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160-161
जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	161
जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	161-162
भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में कार्यरत कर्मियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ से जलेसर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162-163

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के गांवों तथा बंधे को बचाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में वन विभाग में रेन्जर द्वारा फर्जी वृक्षारोपड़ व बिक्र गार्ड लगवाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद सीतापुर में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद लखनऊ स्थित देवस्थान आवासीय योजना एवं उससे सटी आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
प्रदेश के जनस्वास्थ्य रक्षकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की किसी अन्य योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164-165
बरेली नगर निगम क्षेत्र में नये जुड़े ग्रामीण पृष्ठ भूमि के अविकसित क्षेत्र में सड़क निर्माण आदि न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165-166
जनपद मैनपुरी के पूर्व संभागीय खाद्य नियंत्रक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	166
मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	166-167
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 998-ए के अन्तर्गत निर्दोष हजारों महिलाओं व उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)	167
उत्तर प्रदेश में धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	167-168
प्रथम सत्र 2013 में दिनांक 22 मार्च, 2013 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न..... (जारी) ...	168

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 998-ए के अन्तर्गत निर्दोष हजारों महिलाओं व उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	168
प्रथम सत्र 2013 में दिनांक 22 मार्च, 2013 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न..... (जारी) ...	168-170
मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण (जारी) ...	170-171
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2005 (सदन के पटल पर रखा गया)	171-172
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	172
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	174
उपलोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2013 (उपलो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	174
जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम करौता, डोमरी पड़ाव तथा मण्डुआडीह मोढैला में जल निकासी हेतु बड़े नालों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	174-175

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम मुड़ादेव पोस्ट टिकरी तथा ग्राम सुसवाही के आवागमन हेतु खडन्जा/आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र पटेल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	175
जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन के ग्राम बसन्त पट्टी निएसीपुर (तोहफापुर), कपरफोरवा (पूरक का पुरा) तथा बन्देपुर पोस्ट बच्छांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव शंकर पटेल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	175
जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम अमरा खैरा चक कन्दवा, मण्डवाडीह सरकारी पुरा, विशोखर बाईपास तथा बभनियांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेश जायसवाल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	175-176
जनपद गाजियाबाद के नन्दग्राम, सिहानी, (वि0स0क्षे0 साहिबाबाद) की टूटी सड़कें व पानी निकासी का कार्य कराये जाने विषयक श्री नूर मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	176
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत थाना-इन्द्रापुरम् व साहिबाबाद व लिंक रोड के अन्तर्गत सी0सी0 कैमरे लगाये जाने विषयक श्री के0 के0 मिश्रा आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	176
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 व सेक्टर-5 बसुन्धरा व डी0एल0एफ0 बैशाली कालोनी की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अशोक त्यागी आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	176
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत भोपुरा से गरिमा गार्डन पसौंडा से होते हुए करैहडा तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बाबू सिंह आर्य आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	177
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बलवन्त सिंह आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	177

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-2 सिकन्दरा से बाईपुर गढ़ी तक तथा नगला कली से सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड आदि विभिन्न मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य जाने कराये विषयक श्री उत्तम सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	177-178
जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य एवं दोनों किनारों पर नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बन्टी धाकरे आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	178
जनपद बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री तनुज कुमार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)	178
मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण (जारी) ...	178-182
लोकतांत्रिक परम्पराओं की अक्षुण्णता हेतु सदन में घटित घटना पर खेद व्यक्त करते हुए आपत्तिजनक अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध...	182-186
मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण	186-187
जनपद अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज की घटना तथा छात्रों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें वापस लिये जाने की मांग ...	187
आज सदन के पटल पर रखी गई सी0ए0जी0 रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक संसदीय जांच समिति गठित किये जाने का अनुरोध	187-188
आज सदन में घटित घटना के सन्दर्भ में महिला गार्डो के साथ हुयी धक्का मुक्की का पीठ द्वारा संज्ञान में लेना	188
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं ...	188
श्री रवीन्द्र जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा श्री बी0के0 सिंह उपाध्याय एवं श्री दिनेश राय, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण व अन्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना	188-189
श्री प्रभू दयाल बाल्मिकी, स0वि0स0 द्वारा श्री आलोक सिंह, इंस्पेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना	189
मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति भ्रामक एवं तथ्यों से परे समाचार प्रसारित करने के संबंध में इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0लि0 रामनगर, जनपद गाजियाबाद एवं श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता इण्डो विजन मीडिया, कैली हास्पिटल कैम्पस जनपद बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना	189

विषय	पृष्ठ-संख्या
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	189-190
श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अम्बिका चौधरी, राजस्व मंत्री उ0प्र0 के विरुद्ध दिनांक 30 जून, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	190-193
श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शोएब इकबाल पुलिस उपाधीक्षक एवं श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, पुलिस उपाधीक्षक, बड़गांव तथा श्री इन्द्रजीत सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी के विरुद्ध दिनांक 02 जुलाई, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	193-195
श्री अगयश राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	195-198
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा डा0 सुनील तिवारी, चिकित्सक, ओपेक हास्पिटल, जनपद बस्ती के विरुद्ध दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	198-199
श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	199-201
श्री आलोक कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वीरपाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के विरुद्ध दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	201-203
श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गौरव, थानाध्यक्ष, थाना-कलान, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	203-204
श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	205-206
श्री मुसर्रत अली बिट्टन, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री उमेश गर्ग, लेखपाल, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के विरुद्ध दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	207-207

विषय			पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विधेयक, 2013 (जारी)	...	...	207
आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का अनुरोध	...	...	208
उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 2013 (पुरःस्थापित एवं पारित)	...	...	208-240
दिनांक 18 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा अपने भाषण में असंसदीय शब्द का प्रयोग किये जाने पर खेद व्यक्त करना		...	240-241
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम मंगलवार दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर	...	...	241-243
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	...	243-257
शहीद कासिद खान को शहीद का सम्मान दिये जाने का प्रकरण (जारी)		...	258
जनपद आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	...	...	258
शहीद कासिद खान को शहीद का सम्मान दिये जाने का प्रकरण		...	258-259
जनपद आगरा के युमना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	...	...	259
जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)		...	259
जनपद आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)		...	259-260

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	260
जनपद आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	260
बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि के आस-पास के मोहल्लें में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	260-161
जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी ...	261
कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	261
पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन	261
मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गये लोगों की शान्ति हेतु नियम-110 के अन्तर्गत शोक-प्रस्ताव लाने एवं शान्ति की अपील करने की मांग ...	261-262
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	262-273
बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद के ग्राम लोहरवा निवासी श्री हरनाम वर्मा की पुत्री के हुये अपहरण के सम्बन्ध में श्री राधे लाल रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	273-274
जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गौल्हौरा में बढ़ते अपराध पर पुलिस द्वारा नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कमाल युसुफ मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	274-275

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया में बैरिया क्षेत्रान्तर्गत घाघरा एवं गंगा नदी की कटान से कतिपय ग्रामों को बचाये जाने हेतु बन्धे एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	276-277
जनपद चन्दौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	277-278
जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम अतरौली के निदोष बुजुर्गों, बच्चों महिलाओं पर श्री अमित नागर, सी0 ओ0 पिलखुवां द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	278-280
जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लाक के ग्राम सभा जौरास निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य राममनोरथ वर्मा की हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	280-281
जनपद वाराणसी में गंगा व वरूणा में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन...	281
जनपद गोरखपुर में इंसेफलाइटिस महामारी के रोकथाम के लिये टीकाकरण अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	281-285
सहारनपुर के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	285-287
जनपद बस्ती में संचालित बस्ती चीनी मिल को बंद किये जाने से रोकने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	287
शहीद फौजी मो0 कासिद खान निवासी कंजादासपुर जनपद बरेली को आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	287-288
सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	289
राष्ट्रगान	289
नत्थियाँ	290-293

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-346

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
21. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
22. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
23. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
24. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
25. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
26. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
31. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
40. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
42. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
46. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
47. आशीष यादव, श्री — बदायूं
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
50. इकबाल, श्री — बिजनौर

51. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
52. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
57. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
60. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
61. उमा भारती, सुश्री महोबा
62. उमाशंकर, श्री बलिया
63. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
64. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
65. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
66. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
67. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
73. कैलाश, श्री गाजीपुर
74. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
75. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
76. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
77. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
78. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
79. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
80. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
81. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
82. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
83. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
85. गोमती यादव, श्री लखनऊ
86. गोरख पासवान, श्री बलिया
87. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
88. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
89. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
93. जगपाल, श्री सहारनपुर
94. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
95. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
96. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
97. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
98. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
99. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
100. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
101. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
104. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
105. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
108. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
109. दलजीत सिंह, श्री बांदा
110. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
112. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

114. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
115. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
119. धर्मराज, श्री बाराबंकी
120. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
122. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
123. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
124. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
125. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
126. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
128. नारद राय, श्री बलिया
129. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
130. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
131. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
133. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
134. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
136. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
140. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
141. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
142. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
143. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
144. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
145. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
146. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
147. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
148. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
149. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
150. फेरन लाल, श्री ललितपुर
151. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
152. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
153. बदलू खां, श्री उन्नाव
154. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
155. बाबू खां, श्री हरदोई
156. बाबूलाल, श्री गोण्डा
157. बावन सिंह, श्री गोण्डा
158. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
161. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
162. बैजनाथ, श्री मऊ
163. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
164. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
165. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
166. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
167. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
168. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
169. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
172. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
173. मनबोध, श्री देवरिया
174. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
175. मनोज कुमार, श्री चन्दौली

176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
179. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
180. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
181. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
183. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
184. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
185. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
186. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
187. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
188. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
189. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
190. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
191. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
192. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
193. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
194. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
195. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
196. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
197. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
198. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
199. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
200. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
201. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
202. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
203. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
204. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
205. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
206. यासर शाह, श्री बहराइच
207. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
208. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
209. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
210. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
211. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
212. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
213. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
214. रणजीत सुमन, श्री एटा
215. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
216. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
217. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
218. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
219. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
220. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
221. रवि शर्मा, श्री झांसी
222. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
223. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
225. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
226. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
227. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
228. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
229. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
230. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
231. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
232. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
233. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
234. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
235. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
236. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर

237. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
238. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
239. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
240. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
241. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
242. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
243. राम करन आर्य, श्री बस्ती
244. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
245. राम गोविन्द, श्री बलिया
246. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
247. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
248. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
249. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
250. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राम मगन, श्री बाराबंकी
252. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
253. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
255. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
256. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
257. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
258. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
259. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
260. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
261. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
262. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
263. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
264. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
265. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
266. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
267. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
268. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
269. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
270. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
271. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
272. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
273. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
274. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
275. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
276. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
277. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
278. विजय सिंह, श्री रामपुर
279. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
280. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
281. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
282. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
283. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
284. वीरपाल राठी, श्री बागपत
285. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
286. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
287. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
288. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
289. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
290. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
291. शाकिर अली, श्री देवरिया
292. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
293. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
294. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
295. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
296. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
297. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
298. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़

299. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महाराजगंज
300. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
301. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री — आजमगढ़
302. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
303. श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
304. संग्राम यादव, डा0 — आजमगढ़
305. संजय प्रताप जयसवाल, श्री — बस्ती
306. सईद अहमद, श्री — इलाहाबाद
307. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
308. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
309. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री — कानपुर नगर
310. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
311. सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
312. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
313. सत्यवीर मुन्ना, श्री — इलाहाबाद
314. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
315. सन्तराम कुशवाहा, श्री — जालौन
316. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
317. सावित्री बाई फूले, सुश्री — बहराइच
318. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री — बदायूं
319. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री — गाजीपुर
320. सियाराम सागर, डा0 — बरेली
321. सीमा, श्रीमती — जौनपुर
322. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
323. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
324. सुदामा प्रसाद, श्री — महराजगंज
325. सुदेश शर्मा, श्री — गाजियाबाद
326. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
327. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री — सोनभद्र
328. सुनील कुमार लाला, श्री — लखीमपुर खीरी
329. सुब्बा राम, श्री — गाजीपुर
330. सुभाष पासी, श्री — गाजीपुर
331. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
332. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
333. सुरेश राणा, श्री — प्रबुद्धनगर
334. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
335. सुरेश बंसल, श्री — गाजियाबाद
336. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
337. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
338. सैय्यद कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
339. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
340. सोबरन सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
341. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
342. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — लखीमपुर खीरी
343. हरिओउम् यादव, श्री — फिरोजाबाद
344. हुकुम सिंह, श्री — प्रबुद्धनगर
345. हेमराज वर्मा, श्री — पीलीभीत
346. हेमलता चौधरी, श्रीमती — बागपत

नोट :- मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियत्रंण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत दी नयी सूचना को सर्व प्रथम सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में चूँकि गन्ना किसानों का बहुत बड़ा बकाया है। 7 हजार करोड़ रुपये का इन्होंने अनुपूरक बजट रख और 7 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। मान्यवर, आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिये सरकार को इस जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि आज करोड़ों-करोड़ों लोगों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, दूसरा पेराई सत्र आ रहा है और जिस तरीके से सरकार निकम्मेपन पर उतारू है, जिस तरीके से आज गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के कई मा0 सदस्य वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्य जी, मेरी बात भी तो सुनिये। मौर्य जी, अरे, ये आपका नियम-56 में है, स्वीकार है, आप बोलियेगा न। आपका मैंने ये नियम-56 में स्वीकार किया है। आपने नियम-56 में ये दिया और वो स्वीकार हुआ, उस पर आप बोलिये और उसी समय जो कुछ कहना हो कहिये। आपने नियम-56 में दिया है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। जब नियम-56 आये तो आपको अपनी पूरी बात कहने की आजादी है। अभी क्यों व्यवधान कर रहे है। मा0 मौर्य जी, आपने गन्ना किसानों का मामला नियम-56 में दिया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। जब नियम-56 आये तो उसमें आप बोलिये। अब आप लोग वापस चलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूँकि आपने नियम-56 के अन्तर्गत सूचना स्वीकार कर ली है इसलिये मैं गन्ना किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से किसानों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और आज इस पर आपकी ओर से कोई न कोई निर्देश आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 में पूरी बात कहियेगा, आपको पूरी आजादी है।

[11.02] मुजफ्फरनगर प्रकरण पर श्री हुकुम सिंह द्वारा कल मुख्य मंत्री द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोप का खण्डन एवं मुख्य मंत्री द्वारा खेद व्यक्त किये जाने की मांग

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा बिन्दु सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है। आपको स्मरण होगा कि जब मुजफ्फरनगर की घटना पर बात हो रही थी।

श्री अध्यक्ष-

इसे जीरो ऑवर में उठाइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जीरो ऑवर आता रहेगा, मै केवल आधे मिनट में कह लूँगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहाँ पर है, इनके भी संज्ञान में आ जायेगा, आपके भी संज्ञान में आ जायेगा, सदन के भी आ जायेगा। बहुत संक्षेप में केवल आधे मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उस समय मेरी बात कुछ हुयी, मैंने इस विषय को लेकर अपनी बात रखी फिर मा0 नेता सदन बोल रहे थे और नेता सदन ने एक वाक्य उसमें कहा किसी प्रकरण को लेकर के कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपने झूठ बोला है। मान्यवर, मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिये आश्वस्त होना चाहता था कि क्या बात है, क्या नहीं। मान्यवर, आज मैंने कार्यवाही देखी और कार्यवाही देखने के बाद मुझे यह पता लगा कि शायद नेता सदन या तो सुन नहीं पाये या समझ नहीं पाये और उन्होंने अनावश्यक रूप से एक अनर्गल आरोप लगा दिया कि आपने झूठ बोला। मान्यवर, झूठ शब्द वैसे भी असंसदीय है और फिर कार्यवाही देख लें, जो कुछ मैंने कहा, वही मैं आज स्टैण्ड करता हूं, मैंने झूठ नहीं बोला मैंने वस्तुस्थिति का वर्णन किया। मैंने खुद कहा, जो वो खुद कह रहे थे, मैं उससे पहले वही शब्द कह चुका था आप कार्यवाही देख लें मान्यवर। मेरा अनुरोध है मान्यवर कि अगर सदन की गरिमा को रखना है तो नेता सदन और हमारा जवाब परम्पराओं और मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिये। मान्यवर, आज नेता सदन उस बात को देख करके, मुझे नहीं, मैं तो एक मामूली सा सदस्य हूं, कम से कम सदन के सामने खेद जरूर व्यक्त करें उसके बारे में, मेरा आग्रह है। दूसरी बात मान्यवर, सुरेश राणा जी बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न लेने दीजिये न।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि कम से कम दो-तीन बार इनका नाम कार्यवाही में आया तो इनको अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर जरूर दें।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में बन्द पड़े लीवर प्रत्यारोपण को चालू कराये जाने की मांग

*1- श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में लीवर प्रत्यारोपण के लिये आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण लगभग 06 वर्षों से लीवर प्रत्यारोपण बन्द होने के कारण मरीजों को लीवर प्रत्यारोपण हेतु प्रदेश के बाहर महंगे निजी चिकित्सा संस्थानों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में लीवर प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर पुनः लीवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पिछले 06 वर्षों से लीवर प्रत्यारोपण नहीं हो रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकेश श्रीवास्तव जी हैं ? नहीं है।

प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली को व्यावहारिक, सुदृढ़ और जन उपयोगी बनाये जाने की मांग

*2-श्री हुकुम सिंह तथा श्री अनीसुर्रहमान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान खाद्य वितरण प्रणाली को और व्यावहारिक, सुदृढ़ और जन उपयोगी बनाने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

जी हां।

भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अन्तर्गत प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण को और व्यावहारिक, सुदृढ़ और जन उपयोगी बनाने हेतु कम्प्यूटरीकरण की योजना लागू की गयी है, जिसमें पचास प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा एवं पचास प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी। भारत सरकार द्वारा कम्पोनेन्ट-1 के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 28,33,13,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। समतुल्य धनराशि की व्यवस्था विभाग के बजट में अनुपूरक मांग के माध्यम से कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप प्रश्न देख लें और उत्तर देख लें। प्रश्न केवल यह है कि वर्तमान खाद्य प्रणाली को व्यावहारिक, सुदृढ़ और जन उपयोगी, तीन बातों पर मैंने बल दिया है। व्यावहारिक भी हो, जन उपयोगी भी हो और सुदृढ़ भी हो। अब इन्होंने कहा कि इसका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने इतना पैसा दे दिया, हमने उसके समकक्ष इतना पैसा दे दिया, आप अनुपूरक में उसका प्राविधान भी कर दिया। ये मान्यवर, अनाज बँटने का काम कम्प्यूटर से तो हो नहीं पाने का, जो वर्तमान स्थिति आज है, जो वितरक बने हुये हैं। उत्तर में इस बात की मैं अपेक्षा कर रहा था कि जो वितरक आज हैं, अगर इसी प्रणाली के माध्यम से कि वितरक के पास अनाज जायेगा, उसके पास मिट्टी का तेल जायेगा, अन्य आवश्यक वस्तुएं जायेगी। अगर वह परम्परा सही रही होती, उपयोगी होती, प्रभावी होती तो मेरा प्रश्न न होता। इस बात को तो प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया था, उसमें

आवश्यकता सुधारीकरण की भी है, लेकिन केवल कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से, वह प्रणाली कैसे जन उपयोगी हो जायेगी। होना यह चाहिये था कि वितरक के पास जो सामान जायेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, वह सबके सामने है। अगर मिट्टी का तेल मान्यवर, किसी के पास में 10 बैरल जाता है। एक महीने का तो वही बिक जाता है, अगले महीने के 5 बैरल जायेंगे, पांच बैरल के पैसे दे आयेंगे और वह पैसे बंटे हुये हैं कहीं से कहीं तक भी मान्यवर, तो कम्प्यूटर कैसे कन्ट्रोल कर लेगा उसको। कम्प्यूटर का तो इसमें कोई नियंत्रण होगा नहीं कि पूरा का पूरा सामान वहां जा रहा है, फिर उसकी अपनी रुचि है। वहां के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की रुचि है। जो सामान वहां जाता है, बंट जाता है, जो गरीब पात्र हैं मान्यवर, वह लगातार उससे वंचित हो रहा है। प्राथमिकता यह होनी चाहिये थी कि जो गरीब पात्र व्यक्ति है, जिसके लिये सामान जा रहा है, उस तक वह पहुंच जाये। कम्प्यूटरीकरण करने से कहां सामान पहुंच जायेगा, मैं जानना चाह रहा हूं। जन उपयोगी मैंने पूछा, जन उपयोगी तभी तो होगा जब जन तक सामान जायेगा। आज एक कानून पास हुआ है मान्यवर, फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है, राइट ऑफ फूड एक्ट पास हुआ है, सबको अधिकार आपने दिया है और प्रणाली आपके पास में वही है। मैं सोचता था कि नई जो स्थिति आई है, नई स्थिति के अनुरूप कोई नई प्रणाली शुरू जो पायेगी। खाली कम्प्यूटरीकरण का पैसा मिल गया और आपने उस पैसे के समकक्ष पैसा अवमुक्त कर दिया, लेकिन सुविधा क्या मिली उससे वह जन उपयोगी कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं यही सवाल कर रहा हूं। मुझको ये बताइये आप कैसे निश्चित करेंगे अब जो वितरक को तय करने वाली प्रणाली का उसमें संशोधन होगा ? मेरे सवाल को सुन लीजिये अभी जो वितरक है, उसकी जो परम्परा है तय करने वाली, सभा होगी, सभा में नाम तय होगा। यह आपको भी पता है, गांव में आप भी जाते हैं, यह बिल्कुल फेक है। एक तरह से फेक है, ड्यूटी कुछ नहीं। फिर एक अधिकार दे दिया है एस0डी0एम0 को, उसको स्वीकार करने का, न स्वीकार करने का, वह भी जिस आधार पर होती है, वह भी त्रुटिपूर्ण है। उसको कुछ सुधारने की योजना आपकी है, एक सवाल तो मेरा यह है, अगला बाद में करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी, भी खाद्य मंत्री रह चुके हैं और इन्हें जानकारी है कि कहाँ-कहाँ घपला-घोटाला होता रहा है। हमारी कोशिश है कि उस घपले-घोटाले को हम रोक सकें और इसलिए कम्प्यूटरीकरण भी उसमें सहायक होगा और यह व्यवस्था पारदर्शी बन सके इसलिए जो एफ0सी0आई0 के गोदाम है उसकी सूचना और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो गोदाम है, उसकी सूचना, वह पूरा-का-पूरा उसका विवरण कम्प्यूटर पर होगा मान्यवर, एसएमएस के जरिये दुकानदारों का जो राशन कार्ड होल्डर है उनको और जो सम्बन्धित और अधिकारी है उनको दी जायेगी कि

इतना अनाज आया है इतना अनाज यहां से निर्गत किया जा रहा है और उसके साथ ही उसे और पारदर्शी बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक बुलायी थी कि जो ट्रक या वाहन है जिसके जरिये राशन जाता है उसमें भी कई घपले हैं। माननीय हुकुम सिंह जी का लम्बा तजुर्बा है ट्रक गायब हो जाते हैं बीच में मिट्टी का तेल गायब हो जाता है तो उस सब पर हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिये हम इसको पारदर्शी बना रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो वर्तमान व्यवस्था वितरक की नियुक्ति की है भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है उस वितरक की नियुक्ति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं है। रही सूचना की बात सूचना की व्यवस्था अभी भी है। एफ0सी0आई0 के गोदाम से कितना अनाज गया ब्लाक स्तर से गांव में गया उस सारी सूचना का तंत्र तो आज भी खड़ा हुआ है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अब इस ऐक्ट के बाद में बोझ और बढ़ना है और इसका विस्तारीकरण होना है। मैं सोचता हूं कि जहां जड़ है उस जड़ से शुरू किया जाये। जो वितरक की वर्तमान व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है उसमें आप विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी जो व्यवस्था बनी हुई है वह लागू है। उसे और जवाबदेह बनाने के लिये ग्राम स्तर पर वहां पर दुकानों का वितरण किया जाता है उसमें एस0डी0एम0 या जो भी उनके नामित अधिकारी है वह रहते हैं, इसलिये उस वितरक प्रणाली को या जो वितरक होगा उसको और सुदृढ़ करने की हम कोशिश कर रहे है। उसमें जो भी अनियमितता पायी जाती है हम उस दुकानदार को या वितरक को निलम्बित करते हैं और ऐसी दुकानों को भी हम निरस्त कर देते हैं।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मान्यवर, हमारे जिला चंदौली में जो है आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं अभी माननीय मंत्री जी बोले भी हैं कि घपला घोटाला होता है। मान्यवर, हमारे यहां चंदौली जिला में 12 हजार से 15 हजार कुंटल चीनी हो है अप्रैल मई जून तीन महीने में उठाया गया और न तो वह कोटेदार के पास पहुंचा और न वह ग्राम सभाओं में बांटा गया तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वह चीनी कहां गयी।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह शिकायत है आप शिकायत लिखकर दीजिये इनको यह जांच करायेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, माननीय सदस्य के क्षेत्र में वितरण में अनियमितता हुई है। सदन में इन्होंने अपनी बात रखी है तो सरकार इसका संज्ञान ले लें और इस पर प्रभावी कार्यवाही कराये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बात हो गयी।

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, मेरा मूल सवाल है कि राशन वितरण प्रणाली में पूरे प्रदेश में घपले भ्रष्टाचार है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार प्रदेश में फैल रहा है देश में फैल रहा है और इसके अलावा शांति व्यवस्था पर पूरे क्षेत्र में खतरा हो जाता है। मेरा कहना यह है कि इन सब चीजों का समूल नष्ट करने के लिये क्या सरकार राशन वितरकों का कार्यकाल पांच साल निर्धारित करेगी ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है जो पहले से वितरक का नियम है मानक है उसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं और माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि घपले घोटाले होते रहे हैं आप माननीय सदस्यगण भी जनप्रतिनिधि है इसमें आप सरकार की मदद करें और घपले घोटाले रोकने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिये सरकार कोई नियम बना रही है ? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये बताना चाहता हूं अभी मैंने शिकायत भी दी थी। माननीय मंत्री जी, पूरा सिस्टम, पूरी वितरण व्यवस्था में एक सिस्टम बनाकर बेइमानी की जा रही है जो थोक डीलर किरोसिन के हैं वह 1 रुपया 70 पैसा के हिसाब से अलीगढ़ में 25 से 30 लाख रुपया महीना काटते हैं जब आर0ओ0 कटता है तो वहां 500 से लेकर 1500 तक पैसा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

सवाल तो पूछिये आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। सवाल मेरा है कि क्या परिवर्तन करेंगे ? एफसीआई के गोदाम में जब डीलर गेहूँ लेने जाता है तो हर कट्टे पर 10 किलो कम दिया जाता है। जब ऊपर से सिस्टम ऐसा बन गया है बिलकुल नीचे तक उसका वितरण समान रूप से किया जा रहा है तो उसमें क्या सुधार करेंगे माननीय मंत्री जी ? मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत भी की है आपको लिख करके खैर अलीगढ़ के सम्बन्ध में, इसमें जानना चाहता हूँ।

श्री सुशील सिंह-

मान्यवर, हमारे जनपद चन्दौली में जो बांटा जाता है खाद्य और रसद इसमें काफी घोटाला हो रहा है इसकी जानकारी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर भी दिया है थोड़ा सा व्यक्तिगत निवेदन है कि गम्भीर विषय है इसको दिखवाने का काम करें इसकी जांच करवा लें और जांच कराकर अगर दोषी पाये जाते है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करायें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें अगर कोटेदार दोषी पाया जाता है तो उसको सस्पेण्ड कर दिया

जाता है वहीं जो पर्यवेक्षक होता है जो सीन करता है कि कोटा गांवों के बंट गया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार अगर कोटेदार को सस्पेन्ड करती है तो जो पर्यवेक्षक सीन करके अपनी रिपोर्ट देता है कि गांव में कोटा बट गया उनके खिलाफ भी कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी-

मान्यवर, अगर यह जानकारी आयेगी तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था जिसका आज 47 नम्बर अतारांकित पर आपने उत्तर दिया है मैंने यह प्रश्न उठाया था कि लखीमपुर जनपद के पलिया व सम्पूर्णानगर धान क्रय केन्द्रों पर 2011-12 में 22000 कुन्तल धान खरीदा गया था इसके सापेक्ष जो चावल आया था प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष-

यह खरीदने का कहां से ले आये, यह सवाल नहीं बनता है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, केन्द्र प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं बनता है, आप बैठें।

प्रदेश की जेलों में बन्द सजा काट चुके कैदियों को छोड़ने की मांग

*3-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जमानत होने के बावजूद उ0प्र0 की जेलों में कैदी बन्द हैं ? क्या यह भी सत्य है कि पूरी सजा काट चुके कैदी भी जेलों में बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कानूनी अड़चनों को समाप्त कर उन्हें छोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

प्रदेश की कारागारों में कुल 30 बंदी ऐसे हैं, जिनकी जमानत मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत है परन्तु उनमें से 28 बंदियों द्वारा जमानतदारों की व्यवस्था न किये जाने के कारण और 02 बंदियों द्वारा अर्थदण्ड रु0 1000/- जमा न करने के कारण वे कारागारों में निरुद्ध हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसे असहाय व्यक्ति सूफी, सन्त, फकीर, घुमन्तू प्रजाति के लोग जो पकड़े जाते हैं माननीय मंत्री जी ने

स्वीकार किया है कि ऐसे 30 लोग हैं। 28 ऐसे हैं जिनके जमानतदार नहीं हैं 2 ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपया जमा नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ऐसे असहाय व्यक्ति जो अर्थदण्ड जमा नहीं कर सकते क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को कानूनी अड़चन समाप्त करके रिहा कराने का काम करेगी ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह काम तो अदालत में होता है, जेल में जो निरुद्ध हैं, उस मामले में हमारा विभाग कुछ नहीं कर सकता। अदालत जो तय करती है, उसी के अनुसार जेल में हम लोग उन्हें निरुद्ध रखते हैं। अदालत अगर उन्हें छोड़ देगी या जमानत देगी तो हम उन्हें रिहा कर सकते हैं।

प्रदेश में पात्र विकलांगजन को पेंशन एवं उसकी धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*4-श्री मनीष असीजा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगजन पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद भी बजट के अभाव में पेंशन पाने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांग पेंशन का बजट बढ़ाने एवं पेंशन की अनुदान धनराशि को बढ़ाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

जी हां।

वर्ष 2013-14 में विकलांग पेंशन योजना में रु0 37.01 करोड़ का प्रावधान बढ़ाया गया है। विकलांग पेंशन की अनुदान धनराशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकलांगजन के पेंशन में वृद्धि वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन में वृद्धि के साथ विचार किया जाता है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश भर के ऐसे नागरिक जो प्रकृति के कोप के कारण वास्तविक सहायता की पात्रता रखते हैं, उनके विषय में माननीय मंत्री जी से अनुपूरक करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रदेश भर में ऐसे अनेक विकलांग हैं जो बजट के अभाव में पेंशन से वंचित रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब में यह भी लिखा गया है कि विकलांग पेंशन की अनुदान धनराशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके अधिकारियों के माध्यम से यह उत्तर सही नहीं दिया गया है। मैं स्पेसिफिक बात बताता हूँ कि हमारे जनपद फिरोजाबाद में 22 जुलाई 2013 को पत्र संख्या-333-34 जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निदेशक विकलांग कल्याण को दिया गया है, उसमें डी0एम0 महोदय के माध्यम से 700 नये विकलांगों की लक्ष्य वृद्धि और 25 लाख 20 हजार

* नोट :-वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये की बजट राशि मांगी गयी है। यह तो फिरोजाबाद का स्पेसिफिक मामला है। पूरे प्रदेश भर में जहाँ आप यह स्वीकार करते हैं कि ऐसे विकलांग बन्धु जो बजट की और लक्ष्य की आपूर्ति न होने के कारण से पात्रता रखने के बावजूद वंचित हैं तथा फिरोजाबाद की जो स्थिति है तो पूरे प्रदेश भर की क्या स्थिति होगी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कि यदि आपका यह उत्तर है कि पेंशन अनुदान की राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो क्या फिरोजाबाद के दिनांक 22 जुलाई, 2013 के डी0एम0 वाले पत्र को संज्ञान में लेंगे और साथ ही पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों से इस प्रकार के विकलांगों के लक्ष्य की वृद्धि और बजट की राशि के लिये वहाँ से पत्र मंगाने का कार्य करेंगे ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि जब से समाजवादी सरकार आयी है, तब से हम लोगों ने रिकार्ड वृद्धि बजट के एलोकेशन में की है। पिछले साल सन् 2011-12 में एक भी प्रतिशत वृद्धि नहीं की गयी थी। जब हमारी सरकार आई तो 2012-13 में 7 प्रतिशत वृद्धि की है और 2061 से 2080 करोड़ किया है और इस साल उससे भी बढ़कर 13.20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तथा 37.01 करोड़ बढ़ा दिया गया है। तो आपने जो भी एक्स्ट्रा टार्गेट्स दिये हैं, उसमें जहाँ तक हो सकेगा, उसको एकमोटेड किया जायेगा।

(श्री इन्द्रजीत सरोज का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, धनराशि की तो बात ही नहीं हुयी है, इसमें मैंने स्पेसिफिक बताया है 22 जुलाई, 2013 के पत्र के बारे में। तो जो गलत उत्तर देने वाला आपका विभाग है तो आप इसको संज्ञान में लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिये। इन्द्रजीत सरोज जी अपना प्रश्न पूछें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पात्र विकलाँगजनों के लम्बित आवेदन-पत्रों की क्या संख्या है ? वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में सरकार ने कितने बजट का प्रावधान किया है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पात्र विकलाँगजनों के जो आवेदन-पत्र लम्बित हैं क्या उन सभी पात्र विकलाँगजनों को यह सरकार पेंशन देने की कार्यवाही करेगी ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012-13 में टोटल बजट 280 करोड़ रुपये रखा गया था, वर्ष 2013-14 में 317.44 करोड़ का टोटल बजट है। जो पात्रता का इस समय हमारे पास डाटा है, प्रदेश में हर जो पात्र आदमी है वह मुफ्त में एप्लाई कर सकता है। टोटल ऐसी 3855 एप्लीकेशन्स हमारे पास आज की तारीख में पेंडिंग हैं। अभी हमारी सरकार ने 37 करोड़ रुपया इस साल के लिए

बढ़ाया है जो कि 13 प्रतिशत की जम्प है। तकरीबन 56 हजार लोगों को नयी पेंशन इन्क्लूड करने का कार्य प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने एप्लाई कर रखा है वह ऑलरेडी इसमें इन्क्लूड हो जायेंगे लेकिन चूँकि रोलिंग प्रोसेस है कई लोग जो एप्लाई नहीं कर पाये हैं वह एप्लाई करते रहते हैं तो जैसे-जैसे एप्लीकेशन्स आती रहेंगी, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, हम सभी को पेंशन देना चाहते हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा और संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वर्ष 2012 में हमने अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से दो लाख रुपये विकलांगों को ट्राई-साइकिल देने के लिए दिया था। मान्यवर, डेढ़ साल हो गये हैं लेकिन उन साइकिलों को न तो वितरित करने का काम किया जा रहा है और न ही उनकी औपचारिताएं पूरी की जा रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उनको साइकिलें दी जाएं और जो दो लाख रुपये की सीमा है इसको बढ़ाया जाए तथा जिन दोषी अधिकारियों ने उन साइकिलों को अभी तक बाँटा नहीं है उनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, संज्ञान ले लिया है हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विकलांग पेंशन के बारे में सरकार से जानना चाहूँगा कि जो भी इनका बजट है यह जिन लोगों को देते हैं वह लोग असहाय होते हैं और अक्सर देखा जाता है कि एक-एक साल तक उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। मान्यवर, जिनको हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं यदि उनको हम भत्ता नहीं दे पाते हैं तो वह अपने हाथ से काम कर लेंगे लेकिन मान्यवर, जो असहाय हैं जो भगवान के मारे हैं जो प्रकृति के मारे हैं वह बेचारे कहाँ से अपना जीवन-यापन करेंगे ? तो क्या सरकार ऐसा नियम बनायेगी जिससे हर महीने विकलाँगों को, विधवाओं को, वृद्धाओं को पेंशन मिल जाये क्योंकि अभी साल-साल भर उनको पेंशन नहीं मिल पाती है और वह बेचारे बिलखा करते हैं ? तो क्या सरकार यह नियम बनायेगी कि हर महीने इन विकलाँगों, विधवाओं एवं वृद्धाओं सभी को पेंशन मिल जाये, जिनको पेंशन मिल रही है ?

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, हम लोग हर महीने देना चाहते हैं और उसके लिए यथाप्रयास किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि इस वर्ष 37 करोड़ रुपये का इजाफा विकलाँग पेंशन में किया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि माँग ज्यादा है और इजाफा केवल 37 करोड़ रुपये का किया है तो मान्यवर, पेंशन देने का आधार क्या होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा या कोई और क्राइटेरिया होगा ? क्योंकि माँग

100 करोड़ की है और दिया सिर्फ 37 करोड़ रुपये है तो मान्यवर, उसे बाँटेंगे कैसे ? जैसे अभी माननीय असीजा जी ने बताया कि उनके जिले में 700 एप्लीकेशन्स आई, शाहजहाँपुर में 500 आई तो उसको किस आधार से बाँटेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा या कोई और क्राइटेरिया होगा।

श्री अभिषेक मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो जरूरत की बात कही है। 100 करोड़ की फीगर नहीं है और वह स्टैब्लिश फीगर नहीं है लेकिन हाँ 3855 की हमारे पास पेंडेसी है। जो दूसरा सवाल माननीय सदस्य का था कि उसको किस हिसाब से बाँटेंगे। उसका नार्मल प्रिन्सिपल यही होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जहाँ जैसी जरूरत होती है, जहाँ जितने लाभार्थी हैं उसको मैच किया जाता है और उस हिसाब से पेंशन दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-5 मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी, चौधरी जी नहीं हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-6 श्री गुटियारी लाल दुवेश जी, यह भी नहीं हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-7।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न संख्या-6 में मेरी रूचि है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, तारांकित प्रश्न सं0-6 में मेरी भी अभिरुचि है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, जब समय बचेगा तब अवसर दिया जायेगा।

प्रदेश में मुंह के कैंसर की रोकथाम हेतु निकोटिन मिश्रित पान मसाले की बिक्री पर रोक

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संगठनों के सर्वे के अनुसार कैंसर विशेषकर मुंह के कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण गुटखा और तम्बाकू युक्त पान मसाले का उपयोग बताया गया है ? क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति व्यापक जनहित में उ0प्र0 में भी गुटखा एवं तम्बाकू युक्त पान मसाले के निर्माण एवं बिक्री को सख्ती से प्रतिबन्धित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0पु0 की अधिसूचना दिनांक 04-10-2012 द्वारा प्रदेश में दिनांक 01-04-2013 से गुटका एवं तम्बाकू/निकोटिन मिश्रित पान मसाले के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं वितरण पूर्णरूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फुटवियर मैन्यूफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट हेतु प्रशासनिक स्वीकृति

*6-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा से जूतों का एक्सपोर्ट लगभग रु0 15000 करोड़ से 18000 करोड़ का तथा स्वदेश के लिए अलग प्रोडक्शन होता है ? क्या यह सही है कि चेन्नई, दिल्ली में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्थापित होने से आगरा का मजदूर मद्रास व दिल्ली पलायन कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश को विदेशी मुद्रा की हानि से बचाने हेतु जनपद आगरा के जूता उद्योग को सुरक्षित करने की कोई ठोस कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)-

जी नहीं। आगरा फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्ट चैम्बर, आगरा द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 2100 करोड़ तथा स्वदेश के लिए अलग से प्रोडक्शन होता है। आगरा से फुटवियर से सम्बन्धित उत्पादों का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मजदूरों के पलायन से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं है।

फुटवियर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जिले में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जूता मंडी की स्थापना की गयी है। एसाइड योजना के अंतर्गत आगरा फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्ट चैम्बर, आगरा के चर्म उत्पादों के लिए टेस्टिंग लैब एवं डिजाइन स्टूडियों हेतु तैयार प्रस्ताव पर दिनांक 17.06.2013 को प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के साथ रोजगार के अवसर

*7-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री अजय मिश्र 'टेनी'

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया है ? क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता के साथ रोजगार का भी प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री शाहिद मंजूर-

31 मार्च, 2013 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 71,86,585 है।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2012 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों में से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में 71,86,585 पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि 71,86,585 में से कितने बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते के अलावा रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 2012-13 और 2013-14 में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया है ? इसके आगे भी मेरा प्रश्न है लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इन दो प्रश्नों का उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें उसके बाद और प्रश्न करूँ।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 में 69,22,611 के सापेक्ष 8,569 बेरोजगारों को रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो प्रश्न किया। जो आपने पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बतायी है उसमें से कितने बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, दूसरे, कितने ऐसे बेरोजगारों को आपने वर्ष 2012-2013 में और 2013-2014 में रोजगार देने का काम किया। इन दोनों प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं आया।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय सदस्य, अभी मैंने आपको बताया कि रोजगार मेलों के माध्यम से 8,569 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये गये।

श्री अध्यक्ष-

यह बता दें कि बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को बाँटा गया?

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, जहाँ तक बेरोजगारी भत्ते की बात है तो 25 वर्ष से अधिक आयु वाले 12,84,569 आवेदकों में से अब तक 12,52,779 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 8,569 बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है। तो यह स्पष्ट कर दें कि 2012-13 में कितने, 2013-14 में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और आगे लक्ष्य क्या है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो 71,86,585 बेरोजगार आपके सेवायोजन कार्यालयों में अपना पंजीयन कराए हैं उसमें से 12 लाख के अलावा जो बाकी बेरोजगार हैं उनको आगे बेरोजगारी भत्ता देने की क्या योजना है ? दूसरा मेरा एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है बहुत से बेरोजगार नौजवान ऐसे भी हैं जो सेवायोजन कार्यालयों में अपना पंजीयन नहीं करा सके हैं शिक्षित हैं क्या उनको भी पंजीकृत कराने के लिए सरकार कोई अभियान चलाएगी ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी यह सतत् प्रक्रिया है जो बेरोजगार अपना आवेदन कराते हैं उनका सभी रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराया जा रहा है कहीं किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है मानक के अनुसार जिनकी आय होती है उनको बेरोजगारी भत्ते में शामिल किया जाता है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी 71 लाख 85 हजार की संख्या है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया मंत्री जी ने बता दिया कि बारह लाख को दिया शेष को नहीं दिया। पात्रता के आधार पर माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि शेष का क्या करेंगे ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी जो मानक में आए थे उनको दे दिया गया है उसके अलावा संसाधन उपलब्ध कराने पर बाकियों को भी देने पर विचार करेंगे।

प्रदेश में नकली दूध व इसमें मिलावट पर अंकुश लगाये जाने की कार्यवाही

*8-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दूध एवं दूध से बने पदार्थों अथवा दूध में मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री कैलाश)-

जी हाँ, प्रदेश में दिनांक 05.08.2011 से प्रभावी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 में दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु व्यापक प्राविधान हैं, जिसके क्रियान्वयन हेतु जनपदों में तैनात प्रवर्तन इकाई द्वारा निरन्तर तथा विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण/छापा/नमूना संग्रहण की नियमित कार्यवाही कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी मैं भी मूल प्रश्नकर्ता सदस्य हूँ मुझे भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें कितना अनुपूरक होगा। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। इसमें सब जवाब आ गया, उन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं अब हम आगे बढ़ गए हैं।

(श्री अजय मिश्र 'टेनी' सदन के वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष-

आप हमें लिखकर दे दीजिए हम उत्तर दिलवा देंगे। महाना जी आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वह मूल प्रश्नकर्ता थे उनको एक अवसर मिलना चाहिए था।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ आप मुझे एक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सारे प्रश्न का उत्तर आ गया यह क्या तरीका है। आप हमें लिखकर दे दें हम उत्तर दिलवा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी एक प्रश्न पूछ लेने दें।

(श्री अजय मिश्र 'टेनी' सदन त्याग कर जाने लगे)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी किसी सदस्य का प्रश्न पूछने के लिए इतना मन भारी हो जाए कि वह सदन से चला जाए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं अब प्रश्न नहीं पूछूंगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया था उसका मुझे उत्तर मिला मैंने प्रश्न किया था कि अंकुश लगाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ? इसका उत्तर मुझे मिला कि इसके लिए व्यापक प्राविधान किया गया है विनियम 2011 में दूध तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु व्यापक प्राविधान है। मान्यवर, प्राविधान तो बहुत पहले किये गये हैं लेकिन प्राविधान करने से क्या रोक हो जायेगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं क्या इस प्राविधान के बाद भी आज भी माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि लखनऊ के समाचार-पत्रों में हालांकि सदन में समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

आज भी अखबारों में छपा है कि इतने लीटर दूध और इतना यह चीज पकड़ी गई है। क्या आज जब इस समय विधान सभा में यह प्रश्न उठा रहे हैं उस समय तक ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह के कार्य में लिप्त थे और जो इस कार्य में लिप्त थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई और उसको प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्राविधान बनाने से कुछ नहीं होगा उसके लिये पूरी क्या कार्य योजना बनाई है, यह बता दें ?

श्री कैलाश-

उत्तर प्रदेश के पूरे जनपदों में यह इकाइयाँ गठित हैं और वह सारे लोग समय-समय पर छापा मारते हैं और कार्यवाही करते हैं और उसको न्यायालय भी भेजते हैं और इसके अलावा डी0एम0 की अध्यक्षता में भी एक कमेटी है, वह समय-समय पर मिलावटी दूध के खिलाफ छापा मारती है और कार्यवाही कराती है। इसके अलावा भी प्रदेश स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी है, वह भी समय-समय पर मिलावट के लिये छापा मारती है और कार्यवाही करती है। दूध की मिलावट के लिये समय-समय जो छापे मारे गये हैं, मंडलवाइज। वह लास्ट वाला हम आपको बता दे रहे हैं, 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च 2013 तक। इसमें 55 लोगों को सजा हुई है। 699 मुकदमें कायम हुए हैं और 6 लाख 85 हजार 559 यह जुर्माना रिकवरी हुई है। 31.8.2013 तक यह स्थिति है पूरे प्रदेश में। हर जगह समय-समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार कृतसंकल्प है और समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है और की गई है। इसका दंड भी लोगों को मिला है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 600 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हर जिले की हर मंडी में अधिकांशतः दूध की मिलावट की शिकायत पायी जाती है, यह आपकी भी जानकारी में होगा। मान्यवर, यह एक आम प्रक्रिया है। नकली दूध बनाने की एक प्रक्रिया है और दूध में मिलावट की एक प्रक्रिया है। क्या जो मिलावट की प्रक्रिया है जिसमें दूध में पानी मिला दिया जाता है या कुछ और एक यह विषय है और एक यह सिंथेटिक दूध होता है जो एकदम नकली तरीके से बनाया जाता है, वह क्या आपकी जानकारी में है ? अगर आपकी जानकारी में है तो उसको रोकने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री कैलाश-

जो मिलावटी दूध है और उसमें जो सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है उसके खिलाफ उसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है। अगर कहीं आपके संज्ञान में हो तो आप दीजिये, इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में शिक्षा एवं परीक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग

*9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में शिक्षा एवं परीक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ संचालित है, जिससे राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कन्नौज, जालौन एवं आजमगढ़ सम्बद्ध है। ग्रेटर नोएडा में एक अन्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है। सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में गुणवत्ता पर नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था यह है कि शिक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं के मानक का निर्धारण एवं अनुश्रवण एम0सी0आई0 द्वारा किया जाता है तथा परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाती है। भारत में कई अन्य प्रदेशों में भी यही व्यवस्था है तथा इसे सन्तोषजनक पाया गया है। एकल चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करके सभी मेडिकल कालेजों को उससे सम्बद्ध करना निश्चित ही आदर्श परिस्थिति है, जिस पर यथासमय विस्तृत परीक्षोंपरान्त नीतिगत निर्णय लिया जाना होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप इस प्रश्न के महत्व को समझ सकते हैं। कुकरमुत्तों की तरह बहुत सारे मेडिकल कालेज निजी बनते चले जा रहे हैं और उनसे इतनी फीस वसूली जा रही है और किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, परीक्षा की वहाँ गुणवत्ता क्या है? इससे हम सब परिचित हैं। चिकित्सा एक ऐसी विधा है जिसके बारे में जो उस विधा में दक्ष नहीं है। उसे उसकी जानकारी नहीं होती है अधिकांश विश्वविद्यालय जो इन परीक्षाओं का संचालन करते हैं उनके पास कोई शिक्षा विशेषज्ञ नहीं होता है विशेषज्ञ तो दूर की बात है विषय के नाम तक नहीं जानते हैं। मेडीसिन के नाम तक नहीं जानते हैं कौन सा क्लीनिकल सब्जैक्ट है कौन सा नॉन क्लीनिकल सब्जैक्ट है वह नाम तक नहीं जानते हैं परीक्षा सेटिंग में खेल चलता है, पेपर सेटिंग में खेल चलता है, परीक्षा पेपर की चेकिंग में खेल चलता है, परीक्षकों की नियुक्ति में खेल चलता है, कालेज कहीं और है, यूनिवर्सिटी कहीं और है, इसी लखनऊ में मान्यवर, पाँच निजी मेडिकल कालेज चल रहे हैं और इन पाँच निजी मेडिकल कालेजों का परीक्षा केन्द्र है। अगर आप जवाब पढ़े तो किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ होने के बावजूद जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। फैजाबाद अवध विश्वविद्यालय को बना दिया गया। अब उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यह प्रश्न मैंने सदन में जब तकनीकी विश्वविद्यालय के सवाल खड़े हो रहे थे उस समय भी मैंने सवाल उठाया था कि यह सरकार तकनीकी शिक्षा के बारे में बार-बार बहस करती है कभी यूनिवर्सिटी बनाती है, कभी यूनिवर्सिटी तोड़ती है, कभी मिलाती है, लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि आखिर यह सरकार एक मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रही है? सरकार ने उस समय कहा भी था कि हम इस पर विचार करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ। एक जो मैंने सैद्धान्तिक प्रश्न खड़ा किया है कि क्या एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना यहां की जानी चाहिए, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि-''एक एकल चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करके सभी मेडिकल कालेजों को उससे सम्बद्ध करना निश्चित ही आदर्श परिस्थिति है'' सरकार यह मान रही है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वह आदर्श स्थिति है और इस आदर्श स्थिति को स्वाभाविक रूप से या तो सरकार यह कहती कि यह आदर्श स्थिति नहीं है हम

इसको लागू नहीं कर सकते हैं सरकार कह रही है कि आदर्श स्थिति है और अध्यक्ष महोदय पढ़िये आगे यह कह रहे हैं कि-जिस पर यथा समय विस्तृत परीक्षणोपरान्त नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।' तो अगर आप मानते हैं कि आदर्श स्थिति है, मेडिकल शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, अभी कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने प्रवेश की पाँच सौ सीटे बढ़वा दी तो प्रश्न यह है कि इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वह समय कब आएगा जब सरकार इसका एक नीतिगत निर्णय लेगी परीक्षा करायेगी और निजी मेडिकल कालेजों के बारे में विचार करेगी। इसका उत्तर आ जाएगा तो मा0 अध्यक्ष जी एक सवाल और पूछ लेने दीजिएगा।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, हमने पहले ही यह अवगत कराया है सरकार इसको उचित मानती है और यथासमय पर उसका निर्णय करेगी, सरकार इस पर गम्भीर है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं जानना चाहता हूँ कि वह समय कब आएगा।

(शोर)

समय तो निश्चित करायें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कैसे समय निश्चित करा सकता हूँ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जब सरकार मान रही है तो समय निश्चित होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए। मान्यवर, सरकार अगर एक आदर्श को मान रही है उसको स्वीकार कर रही है और उसको लागू नहीं करना चाहती है तो यह सरकार की कार्यप्रणाली का द्योतक है सरकार इसको जाने, जनता इसको देखेगी। मेरा दूसरा प्रश्न जो मैं लाना चाहता हूँ सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ संचालित है, जिससे राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कन्नौज, जालौन एवं आजमगढ़ सम्बद्ध हैं, मेरा प्रश्न इससे संबंधित है किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में स्थित है लखनऊ में पाँच निजी मेडिकल कालेज चल रहे हैं एरा, हिन्द, कैरियर, यूनीटेक एक और है इन पाँच मेडिकल कालेजों को हमने लखनऊ मेडिकल कालेज से सम्बद्ध करने के बजाय अवध मेडिकल कालेज से सम्बद्ध कर दिया है और जो आजमगढ़ मेडिकल कालेज खुला है जबकि बीच में फैजाबाद भी पढ़ता है, बीच में गोरखपुर भी पड़ता है गोरखपुर, गोरखपुर मेडिकल कालेज 1 से सम्बद्ध है आजमगढ़ को उससे सम्बद्ध किया जा सकता था लेकिन आजमगढ़ मेडिकल कालेज को किंग जॉर्ज से सम्बद्ध कर दिया गया लेकिन जो लखनऊ परिसर में पाँच मेडिकल कालेज हैं उनको लखनऊ से सम्बद्ध नहीं किया गया है।

मान्यवर, प्रदेश में जो राजकीय मेडिकल कालेज है, उन्हें जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया है, वह आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज-किंग जार्ज

चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जालौन-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मेडिकल कालेज, कानपुर-छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा-छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आगरा-डा0 भीमराव अम्बेडर विश्वविद्यालय, आगरा। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर- गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

मान्यवर, इसके अलावा प्रदेश में जो निजी मेडिकल कालेज हैं, उनकी सम्बद्धता निम्नवत् हैः- कैरियर इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद। ऐरा लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद। हिन्द इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद। मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद। मुजफ्फर नगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़, गाजियाबाद-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि यह जो लखनऊ परिसर में मेडिकल कालेज है, क्या इनको लखनऊ मेडिकल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, यह गंभीर विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और मैंने पहले भी कहा कि यथा समय इस पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने जो यथा समय की बात कही है, वह एकल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के सन्दर्भ में कही है। यह लागू करें या न करें, यह इनका काम है लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल था इन पाँच मेडिकल कालेजों के बारे में जिसके विषय में मैं कह रहा था कि अगर दूर-दूर के जो मेडिकल कालेज हैं, उनको लखनऊ मेडिकल यूनीवर्सिटी से जोड़ दिया है तो कम से कम लखनऊ वालों को जोड़ दीजिए। इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी की बात आनी चाहिए कि सरकार का यह विचार है।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो विषय रखा है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और यथा समय इस पर निर्णय करेगी।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर में जो मेडिकल कालेज बना है, वह अभी तक चालू नहीं हुआ है, जबकि समय सीमा उसकी समाप्त हो गई है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, सहारनपुर के मेडिकल कालेज को कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

जो आप पूछ रहे हैं, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

इसकी जानकारी करके हम आपको सूचित करा देंगे।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, खास तौर से संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद जिन्होंने अपनी यूनीवर्सिटी भी चला ली है, वह विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा दोहन करते हैं, चाहे एडमिशन का टाइम हो या एक्जामिनेशन का टाइम हो। माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ बता सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह इसमें क्या बतायेंगे, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, बैठिए।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि झाँसी में मेडिकल कालेज के आसपास जितने भी नर्सिंग होम बने हैं, मैं बार-बार प्रश्न लगा रहा हूँ, उन क्षेत्रों से जो गरीब मरीज वहाँ आते हैं, ज्यादा तबियत खराब होने की वजह से जल्दी आपरेशन चाहते हैं, झाँसी मेडिकल कालेज के जितने भी डाक्टर हैं, वह सारे के सारे मेडिकल कालेज से लगे हुए जो नर्सिंग होम्स हैं, उन नर्सिंग होम्स में भेज करके वहाँ जल्दी आपरेशन करा देते हैं और सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप मेडिकल कालेज में आपरेशन नहीं करते हैं, वह 20-20, 25-25 हजार रुपये उन गरीब लोगों से वसूलने का काम करते हैं। क्या मा0 मंत्री जी उन डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

आप लिखकर दे दें तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु वैकल्पिक ऊर्जा हेतु सोलर पावर प्लाण्ट संचालित योजना

*10-श्री संजय प्रताप जायसवाल तथा श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रिड सप्लाई के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्र)-

भारत सरकार के सोलर मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विद्युत आपूर्ति हेतु विकेन्द्रित रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत केन्द्रीय अनुदान रु0 81/- प्रतिवाट या 30 प्रतिशत जो कम हो एवं राज्यानुदान रु0 7100/- प्रति संयंत्र की दर से अनुमन्य है।

प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्रामों अथवा ऐसे ग्रामों जहां पारम्परिक विद्युत ग्रिड लाइन पहुंचने की संभावना कम है, में ग्रामवासियों को प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय/राज्यानुदान आधारित मिनीग्रिड (आफ ग्रिड) सोलर पावर प्लाण्ट योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बड़ी कमजोर है। ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा बड़ी आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य भी है कि वैकल्पिक ऊर्जा गांव-गांव में पहुंचायी जाये। जिलों की मांग के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। पिछले साल भी आवंटन में बड़ी दिक्कत थी। मांग के अनुरूप वैकल्पिक ऊर्जा का प्रबंध जिले नहीं कर पाये। प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को सबसे कम आवंटन मिलता है। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा है। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि मिनीग्रिड (ऑफ ग्रिड) सोलर पावर प्लान्ट योजना संचालित है। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के ऐसे कौने से जिले चिन्हित हैं जिनमें यह पावर प्लान्ट लगाने की योजना आप बना चुके हैं। साथ ही साथ अभी जिलों में यह अनुरोध किया जा रहा है कि 13 हजार में सोलर लाइट उपलब्ध है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह केन्द्र सरकार का अनुदान है या राज्य सरकार का अनुदान है। जबकि केन्द्र और राज्य सरकारों के अनुदानों को मिलाकर इसकी लागत 8000/- आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछें।

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

सवाल ही कर रहा हूँ। ऐसी क्या व्यवस्था है कि पिछले साल यह 8 हजार में उपलब्ध करायी गयी थी अब यह 13 हजार में उपलब्ध करायी जा रही है। अभी हाल ही में जिलों से उनकी आवश्यकता की सूची मांगी जा रही है। मान्यवर, यह जो व्यवस्था की जा रही है उसमें एकदम घटिया क्वालिटी की यह सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करायी जा रही है। एक महीने के बाद वह खराब हो जाती है। कहीं बल्ब नहीं है, कहीं बैटरी खराब है। सिर्फ एक एजेंसी नेडा पर यह व्यवस्था निर्भर है।

आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निजी क्षेत्र में आपको इससे सस्ती दरों पर यह उपलब्ध हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करिये न। आपने पूछा कि पूर्वांचल के जिलों में कितने-कितने में यह देने की व्यवस्था है यह सवाल है। इसका उत्तर लो न।

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, पिछले वर्ष में 24 हजार 882 लोहिया ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी थी। एवं 11,100 जो प्रोजेक्ट मोड़ है जिसका मा0 सदस्यगण अंश देते हैं। तीन अंश होते हैं। एक केंद्र का अंश, एक राज्य का अंश और एक लाभार्थी अंश। उसके तहत यह दो योजनाओं में लगायी गयी। एक सीधे लोहिया ग्राम में लगायी गयी जिसमें सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया और दूसरा प्रोजेक्ट मोड में जो बचा हुआ था 11,100 वह प्रदेश में सभी जिलों में बाँट दी गयी थी। उसके माध्यम से लगाया गया था।

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने नीचे दर्शाया है कि योजना संचालित है तो यह योजना पूर्वांचल के किन-किन जिलों में संचालित है। सरकार के पास इसकी क्या व्यवस्था है?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2011 और 2012 तक कुल 113 गाँव तथा 325 मजरों का विद्युतीकरण सोलर घरेलू लाइट एवं सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र की स्थापना करके किया गया है। इसकी सूची मान्यवर उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

सूची उन्हें दिला दीजिए।

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, अगर मा0 सदस्य कहेंगे तो सूची हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे, सारे गाँव सहित, तहसील सहित सारी सूची उपलब्ध है, यह हम आपके पास भिजवा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मा0 अध्यक्ष मैं पिछले 4-5 सालों से प्रोजेक्टमोड स्कीम के तहत जो नेडा के माध्यम से सप्लाई होती है, उसको अपने क्षेत्र में लगवाता हूँ मान्यवर नम्बर-एक, क्या इसकी क्वालिटी बेहतर करायेंगे, नम्बर दो, क्या इसकी संख्या बढ़ायेंगे ? हम मांग करते हैं 300 की, मिलती है 100, हम मांग करते हैं 200 की, मिलती हैं 50, तो स्पष्ट प्रश्न है मान्यवर, क्या इसकी संख्या बढ़ायेंगे और क्या इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करायेंगे ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ कम्पनियों को इसमें ब्लैक लिस्टेड करने की भी तैयारी चल रही है, जिनके खिलाफ शिकायतें आई हैं और जहां अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की बात है तो इसमें केन्द्र सरकार का सहयोग आवश्यक है, जो हम लोग केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं, जो हमें अनुमन्य होकर के वहां से आती है, उसी के हिसाब से मान्यवर जिलों में वितरित की जाती है।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा चौरी-चौरा में मैंने लिख करके सोलर लाइट के लिए दिया हुआ है, जिसमें मा0 मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसकी संख्या कितनी है, छूट की संख्या कितनी है, कितना मैं लगवा सकता हूँ ? क्या बताने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात मैं मा0 मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि आज तक एक साल हो गये हैं मेरी निधि से लिखे हुए, लेकिन उसमें न तो लगवाया जा रहा है, न तो बताया जा रहा है कि कितना छूट देंगे और कैसे लगवायेंगे ? इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर इसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, छूट तो निश्चित है, 70 परसेण्ट की छूट दी जाती है, 30 परसेण्ट की छूट जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि कितना छूट दिया जाना है इनको, तो इसमें 30 परसेण्ट लाभार्थी एवं 70 परसेण्ट का अनुदान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देती है और केन्द्र सरकार द्वारा जितनी सोलर लाइट उपलब्ध कराई जाती है, उसी के हिसाब से जिलों में वितरित कर दिया जाता है। आपके भी जिले में गया था, आपको क्यों नहीं मिला है, वह आपने संज्ञान में लाया है, इसको हम देखेंगे, आपको मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिला है तो इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में और इस सरकार के कार्यकाल में जितनी भी यह सौर ऊर्जा लगाई गई है, जिनकी गुणवत्ता खराब होने के कारण, वह खराब हो गई है, तो क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, जहां-जहां से शिकायत आई हैं, मैंने स्वयं कई जगह अधिकारियों को भेजा, मैंने स्वयं जाकर के देखा है, इसमें कुछ इस तरह की भी शिकायतें हैं कि जैसे कई वर्षों में उसमें धूल जम गयी है, जब सोलर चार्ज ही नहीं होगा तो इस तरह की जो समस्यायें थीं, उसको दूर किया गया है और छोटी-छोटी जो समस्यायें थीं, जैसे कहीं फ्यूज उड़ गया है, लेकिन नहीं जल रहा है, सख्त निर्देश दिया गया है इन कम्पनियों को 05 साल के मेण्टीनेन्स के लिए उनका बाण्ड भी है, उनको चेतावनी जारी की गई है कि अगर इस तरह की शिकायतें दोबारा आयेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह सोलर लाइट का जो आंकड़ा दिया गया है, क्या यह सब्सीडी सिफ रूरल एरिया के लिए ही है, शहर में भी जब लाइट चली जाती है, चौराहों आदि पर विधायक निधि से या अन्य संसाधनों से अगर यह सोलर लाइट लगाई जाय तो क्या आप उसके लिए सब्सीडी प्रदान करने की कोशिश करेंगे ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों के लिए है, चाहे शहर में हो, चाहे देहात में हो।

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने अपने विधान सभा क्षेत्र में पहले 20 लाइट लिया था, उसका कास्ट किया था 23000 रुपये प्रति लाइट, दोबारा हमने 100 लाइट लिया तो उसका कास्ट किया गया 13000 रुपये। एक ही साल में एक बार 23000 रुपये 20 लाइट का फिर 80 लाइट का 13000 रुपये कास्ट किया गया और इस बार हमको 200 लाइट का रेट दिया गया है दोबारा 13000 रुपये तो 13000 है, 8000 हजार है कि 23000 हजार है।

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, उनकी दर 19850 रुपये है और जो स्कीम के तहत आपने लिया है जिसमें छूट दी जा रही है उसमें आपका रुपया लगा होगा 7845 रुपये और छूट जिस पर नहीं है, जो जनरल उपलब्ध कराई जा रही है उसमें पूरा पैसा आपको, लाभार्थी को ही देना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, सभी जिलों में 13000 रुपये माँगे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 30 परसेण्ट छूट है और 30 परसेण्ट ही हम ले रहे हैं तो 65 परसेण्ट कैसे आ रहा है, 13000 रुपये हर जिले में जो माँग रहे हैं अभी नेडा के तहत।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दीजिये, उसकी जाँच हो जायेगी।

*11-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में सिरेमिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में जानकारी

*12-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में प्रसिद्ध सिरेमिक्स उद्योग की स्थापित इकाइयों से उत्पादन गुजरात आदि प्रदेशों की तुलना में पिछड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योग की कठिनाइयों को

दूर करने तथा प्रदेश में सिरेमिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री- (श्री भगवत सरन गंगवार)-

जी नहीं।

जी नहीं।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में सिरेमिक्स की दो इकाईयां मेसर्स कजारिया सिरेमिक्स एवं ओरियेण्ट सिरेमिक्स कार्यरत हैं। दोनों ने गुजरात से पिछड़ने सम्बन्धित कोई सूचना नहीं दी है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की यह मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्री हों लेकिन जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं, जो इण्डस्ट्रियाँ हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना भी हमारा, सरकार का कर्तव्य है। मेरे अपने क्षेत्र बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में दो-दो इण्डस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मा0 मंत्री जी, मैं आपसे बस यह पूछना चाहती हूँ कि पिछले 3 वर्षों में गुजरात में टाइल्स सिरेमिक का कितना उत्पादन हुआ, मतलब प्रतिवर्ष वहाँ कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ा ?

श्री अध्यक्ष-

अब गुजरात का यहाँ कैसे बता पायेंगे ? मा0 सोलंकी जी, गुजरात का कोई आँकड़ा यहाँ तो है नहीं, इसलिये यह कोई प्रश्न ही नहीं उठता, दूसरा कोई प्रश्न पूछिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसकी इण्डस्ट्री गुजरात में भी लगी हुई है और हमारे यहाँ भी लगी हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब गुजरात का उत्पादन कितना हुआ, यहाँ कैसे पता चलेगा ? दूसरा सवाल पूछिये न।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ा और सिकन्दराबाद में इसका जो उत्पादन है, वह कितने प्रतिशत बढ़ा है। इसके आँकड़े अगर आपके पास उपलब्ध हों तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आप सिकन्दराबाद का प्रतिशत तो पूछ सकती हैं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, ये तो नेट पर ही मिल जायेगा न इनको।

श्री भगवत सरन गंगवार-

मान्यवर, ये दोनों इकाइयाँ ऐसी हैं, इन दोनों इकाइयों की विश्व स्तर पर पहचान है और इनका बहुत बढ़िया काम है। यहाँ सारे लोग जानते होंगे कि ओरियेण्ट और कजारिया की टाइल्स का

कोई जवाब नहीं है और पूरे विश्व स्तर पर इनकी पहचान है तो उत्पादन घटने या यहाँ से पलायन करने का कोई विषय ही नहीं है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर उनको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि प्रदेश में खनन पर रोक लगी हुई है। इसलिये उन्हें मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन के बाद यहाँ से ये लोग पलायन कर जायेंगे इसलिये मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ।

श्री भगवत सरन गंगवार-

मान्यवर, जहाँ तक कच्चे माल की बात है तो अपनी सरकार वहाँ पर कच्चे माल के सम्बन्ध में, कच्चा माल तैयार करने के लिये क्लस्टर का संचालन शुरू करने जा रही है और कच्चे माल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब सरकारी क्लस्टर होगा, एस0पी0वी0 वगैरह सारे लोग सम्मिलित होंगे तो मैं नहीं मानता कि कजारिया सिरेमिक और ओरिएण्ट सिरेमिक के कहीं पलायन करने की बात है। इनका कारोबार बहुत बढ़िया और सुचारू रूप से और विश्वविख्यात है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक यह स्थिति है कि उन्हें दूसरे प्रदेशों से मिट्टी लानी पड़ रही है। दूसरे प्रदेशों से मिट्टी मँगा रहे हैं, तब जाकर ये उत्पादन कर पा रहे हैं। मेरा इसमें मा0 मंत्री जी से पूछना है कि क्या यहाँ उपलब्ध करवायेंगे ?

इसलिए मेरा मा0 मंत्री जी से पूछना है कि उन्हें कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध करायेंगे?

श्री अमरपाल शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ मा0 मंत्री जी ने अभी ओरियेण्ट और कजारिया टाइल्स का नाम लिया, क्योंकि मेरा काम भी सिरेमिक्स का है, सैनिटरी का है, मैं मा0 मंत्री जी को अवगत करना चाहूँगा कि दो साल से कजारिया का उत्पादन करीब यहाँ पर 7 परसेन्ट घटा है, क्योंकि कजारिया ने अपनी कम्पनी चाइना में ट्रान्सफर कर दी है और जितना माल आ रहा है, चाइना से बनकर आ रहा है, तो क्यों हमारी कंपनी चाइना में गई ? कौन-सी ऐसी दिक्कत उनको आई, क्या सरकार इस पर ध्यान देगी कि उनकी सहूलियत बढ़ाई जाए, जो यहाँ से अपने उद्योगों को न शिफ्ट किया करें, दूसरे देशों में, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

इसकी सूचना तो नहीं है कि कजारिया क्यों चाइना गई और न यह सूचना का विषय है, लेकिन मान्यवर, मेरा जरूर कहना है कि हमारी सरकार ने लघु उद्योग बढ़ाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ की है और उन व्यवस्थाओं में मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप उद्योग से जुड़े हैं, तो आज सरकार का पूरा विश्वास उद्योग के मामले में सुरक्षित है, पूरे प्रदेश के अन्दर, कोई उद्योग से सम्बन्धित समस्या आती है तो उस पर निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से उसका निस्तारण करने का काम कर रहे हैं और बाकी जानकारी है, मालूम करते हैं। जहाँ तक चाइना की बात है, तो चाइना के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी स्वयं होगी कि वहाँ किस तरीके

का माल बनाते हैं और क्या-क्या है और यहाँ तो बात अलग है, लेकिन हमारा निश्चित कहना है कि इसमें उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा निर्यात करता है, पूरे भारतवर्ष में और उद्योग के माध्यम से काफी रोजगार को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा उद्योग ट्रान्सफर का हमारे संज्ञान में नहीं है। यह एक चिंता का विषय है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है अगर हमारे उद्योग दूसरे देशों में चले जाएंगे और सरकार संज्ञान नहीं लेगी, तो कौन संज्ञान लेगा। दूसरी बात आप उद्योगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ साहिबाबाद क्षेत्र में जितने उद्योग थे, लगभग सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि न तो वहाँ बिजली मिल रही है, न तो कोई सुविधा मिल रही है। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको बिजली उपलब्ध कराएंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार हैवी उद्योगों की भाँति लघु उद्योगों को करों में छूट देगी?

श्री भगवत सरन गंगवार-

जहाँ तक सरकार का करों में छूट देने का विषय है, आप उद्योग लगाइये आप रजिस्ट्री कराइये तो रजिस्ट्री स्वरूप में आपको एक व्यवस्था दी गई है और बहुत-सारी उसमें व्यवस्था दी गई है। जहाँ तक करों का विषय है, हैवी उद्योगों की तरह, लघु उद्योग में छोटे-छोटे काम पी0एम0ई0जी0पी0 से कराये जाते हैं, तकनीकी उन्नयन योजना चालू की है, पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड बहुत बुरी स्थिति में है, वहाँ नई-नई योजनाएँ शुरू की गई है, लेकिन करों की छूट के बारे में ऐसा कोई विषय नहीं है।

*13-डा0 अरूण कुमार-

[2सरे बुधवार के तारां0 प्र0 संख्या-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की वृद्धि को रोकने हेतु जिला परिवहन एवं यातायात सलाहकार समितियां

*14-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2012 से अगस्त, 2013 तक प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितने सड़क हादसे हुए और उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या सरकार प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बेहताशा वृद्धि को रोकने हेतु 'सड़क सुरक्षा व यातायात प्रबन्धन बोर्ड' गठित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2012 से जून, 2013 तक प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 8010 सड़क हादसे हुए हैं और इनमें 8741 लोगों की मृत्यु हुई है। माह जुलाई-अगस्त, 2013 के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

---

* नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या 14 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी नहीं।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों एवं सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा एवं इस विषय पर सरकार को संस्तुतियाँ उपलब्ध कराने की हेतु अधिसूचना संख्या-61जी0आई0/30-3-94-124एम/94, दिनांक 28 जनवरी, 1995 द्वारा परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में ''उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्'' एवं अधिसूचना संख्या-सी0 एम0-131/30-4-2004-36/91, दिनाँक 05-08-2004 द्वारा ''राज्य परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति'' तथा इसी प्रकार अधिसूचना संख्या-61जीआई(क)/30-3-94-124एम0/ 94, दिनाँक 28 जनवरी, 1995 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ''जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियाँ'' तथा अधिसूचना संख्या-सी0एम0-131/30-4-2004-36/91, दिनाँक 05-08-2004 द्वारा ''जिला परिवहन एवं यातायात सलाहकार समितियाँ'' गठित हैं। ''राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्'' को और प्रभावशाली बनाने हेतु उसे पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ''उत्तर प्रदेश रोड सेफ्टी फण्ड'' के गठन की कार्यवाही भी विचाराधीन है, अतः इसी प्रयोजन के लिये पृथक से ''सड़क सुरक्षा प्रबन्धन व यातायात बोर्ड'' गठित किये जाने का औचित्य नहीं है।

डॉ धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत अच्छे बने है, तब से दुर्घटनाओं का प्रतिशत भी दिनोदिन बढ़ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने प्रदेश के इन राजमार्गो पर दुर्घटनास्थलों का चयन कराया है ? वो कितने ऐसे दुर्घटनास्थल है, जहाँ बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं ? प्रदेश में पहला हमारा सवाल है और सरकार ने उन दुर्घटनास्थलों पर आगे से दुर्घटना न हो उसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

दुर्घटना रोकने के लिए राष्ट्रीय मार्गो पर हमने समितियाँ गठित की हैं। प्रदेश के अंदर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, जिला सड़क सुरक्षा समिति, राज्य परिवहन यातायात समिति, जिला परिवहन यातायात समिति हमने गठन करके अभी हाल में हमने सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक की थी। उसमें सुरक्षा हेतु कोई दुर्घटना न हो हमने कड़ा निर्देश देने का काम किया था।

डॉ धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, प्रदेश में राष्ट्रीय राज मांर्गों पर बार-बार दुर्घटनायें होती है ऐसे स्थलों को क्या सरकार ने चिन्हित कर लिया है ? इन्होंने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के गठन की बात कही है। इसका जवाब स्पष्ट नहीं आया है। यह भी बताया है कि जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों का गठन कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार का करीब 17 महीने का कार्यकाल हो चुका है इस कार्यकाल में इन दोनों समितियों की कितनी मीटिंग हुई है वह बताने की कृपा करें ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, हमने जो समिति का गठन किया है उन्हीं के माध्यम से हम राष्ट्रीय मार्गों पर जहां दुर्घटनायें हो रही हैं उन्हें चिन्हित कराने का प्रबन्ध कराने का काम कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक और जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश रोड सेफ्टी फण्ड के गठन की कार्यवाही की जा रही है। इसका कुल कितना बजट प्रस्तावित है? मान्यवर, जो राष्ट्रीय राज मार्ग है प्रदेश में उन मार्गों पर चलने वाले लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। क्या राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी कि एन0एच0 मार्गों पर ज्यादातर गरीब लोग उन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं तो क्या भारत सरकार एन0एच0 पर चलने वाले जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उन्हें कुछ आर्थिक मदद देने पर विचार करेगी? ऐसा कुछ पत्र राज्य सरकार वहां भारत सरकार में लिखेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सुरक्षा कोष का गठन करने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो पैसा इकट्ठा होगा हमारे विभाग की जो यातायात का प्रबन्ध होता है उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं लोग उसमें से कुछ हिस्सा हम राज्य सुरक्षा कोष में जमा करने की कार्यवाही करेंगे।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, एन0एच0 भारत सरकार की है, ज्यादातर जो भी प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग हैं वह भारत सरकार के हैं और कई राज मार्गों पर टोल टैक्स लगता है, कोई भी आदमी उस पर चलता है उसे टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब वह दुर्घटना का शिकार होता है, ज्यादातर गरीब आदमी होते हैं, तो अन्य प्रदेशों में भी मान्यवर ऐसा है कि उन मार्गों पर यदि किसी की मौत होती है तो उनका मुआवजा देने का काम करता है। तो मैंने अनुरोध किया था माननीय मंत्री जी से कि क्या राज्य सरकार ऐसा कोई पत्र केन्द्र सरकार को लिखेगी कि यदि उन राज मार्गों पर किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो क्या भारत सरकार ऐसे में आर्थिक मुआवजा देगी ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, यह राष्ट्रीय राज मार्गों पर जहां पर भी दुर्घटनायें हो रही हैं उनको चिन्हित करके कार्यवाही करने को कड़ाई से उसका पालन करने का काम कर रहे हैं। आपका सुझाव है कि केंन्द्र सरकार को एक पत्र लिखें तो आप एक पत्र लिखकर दीजियेगा हम उसके अनुसार केन्द्र सरकार को भी लिखने का काम करेंगे। अच्छा हमारी सरकार तो दे ही रही है। यह जो दुर्घटनायें हो रही हैं राष्ट्रीय मार्ग हो या कोई मार्ग हो हमारी सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना में धनराशि को एक लाख रु0 से बढ़ाकर पांच लाख रु0 करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) इन सरकारों ने तो कुछ नहीं किया है।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने बताया है एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया। लेकिन मुझे जो जानकारी है मेरे क्षेत्र में तमाम लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गये लेकिन उनको आज तक पांच लाख रू0 मिला नहीं। (व्यवधान) नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग शांत हो जायें। आप लोग बैठें। अब हमें नियम-301 लेने दीजिये।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के नरवल पट्टी गाँव तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य

1-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत जहांगीरगंज, सुल्तानपुर मुख्य मार्ग से गोपालबाग से नरवर पट्टी गांव तक सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की कुल लम्बाई 1600 मीटर है। उक्त में से चैंनेज शून्य से 1100 मीटर लम्बाई तक का कार्य जिला पंचायत द्वारा करा दिया गया है। शेष लगभग 500 मीटर लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के पीतल उद्योग को वढ़ाया देने हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

2-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के समसाबाद में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार इस व्यापार में लगे लोगों को ब्याज मुक्त ऋण एवं टैक्स में रियायत देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

जी नहीं।

प्रदेश में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी सृजन कार्यक्रम के अधीन 25 लाख रुपये तक के उद्योगों को मार्जिन मनी के रूप में 15-35 प्रतिशत धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अधीन महिला उद्यमियों को बैंको/वित्तीय संस्थाओं से पूंजीगत ऋण लेने पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम रु0 50,000) कुल पांच वर्षों तक उपलब्ध कराया जाता है।

''उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग हेतु सामान्य वर्ग के पुरुषों के अतिरिक्त समस्त आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं को अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है।''

उपरोक्त योजनाएं कौशाम्बी के पीतल डद्योग पर भी लागू है।

प्रदेश में गेहूं क्रय निर्धारण का लक्ष्य

3-श्री सतीश महाना तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013-14 में गेहूँ क्रय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके सापेक्ष अब तक कितना गेहूँ क्रय किया गया है ? क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

रबी विपणन वर्ष 2013-14 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गेंहू खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 60,00,000 मी0टन निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 30-06-2013 तक 6,82,963 मी0 टन गेंहू की खरीद की गयी है।

विस्तृत विवरण संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत वर्षों में गेहूँ खरीद के लक्ष्य का विवरण

4-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 से 2011 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना गेहूं किसानों से खरीदा गया तथा वर्ष 2012 में कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य सरकार का था और क्या लक्ष्य के अनुरूप खरीददारी हो पाई ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके तथ्यात्मक आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

प्रदेश में वर्ष 2005 से वर्ष 2011-12 तक प्रति वर्ष न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से निम्नानुसार गेंहूँ की खरीद की गयीः-

वर्ष	गेहूँ खरीद (मी0 टन में)
2005-06	5,59,341
2006-07	48,850
2007-08	5,45,673
2008-09	31,37452
2009-10	38,82,351
2010-11	16,45,379
2011-12	34,61,263

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृ0 290-291 पर)

रबी विपणन वर्ष 2012-13 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 42,00,000 मी0 टन निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 30-06-2012 तक 50,62,735 मी0 टन गेहूँ की खरीद की गयी है।

रबी विपणन वर्ष 2012-13 के तथ्यात्मक आंकड़े संलग्न है।*

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के गंगा नदी के कतिपय घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बनाये जाने की मांग

5-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु तटों पर स्थित शमशान घाटों जैसे कुबरी घाट-कड़ा अकबर घाट एवं संदीपन घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु जिला पंचायत, कौशाम्बी के पास सम्प्रति कोई कार्य योजना नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में शान्तीनगर से भैसतारामपुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

6-श्रीमती सीमा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में शान्तीनगर से भैसतारामपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

7-डॉ0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत की ग्राम पंचायतों में कर के रूप में वसूलीकर पी0एल0ए0 एकाउन्ट में जमा की गई धनराशि की जाँच कराने का कथित प्रकरण

8-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की गांव पंचायतों की ग्राम निधि प्रथम खातों में अगस्त, 2007 से अब तक प्रति गांव पंचायत रु0 500 से रु0 1000 तक धनराशि पंचायत कर के रूप में वसूली करके अनियमित रूप से पी0एल0ए0 एकाउन्ट में जमा की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* देखिए नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ-292-293 पर।)

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गेहूँ मानक के अनुरूप गेहूँ क्रय केन्द्र की स्थापना

9-श्री सतीश महाना तथा श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने का मानक क्या है ? क्या मानक के अनुरूप गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

रबी विपणन वर्ष 2013-14 में गेहूँ खरीद नीति से संबंधित शासनादेश सं0 361/29-5-2013-5(1)/2013 दिनांक 28-3-2013 के प्राविधानानुसार प्रदेश में 04 किलोमीटर रेडियस अर्थात 08 किलोमीटर की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों हेतु दुर्घटना बीमा कराये जाने की मांग

10-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मेहनतकश मजदूरों की दुर्घटना बीमा कराने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 भारत सरकार का अधिनियम है। उक्त अधिनियम को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की गयी हैं। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्तमान समय में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु श्रम विभाग द्वारा कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा अनुदान निधि का धन कतिपय पंचायतों को भेजे जाने एवं कुशीनगर में इस धन को भेजने के सम्बन्ध में जानकारी

11-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0जी0एफ0 (पिछड़ा अनुदान निधि) का धन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को जाता है ? कुशीनगर जनपद में ग्राम पंचायतों के खाते में अभी तक धन नहीं भेजे जाने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी के

कि कुशीनगर में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक ग्राम पंचायतों का अंश ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्थाओं/निर्माण एजेन्सी को दिया जाता रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सं0	वर्ष	धनराशि	कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेन्सी
1	2008-09	372.26	जिला पंचायत
		485.76	समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उ0प्र0
		133.86	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सह0 संघ लि0
		13.34	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
2	2009-10	854.00	जिला पंचायत
		284.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
		379.50	जिला पंचायत
		53.69	नेडा
3	2010-11	14.20	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
		181.74	जिला पंचायत
		20.14	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सह0 संघ लि0
4	2011-12	396.66	जिला पंचायत

उक्त कारणों से ग्राम पंचायतों के खातों में धनराशि नहीं भेजी गई।

शासनादेश संख्या 609/33-3-2013-48/2013 दिनांक 22-02-2013 द्वारा उक्त नीति में परिवर्तन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य मे बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन्स के प्राविधानों के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा जो कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत के दायरे से बाहर होगी, उनके क्रियान्वयन हेतु विभाग/एजेन्सी का चयन भी ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। तद्नुसार वर्ष 2011-12 की द्वितीय किश्त की ग्राम पंचायतों के अंश की अप्रयुक्त धनराशि रु0 480.86 लाख तथा पूर्व वर्षों की ग्राम पंचायत अंश की अवशेष धनराशि रु0 11.54 लाख अर्थात् कुल रु0 492.40 लाख को 54 ग्राम पंचायतों के खातों में भेजने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा इसके सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0 393.92 लाख ग्राम पंचायतों के खातों में भेज दी गयी है।

वर्ष 2012-13 में जनपद को कोई धन भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

कुशीनगर में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को वर्षवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सं0	वर्ष	जिला पंचायत का अंश	क्षेत्र पंचायत का अंश	ग्राम पंचायत का अंश	टिप्पणी
1	2008-09	266.00	111.04	1005.22	ग्राम पंचायत अंश कार्यदायी सस्थाओं-जि0पं0,स0क0निर्मा0नि0,उ0 प्र0 श्रम एवं निर्मा0सह0संघ लि0, ग्रा0अभि0सेवा को दिया गया।
2	2009-10	296.00	283.23	1138.00	ग्राम पंचायत अंश कार्यदायी संस्थाओं-जि0पं0, ग्रा0अभि0सेवा को दिया गया।
3	2010-11	296.00	623.71	649.27	ग्राम पंचायज अंश कार्यदायी संस्थाओं- जि0पं0, नेडा, ग्रा0अभि0 सेवा, उ0प्र0 श्रम एवं निर्मा0 सह0 संघ लि0 को दिया गया।
4	2011-12	323.00	576.96	877.52	प्रथम किस्त की धनराशि कार्यदायी संस्था जि0पं0 को तथा द्वितीय किश्त की ग्राम पंचायतों के अंश की धनराशि ग्राम पंचायतों को दी गयी है।
5	2012-13	0.00	0.00	0.00	

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

12-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय बस अड्डा मुख्यालय झांसी मे बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी जमीन छावनी परिषद् द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि सरकार द्वारा कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छावनी परिषद्, झांसी द्वारा मऊ रानीपुर मार्ग पर प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन की कार्य योजना को वर्तमान में ड्राप कर दिया गया है।

जनपद झांसी में नवनिर्मित पैरा मेडिकल कालेज कोर्स संचालित करने के सम्बन्ध में जानकारी

13-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में नवनिर्मित पैरा-मेडिकल कालेज में पैरा-मेडिकल कोर्स कब तक संचालित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पैरा मेडिकल कोर्स को संचालित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नर्सिंग काउंसिल आफ् इंडिया की अनुमति प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने की मांग

14-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बनाये गये ''असंगठित कर्मकार (कर्मकार) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' को प्रदेश में लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हाँ।

उक्त अधिनियम को उ0प्र0 में लागू किये जाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की गयी हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में सेवायोजन कार्यालय में मार्च, 2012 से मई, 2013 तक रोजगार हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया है एवं मार्च, 2012 से मई, 2013 तक कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त श्रेणी में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मार्च, 2012 से मई, 2013 तक जनपद लखीमपुर खीरी में सेवायोजन कार्यालय में 62,318 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया। दिनांक 31-05-2013 तक लखीमपुर खीरी में सेवायोजन कार्यालय में कुल 81,941 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों में से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर के ग्राम बेती सहदेव से रायपुर जाने वाले मार्ग कर पुलिया का निर्माण

16-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेती सहदेव से रायपुर जाने वाले पर निर्माणाधीन पुलिया क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ही बन रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायत गठित करने का मानक तथा जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के कतिपय मजरों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाये जाने की मांग

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गठित किये जाने का क्या मानक है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर की सदर तहसील के अन्तर्गत आने वाले तीन मजरों निजामपुर गोटिया, रज्जबनगर व राईखुर्द को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 (यथा संशोधित-1994) की धारा 11 (च) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।

निर्धारित मानकों के अनुसार न होने के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जेलों में कैदियों की मजदूरी बढ़ाये जाने की मांग

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में मशक्कत करने वाले कैदियों की मजदूरी वर्तमान में बहुत कम है यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए उसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी नहीं।

वर्तमान में कैदियों की मजदूरी बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों की डामरीकरण/सी0सी0 रोड निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

19-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण/सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5 नं0 138089/4048, दिनांक 21-4-2013 सम्पर्क मार्गों की सूची सहित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

जिला पंचायत, बहराइच की बैठक दिनांक 11-05-2013 एवं जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 10-06-2013 को पत्र में अंकित परियोजनाएं बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत अनुमोदित की जा चुकी है। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंध इकाई, पि0क्षेत्र अ0नि0, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 14-06-2013 को प्राप्त करा दी गयी है, जो कि अनुमोदनोपरान्त धन आंवटन किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत रूकनापुर खुर्द में जल निकासी हेतु नाली निर्माण विषयक-पत्र पर कार्यवाही

20-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रूकनापुर खुर्द में जल निकासी हेतु नाली निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/12-13/क-5 नं0 157317/3029, दिनांक 04-2-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

ग्राम्य विकास विभाग में निर्माण कार्यों से संबंधित दो योजनायें क्रमशः मनरेगा तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि है।

मनरेगा के अन्तर्गत श्रम प्रधान कार्य कराये जाते है और क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना में श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 होना चाहिए, जबकि जल निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण कराया जाना है। यह कार्य श्रमांश व सामग्री के 60:40 के अनुपात में पूर्ण नहीं हो सकता।

ऐसी स्थिति में मा0 विधायक जी विधायक निधि के अपने अंश से उक्त कार्य कराये जाने की संस्तुति कर दें तो उनके प्रस्तावित निर्माण कार्य को कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ शहर के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को बढ़ाये जाने की मांग

21-श्री गजराज सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के हापुड़ शहर में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें हैं ? क्या सरकार हापुड़ की जन आबादी के अनुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

वर्तमान में जनपद हापुड़ के हापुड़ शहर में कुल 68 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं।

हापुड़ शहर में सभी श्रेणी के कुल 59.544 राशन कार्ड एवं 2,97,420 यूनिटें प्रचलित हैं। शासनादेश दिनांक 17-02-2002 के अनुसार वर्तमान में 06 उचित दर की दुकानों की रिक्तता बनती है, जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के हसनगंज विधान सभा के ग्राम बौरी खेड़ा के बल्लूखेड़ा की पुलिया तक सड़क निर्माण की मांग

22-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव हसनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बौरी खेड़ा बल्हऊमऊ के बल्लूखेड़ा की पुलिया तक जल भराव व बालू वाले गलियारे से होकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बौरीखेड़ा के गंगा विष्णु यादव के मकान से बल्लूखेड़ा की पुलिया तक गलियारे पर सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जिला पंचायत, उन्नाव की किसी भी कार्य योजना में सम्मिलित न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा बनवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के कर्मचारी बीम औषधालय गोलागंज के फर्मासिस्ट एलोपैथ श्री दीपक कुमार के विरुद्ध जाँच विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

23-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 भीम प्रसाद सोनकर विधायक का पत्र दिनांक 23-11-2012 व दिनांक 7-5-2013 जो राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय, गोलागंज, लखनऊ में कार्यरत दीपक कुमार फार्मासिस्ट एलोपैथ के विरुद्ध कतिपय अपराधिक कृत्यों में संलिप्तता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां। प्रश्नगत पत्र दिनांक 23-11-2012 प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र दिनांक 07-05-2013 अप्राप्त है।

जांच में शिकायतों की पुष्टि न होने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डाक्टरों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल में सरकारी मेडिकल खोले जाने की मांग

24-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी को देखते हुए हर मण्डल में सरकारी मेडिकल कालेज खोले गये है किन्तु बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल में कोई सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2013-14 में इन दोनों मण्डलों में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल के अतिरिक्त देवी पाटन, बस्ती एवं मिर्जापुर मण्डल में कोई राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बरेली मण्डल के जनपद बदायूं में राजकीय मेडिकल कालेज स्थापना का निर्णय लिया गया है और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुरादाबाद मण्डल में संसाधनों के अभाव में अभी राजकीय मेडिकल कालेज खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद गाजियाबाद, साहिबाबाद में स्थापित लोहे की फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित पाइप पर प्रवेश कर को समाप्त किये जाने की मांग

25-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, साहिबाबाद में स्थापित लोहे की पाइप फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित पाइपों पर एक प्रतिशत प्रवेश कर लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त क्षेत्र में उत्पादित पाइपों पर लगने वाले प्रवेश कर के कारण उक्त उद्योग पिछड़ा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार साहिबाबाद के पाइप उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश कर माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोहा एवं इस्पात सम्बन्धी उद्योगों में प्रयोग होने वाले अधिकांश कच्चे माल पर प्रवेश कर की कोई देयता नहीं है। लोहा एवं इस्पात की जिन श्रेणियों पर 5 प्रतिशत रिबेटेबिल प्रवेश कर की देयता थी, उसे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में लिए गये निर्णय के क्रम में अधिसूचना दिनांक 16-05-2013 द्वारा घटाकर 01 प्रतिशत नानरिबेटेबिल कर दिया गया है। इस प्रकार लोहा एवं इस्ताप जिसके अन्तर्गत पाइप भी सम्मिलित है, पर प्रवेश कर न्यूनतम है।

बढ़ती हुई मंहगाई के दृष्टिगत विकलांगों की पेंशन राशि बढ़ाये जाने की मांग

26-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए प्रदेश में विकलांगों को पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में समुचित बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश में विकलांगजन को पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकलांगजन के पेंशन में वृद्धि बृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन में वृद्धि के साथ विचार किया जाता है।

जनपद झांसी में तैयार पैरा-मेडिकल कालेज भवन में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की मांग

27-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पैरा-मेडिकल कालेज का भवन तैयार हो चुका है तथा सरकार द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रमों का संचालन कब से शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पैरा-मेडिकल कालेज, झांसी का भवन लगभग तैयार हो चुका है। संस्थान में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नर्सिंग काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा संस्थान का निरीक्षण माह जून, 2013 में किया जा चुका है। इसी सत्र से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[दिनांक 16-09-2013 को अता0प्र0सं0-109 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की जानकारी सूचना पट्ट पर अंकित किए जाने अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में इसका अनुपालन सम्बन्धी जानकारी

29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी उसके ग्राम सचिवालय के स्थायी सूचना पट्ट पर लिखे जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी में उक्त नीति का पालन नहीं हो रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी में 995 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें मात्र 662 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय/पंचायत भवन निर्मित है। जिन ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत सचिवालय/पंचायत भवन हैं, उनके सूचना पट्ट पर ग्राम सभाओं में होने वाले विकास कार्यों को प्रदर्शित/लिखा जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक माह होने वाली ग्राम पंचायत की बैठकों में सदस्यों को तथा समय-समय पर होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम वासियों को विकास कार्यों की जानकारी दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों के छात्रों की फीस एवं स्टाइपेन्ड दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

30-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी मेडिकल और डेन्टल कालेजों में एम0डी0, एम0एस0, एम0डी0एस0 करने वाले छात्रों की क्या फीस है तथा उन्हें कितना स्टाइपेन्ड प्रतिमाह दिया जाता है ? क्या सरकार प्राइवेट मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में फीस लेने एवं स्टाइपेन्ड दिये जाने हेतु मानक निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के सरकारी मेडिकल और डेन्टल कालेजों में एम0डी0, एम0एस0 एवं एम0डी0एस0 करने वाले छात्रों की फीस रु0 42,000/- तथा छात्रों को स्टाइपेन्ड/छात्र वेतन निम्नलिखित अनुमन्य किया गया है :-

पदनाम	अनुमन्य छात्र वेतन	वेतन बैण्ड (रु0)	ग्रेड वेतन (रु0)
जे0 आर0 प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	9000/-	15600-36100	5400
जे0आर0 द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	9275/-	तदैव	तदैव

पदनाम	अनुमन्य छात्र वेतन	वेतन बैण्ड (रु0)	ग्रेड वेतन (रु0)
जे0आर0 तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	9550/-	तदैव	तदैव
एस0आर0 प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री धारक	10325	तदैव	6600/-
एस0आर0 द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री धारक	10650/-	तदैव	तदैव
एस0आर0 तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री धारक	10975/-	तदैव	तदैव

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 29-07-2011 द्वारा गठित प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा समिति की बैठक कर फीस हेतु मानक निर्धारित किया जाता है। डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया के निर्देश के क्रम में शासनादेश दिनांक 17-08-2007 द्वारा इन्टर्नशिप छात्रों को एक वर्ष के लिए स्टाइपेन्ड दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के गांव खानपुर तथा गड़ाना में कराये गये सी0सी0रोड निर्माण के गुणवत्ता की टी0ए0सी0 जाँच

31-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत बुलन्दशहर द्वारा विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के गांव खानपुर तथा गड़ाना में कराये गये सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच तकनीकी आडिट सेल से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/373341, दिनांक 16-5-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

पत्र संख्या 2054/33-2-12-400(18)/2013, दिनांक 27-8-2013 द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच टी0ए0सी0 से कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

32-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में जिला पंचायत द्वारा निर्मित गंगरौल से खानपुर, सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र से

बिसनपुर मार्ग तथा सिकन्द्राबाद ककोड़ मार्ग से महेपा (वाया भौखेड़ा) सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गो की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को जिला पंचायत के बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जायगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के जिला पंचायत को सम्पर्क मार्गों के निर्माण/मरम्मत के प्रस्ताव की अस्वीकृति

34-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला पंचायत बुलन्दशहर को सम्पर्क मार्गो के निर्माण/मरम्मत करने के जो प्रस्ताव वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के लिये दिये गये है उन प्रस्तावों पर कोई निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो किन-किन सम्पर्क मार्गों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 3-11-2012 के एजेण्डा बिन्दु-7 में प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु इसे जिला पंचायत बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य तथा किसानों को बोनस दिये जाने की मांग

35-श्री सुरेश राणा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 में सरकार द्वारा प्रदेश में धान खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार खाद एवं डीजल के बढ़े दामों को देखते हुए धान खरीद पर किसानों को बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

वर्ष 2013-14 में धान खरीद का लक्ष्य 25.00 लाख मी0टन प्रस्तावित है।

जी नहीं।

प्रदेश में किसानों को धान खरीद पर वर्तमान में बोनस दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में रसोई गैस सिलेण्डरों पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग

36-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा रसोई गैस के 9 सिलेण्डरों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार इसके अतिरिक्त 3 और सिलेण्डरों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ं?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

सब्सिडीयुक्त गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाने का विषय भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तेल कम्पनियों के कार्यक्षेत्र में आता है।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम पिपरा परसौनी में इण्टरलाकिंग कार्य कराने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

37-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम पिपरा परसौनी में इण्टरलाकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5नं0-151658/215, दिनांक 25-4-2013 प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

ग्राम पिपरा परसौनी में इण्टरलाकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कराकर रु0 18,20,000/- का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस कार्य को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पात्र विकलांग आवेदकों को पेंशन प्रदान करने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

38-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पात्र विकलांग आवेदकों को पेशंन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0 151691/235, दिनांक 28-4-2013 जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्राप्त 216 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 208 पात्र विकलांगजन के आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये। स्वीकृत 208 आवेदन पत्रों के सापेक्ष में उपलब्ध बजट के अनुसार 74 लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि उनके खातों में प्रेषित की गयी है, जिसकी सूचना जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या-112/जि0वि0क0/सूचना/2013-14, दिनांक 15-6-2013 द्वारा मा0 विधायक जी को उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की खरीद पर सब्सिडी

39-श्री अजय मिश्र 'टेनी' तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने हेतु सरकार ऊर्जा लाइटों की खरीद पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

जी हाँ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा जिला योजनान्तर्गत रु0 7100/- प्रति संयत्र की दर से अंशदान पूर्व से ही दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराये जाने की मांग

40-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र निघासन में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र, निघासन की परिधि में विकास खण्ड, निघासन की समस्त (59) एवं रमियाबेहड़ की 23 ग्राम पंचायतें आती है। सहायक विकास अधिकारी(पं0), निघासन की आख्या के अनुसार विकास खण्ड-निघासन में दिनांक 30-06-2013 तक सामान्य मरम्मत योग्य 458 हैण्ड पम्प खराब हुए थे, जिनकी मरम्मत ग्राम पंचायतों द्वारा करा दी गयी है। सहायक विकास अधिकारी (पं0), विकास खण्ड, रमियाबेहड़ की आख्या के अनुसार विधान सभा क्षेत्र, निघासन की परिधि में आने वाली विकास खण्ड रमियाबेहड़ की 42 में से 23 ग्राम पंचायतों में दिनांक 30-06-2013 तक सामान्य मरम्मत योग्य 265 हैण्ड पम्प खराब हुए थे, जिनकी मरम्मत ग्राम पंचायतों द्वारा करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार दिनांक 30-06-2013 तक सामान्य मरम्मत योग्य कुल 723 हैण्डपम्प खराब हुए थे, जिनकी मरम्मत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुहई के निजी भवन में संचालित कराये जाने की मांग

41-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लाक में आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुहई की भवन 3 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है परन्तु अस्पताल किराये के भवन में ही संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को अपने निजी भवन में संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

शीघ्र ही नवनिर्मित शासकीय भवन में उक्त चिकित्सालय हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत का कथित प्रकरण

42-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में तैनात डाक्टर अपनी ड्यूटी न करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को मेडिकल कालेज के स्थान पर प्राइवेट/निजी नर्सिंग होमों में इलाज कराने हेतु जबरदस्ती दबाव डालकर प्रति आपरेशन 20-25 हजार रुपये वसूलते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सकों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार से खरगापुर तक बस सेवा लखनऊ का फेरा बढ़ाये जाने की मांग

43-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में गोमतीनगर विस्तार से खरगापुर तक महानगर बस सेवा लखनऊ की रूट नं0 11एफ की बसों का फेरा बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कम तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रूट नं0 11एफ (खरगापुर से आलमबाग चौराहा वाया गोमती नगर) मार्ग पर दो बसें चलती हैं। बसों का प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 16 ट्रिप का संचालन किया जाता है। यात्रियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए फेरे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा भेड़कुल सुल्तानपुर के क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

44-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा भेड़कुल सुल्तानपुर के मौजा सिहुलिया पिच रोड से लौवासाथ तक ल0 लगभग 2.5 कि0मी0 का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी जिला पंचायत की बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा तिघरा पिच सड़क से क्षतिग्रस्त मार्ग को निर्माण कराये जाने की मांग

45-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा तिघरा पिच सड़क से हाहा नाला पुल तक ल0 लगभग 2.0 कि0मी0 रोड क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी जिला पंचायत की बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम निजामपुर गौटिया में शौचालय निर्माण की मांग

46-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामपुर गौटिया (ग्राम पंचायत शाहबाजनगर) में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत हुये शौचालयों में से कितने बनवाये गये व कितने बनाना शेष हैं ? क्या सरकार निजामपुर गौटिया में 200 शौचालय बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव-

ग्राम निजामपुर गौटिया ग्राम पंचायत शाहबाजनगर का मजरा है। ग्राम पंचायत शाहबाजनगर में वर्ष 2010-11 में शून्य वर्ष 2011-12 में 135 तथा वर्ष 2012-13 में 27 कुल 162 शौचालय स्वीकृत हुये, जिसमें से समस्त शौचालयों का निर्माण शुष्क शौचालयों के लाभार्थियों की मांग के अनुसार कराया गया। उक्त मजरा-ग्राम निजामपुर गौटिया में शुष्क शौचालय प्रयोग करने वाले लाभार्थी न होने के कारण विगत 03 वर्षों में निजामपुर गौटिया में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है।

जी हां, निर्मल भारत अभियान योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत शाहबाजनगर में समस्त मजरों सहित बेसलाईन सर्वे करा लिया गया है, सम्पूर्ण ग्राम पंचायत में कुल 1046 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से मजरा निजामपुर गौटिया में 253 शौचालय का लक्ष्य प्रस्तावित है।

योजना अन्तर्गत धन प्राप्त होने पर शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

जनपद लखीमपुर के पलिया व सम्पूर्णानगर धान क्रय केन्द्र में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

47-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के पलिया व सम्पूर्णानगर धान क्रय केन्द्र प्रभारी भारत भूषण सिंह ने वर्ष 2011-12 में लगभग 22,000 (बाइस हजार) कु0 धान खरीद कर मिलों को दिया था जिससे लगभग 6000 (छः हजार) कु0 चावल आज तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हां,

जनपद लखीमपुर के क्रय केन्द्र पलिया एवं सम्पूर्णानगर पर वर्ष 2011-12 में श्री भारत भूषण सिंह, क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में तैनात थे। वर्ष 2011-12 में धान क्रय केन्द्र पलिया पर 14508 कु0 धान एवं क्रय केन्द्र सम्पूर्णानगर पर 11776 कु0 की खरीद हुई थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः 9720.36 कु0 तथा 7889.92 कु0 सी0एम0आर0 बनता था।

बीरबलराम रामजीलाल राइस मिल द्वारा 9720.36 कु0 सी0एम0आर0 के सापेक्ष 4316.65.830 कु0 सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया गया तथा 5403,70,170 कु0 सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित नहीं किया गया है। जायसवाल एजेन्सी सम्पूर्णानगर द्वारा 7889.92 कु0 सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया गया तथा 997,53,100 कु0 सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित नहीं किया गया है।

चावल मिलों से निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध कराया गया है। चावल मिलों द्वारा अवशेष सी0एम0आर0 के विरुद्ध समय-समय पर सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया गया, किन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके मानक के अनुरूप चावल न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। मिलों पर अवशेष सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम में उतार हेतु 12 नोटिस जिला प्रभारी एवं केन्द्र प्रभारी द्वारा निर्गत किये गये हैं। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उक्त मिलों को लेवी एवं कस्टम हलिंग कार्य से 5 वर्षों के लिये डिबार कर दिया गया है तथा उक्त मिलों पर अवशेष सी0एम0आर0 की क्षतिपूर्ति हेतु वसूली के लिये प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के कतिपय ग्राम में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

49-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम कटिहारी से सरबसपुर तक ग्राम मोहम्मदाबाद सिपाह में बालचन्द्र राम के घर से निषाद बस्ती होते हुए मादी सिपाह चिऊंटीडाह मार्ग तक लगभग 1.5 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत/निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के ग्राम मोहम्मदाबाद के ग्रामों में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

51-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड-बड़रांव के ग्राम मोहम्मदाबाद सिपाह में चन्द्रभान चौरसिया के घर से जय प्रकाश के घर तक संत विनोबा इण्टर कालेज से मां भवानी मंदिर तक एवं ग्राम कटिहारी पिच मार्ग से टकटेउंवा गांव तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव की ग्राम सभा सिंहासन में अवरा नाले पर पुल निर्माण की मांग

52-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंहासन में अवरा नाले पर आवागमन हेतु सरकार पुल का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के ग्राम सभा सिंहासन की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

53-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंहासन (मठिया) अनुसूचित बस्ती से ब्रह्म बाबा के स्थान दाऊदपुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत/निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की जेलों में 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके कैदियों की संख्या एवं उन्हें रिहा कराये जाने की मांग

55-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके कैदियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके कैदियों को रिहा करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

उत्तर प्रदेश के मा0 न्यायालयों से दण्डित उत्तर प्रदेश राज्य व उत्तराखण्ड राज्य की कारागारों में निरुद्ध 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके सिद्धदोष बन्दियों की दिनांक 30-06-2013 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या-243 है।

आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा 02 के अन्तर्गत लाइसेन्स, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198ए के अन्तर्गत नामिनल रोल तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटीरोल एवं संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है

जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट की ग्राम सभा गंगयापार में सूरत दलित के घर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

56-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड दोरहीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगयापार में चुन्ने पाण्डेय के घर से अनुसूचित बस्ती होते हुये बिसुनदेव के घर के पास नहर तक एवं ग्राम सभा जीमराचौराडीह में प्रधान मंत्री सड़क से सूरज दलित के घर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत/निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में हसनपुर कटौली दुर्गापुर-पड़री तक नियमित बस सेवा उपलब्ध कराये जाने की मांग

57-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में हसनपुर कटौली दुर्गापुर-पड़री तक 30 कि0मी0 अराष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण रोडवेज बसों का संचालन प्रतिदिन नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर नियमित बस सेवा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग पर यातायात घनत्व कम है और मार्ग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। अतः मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

58-साध्वी निरंजन ज्योति-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के डिग्री धारक फार्मासिस्ट एक से अधिक मेडिकल स्टोर में सेवायें देने के सम्बन्ध में जानकारी

59-संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेडिकल स्टोर संचालित किये जाने हेतु डिग्री धारक फार्मासिस्ट की नियुक्ति अथवा स्वयं का डिग्री धारक फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या एक ही डिग्री धारक फार्मासिस्ट एक से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर अपनी सेवा दे सकता है ? यदि नहीं, तो जनपद बस्ती में कितने फार्मासिस्ट एक से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। मेडिकल स्टोर का संचालन पंजीकृत फार्मासिस्ट (डिग्री/डिप्लोमा धारक) की देख-रेख में किया जाना अनिवार्य है।

जी नहीं।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 की सूचना दिनांक 31-07-2013 के अनुसार जनपद बस्ती में कोई भी फार्मासिस्ट एक से अधिक मेडिकल स्टोर पर अपनी सेवायें नहीं दे रहे हैं।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्ड में वंचित बी0पी0एल0 परिवारों को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

60-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर व सरदार नगर में अन्त्योदय, ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या सरकार वंचित बी0पी0एल0 परिवारों का भी राशन कार्ड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर व सरदार नगर में ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या निम्नवत् है :-

विकास खण्ड का नाम	सम्बद्ध कार्ड संख्या		
	अन्त्योदय	बी0पी0एल0	ए0पी0एल0
ब्रह्मपुर	8707	13987	12097
सरदार नगर	6632	10617	16558

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद गोरखपुर के इन विकास खण्डों के बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है। जांच/सत्यापन में बी0पी0एल0 लाभार्थी के अपात्र पाये जाने पर उसका राशन कार्ड निरस्त कर पात्र परिवार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल मजदूरों को मुक्त कराये जाने की मांग

61-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल मजदूरों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने हेतु मार्च, 2012 से आज तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में कितने बाल मजदूर मुक्त कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

बाल मजदूरों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमित निरीक्षणों की कार्यवाही तथा विशेष अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम के उल्लंघन हेतु सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.96 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इन चिन्हित सभी बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुरर्वासन, बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की जाती है, जिसमें प्रदेश के 46 जिले आच्छादित हैं। खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हांकित बाल श्रमिकों के परिवारों को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित कराकर उनका पुनर्वासन भी कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष	चिन्हित/अवमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की संख्या।
मार्च 2012 तक	1168
मार्च 2013 तक	1081
माह अप्रैल 2013 से जून 2013 तक	103
योग	2352

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में एम्स की स्थापना सम्बन्धी जानकारी

62-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे संस्थान (एम्स लाइक इन्स्टीट्यूट) की स्थापना के लिए अपनी कोई संस्तुति प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत गोरखपुर में एम्स लाइक इन्स्टीट्यूट की स्थापना अलग से करने की योजना के लिए अपनी सहमति दी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेख यादव-

जी हाँ।

मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्री अखिलेश यादव, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 17 मई, 2012 एवं 14 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रदेश के अन्य तीन भू-भाग यथा पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर का एक-एक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान अथवा जनपद रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु समुचित विचार करते हुए इसकी अनुमति प्रदान करने तथा लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम बेल्तुआ में गड्ढामुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

63-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बेल्तुआ, विकास खण्ड ईसानगर में गन्ना सेन्टर से अहिरनपुरवा वाया पसियनपुरवा मूड़ी रोड तक तथा बेल्तुआ से ग्राम मूड़ी तक दो नग सड़क तीन वर्ष के अन्दर जिला पंचायत, खीरी द्वारा निर्मित करायी गयी थी जो ध्वस्त होकर गड्ढायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी जिला पंचायत की बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में विकलांग पुनर्वास संचालित केन्द्र के मरीजों का विवरण

64-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मस्तिष्क ज्वर के कारण विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के निदान एवं इलाज हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कोई विकलांग पुनर्वास केन्द्र संचालित है ? यदि हां, तो उनमें सृजित पदों, उनके सापेक्ष नियुक्त कर्मियों तथा वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में इलाज किये गये मरीजों का विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लिटेशन केन्द्र हेतु 17 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष कुल 14 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ हुई हैं।

उपचार प्राप्त वर्षवार विकलांग रोगियों की संख्याः-

वर्ष	रोगियों की संख्या
2010-11	123
2011-12	1484
2012-13	1155

जनपद गोरखपुर के बाल चिकित्सा संस्थान के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के अधीन करने की मांग

65-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में 500 बेड के बाल चिकित्सा संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह कब तक संचालित हो जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह चिकित्सा संस्थान बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा या इसमें निदेशक की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किया जा चुका है। प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

संस्थान मेडिकल कालेज, गोरखपुर के अधीन निर्मित किया जा रहा है। संस्थान के संचालन के संबंध में यथासमय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अनुदान सहायता तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में अनुदान का विवरण

66-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों में भर्ती छात्र तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों की संख्या के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा

अलग-अलग कितनी अनुदान/सहायता दी जाती है ? क्या सरकार बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए अलग से आर्थिक अनुदान देती है ? यदि हां, तो वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 में दिये गये अनुदान का विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में स्थापित विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों को भर्ती मरीजों की संख्या के सापेक्ष उनके संचालन हेतु आवश्यकता के आकलन के आधार पर बजट में धनराशि का प्राविधान कराते हुए धनराशि दी जाती है।

जी नहीं।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के निःशुल्क ईलाज हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अलग से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध न कराकर औषधि तथा रसायन, सामग्री तथा सम्पूर्ति आदि मदों में धनराशि बढ़ाकर प्रदान की जाती है। वर्ष 2010-11 में औषधि तथा रसायन मद में रु0 325.00 लाख, सामग्री तथा सम्पूर्ति मद में रु0 75.00 लाख, 2011-12 में औषधि तथा रसायन मद में रु0 340.00 लाख, सामग्री तथा सम्पूर्ति मद में रु0 120.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2012-13 में औषधि तथा रसायन मद में रु0 490.00 लाख एवं सामग्री तथा सम्पूर्ति मद में रु0 85.00 लाख प्रदान किये गये है। वर्ष 2013-14 में औषधि तथा रसायन मद में रु0 550.00 लाख एवं सामग्री तथा सम्पूर्ति मद में रु0 75.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

जनपद कौशाम्बी में लघु उद्योग को बढ़ाने हेतु योजना लागू करने का विवरण

67-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में लघु उद्योग को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना लागू है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

जी हाँ।

जनपद कौशाम्बी के साथ-साथ प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख रूप से तकनीकी उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्टि हस्तशिल्पियों के लिए पेंशन योजना, स्टाम्प ड्यूटी छूट योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु एकल मेज व्यवस्था तथा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना आदि जैसी कई योजनायें लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में कोवाल्ट थिरैपी की मशीन उपलब्ध कराये जाने की मांग

68-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री सन्त प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कोवाल्ट थिरैपी की मशीन उपलब्ध न होने के कारण कैंसर के मरीजों का निःशुल्क इलाज नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मशीन कब तक उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय अनुपूरक बजट अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से बी0आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कोवाल्ट थिरैपी मशीन की स्थापना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में ट्रामा सेन्टर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

69-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना करने हेतु विभिन्न वर्षों में कितना धन अवमुक्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त ट्रामा सेन्टर कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

मद	वर्ष	धनराशि (रु0 लाख में)
निर्माण	2009-10	80.00
उपकरण	2010-11	500.00
मानव संसाधन	2010-11	76.00
दूरसंचार	2010-11	2.00
विधि व्यय	2010-11	1.00
	कुल	**659.00**

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्रामा सेन्टर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज हेतु अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा किसानों को दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

70-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दे दिया जायेगा ?

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

71-साध्वी निरंजन ज्योति-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी में राशन वितरण स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने की मांग

72-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या खाद्य एवं रसद बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में राशन वितरण स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 के छात्रों की छात्रवृत्ति पर व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

73-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एम0बी0 बी0एस0 की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर प्रति छात्र सरकार का प्रतिवर्ष कितना खर्च आता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कालेजों को भी एम0बी0बी0एस0 हेतु निर्धारित छात्र संख्या के अनुसार अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजकीय मेडिकल कालेजों को आवंटित बजट का उपयोग स्नातक/स्नातकोत्तर/इण्टर्न के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त सम्बन्धित चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के चिकित्सा उपचार, उपकरणों एवं रखरखाव, वेतनादि पर किया जाता है। अतः राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई कर रहे पर छात्र के हिसाब से बजट प्राविधान नहीं कराया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल कालेज को अनुदान दिये जाने की कोई नीति नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा रुदौली के अनेकों ग्रामों के कतिपय निर्माण कराये जाने की मांग

74-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर बसी ग्राम पंचायत रेझ, देवइत, रामपुर जनक, हंसराजपुर समगढ़ा, नौगवांडीह भटमऊ नरायनपुर, भवानीपुर, उमापुर, गनेशपुर, समेसी, तेर, सुनबा, बिहारा, कसारी, सैदपुर में सी0सी0/इंटरलाकिंग तथा नाली निर्माण के कार्य ग्राम पंचायतों के प्रस्तावानुसार कराये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है। अतः प्रश्नगत ग्राम पंचायतें उपलब्ध धन के सापेक्ष अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्ताव पारित कर सी0सी0/इंटरलाकिंग तथा नाली निर्माण का कार्य करा सकती है।

कार्य धन की उपलब्धता एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के रुदौली के ग्राम, क्षेत्र तथा जिला पंचायत को बी0आर0डी0एफ0 योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

75-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0एफ0 योजना अन्तर्गत बाराबंकी जनपद का चयन किस वर्ष किया गया ? क्या चयनित वित्तीय वर्ष में रुदौली बाराबंकी जनपद का हिस्सा था ? यदि हां, तो उक्त योजना का कितना बजट रुदौली विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत को आवंटित किया गया और कौन-कौन से काम कराये गये ?

श्री बलराम यादव-

बी0आर0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा जनपद बाराबंकी का चयन किया गया।

जी हां, किन्तु वर्ष 2007-08 में उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना सं0-2254/1-5-2007-330/97-रा0-5 दिनांक 31-10-2007 द्वारा रुदौली तहसील जनपद फैजाबाद में सम्मिलित कर दिया गया। रुदौली तहसील जनपद फैजाबाद में सम्मिलित करने के बाद भी रुदौली विधान सभा क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतें जनपद बाराबंकी में रह गई।

बी0आर0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत राज्य को वर्ष 2008-09 में धनराशि मिलनी प्रारम्भ हुई किन्तु वर्ष 2011-12 तक योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में रुदौली विधान सभा क्षेत्र की जनपद बाराबंकी में शेष 14 ग्राम पंचायतों में से किसी भी ग्राम पंचायत की कोई परियोजना चयनित नहीं हुई। वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना में रुदौली विधान सभा क्षेत्र के जनपद बाराबंकी में शेष रह गयी 14 ग्राम पंचायतों में दो ग्राम पंचायतों की कार्य योजनायें निम्नवत् अनुमोदित की गई हैं :-

ग्रा0 पं0 का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
हाजीपुर	राजस्व ग्राम हाजीपुर स0म0 अनजुड़ी बसावट सिकन्दरायन खड़न्जा से लेपन स्तर निर्माण कार्य लं0-350 मीटर	12.25	ग्राम पंचायत हाजीपुर में कराया जाने वाला कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में

ग्रा0 पं0 का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
बठौली	बठौली से सिकरोहना तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य लं0-1500 मीटर	8.00	सम्मिलित है।

अभी तक उक्त किसी कार्य के लिये बजट/धन आवंटित नहीं किया गया है।

76-श्री अली यूसुफ अली-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

77-श्री रवि शर्मा-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी मण्डल के खाद्य नमूनों की जांच क्षेत्रीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे जाने की मांग

78-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में खाद्य नमूनों की जांच हेतु क्षेत्रीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला स्थापित होने के बाद भी जांच हेतु नमूने झांसी मण्डल से बाहर भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो झांसी मण्डल में स्थापित क्षेत्रीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला का लाभ झांसी मण्डल को कब तक प्राप्त होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। किसी भी क्षेत्र/मण्डल के नमूने निष्पक्ष जांच हेतु उसी क्षेत्र की प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित नहीं किये जाते हैं। इसी नीति के अन्तर्गत झांसी तथा चित्रकूटधाम मण्डल के खाद्य नमूनों के विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा को अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत झांसी मण्डल के नमूनों की जांच झांसी स्थित प्रयोगशाला में कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में बन्द पड़े ग्राम सचिवालयों को प्रारम्भ कराये जाने की मांग

79-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीणों की सुविधा हेतु बनाये गये पंचायत सचिवालय अधिकतर जगह बन्द पड़े होने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजना बनाकर ग्राम सचिवालयों में कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं। पंचायती राज विभाग की योजना से 32124 पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया है तथा बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत 4863 ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया है, इस प्रकार प्रदेश में कुल 36987 पंचायत भवनों/ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया है, जो क्रियाशील हैं। बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कुल 1784 पंचायत सचिवालय निर्माणाधीन हैं।

पंचायत सचिवालय बन्द होने की किसी भी जनपद में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकलांग सरकारी कार्मचारियों के वाहन भत्ते की दरें संशोधित करने की मांग

80-डा0 अरुण कुमार-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकलांग सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वाहन भत्ता पुराने वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में छठे वेतनमान की संस्तुतियां लागू होने के पश्चात् नये वेतनमान के अनुसार संशोधित दर से वाहन भत्ता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण दिनांक 12-5-2008 से किया गया है। यद्यपि उक्त शासनादेश में पुराने वेतनमान का उल्लेख है, परन्तु पुनरीक्षित दरें नई हैं।

वेतन समिति-2008 द्वारा विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्तों की दरों के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है, परन्तु यह देखते हुये कि पूर्व में वर्ष 2000 में निर्धारित दरों का पुनरीक्षण दिनांक 12-5-2008 से किया जा चुका है, राज्य सरकार द्वारा वाहन भत्ते की दरों में संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के ब्लाक रूपईडीह के कतिपय ग्रामों के नाली निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

81-सुश्री सावित्री बाई फूले-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा ब्लाक रूपईडीह, ग्राम-जयरामपुरवा, लक्ष्मणपुरवा कोचवा में प्राथमिक विद्यालय से ड्योहार बाबा तक सड़क के दोनों ओर नाली न बनाये जाने विषयक श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 9 मई, 2013 जिलाधिकारी, गोण्डा को संलग्नक सहित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी रूपईडीह, गोण्डा से जांच करायी गयी। यह पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग पर 13वां वित्त/राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा कार्य कराया गया है, परन्तु खड़न्जे के दोनों तरफ नाली निर्माण ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसघुवां की क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

82-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के भावलखेड़ा, ब्लाक ददरौल के ग्राम रेमा, घुसघुवां निवाड़ी एवं शाहबाजनगर के एप्रोच मार्गों एवं भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम हथौड़िया व तिउलक कुरसंडा, ददिउरा, खानपुर देहा, टिकरा, उदियापुर, जपनापुर को जाने वाले मार्ग जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में नहीं है तथा प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में जिला पंचायत में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव शेरगंज के रास्ते को बनवाये जाने की मांग

83-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव शेरगंज के अन्दर का एक रास्ता (खादर) अत्यन्त गहरा होने के कारण जल भराव हो जाता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रास्ते (खादर) को बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

आवागमन हेतु रास्ता बनवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव में सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

84-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव में बेल्थरा मधुबन मार्ग से भवानी सराय पोखरा होते हुए मलाह बस्ती से सुरदेव के ट्यूबवेल होते हुए लाल जी पाण्डेय के घर तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) एवं ग्राम सभा सराय मेवागिरी (सरायमूरत दास) में लालजी पाण्डेय के घर से जजौली तक (03 कि0मी0) सड़कों की लेपन स्तर तक मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों की लेपन स्तर तक मरम्मत/निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी जिला पंचायत की बैठक में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

85-श्री अली यूसुफ अली-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

86-श्री अली यूसुफ अली-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

87-साध्वी निरंजन ज्योति-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के मार्गों पर अतिभारित वाहनों को नियमों का अनुपालन कराये जाने की मांग

88-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के मार्गों पर अतिभारित वाहनों की बाहुल्यता के कारण चीनी मिलों के सामने वाले मार्गों पर आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या अतिभारित वाहनों को यातायात/परिवहन विभाग के नियमों का अनुपालन कराने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

अतिभारित वाहनों कें विरुद्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाती है। जनपद पीलीभीत में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वर्ष 2011-12 में 80, 2012-13 में 332 एवं इस वित्तीय वर्ष में 01-04-2013 से 30-6-2013 तक 159 भार वाहनों को ओवरलोड में चालान किया गया तथा क्रमशः रु0 8.00 लाख, रु0 35.70 लाख एवं रु0 15.66 लाख प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है। ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध अनवरत् कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबन्धित इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगाये जाने की मांग

89-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल स्टोरों पर खुलेआम आक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री होने से उसका दुरुपयोग फलों तथा सब्जियों पर किया जा रहा है जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंजेक्शन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

आक्सीटोसिन प्रतिबन्धित औषधियों की श्रेणी में नहीं आती है। यह दवा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत शिड्यूल-एच में वर्णित होने के कारण इसका विक्रय केवल चिकित्सक के परामर्श पर ही किया जाता है। इसका विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम-105 (2) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विशिष्ट पैकिंग में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रासायनिक रंगों की फलों सब्जियों की बिक्री की रोकथाम की कार्यवाही

90-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रासायनिक रंगों से रंगकर सब्जियों तथा फलों की बिक्री की जा रही है जिससे जन सामान्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, किन्तु प्रदेश में दिनांक 01-04-2012 से 31-3-2013 तक की गयी सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कर 3162 निरीक्षण एवं 108 छापे मारकर फलों तथा सब्जियों के 185 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनकी जांचोपरान्त 03 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। कुल रु0 4,43,607/- मूल्य के फल तथा सब्जियां सीज/नष्ट कराये गये। 04 प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया तथा 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार 01-04-2013 से 31-7-2013 तक की अवधि में 1204 निरीक्षण व 26 छापे मारकर 21 नमूने संग्रहीत किये गये। कुल रु0 3,26,636/- मूल्य के फल एवं सब्जियां सीज/नष्ट कराये गये।

प्रदेश में दिनांक 05-08-2011 से प्रभावी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 में फल तथा सब्जियों में रंगों के प्रयोग को रोकने हेतु व्यापक प्राविधान है, जिसके क्रियान्वयन हेतु जनपदों में तैनात प्रवर्तन इकाई द्वारा निरन्तर निरीक्षण/छापा/नमूना संग्रहण की कार्यवाही कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों पर कतिपय निर्माण कराये जाने की मांग

91-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 08 सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकतानुसार पुल/पुलिया/साइफन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-196923/199/13, दिनांक 24-4-2013 निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रस्ताव दिनांक 11-5-2013 को जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया गया, परन्तु सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुगलसराय के विधान सभा क्षेत्र चन्दौली में धोबियों हेतु पक्का घाट बनवाये जाने की मांग

92-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद व चन्दौली में धोबी समाज के जीविकोपार्जन के लिए सरकार की पक्का घाट बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत घाट जिला पंचायत की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में राजकीय परिवहन डिपो एवं वर्कशाप बनवाये जाने का कथित प्रकरण

93-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में राजकीय परिवहन के बस अड्डे का उच्चीकरण करके डिपो एवं वर्कशाप बनाने हेतु प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो बीसलपुर में डिपो एवं वर्कशाप कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों पर पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

94-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकतानुसार आर0सी0सी0 पुल/पुलिया तथा साइफन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-157638/3003 व क-एस0 नं0-157640/ 3004 व क-एस0 नं0-157641/3005 व क-एस0 नं0-157642/3006 व क-एस0नं0-157639/3007, दिनांक 2 फरवरी, 2013 प्रमुख सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रस्ताव दिनांक 11-5-2013 को जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया गया, परन्तु सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

95-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में एक भी मेडिकल कालेज न होने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त जनपद में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद झांसी तथा जनपद जालौन में राजकीय मेडिकल कालेज संचालित हैं तथा जनपद बांदा में राजकीय मेडिकल कालेज निर्माण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मेडिकल कालेज, बांदा का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत पैगानगरी में अवैध रूप से पेंशन लेने की जांच

96-श्री सुल्तान बेग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील व ब्लाक मीरगंज की ग्राम पंचायत पैगानगरी के अन्तर्गत मनरेगा का लाखों रुपया गबन करने तथा ग्राम समाज की भूमि खुर्द करने तथा प्रधान निर्वाचित होने के बाद भी कई वर्षों तक वृद्धा पेंशन अवैध रूप से लेने तथा लाखों रुपया ग्राम समाज के विभिन्न मदों का गबन करने आदि की जांच टी0ए0सी0 से कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-पी0जी0-10150350, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-पी0जी0-10150350/2012, दिनांक 17-10-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां, मा0 मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0), ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मण्डल, बरेली से जांच करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा-95-1 (छः) के अन्तर्गत कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में राशन कार्ड पर्यवेक्षक की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

97-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54, 108, 31 में राशन कार्ड पर्यवेक्षक के न पहुंचने से जनता को समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी नहीं।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड सं0-54,108,31 में पर्यवेक्षकों के अधीन राशन कार्डों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने में अनुमानित अवधि क्रमशः 17, 62 एवं 47 दिन लगने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने की मांग

98-श्री संजय कपूर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिये भूमि चयनित कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में रोडवेज का उक्त बस अड्डा बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

विलासपुर में परिवहन निगम का बस स्टेशन राजस्व विभाग की भूमि पर अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है।

राजस्व विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि परिवहन निगम को निःशुल्क आवंटित किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त भूमि क्रय कर बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

जनपद बस्ती के ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

99-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 139 पद स्वीकृत हैं जिनमें 65 पद खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां, परन्तु वर्तमान में कुल 53 पद खाली हैं।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 12 जून, 2013 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उक्त पदों पर भर्ती हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, बस्ती द्वारा दिनांक 30-08-2013 को विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 2013 तक भर्ती की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बुनकरों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा नीति बनाये जाने की मांग

100-श्री त्रिभुवन राम-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुनकरों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बुनकरों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से हैण्डलूम से निर्मित कपड़ों की खरीद हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो बुनकरों के जीविकोपार्जन हेतु सरकार ने क्या कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

प्रदेश के बुनकरों के उत्थान एवं रोजगार हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना संचालित है। इस योजन में ग्रुप एप्रोच, क्लस्टर विकास योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बुनकरों को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से यूपिका एवं हथकरघा निगम के माध्यम से बुनकर/समितियों द्वारा निर्मित कपड़ों को खरीद कर उनका विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जिला/राज्य स्तर पर मेला/प्रदर्शनी का आयोजन करके कपड़ों का विक्रय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत नरैना में प्राथमिक विद्यालय से पांचू बिन्द के घर तक ग्राम डिहला से जफरपुर तक कच्ची रोड का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

101-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत नरैना में प्राथमिक विद्यालय से पांचू बिन्द के घर तक एवं ग्राम डिहला से जफरपुर तक कच्ची रोड होने से आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है। सदन के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चन्दाइत उसरौली में बुधवार माइनर से गड़ई नदी पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाये जाने की माँग

102-श्री बब्बन सिंह चौहान

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौसी के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चन्दाइत उसरौली में बुधवार माइनर से गड़ई नदी पुल तक रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का लेपन स्तर तक मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सदन के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकरी में आवागमन की सुविधा हेतु गन्दे नाले पर एक पुल का निर्माण कराये जाने की माँग

103-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकरी में आवागमन की असुविधा के दृष्टिगत गन्दा नाला पर एक पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत गौरी पिच रोड अनुसूचित बस्ती से लाखापुर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की माँग

104-श्री बब्बन सिह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली जनपद के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी पिच रोड अनुसूचित बस्ती से लाखापुर तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो

गया है? यदि हां ? तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सदन के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा बहादुरपुर में स्थित पोखरी धोबी समाज के लोगों को रोजी-रोटी के साधन मुहैया कराने हेतु सरकार उक्त पोखरी पर पक्के घाट का निर्माण के सम्बन्ध

105-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बहादुरपुर में स्थित पोखरी धोबी समाज के लोगों को रोजी-रोटी का साधन मुहैया कराने हेतु सरकार उक्त पोखरी पर पक्के घाट का निर्माण कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इसके लिए कोई धन आवंटित है।

राजकीय आर्युेदिक कालेजों को स्थायी मान्यता प्रदान करने एवं वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

106-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झांसी सहित 06 आयुर्वेदिक कालेजों में सेन्ट्रल काउन्सिल आफ इण्डिया मेडिसिन (सी0सी0आई0एम0) की मान्यता न होने के कारण कानपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा लेने से मना कर दिया है? यदि हां, तो क्या वर्ष 2011-12 व 2012-13 बैच के विद्यार्थियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार आयुर्वेदिक कालेजों को स्थायी मान्यता प्रदान करने एवं वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

वर्ष 2011-12 की राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों, लखनऊ एवं बरेली की मान्यता प्राप्त है। जबकि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा-बांदा, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, झांसी, हण्डिया-इलाहाबाद

एवं वाराणसी की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अतर्रा-बांदा के साथ अन्य महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा सत्र 2011-12 की परीक्षा हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की गयी है। इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। सत्र 2012-13 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ, बरेली पीलीभीत, अतर्रा-बांदा को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों को मान्यता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011-12 में परीक्षा कराने हेतु प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सत्र 2012-13 में भारत सरकार से मान्यता के दृष्टिगत विद्यार्थियों की परीक्षा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में विकलांगों को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल में विकलांगों को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0नं0-138669/1046, दिनांक 19-08-12 खण्ड विकास अधिकारी जरवल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारी, जरवल ने 15 विकलांग लाभार्थियों के ग्राम सभा से स्वीकृत आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्रेषित किये, जिनमें से 05 आवेदकों को पेंशन दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्यारह सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा लगाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

108-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्यारह सम्पर्क मार्गों पर खन्ड़जा लगाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0नं0-138698, दिनांक 20-08-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

जिला पंचायत की बैठक दिनांक 11.05.2013 में प्रश्नगत प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

109-श्री बब्बन सिंह चौहान-

(2 सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ गोमतीनगर में शैक्षणिक पदों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

110-श्री रामहेत भारती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन संख्या 110/आर0एम0एल0आई0 एम0एस0/2012, निदेशक कैम्प दि0 20-07-2012 के द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, गोमती नगर, लखनऊ में शैक्षिणिक पदों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित कराते हुए पुनः चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, गोमतीनगर, लखनऊ में 16 विभागों के शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के लिए संवर्ग निर्धारित किये गये है और प्रत्येक संवर्ग में सदस्यों की अधिकतम संख्या-3 या उससे कम होने के कारण आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

जिला बलिया मुख्यालय से गढ़मलपुर तक की बस सेवा को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

111-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला मुख्यालय से गढ़मलपुर तक के लिये चलाई जा रही बस सेवा वर्तमान में बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां। जिला बलिया मुख्यालय से गढ़मलपुर बस सेवा निम्न आय प्राप्त होने एवं निगम के लिये अलाभकारी होने के कारण अप्रैल, 2013 में बन्द कर दी गयी थी।

यह बस सेवा पुनः दिनांक 21-07-2013 से संचालित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के अविद्युतीकृत गाँवों में सोलर लाइट लगवाने के सम्बन्ध में जानकारी

112-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अविद्युतीकृत गांवों में सोलर लाइट लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

जी हाँ।

अविद्युतीकृत गाँवों में सोलर लाइट लगाने की योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित है। योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के साथ-साथ जनपद सोनभद्र के 45 मजरों में 5699 अदद सोलर होम लाइट तथा 387 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल के उद्योगों के पुनः स्थापित कराने के सम्बन्ध में जानकारी

113-डा0 अरूण कुमार-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल के कई उद्योग उत्तरांचल चले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको पुनः स्थापित कराने तथा यहां पर लगे उद्योगों को यहीं रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

ऐसी कोई सूचना नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

114-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 16-9-2013 को अता0प्र0सं0-190 द्वारा उत्तरित]

जनपद चन्दौली, मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में छितमपुर रामनगर मार्ग पर कच्चे मार्गों को पिच कराने के सम्बन्ध में जानकारी

115-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छितमपुर रामनगर मार्ग पर डिग्री कालेज गेट से हथेगवां गांव तक, लाखापुर हरदेव प्रधान के बगल से अनुसूचित जाति बस्ती गोधना तक लगभग 1300 मीटर एवं श्री चन्द्रभूषण तिवारी के मकान से रामायण तिवारी के मकान तक 400 मीटर कच्चे मार्गों को पिच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा एकौना में कच्ची सड़क का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

116-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा एकौनी में सत्य नारायण यादव के घर से डगर मास्टर के खेत तक एवं अमोधपुर में प्यारे लाल के मकान से लेकर इण्डियन आयल के पाइप के बगल से अजय कुमार के मकान तक कच्ची सड़क का नवनिर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

117-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में बनौली चट्टी से शाहपुर तक एवं शाहपुर से विशुनपुरा भट्ठा तक एवं अमोधपुर ग्राम सभा में प्यारे लाल चौहान के मकान से दलित बस्ती तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

118-श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ग्रामीण अंचलों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खुलवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित हैं तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के लिए जिला अनुश्रवण समिति की

संस्तुति एवं अन्य औपचारिकता पूर्ण न होने के दृष्टिगत होम्योपैथिक अस्पताल भी वर्तमान में खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय गांवों की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

119-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा हिन्दवारी, सुरौली, गोपालापुर, पुरैनी, ब्यासपुर में रोड व नाली क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रस्तुत मार्ग जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राशन कार्ड बनाने हेतु वर्तमान सरकार की नीति के सम्बन्ध में जानकारी

120-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एंव रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने की वर्तमान सरकार की क्या नीति है एवं इसके लिये अर्हता/अनर्हता के साथ किन-किन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है ? क्या सरकार कार्ड को बनाने के लिये आवेदन से कार्ड बनने तक कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार नये सिरे से राशन कार्डों का मुद्रण व वितरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30.04.2012 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

तीस कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

121-श्री राघव लखनपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में कई वर्षों से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? क्या सरकार निर्माण में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

एम0सी0आई0 से अनुमति प्राप्त हो जाने के आगामी शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण कार्य संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

कालेज की वर्तमान में भौतिक प्रगति 83 प्रतिशत है। शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2009 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा तद्नुसार कालेज स्थापना की कार्यवाही की जा रही थी। वर्ष 2010 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार स्थापना में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है जिसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में गांव भीखमपुर से गांव पसगवां तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को मरम्मत कराये जाने की मांग

122-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर (वकैनिया ताल्लुके रामपुर अमृत) से गांव पसगवां तक जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां ? तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरेली के मीरगंज ब्लाक शेरगढ़ के गांव धनेली में केरोसिन तेल व गल्ले की कालाबाजारी करने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

123-श्री सुल्तान बेग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 12-10-2012 पर कम्प्यूटर संख्याः पी0जी0 10147144, पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-पी0जी0 10147144/2012 जो बरेली की तहसील मीरगंज ब्लाक शेरगढ़ के गांव धनेली के स0स0ग0 विक्रेता द्वारा की जा रही केरोसिन तेल व गल्ले की कालाबाजारी करने के विरुद्ध जांच कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हाँ।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज, विकास खण्ड शेरगढ़ के ग्राम धनेली के उचित दर विक्रेता, श्री शहरयार, के विरुद्ध शिकायतों की जांच में विक्रेता को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने का दोषी पाया गया। उपजिलाधिकारी, मीरगंज द्वारा विक्रेता की जमा प्रतिभूति में से रु0 2500/- जब्त करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के, के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर में मरीजों की चिकित्सा हेतु बेड बढ़ाये जाने की मांग

124-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेन्टर में मरीज स्ट्रेचर पर अपना इलाज करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रामा सेन्टर में बेड बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

के0जी0एम0यू0 लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में 296 बेड की क्षमता है। रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत अतिरिक्त व्यवस्था करके भी उपचार किया जाता है। कभी-कभी बेड की अनुपलब्धता तथा इमरजेन्सी होने की दशा में स्टेचर पर ही प्राथमिक उपचार प्रारम्भ कर दिया जाता है।

ट्रामा सेन्टर भवन पर दो अतिरिक्त तलों का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें 118 बेडों की अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के साथ बोनस दिये जाने की मांग

125-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को खरीफ फसल पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के साथ म0प्र0, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह बोनस दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी नहीं।

प्रदेश में किसानों को धान खरीद पर वर्तमान में बोनस दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों को बी0पी0एल कार्ड की सुविधा दिलाने की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

126-डा0 अरूण कुमार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों को बी0पी0एल0 कार्ड की सुविधा का लाभ दिलाने की योजना में कितनी आय सीमा निर्धारित

है ? क्या सरकार महंगाई को देखते हुए बी0पी0एल0 कार्ड की सुविधा का लाभ और अधिक गरीबों को दिलाने के लिये आय सीमा में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

बी0पी0एल0 हेतु शासनादेश संख्या-18 (एम)6/35-आ-1/2004-12, दिनांक 17-6-2004 के अनुसार 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की वार्षिक आय सीमा निर्धारित है।

बी0पी0एल0 के लिये आय-सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा आय सीमा में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में खोड़ा में शमशान घाट बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

127-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र में खोड़ा कालोनी के लोगों की समस्या को देखते हुए खोड़ा में शमशान घाट बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु जिला पंचायत, गाजियाबाद के समक्ष कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

"निर्मल भारत अभियान योजना" के अन्तर्गत जनपद बस्ती के साऊघाट ब्लाक में शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित "निर्मल भारत अभियान योजना" के अन्तर्गत जनपद बस्ती के साऊघाट ब्लाक में 2649 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 139 शौचालयों का ही निर्माण कार्य हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

"निर्मल भारत अभियान योजना" के अन्तर्गत जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-साऊघाट के कुल 43 ग्राम पंचायतों में 2649 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष कुल 293 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण हो गये हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

129-श्री रोशन लाल वर्मा-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

130-श्री सुल्तान बेग-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा छिमिया में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण करवाये जाने की मांग

131-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा-छिमिया में मिठाई यादव के घर से पिच रोड एवं रविदास मन्दिर से होते हुए महादेवपुर व हिनौली नाला तक जल निकासी हेतु नाला न होने से जल निकासी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही विचाराधीन है।

जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड पर भवन निर्माण करवाने की मांग

132-श्री भगवती प्रसाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड का निजी भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड पर भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जनपद अलीगढ़ की खैर तहसील में परिवहन निगम के स्वामित्व की भूमि पर एक यात्री शैल्टर व पूछताछ कक्ष विद्यमान है।

वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण की माँग

133-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2012-13 में मिलावटी दूध सम्बन्धी प्रकरण

134-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2012-13 में मिलावटी दूध के कितने मामले पकड़े गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दूध में मिलावट की रोकथाम हेतु वर्ष 2012-13 में दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक जनपद फिरोजाबाद में सघन प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। इसके अन्तर्गत 107 निरीक्षण एवं 21 छापे मारकर दूध के 21 नमूने संग्रहीत किये गये एवं जांच हेतु भेजे गये। इनकी जांच में 13 नमूने अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित पाये गये। इस हेतु दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा सहजौर में नाले के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

135-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा की ग्राम सभा सहजौर में धनेश यादव के घर से भुपौली लिंक रोड की पुलिया तक नाला न होने से वर्षाकाल में जल भराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में नाला निर्माण का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रदेश में किसानों को गेहूं की खरीद में बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

136-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को गेहूं की खरीद में बोनस दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी नहीं।

सरकार का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाना है। वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2013-14 में गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप अथवा उससे अधिक होने के कारण किसानों को स्वतः गेंहू के मूल्य का उचित मूल्य प्राप्त हुआ। अतः सरकार द्वारा गेहूं क्रय पर बोनस देने पर विचार नहीं किया गया।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के चकिया मुगलसराय मार्ग से अमोधपुर ग्राम सभा के क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

137-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकिया-मुगलसराय मार्ग से अमोधपुर ग्राम सभा में मेन सम्पर्क मार्ग से लालव्रत चौहान के मकान तक एवं प्रदीप मूर्ति वाले से लेकर प्यारे लाल चौहान अमोधपुर फील्ड तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

फिरोजाबाद नगर के उ0प्र0 राजकीय परिवहन निगम के क्षतिग्रस्त बस अड्डे परिसर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में जानकारी

138-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेगे कि फिरोजाबाद नगर के उ0प्र0 राजकीय परिवहन निगम के बस अड्डे का परिसर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

139-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा गंगेहरा में कच्चे मार्ग पर खड़न्जा कार्य करवाने के सम्बन्ध में जानकारी

140-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा गंगेहरा में माइनर से पप्पू यादव के मकान तक कच्चा मार्ग होने से आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर खड़न्जा कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां।

ग्राम सभा प्रश्नगत कच्चे मार्ग पर खड़न्जा बिछाने का कार्य कराना चाहती है। धनाभाव के कारण अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस कार्य को कराने में लगभग मु0-3.5 लाख रु0 का व्यय सम्भावित है। वर्तमान में जिला पंचायत राज अधिकारी, चंदौली को उक्त कार्य आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डहियां माइनर से गौरेया फतेपुर नाथूपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में जानकारी

141-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डहियां माइनर से गौरेया फतेपुर नाथूपुर तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत निर्माण कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया ग्राम वसगित परगना केवाई में खड़न्जा मार्ग बनाने हेतु सम्बन्ध में जानकारी

142-सुश्री सावित्री बाई फूले-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वसगित परगना केवाई, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद में गाटा संख्या 249 को उप जिलाधिकारी व तहसीलदार हंडिया, इलाहाबाद की

उपस्थिति में आम सहमति से खड़न्जा मार्ग बनाने हेतु दिनांक 06 मार्च, 2013 को चिन्हित कर ग्राम प्रधान द्वारा रास्ता निर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन है ? क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर अर्द्धनिर्मित मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उप जिलाधिकारी, हंडिया द्वारा गठित टीम के सीमांकन एवं चिन्हांकन के उपरान्त पक्की सड़क से ग्राम सभा की भूमि (हरिश चन्द्र के घर के पास तक) तक मिट्टी एवं खडन्जा का कार्य करा दिया गया है। इसके आगे चकरोड समाप्त हो रहा है। निजी भूमि एवं आबादी की जमीन होने के कारण आगे खड़न्जा का निर्माण कार्य नहीं हो सकता हैं

जी हां, प्रकरण की जांच करायी जा चुकी है। आगे निजी भूमि (आबादी भूमि) होने के कारण खड़न्जा निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता हैं

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री दीपक पटेल-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

144-डा0 अरूण कुमार-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के श्रमिक कालोनियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी

145-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिक कालोनियों का रख-रखाव सरकार द्वारा कितने वर्षों से बन्द है ? क्या विगत पांच वर्षों से उन कालोनियों का रख-रखाव न होने के कारण उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा रख-रखाव किये जाने पर सरकार ने कोई अनुमति दी है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु बनाये गये आवासों के रख-रखाव का कार्य दिनांक 31-5-1995 से बन्द है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-515/36-4-95-16/ 1992 दिनांक 21-02-1995 के प्रस्तर-14 में की गयी व्यवस्थानुसार इन कालोनियों के रख-रखाव का कार्य दिनांक 31-05-1995 से बन्द है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कठौरी में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

146-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कठौरी में शनि यादव के घर से शिव प्रकाश त्यागी के घर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत, चन्दौली की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा दुलहीपुर में नाले का निर्माण करवाये जाने की मांग

147-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा दुलहीपुर में जलालू प्रधान एवं मु0 अली के घर से होते हुए राय साहब के घर तक नाला न होने से भीषण जल भराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद चन्दौली की ग्राम सभा गोपालपुर वि0खं0 नियामताबाद में क्षतिग्रस्त नाली का निर्माण करवाये जाने की मांग

148-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली जनपद की ग्राम सभा गोपालपुर वि0खं0 नियामताबाद में जाफर के मकान से सिराजुद्दीन के मकान तक नाली पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का निर्माण/मरम्मत कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

नाली का निर्माण सम्बन्धित ग्राम सभा की खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य योजना में सम्मिलित कराये जाने पर ही कराया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के सीमित संसाधनों एवं अन्य सभी प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा ही निर्णय लिया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के वि0खं0 नियामताबाद की ग्राम सभा रामपुर में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

149-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के वि0खं0 नियामताबाद की ग्राम सभा रामपुर में रामसकल यादव के घर से भरतपुर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

उ0प्र0 सचिवालय खान-पान निगम की भाँति उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को भी 6ठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की मांग

150-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय खान-पान निगम के कर्मचारियों को छठवां वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उ0प्र0 सचिवालय खान-पान निगम की भांति उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को भी 6ठवें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हाँ।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को छठां वेतनमान दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पुलिया का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

151-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों/मजरों में सम्पर्क मार्गो पर बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण अंश में आर0सी0सी0 सम्पर्क मार्गों तथा पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5नं0-138025/4212, दिनांक 11 मई, 2013 मुख्य विकास अधिकारी जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बनौली खुर्द में अर्द्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने की मांग

152-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बनौली खुर्द में जमुनीपुर माइनर से दलित बस्ती राधेश्याम के घर तक लम्बाई लगभग 500 मीटर जिला पंचायत द्वारा अर्द्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

कार्य विवादित होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नगर फिरोजाबाद में कांच चूड़ी उद्योग में जुड़ाई श्रमिकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

153-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में कांच चूड़ी उद्योग में जुड़ाई श्रमिकों को भी बुनकरों को प्रदान किये जाने वाले स्वास्थ्य कार्डों की भांति स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग द्वारा जुड़ाई श्रमिकों को बुनकरों की भांति कांच चूड़ी उद्योग में स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाने सम्बन्धी योजना संचालित नहीं है।

नगर फिरोजाबाद में बस डिपो खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

154-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में राज्य परिवहन निगम का डिपो न होने के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में बस डिपो खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में फिरोजाबाद में परिवहन निगम का अपना बस स्टेशन स्थापित है। फिरोजाबाद नगर एन0एच0-2 मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां से मुख्य शहरों जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, गोरखपुर आदि स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित हो रही हैं। फिरोजाबाद नगर से शिकोहाबाद डिपो मात्र 21 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा आगरा मात्र 44 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। अतः फिरोजाबाद में बस डिपो बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

155-श्री मनीष असीजा-

[दिनांक 18-09-2013 को अता0प्र0सं0-190 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई सम्बन्धी मूक बधिरों हेतु विद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

156-श्री मनीष असीजा-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूक बधिरों की शिक्षा के लिये जनपद फिरोजाबाद में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई हेतु विद्यालय न होने के कारण मूक बधिरों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई हेतु विद्यालय (मूक बधिरों हेतु) खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

156-श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद फिरोजाबाद के बच्चे आगरा के संकेत राजकीय मूक-बधिर विद्यालय (आवासीय सुविधा युक्त) में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के समीप आगरा में मूक बधिर विद्यालय हाईस्कूल तक संचालित है, जहां पर मूक बधिर बच्चों हेतु कक्षा 10 तक शैक्षिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध हैं

157-श्री मनीष असीजा-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कठौरी में खड़न्जा या पिच द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

158-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कठौरी में शनि यादव के दुकान से शिव प्रकाश त्यागी के घर तक मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर खड़न्जा या पिच द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना मे सम्मिलित नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दुलहीपुर में जी0टी0 रोड में नालों एवं सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

159-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा दुलहीपुर में जी0टी0 रोड सम्पर्क मार्ग से राजेश पहलवान के घर तक व नरेश प्रधान के घर से होते हुए चांदनी मार्केट तक नाला एवं सड़क निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग एवं नाला का निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्यूबवेल की नाली बनी होने के कारण।

जनपद चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मढ़िया में जल निकासी हेतु नाले के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

160-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मढ़िया पर पढ़ाव चौराहे से बहादुरपुर पानी टंकी पोलाव शहीद मजार तक नाला न होने से मढ़िया ग्राम सभा, बहादुरपुर ग्राम सभा सुजाबाद के जल निकासी की भीषण समस्या है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां।

लगभग 500 मीटर में सड़क के एक तरफ ह्यूम पाइप 450 एम0एम0 की अण्डरग्राउन्ड नाली बनायी जा रही है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ महानगर में संचालित बसों में से प्राइवेट बसों के विषय में जानकारी

161-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में नगर बस सेवा की संचालित बसों में से प्राइवेट बसों की संख्या कितनी है तथा जे0एन0एन0यू0आर0एन0 योजना की कितनी बसें है। क्या नगर बस सेवा की प्राइवेट बसों को परिवहन विभाग द्वारा जारी लाइसेंसों का लगातार नवीनीकरण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी बसें जो मानक के अनुसार नहीं हैं, का संचालन बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां। मेरठ महानगर बस सेवा की संचालित बसों में से प्राइवेट बसों की संख्या 146 है। मेरठ महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना की 120 बसें संचालित हैं।

जी नहीं।

परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है अपितु रिट याचिका संख्या-1338(एम0बी0) /95 में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-2009 एवं एस0एल0पी संख्या 12865/2009 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-2012 के आलोक में मेरठ महानगर में संचालित निजी बसों के परमिटों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-103(2)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रकरण सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-08-2013 में प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मीरजापुर एवं वाराणसी मण्डल के जनपदों में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

162-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मीरजापुर एवं वाराणसी मण्डल के जनपदों में एल0पी0जी0 की उपलब्धता बनाये रखने, अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार में लिप्त लोगों को कठोर दण्ड देने एवं कालाबाजारी पर रोक लगाये जाने हेतु माह जनवरी, 2013 से दिनांक

26-07-2013 तक क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरुद्ध कुल कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त का ब्यौरा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हाँ।

माह जनवरी, 2013 से दिनांक 26-07-2013 तक अवैध गैस रिफिलिंग में मीरजापुर मण्डल के जनपद मीरजापुर में मै0 विन्ध्यवासिनी गैस सर्विस के यहां जांच में अनियमततायें पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गयी तथा 15 अधिष्ठानों के निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध बांट-माप अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। सोनभद्र की तहसील दुद्धी के निवासी श्री हीरालाल यादव के पास 18 घरेलू गैस सिलेण्डर, 04 छोटे गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रानिक तोल मशीन व एक गैस खोलने का उपकरण पाये जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। संत रविदासनगर भदोही में जांच के दौरान 37 घरेलू एवं कामार्शियल गैस सिलेण्डर जब्त करते हुए 02 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

वाराणसी मण्डल के जनपद वाराणसी में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए 03 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा 695 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 कामर्शियल सिलेण्डर, 07 छोटे सिलेण्डर, 04 ट्राली रिक्शा, 01 पिकअप एवं 02 ट्रक जब्त किये गये। जनपद चन्दौली में जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। जनपद गाजीपुर में जांच में 13 मामलों में गड़बड़ी पाये जाने पर जुर्माना वसूला गया। जौनपुर में जांच के दौरान 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक गैस रिफिलिंग का उपकरण बरामद किया गया तथा 01 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के क्षेत्र पंचायत बांसी के ग्राम पंचायत बसन्तपुर में "ग्राम निधि" द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शैरू भैय्या-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बांसी के ग्राम पंचायत बसन्तपुर में "ग्राम निधि" द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक 22-02-2013 का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षा सत्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

164-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि गोरखपुर जनपद में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है जबकि वहां इसी वर्ष पठन-पाठन आरम्भ होना था ? यदि हां, तो अब तक पठन-पाठन की प्रक्रिया आरम्भ न होने का क्या कारण है, तथा उक्त मेडिकल कालेज में शिक्षा सत्र कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर जनपद में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का भवन निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है तथा 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। दिनांक 03.08.2011 से ओ0पी0डी0 संचालित है तथा मरीजों को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन पूर्ण न होने के कारण पठन-पाठन कार्य आरम्भ करना संभव नहीं है। भवन पूर्ण होते ही पद सृजन एवं अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर सत्र प्रारम्भ हो सकेगा।

165-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

166-श्री रविन्द्र भड़ाना-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी देवरिया के ग्राम प्रधान समसड़ा द्वारा इन्दिरा आवासों में बरती गयी अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

167-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम प्रधान समसड़ा द्वारा इन्दिरा आवासों में बरती गई अनियमितताओं की विभागीय जांच में पुष्टि हो जाने के उपरान्त भी विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया को सम्बोधित स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 13-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-'

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के साथ संलग्नक के रूप में श्री प्रमोद कुमार भारती का पत्र दिनांक 13-2-2013 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा श्री यशवन्त कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत समसड़ा के विरुद्ध पंचायतराज एक्ट की धारा 95(1) (छः) के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग की गयी है। अतः प्रकरण में उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम-1947 यथा संशोधित की धारा 95(1) (छः) एवं उ0प्र0 पंचायतराज (प्रधानों उप प्रधानों एवं सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अंतर्गत जिला कार्यक्रम

अधिकारी, देवरिया को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अपनी जांच आख्या पत्र संख्या-1842/दिनांक 08-03-2013 द्वारा प्रेषित की है, जिसमें उल्लेख है कि 25 लाभार्थियों के नाम का बी0पी0एल0 सूची 2002 से मिलान किया गया, जिसमें पाया गया है कि उक्त नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित नहीं है। इन्दिरा आवास आवंटित करना त्रुटिपूर्ण होने के कारण आवंटित धनराशि मु0 843750.00 रु0 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देवरिया को वापस कर दी गयी है। किसी प्रकार का गबन/दुरुपयोग नहीं हुआ है। उक्त 25 लाभार्थियों के आवास का निर्माण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी महानगर परिवहन बस सेवा के सम्बन्ध में जानकारी

168-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये महानगरीय बस सेवा का संचालन महानगरों में कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी महानगर परिवहन सेवा वाराणसी से त्रिलोचन तक संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महानगर बस सेवा वाराणसी से जलालपुर चौमुहानी तक विस्तार किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां। महानगरीय बस सेवा का संचालन कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा एवं मेरठ में किया जा रहा है।

जी हां।

जी नहीं।

क्योंकि प्रातः 03.30 बजे से रात्रि 23.30 तक प्रत्येक 10 मिनट पर निगम की ग्रामीण सेवायें जलालपुर चौमुहानी होकर संचालित की जा रही है। इसलिए महानगरीय बस सेवा को जलालपुर चौमुहानी तक बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

मिरजापुर तथा वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 माह जुलाई तक चिन्हित बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

169-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिरजापुर तथा वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 माह जुलाई तक कितने बाल श्रमिक चिन्हित किये गये है ? क्या सरकार द्वारा चिन्हित किये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मिरजापुर मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में चिन्हित बाल श्रमिकों की संख्या-29 है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 माह जुलाई 2013 तक चिन्हित बाल श्रमिकों की संख्या शून्य है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले

जनपदों में चिन्हित बाल श्रमिकों की संख्या-28 है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 माह जुलाई 2013 तक चिन्हित बाल श्रमिकों की संख्या-14 है।

योजना है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में तथा जिलाधिकारियों द्वारा बाल श्रमिक विद्यालयों में प्रवेशित कराकर शैक्षिक पुनर्वासन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिरजापुर वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के डिपो में नयी बसों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

170-श्री सुनील कुमार सिंह यादव

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा किस वर्ष तक की बसों के संचालन को प्रतिबन्धित करते हुए उन बसों को निष्प्रयोज्य किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मिरजापुर, वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों से क्षतिग्रस्त तथा पुरानी बसें अधिक दूरी पर भेजी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों के डिपो में नई बसों को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वर्ष 2002 तक की बसों को संचालन से हटा कर बेड़े से पृथक कर निष्प्रयोजय कर दिया गया है।

मिरजापुर, वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत परिवहन निगम द्वारा अधिक दूरी के मार्गों पर वहीं पुरानी बसें भेजी जाती हैं, जिनकी दशा अच्छी होती है। कोई भी क्षतिग्रस्त बस अधिक दूरी के मार्गों पर नहीं भेजी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के नेफ्रोलॉजी विभाग में गुर्दा रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति

171डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के नेफ्रोलॉजी (गुर्दा रोग) विभाग में गुर्दा रोग विशेषज्ञ नहीं नियुक्त किये गये है ? यदि हां, तो उक्त विभाग में गुर्दा रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मेडिकल कालेज गोरखपुर के मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत सृजित प्रवकता, नेफ्रोलॉजी का पद वर्तमान में रिक्त है।

जी हां।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड सिकन्दराबाद गांव अलीपुरा को काली सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में जानकारी

172-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अलीपुरा, विकास खण्ड सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर जिसकी आबादी 500 है, को काली सड़क से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

मार्च, 2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा गोधना में लंका रोड से महेवां बार्डर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

173-श्री बब्बन सिंह चौहान

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधना में (काशीपुरा नई बस्ती) लंका रोड से महेवां बार्डर तक व लंका रोड से महबूब के घर तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के दुलहीपुर में जे0पी0 हास्पिटल से बावन बिगहवा मस्जिद तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग पर पत्थर चौका का कार्य करवाये जाने की मांग

174-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुल्हीपुर में जे0पी0 हास्पिटल से बावन बिगहवा मस्जिद तक कच्चा मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पत्थर चौका का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रदेश में भारतीय रेल की भांति वरिष्ठ नागरिकों को उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की बसों में भी यात्री किराये में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी।

175-श्री सतीश महाना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में भारतीय रेल की भांति सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिकों) को उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्री किराये में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उन श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है जिनके व्यय भार की प्रतिपूर्ति शासन के संबंधित विभाग द्वारा परिवहन निगम को की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों के किराये में छूट प्रदान किए जाने हेतु प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः प्रश्नगत छूट प्रदान किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं हैं

जिला लखनऊ के ब्लाक सरोजनी नगर के ग्राम सभा शाहपुर मझगवां के निलम्बित कोटे का अनुबन्ध समाप्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जिला लखनऊ के ब्लाक सरोजनी नगर के ग्राम सभा शाहपुर मझगवां के निलम्बित कोटे का अनुबन्ध समाप्त किये जाने विषयक निवासीगण एवं मा0 विजय कुमार पासवान, विधायक के पत्र पर मा0 सभापति अनु0 जा0 जनजाति एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी समिति का संस्तुति पत्र संख्या-552, दिनांक 18-6-2013 आयुक्त, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हां।

जांचोपरान्त आरोप आंशिक सिद्ध हुए। अतः रु0 5,000/- के अर्थदण्ड एवं कठोर चेतावनी के साथ विक्रेता का अनुबन्ध बहाल कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जेलों के कम्प्यूटरीकरण एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

177-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कुल कितनी जेलों का कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा कितनी जेलों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त जेलों के कम्प्यूटरीकरण पर जेलवार व्यय की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

प्रदेश की किसी भी कारागार को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है।

वेतन आहरण एवं कार्यालयीय कार्य हेतु वर्ष 2010 में 23 कम्प्यूटर तथा मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बंदियों की अपील से सम्बन्धित विवरण के लिए वर्ष 2013 में 65 कम्प्यूटर विभिन्न कारागारों में स्थापित किये गये हैं, जिन्हें क्रय करने पर क्रमशः रु0 8.45 लाख तथा रु0 27.16 लाख की धनराशि व्यय हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम शाहवाजनगर, ब्लाक ददरौल, शाहजहांपुर में कच्चे रास्ते को पक्का करवाये जाने की मांग

178-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शहवाजनगर, ब्लाक ददरौल, शाहजहांपुर में सर्वजीत के फार्म से नहर की पुलिया तक कच्चा मार्ग होने के कारण बरसात में आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है एवं 15-15 कि0मी0 चक्कर लगाकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कच्चे रास्ते को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जिला पंचायत की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लालबत्ती/नीली बत्ती लगाने वालों की संख्या सीमित करने के सम्बन्ध में जानकारी

179-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन वी0आई0पी0 लोगों को अपनी गाड़ी पर लालबत्ती/नीली बत्ती लगाने की सुविधायें अनुमन्य है ? क्या सरकार प्रभावी नीति बनाकर लालबत्ती/नीली बत्ती लगाने वालों की संख्या को सीमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जिन वी0आई0पी0 लोगों को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती/नीली बत्ती लगाने की सुविधाएं अनुमन्य है उसकी सूचना परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 23-08-2007, दिनांक 04-07-2008, दिनांक 15-10-2008 तथा दिनांक 22-07-2010 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में पूर्व में ही लाल बत्ती/नीली बत्ती लगाने वालों की संख्या को सीमित रखा गया है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-25237/2010 लम्बित है, जिसमें मा0 न्यायालय के अन्तिम आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में गरीब मरीजों को इलाज हेतु मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

180-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के लिये मुफ्त दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एस0एन0 मेडिकल अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के लिये मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज के लिये दवाइयों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में रु0 300.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये मेडिकल कालेज, आगरा को रु0 50.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

181-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी की व्यवस्था न होने कारण मरीजों को इलाज हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी यूनिट की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रोगियों के उपचार हेतु सी0टी0 स्कैन की सुविधा वेटलीज के आधार पर प्रदान की जा रही है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रेडियो थिरेपी विभाग कार्यशील है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी रु0 3.00 करोड़ की धनराशि से एम0आर0आई0 मशीन स्थापना हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम आगरा यूनिट को प्रथम चरण हेतु रु0 1.50 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा एम0आर0आई0 मशीन हेतु रु0 7.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.21 बजे] आज की कार्यसूची के नत्थी 'क' के अतारांकित प्रश्न संख्या-179 के अपूर्ण उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी आज की कार्य सूची देख लें मेरा प्रश्न संख्या 179 है। माननीय अध्यक्ष जी आज मेरा यह सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में किन-किन वी0आई0पी0 लोगों को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नीली बत्ती लगाने की सुविधायें अनुमन्य हैं ? अब उन्होंने हमें हिमालय पर्वत पर भेज दिया। यह हिमालय पर्वत इसमें लिखा हुआ है। जिन वीआईपी लोगों को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की सुविधाएं अनुमन्य हैं उसकी सूचना परिवहन अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 23-08-2007 दिनांक 4-7-2008, दिनांक 15-10-2008 तथा दिनांक 22-7-2010 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कराया गया है। मान्यवर, हमने क्या पूछा था और उन्होंने हमें परिवहन भेज दिया हमें वहां से ले आइये यहाँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सवाल जो पूछा था जवाब तो उसका दिया नहीं और सवाल अगर उसमें सवाल का वह पार्ट बनता था तो इसमें एनेक्जर होना चाहिए था कि यह इसके अन्तर्गत दिया है और यह व्यवस्था है हमारी। मान्यवर, एनेक्जर की व्यवस्था पहले से भी चली आ रही है और मान्यवर, यह सवाल कम्पलीट नहीं है यह उत्तर कम्पलीट नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जरूर चाहता हूँ कि वह यह सूचना यह गजट बताया है यह कृपा करके हमको भिजवा दें इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, वह गजट भिजवा दीजिएगा। मैंने कह दिया वह भिजवाने को कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था हो गयी वह भेज रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न इसी पर था इसमें शासनादेश का उल्लेख है। शासनादेश अगर हमारे पास होता तो हम लोग प्रश्न क्यों करते। इसलिए इसके पहले पिछले सत्र में भी मैंने यही प्रश्न किया था और शासनादेश का उल्लेख बताया गया था। मैंने लाइब्रेरी में ढूंढा। विधान सभा पुस्तकालय ने परिवहन विभाग को 15 पत्र लिखे और एक का भी जवाब वहां नहीं आया कि वहाँ शासनादेश उपलब्ध कराया जा सके। मान्यवर, आपका हम संरक्षण चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

किस प्रश्न में है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसी प्रश्न से संबंधित है, 179 में हमारा भी है। पिछले सत्र में भी हमने प्रश्न किया था उसमें शासनादेश का उल्लेख किया गया उस शासनादेश के लिए विधान सभा पुस्तकालय हम लोग गये। 15 बार वहाँ से परिवहन विभाग को लिखा गया कि आप यह शासनादेश उपलब्ध कराइये। मान्यवर, विधान सभा पुस्तकालय को भी नहीं उपलब्ध कराया गया इतना कोई गोपनीय यह शासनादेश है नहीं हम सब लोग जानते हैं और यह विषय भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रतिदिन कभी न कभी आपके ट्रांसपोर्ट में नीली लाल बत्ती और यह नेताओं में ही ज्यादा लगता है अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं जो अधिकृत नहीं हें उनको कोई नहीं बोलता। प्रतिदिन नेताओं पर आरोप लगते है कि लाल बत्ती लेकर घूम रहे हैं लाल बत्ती लेकर घूम रहे हैं। मान्यवर, अधिकारी, अधिकारी के बच्चे सब लोग घूमते हैं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए शासनादेश हम लोग चाहेंगे कि हमको उपलब्ध करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शासनादेश आपको मिल जायेगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर प्रश्न उठाया कि इस शासनादेश की अनुपलब्धता है। इसकी उपलब्धता के लिए लाइब्रेरी में गये लाइब्रेरी आपके सचिवालय का भाग है लाइब्रेरी ने परिवहन विभाग को 15 बार पत्र लिखा और परिवहन विभाग ने आपके सचिवालय को भी उत्तर नहीं दिया तो परिवहन विभाग की ढ़ीठता के लिए तो कुछ निर्देश दे आप पीठ से कि आखिर उसकी इतनी ढ़ीठता कैसे है कि आपका सचिवालय 15 बार पत्र लिख रहा है और वह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

बाल विकास पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट ने भी इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से इस बात की जानकारी चाही है कि यह लाल बत्ती नीली बत्ती का क्या प्राविधान है कैसे इस पर अनाधिकृत

लोगों से रोक लगाई जा सकती है माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक उप समिति का गठन किया है इसी बातों पर वह विचार कर रही है। इसलिये जी0ओ0 की बात जो माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह जी0ओ0 अभी नहीं जा रहा है। जब उप समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट हो जायेगी तो जो नया जी0ओ0 होगा, वह लाइब्रेरी में सब्मिट कर दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह मान्यवर, एक विशेषाधिकार का प्रश्न और बनता है। माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में कहना चाहता हूँ कि अगर यह स्थिति थी तो इस सवाल के जवाब में यह बात आनी चाहिये थी, यह तो मान्यवर, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री के द्वारा एक जवाब दिया गया ओर विभागीय मंत्री द्वारा उसका उल्लेख नहीं किया गया तो यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो प्रश्न उठाया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह गुमराह करने वाला जवाब है जो माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में और बन गया है। हम आपको विशेषाधिकार हनन की सूचना लिखित रूप से दे देंगे। आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दीजिये न, तब विचार होगा।

[12.28 बजे,] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-09-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 111 सूचनायें प्राप्त हुई और समस्त माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई।

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह

2-श्री सुरेश बंसल

3-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी

4-श्री गेंदालाल चौधरी

5-श्री प्रमोद तिवारी

6-श्री अभय नारायन सिंह पटेल

7-श्री रामचन्द्र चौधरी

8-श्री सतीश महाना

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

10-श्री विजय बहादुर यादव

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
12-श्री सलिल विश्नोई
13-श्री मुकुट बिहारी वर्मा
14-श्री अगयश राम सरन वर्मा
15-श्री सुरेश कुमार खन्ना
16-श्री जगन प्रसाद गर्ग
17-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
18-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
19-श्री उपेन्द्र तिवारी
20-श्रीमती सीमा
21-श्री धर्मपाल सिंह
22-श्री संजय कपूर
23-श्री प्रदीप चौधरी
24-श्री अजय कुमार 'लल्लू'
25-श्री संजय प्रताप जायसवाल
26-श्रीमती रूबी प्रसाद
27-श्री सुल्तान बेग
28-श्री सिनोद कुमार शाक्य
29-श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह
30-श्री राजबली जैसल
31-श्री बेचई सरोज
32-श्री सुधीर कुमार
33-श्री आदिल शेख
34-श्री वीरपाल राठी
35-श्री रामलाल अकेला
36-श्री त्रिलोकी राम
37-श्री भगवती प्रसाद
38-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
39-श्री तेजपाल सिंह
40-श्री दलवीर सिंह

41-श्री सुदेश शर्मा
42-श्री गयाचरण दिनकर
43-श्री फेरनलाल
44-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
45-श्री सुनील कुमार लाला
46-श्री विनय तिवारी
47-श्री अजय मिश्र 'टेनी'
48-श्री विजय कुमार पासवान
49-श्री नदीम जावेद
50-डा0 धर्म सिंह सैनी
51-श्री जगपाल सिंह
52-श्रीमती रजनी तिवारी
53-श्री ओम कुमार
54-श्री काली चरन सुमन
55-श्री बब्बन सिंह चौहान
56-श्री छोटेलाल वर्मा
57-श्री सन्तराम कुशवाहा
58-श्री रोमी साहनी
59-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
60-श्री दीपक पटेल
61-श्री राकेश बाबू
62-श्री मुकेश श्रीवास्तव
63-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
64-श्री सन्त प्रसाद
65-श्री अमर पाल शर्मा
66-श्री अब्दुल मशहूद खां
67-श्री रविदास मेहरोत्रा
68-डा0 धर्मपाल सिंह
69-साध्वी निरंजन ज्योति
70-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

71-श्रीमती चन्द्रा रावत

72-श्री राम मगन रावत

73-श्री केशव प्रसाद मौर्य

74-श्री आशीष कुमार यादव

75-श्री राम सरन

76-श्री अलगू प्रसाद चौहान

77-श्री राधेलाल रावत

(2 सूचनाएं)

78-श्री प्रदीप माथुर

79-श्री ललितेशपति त्रिपाठी

80-श्री जियाउद्दीन रिजवी

81-श्री मो0 इरफान

82-श्री आरिफ अनवर हाशमी

83-श्री भीम प्रसाद सोनकर

84-श्री सुशील सिंह

85-श्री राम चन्द्र यादव

86-श्री राम सिंह

87-श्री रणजीत सुमन/
श्री अमित गौरव यादव

88-डा0 अरूण कुमार

89-श्री जय प्रकाश अंचल

90-श्री दया शंकर वर्मा

91-डा0 पूर्णमासी देहाती

92-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द

93-श्री रामहेत भारती

94-श्री बाला प्रसाद अवस्थी

95-श्री जय प्रकाश निषाद

96-श्री उमेश पाण्डेय

97-श्री राज नारायण बुधौलिया

98-श्री राजेश त्रिपाठी

99-श्री रोशन लाल वर्मा
100-श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा
101-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
102-श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेई
103-सुश्री सावित्री बाई फुले
104-श्री रामवीर उपाध्याय
105-श्री गोरख पासवान
106-श्री मदन चौहान
107-श्री राधेश्याम जायसवाल
108-श्री शारदा प्रसाद शुक्ल
109-श्री अनीसुर्रहमान
110-श्री राजेश अग्रवाल तथा
111-श्री सुभाष पासी।

इलाहाबाद नगर निगम द्वारा स्थाई सफाई कर्मियों की संख्या हेल्थ मैनुअल के अनुसार बढ़ाने तथा ए0डब्ल्यू0पी0 के करार को निरस्त कराकर स्वयं व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

इलाहाबाद में नगर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। मुख्य सड़कों व प्रमुख इमारतों व ऐतिहासिक भवनों, संस्थानों के सामने कूड़े के भारी ढेर तथा नालियां गंदगियों से बजबजा रही है। मुहल्ले, गलियों की स्थिति तो अत्यन्त ही नारकीय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उ0प्र0 महालेखाकार, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, प्रमुख अस्पतालों के सामने गंदगी का साम्राज्य है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों लोग आते-जाते हैं। उनमें इलाहाबाद की सफाई व्यवस्था के प्रति बहुत ही गलत धारणा होती है। आसपास के लोगों में बीमारी फैल रही है। विगत दिनों बाढ़ से प्रभावित मुहल्ले अभी भी गंदगी-बदबू से निजात नहीं पा सके हैं।

महानगर की सफाई व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत ए0डब्ल्यू0पी0 कंपनी को दी गई है। करोड़ों रुपये के साथ लोडर, डंपर, जे0सी0बी0 मशीनें आदि देने के बाद भी यह बुरी तरह विफल हैं। शर्तों के अनुसार कम्पोस्ट खाद और विद्युत उत्पादन बहुत दूर की कौड़ी है। स्थायी सफाई मजदूरों की संख्या सेवानिवृत्त होने के कारण प्रतिदिन घटती जा रही है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर इलाहाबाद नगर निगम द्वारा स्थायी सफाई कर्मियों की संख्या हेल्थ मैनुअल के अनुसार बढ़ाने तथा ए0डब्ल्यू0पी0 के करार को निरस्त कराकर स्वयं सफाई व्यवस्था अविलम्ब कराने की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के राकेश मार्ग जो जी0टी0 रोड से शनि मन्दिर तक क्षतिग्रस्त है की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत राकेश मार्ग जो जी0टी0 रोड से शनि मन्दिर तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग मुख्य बाजार से जाता है, जिससे वहाँ के हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। मुख्य बाजार की मुख्य सड़क खराब होने से वहाँ की जनता में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में इस क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग की मरम्मत/बनवाये जाने का अनुरोध करता हूँ।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।,

जनपद बस्ती में एन0एच0-28 स्थित क्षतिग्रस्त दुबखरा से रानीपुर बेलाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद बस्ती की नगर पालिका परिषद में सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण हमेशा जलभराव की स्थिति बनी रहती है। जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियां एवं दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। उक्त क्षेत्र में कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु सीवर व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त गंभीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद हाथरस के सासनी ब्लाक में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के विगत सत्र के दौरान सदन का ध्यान आकृष्ट करने के उपरान्त सासनी ब्लाक स्थित ग्राम टोडरपुर से कटैलियन मार्ग (800 मीटर) का इस्टीमेंट शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है किन्तु निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सम्पर्क मार्ग सहित अन्य प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने की मांग करता हूँ ताकि हजारों लोग को प्रतिदिन आवाजाही में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर के मध्य प्रवाहित होने वाली सई नदी के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, सई नदी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों से होकर प्रवाहित होती है। इस सई नदी का पानी जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में लाखों लोगों द्वारा पेयजल के लिये उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों/मिलों आदि का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराया जाता है जिसके कारण सई नदी का पानी जहरीला एवं लाल हो गया है जो मनुष्यों तो क्या पशु पक्षियों के लिये भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी के तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केन्द्र घुइसरनाथ धाम तथा बेल्हा देवी एवं बेलखरनाथ धाम सहित कई पवित्र मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग दर्शन हेतु आते रहते है। सई नदी के दोनों तरफ जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल) काफी नीचे चले जाने के कारण उसके किनारे बसे हुये लोग मजबूर होकर सई नदी का दूषित पानी पीने के लिये विवश है। चूँकि कई उद्योगों एवं मिलों का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराने से प्रदूषित हो गये सई नदी के पानी को पीने के कारण लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे है, तथा कभी-कभी सई नदी का जहरीला पानी पीने के कारण लोगों की असामयिक मौत भी हो जाया करती है। विवशता के कारण सई नदी का जहरीला पानी पीने वाले लोग या तो भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं या फिर शुद्ध पेयजल के अभाव में प्यास से तड़प रहे हैं। सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण बहुत से जानवर रोगों के शिकार हो जाते है तथा बहुत से जानवरों एवं पशु पक्षियों तथा बंदरों आदि की मौत मात्र सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है तथा नदी का प्रदूषित जल होने के कारण नदी में रहने वाली मछलियाँ प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मर जाती है। इसके साथ ही साथ सई नदी के तट पर स्थित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त पवित्र मंदिर घुइसरनाथ धाम एवं बेल्हा देवी तथा बेलखरनाथ धाम के मंदिरों में आने वाले लोगों की आस्था को भी चोट पहुँच रही है। इससे लोगों में रोष तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी की बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में छः विद्युत सब-स्टेशन रौनापार, लाटघाट, जियनपुर, अमुवारी नरायनपुर, मऊ कुतुबपुर तथा मालटारी लगे हुए हैं। इन सब स्टेशनों द्वारा 24 घण्टों में मात्र छः घण्टे ही विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा विद्युत आपूर्ति को लेकर काफी जनाक्रोश होने के कारण कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में स्थापित ऊपर उल्लिखित सभी सब-स्टेशनों से दो शिफ्ट में छः-छः घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु व्यवस्था कराने का कष्ट करें।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के अन्तर्गत दोस्तपुर से डेवाढ़ तक अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत दोस्तपुर कस्बे से डेवाढ़ तक सड़क का निर्माण बसपा शासनकाल से बनना प्रारम्भ हुआ था। सड़क को खोदकर गड्ढा कर दिया गया है। उक्त सड़क आज तक अधूरे पड़े हुए है। जिससे क्षेत्र की जनता को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उपरोक्त सड़क अकबरपुर अम्बेडकरनगर से शुरू की गयी है जिसे चाँदा तक बनना था। यह आज भी सड़क नहीं बनाया गया है। उक्त सड़क अकबरपुर से इलाहाबाद तक जाती है। सड़क खराब होने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित है। जनहित की समस्या को देखते हुए उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के लिए क्षेत्र की जनता बार-बार मांग करती है। यह लोक महत्व का है और अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को संदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़क के निर्माण कार्य का कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

कानपुर महानगर के बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुये मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, वर्तमान बारिश के मौसम में कानपुर महानगर की अधिकांश मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। सड़कों पर चलने के लिए आम आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है जिसके कारण आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यशोदा नगर, गोपाल नगर के मुख्य मार्ग जो

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनी गंगापुर, स्वर्ण जयंती विहार इत्यादि कालोनियों के तरफ जाते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मुख्य मार्गों का निर्माण प्राथमिकता पर होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि यशोदा नगर बाई पास स्थित प्रताप होटल से यशोदा नगर जाने वाला मुख्य मार्ग एवं आरा मशीन मोड़ से सैनिक चौराहा जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इनको बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के जलभराव वाले क्षेत्रों में सी0सी0 रोड बनाये जाने पर शासनादेश द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, जल जमाव, डामरीकृत (पिच) की सड़कों की वैज्ञानिक/तकनीकि आधार पर दुश्मन होती है और किन्हीं भी ऐसे स्थानों पर जहां वर्षा के बाद जल जमाव होता है, वहां यदि डामरीकृत सड़कें बनाई जाती हैं तो बरसात के बाद ऐसी सड़कें या तो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं या बुरी तरह टूट जाती हैं और उन्हें फिर से बनाया जाना पड़ता है। बार-बार ऐसी सड़क के बनाये जाने/लेपन करने से उससे शासन को होने वाली आर्थिक क्षति का सहज से अन्दाजा लगाया जा सकता है।

प्रदेश के उन महानगरों में जहां जलजमाव की स्थिति बहुत भीषण होती है, स्वाभाविक रूप से डामरीकृत सड़कें नहीं बनायी जानी चाहिये। गोरखपुर महानगर को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जहां महानगर की आधी से अधिक सड़कों पर वर्षा के बाद या बिना वर्षा के ही जलजमाव लेता है और हर साल डामरीकृत सड़कें (या ऐसी इन्टरलाकिंग ब्रिक्स की सड़के जिनके नीचे सिर्फ बालू बिछा दिया जाता है) पूरी तरह टूट जाती है। यह एक स्थामि0 वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसे महानगरों में डामरीकृत सड़कों के स्थान पर सी0सी0 रोड ही बनाई जानी चाहिये।

लेकिन नगर विकास विभाग के अवैज्ञानिक तथा अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण नगर निगम चाह कर भी सी0सी0 रोड का निर्माण नहीं करा पा रहा है। शासनादेश संख्या 2887/नौ-5-2013-130 बजट/2013 के द्वारा दिनांक 7 जून, 2013 पूर्व में सी0सी0 रोड बनाये जाने वाले प्रतिबन्ध विषय 3 शासनादेशों को एक प्रतिबन्ध समाप्त करने वाले शासनादेश संख्या 1043/नौ-9-09-2-269ज/2005, दिनांक 1 जून, 2009 को अवक्रमित करके नगर निगमों को पुनः आदेशित किया गया है कि वे महानगरों में नगरीय सड़क सुधार योजना या अन्य समस्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि से डामरीकृत सड़कें ही बनवायी जायं।

जलजमाव वाले महानगरों में उपरोक्त शासनादेश स्पष्ट रूप से विकास विरोधी तथा अवैज्ञानिक है। उपरोक्त शासनादेश को दिनांक 7 जून, 2013 को जलजमाव वाले महानगरों के सन्दर्भ में यथा-परिवर्तित करके उन्हें सी0सी0 रोड बनाने की अनुमति देना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत सरकार को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित बुद्ध विहार की मानकों के विपरीत बनी सड़कों की जांच कराकर समस्या का निदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय,

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित बुद्ध विहार पार्ट-ए0, बी0 व पार्ट-सी0 पूर्ण रूप से विकसित करके स्मार्ट बनाकर कालोनी को बसाया गया। लेकिन इन कालोनियों में बनाई गई सड़कें मानक के अनुसार उच्चीकृत करके नहीं बनाई व विभाग के द्वारा जो टंकिया बनाई गई वह भी घटिया निर्माण की शिकार हो गई। पूरा बुद्ध विहार कालोनी में आज भी जलमग्न है। सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। विकास प्राधिकरण द्वारा लोग ठगा महसूस कर रहे है। जिससे वहां के रहने वाले नागरिकों को जल जमाव के वजह से जल जनित बीमारियों भी हो रही है। इस जल जमाव की वजह से यहां के निवासियों में काफी आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रकरण जांच कराकर समस्या का निदान किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर की बाहरी बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय,

मेरठ महानगर की बाहरी बस्तियों में जैसे भोला रोड, रोहटा रोड, कंकरखेड़ा, रूड़की रोड के आसपास गरीब बस्तियों की बहुतायात है। इन बस्तियों में अधिकतर मजदूरी करने वाले गरीब लोग निवास करते हैं। इन बस्तियों में विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युतीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे बिल्डरों द्वारा 20, 30, 50 गज तक के भूखण्डों में मकान बनाकर रह रहे हैं। बिल्डरों द्वारा विद्युतीकरण नहीं कराया गया। बिजली के खम्भों की जगह बांस-बल्ली लगाकर विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं और विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन देने भी बंद कर दिये गये हैं जिसके कारण गरीब व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ना-लिखना भी मुश्किल हो गया है। उपरोक्त क्षेत्र में तत्काल विद्युतीकरण कराया जाना चाहिये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई-

[महोदय,

कानपुर महानगर में वर्तमान समय में पीने के पानी का भयंकर संकट है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत नये बनाये गये दर्जनों ओवरहेड वाटर टैंक बनकर तो तैयार हैं

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन उनका मेन कनेक्शन गंगा बैराज से न हो पाने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ मोहल्ले जैसे हरवंस मुहाल, दानाखोरी, कलेक्टर गंज, लक्ष्मीपुरवा व जनरलगंज आदि तो एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। बेनाझावर पम्पिंग स्टेशन से जो पानी की सप्लाई की जाती है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि पाइप लाइनों में भरी हुई गंदगी की ही सफाई नहीं हो पाती जिसके कारण जो पानी उपलब्ध होता है वह एकदम काला और बदबूदार होता है जिसके कारण तमाम बीमारियां कानपुर में फैल रही हैं। रोज सैकड़ों लोग अस्पतालों में लाइन लगाये खड़े हैं। पीने के पानी का संकट निरन्तर गहरा रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

पेयजल के गम्भीर संकट से जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। आये दिन स्थानीय नागरिक पेयजल आपूर्ति हेतु सड़कों पर आन्दोलनरत हैं। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के प्रमुख मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों का निर्माण न होने के कारण आवागमन प्रभावित है। मार्गों में बड़े-बड़े गड्ढ़े होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जरवल रोड से बहराइच तक की रोड, कैसरगंज से हुजूरपुर रोड तथा फखरपुर से जगतापुर रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। बार-बार शासन एव प्रशासन को अवगत कराने तथा पत्र लिखने बावजूद कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त मार्गों के शीघ्र निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत वीरांगना अवन्ती बाई जिला पंचायत इण्टर कालेज में व्याप्त अव्यवस्था का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत वीरांगना अवन्ती बाई जिला पंचायत बालिका इण्टर कालेज के अन्तर्गत 1999 में जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा प्रस्तावित किये जाने के क्रम में स्थापित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के द्वारा हाईस्कूल की मान्यता पत्रांक मा0शि0प0/मान्यता/व/2179-84 दिनांक 11 नवम्बर, 1998 प्रदत्त है। तदक्रम में निर्धारित मानदेय पर चयन समिति की संस्तुति दिनांक 09 जुलाई, 1999 के अनुसार 14 शिक्षिकाओं, 02 लिपिकों एवं

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी। वर्ष 2000-01 में चार अन्य शिक्षिकाओं, एक विज्ञान शिक्षिका एवं एक चौकीदार की सीधे नियुक्ति अंशकालिक/निर्धारित मानदेय पर स्थानापन्न रूप में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत/प्रबन्धक द्वारा दी गयी। 06 शिक्षिकाओं को निष्कासित भी किया गया। वर्ष 2005-06 में श्रीमती गीता देवी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि करके पुनः स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त करना भी अवैध है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत कक्षा 06-12 तक विज्ञान वर्ग की मान्यता के क्रम में 09 शिक्षिकाओं 03 लिपिकों तथा 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंशकालिक मानदेय पर नियुक्ति की गयी। वर्ष 2012 के अविश्वास प्रस्ताव के उपरान्त नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत पीलीभीत श्रीमती रूकैय्या बेगम के निर्देशानुसार दिनांक 10 जुलाई, 2013 को एक प्रेस विज्ञप्ति अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पीलीभीत द्वारा निर्गत की गयी जिसके द्वारा शिक्षणेत्तर एवं सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रकाशित की गयी है। तद्नुसार 20 जुलाई, 2013 को नियुक्तियां भी कर ली गयी तथा पूर्व नियुक्त 08 शिक्षिकाओं को निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार जो भी अध्यक्ष निर्वाचित होता रहा है शिक्षिकाओं का निष्कासन एवं नयी नियुक्तियां अपने निकटतम अभ्यर्थियों की अवैध ढंग से करता है। उक्त विद्यालय राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण व्यवस्थित शिक्षण कार्य करने में असफल है। श्रीमती रूकैय्या बेगम निष्कासित 8 शिक्षिकाओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त लेना तो चर्चित है परन्तु उनसे शिक्षण कार्य नहीं लिया जा रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान कराये जाने की कृपा की जाये साथ ही साथ संबंधित विषय पर कार्यवाही करने की भी मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर में विसरात घाट (हनुमन्त धाम) व रेती रोड के मध्य एप्रोच रोड सहित एक छोटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर,

शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट (हनुमन्त धाम) को रेती रोड से एक छोटा सा पुल बनाकर जोड़ने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। शहर की 1/4 आबादी हथौड़ा चाराहे से पुत्तूलाल चौराहे तक जो रेती रोड बोली जाती है के पूरब में बसती है परन्तु शहर के मध्य से रेती रोड तक का कोई सम्पर्क मार्ग न होने से आवागमन में समय भी ज्यादा लगता है और ट्रान्सपोर्ट कास्ट भी ज्यादा पड़ती है। जनहित में विसरात घाट को जोड़ने वाला रेती रोड तक एक छोटा पुल एप्रोच मार्ग सहित बनना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे आवागमन में सुविधा होगी। यह रेती रोड पी0डब्ल्यू0डी0 की है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रेती रोड से विसरात घाट तक एप्रोच रोड सहित एक छोटे पुल का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 से करवा दें।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा की शालीमार कालोनी से लेकर कर्मयोगी कालोनी फुव्वारा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से आगरा की शालीमार कालोनी से लेकर कर्मयोगी कालोनी फुव्वारा तक गड्ढा युक्त सड़क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा में शालीमार कालोनी से लेकर कर्मयोगी फुव्वारा तक की सड़क विगत 5 वर्षों में बहुत ही जर्जर व गड्ढा युक्त हो गयी है। यहां जनता का पैदल, साइकिल व स्कूटर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इस कारण यहां की जनता में बहुत रोष है। जनहित में इस सड़क का नालियों सहित बनना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से सड़क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेंटर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

जनपद बुलन्दशहर का सिकन्दराबाद नगर तहसील मुख्यालय है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 पर स्थित होने तथा साथ-साथ एक औद्योगिक नगरी है। यहां पर मात्र एक संयुक्त चिकित्सालय है लेकिन उसमें चिकित्सा सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। यहां पर एक्स-रे की सुविधा है लेकिन रेडियोलोजिस्ट नहीं है, आर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा नहीं है, मात्र एक महिला डाक्टर है। 25 बैड पर मात्र एक स्थाई नर्स है। एम्बूलेन्स की सुविधा नहीं है। पैथोलोजी की सुविधा नहीं है नेशनल हाइ-वे या औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना होने पर गम्भीर स्थिति में मरीज को बचाने के लिये अस्पताल में आपातकालीन सुविधायें नहीं है केवल देखने की औपचारिकता पूरी करने के बाद मरीज को आस-पास के बड़े प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण बचाना मुश्किल हो जाता है। उच्च चिकित्सालय न होने के कारण नगर व उसके आस-पास के लाखों क्षेत्रवासियों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है जहां उनका आर्थिक रूप से शोषण होता है। प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यहां एक उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर की अत्यन्त आवश्यकता है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण हेतु 200 हैण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय,

कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या व्याप्त है तथा क्षेत्रीय जनता को पेयजल हेतु कई किमी0 दूर से पानी लाना पड़ता है। कई क्षेत्रों में तो जल निगम की जलापूर्ति लाइनें भी नहीं हैं और जहां हैं भी वह क्षतिग्रस्त हैं तथा 95 प्रतिशत हैण्डपम्प के सूखने एवं ठूंठ खड़े होने के कारण क्षेत्र की जनता को गम्भीर पेयजल संकट में गुजरना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर भीषण रोष व्याप्त है। आये दिन स्थानीय नागरिक शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं तथा जनप्रतिनिधियों से भी अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। परन्तु प्रशासन की अनदेखी से पेयजल आज वहां पर एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर चुका है। ऐसी स्थिति में विधान सभा क्षेत्र कैण्ट, कानपुर नगर में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुये कम से कम 200 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन तत्काल कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कम से कम 200 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[बलिया व गाजीपुर जनपद में आई भीषण बाढ़ व कटान से सैकड़ों गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। शेरपुर सेमरा, धर्मपुरा, फिरोजपुर, नरदरा, भुसउला, जगदीशपुर, प्रसादछपरा, श्रीनगर, चौबेछपरा, रिकनीछपरा कोट आदि गांवों का अस्तित्व कटान के कारण पूरी तरह मिट गया है। उसी प्रकार शाहपुर बभनौली, इच्छा चौबे के पुरा, कोट अजोरपुर मझरिया इब्राहिमाबाद नौबरार, जयप्रकाश नगर गडेरिया, बहुआरा, नौरंगा, गोपालपुर आदि गांवों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि को काट कर इन गांवों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिये गंगा नदी व्याकुल हो रही है। बलिया-बैरिया राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-31 पर मझौवा से लेकर रामगढ़ तक सड़क के किनारे गंगा नदी टकरा रही हैं। जो कभी भी राज्य मार्ग को तोड़कर घाघरा में मिल सकती हैं। कटान रोकने के नाम पर शासन द्वारा निर्गत अब तक अरबों रुपये की धनराशि का केवल बन्दर बाट किया गया है। कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुये है। उसी प्रकार बाढ़ राहत के मद में आई धनराशि भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गयी। बाढ़ पीड़ितों को समय से प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई। मिली भी तो आधा अधूरा व मानक एवं गुणवत्ता के विपरीत केवल कागजी खाना पूर्ति की गई।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सरकार से मांग है कि बलिया जनपद के कटान से प्रभावित गांवों के पीड़ितों को पक्की मकान बनाकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाय, कटान के कगार पर खड़े गांवों व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 की सुरक्षा सागरपाली, बैरिया, बन्धा की सुरक्षा की दीर्घकालीक रणनीति बनाते हुये बार-बार के कटान से निजात दिलाने हेतु उजियार घाट से लेकर माझी घाट तक गंगा के किनारे पक्के घाट का निर्माण कराया जाय। कटान व बाढ़ राहत के मद में शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में हुई भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय एवं विशेष रूप से बलिया व गाजीपुर जनपद को बाढ़ ग्रस्त घोषित करते हुये कटान व बाढ़ से प्रभावित हुये फसली सब्जी किसानों, गरीबों एवं लगी फसल के नुकसान का सभी लोगों को मुआवजा दी जाय एवम उनकी ऋण माफी प्रदान की जाय।

यह विषय लोकमहत्व का है। अतः आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सई नदी हरिपुर से बसरही तथा मधुपुर होते हुये मुगरा बादशाहपुर तक का सम्पर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है तथा यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा कई लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जिसकी वजह से जनता में बड़ा आक्रोश है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बरेली के ग्राम लच्छिमपुर मजरा की एस0डी0एम0 द्वारा निरस्त सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पूर्व की भांति लच्छिमपुर में ही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह

[मान्यवर,

126, आंवला विधान सभा जनपद बरेली के ग्राम लच्छिमपुर मजरा रामनगर में विगत लगभग 30 वर्षों से राशन विक्रेता (कोटा डीलर) की दुकान चली आ रही थी। गांव वालों ने वितरण ठीक न होने की शिकायत की तो तत्कालीन एस0डी0एम0 आंवला श्री आर0एन0 पाण्डेय ने दुकान निरस्त कर दी।

ग्राम लच्छिमपुर में ग्राम रसूलपुर के लोग राशन व अन्य सामान लेने लच्छिमपुर ही जाते थे। दोनों गांव वालों ने मिलकर नये प्रस्ताव की मांग की तो तत्कालीन एस0डी0एम0 ने प्रस्ताव लच्छिमपुर में न कराकर ग्राम रामनगर में कराया जो कि गलत है और गांव वालों को सूचना भी नहीं कराई।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम रामनगर लगभग 5 हजार की आबादी का गांव है और इसमें पहले से ही दो कोटेदार (राशन विक्रेता) निश्चित हैं। तत्कालीन एस0डी0एम0 ने नियमों के विरुद्ध लच्छिमपुर कोटे के प्रस्ताव रामनगर के व्यक्ति के ही नाम कर दिया। जो ग्राम लच्छिमपुर का मतदाता भी नहीं है। दोनों ग्रामों की मतदाता सूची अलग-अलग है।

अतः आवश्यक हो गया है कि ग्राम लच्छिमपुर की सस्ता गल्ला विक्रेता दुकान पूर्व की भांति लच्छिमपुर में ही करायी जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टैण्ड के निर्माण की ओर करना चाहता हूं। यह तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित है तथा उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर है तथा यह मार्ग उत्तराखण्ड के नैनीताल जाने वाला मुख्य मार्ग पर है। यहां पर रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा यहां पर बस स्टैण्ड न होने की वजह से यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकतर जाम लगा रहता है जिस वजह से अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं। बिलासपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है तथा रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के लिये क्षेत्रीय जनता द्वारा रोज धरना-प्रदर्शन किये जा रहे हैं जिससे जनता में काफी रोष नाराजगी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय,

अगवत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह यमुना नदी से सटा क्षेत्र है। इस वर्ष यमुना नदी में अत्यधिक बाढ़ आई। क्षेत्र का सटा हिस्सा बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। क्षेत्रवासियों को बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। ग्राम शकरपुर साकरोर मार्ग पर पुल, ग्राम सौराजपुर मार्ग पर पुल व लखनौती दौलतपुर मार्ग पर पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये है। मैं सदन

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के माध्यम से जानना चाहता हूं कि उक्त पुलों का पुनर्निर्माण कब तक हो जायेगा जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के बाढ़ पीड़ित किसानों का पुनर्वास किये जाने एवं मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर,

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत अवस्थित गांव नदी के कटान से प्रभावित है। यहां के लोग बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिये दशकों से बन्धे एवं नहर के पटरियों पर बसे हुये हैं तथा किसी प्रकार से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन एवं शासन द्वारा उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं लाने के कारण, लोग इसी दशा में अपना जीवन-यापन गुजारने को मजबूर हैं। नदी द्वारा प्रतिवर्ष कटान करने तथा नदी में बाढ़ आने के कारण विभिन्न गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है तथा उनकी हजारों एकड़ कृषि भूमि नदी में विलीन हो गयी है, जिसका उन्हें समुचित मुआवजा प्रदान किया जाना अति-आवश्यक है। लोग भूखमरी के कगार पर हैं। इस क्षेत्र के सेवरही विकास खण्ड अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामसभाओं-1. पिपराघाट एहतमाली, 2. पिपराघाट मुस्तकील, 3. परसा उर्फ सिरसिया, 4. जंगली पट्टी, 5. बिरवट कोन्हवलिया, 6. जवहीदयाल, 7. बाघाचौर, 8. नोनियापट्टी, 9. अहिरौलीदान एवं दुदही विकास खण्ड के 10. अमवां खास (बरवापट्टी) के किसानों की भूमि का कटान होने तथा उनकी फसल बाढ़ में बह जाने के कारण उनकी खेत एवं फसल का मुआवजा प्रदान किया जाना तथा इनके द्वारा खेतों पर लिये गये क्रेडिट कार्ड को माफ किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर,

देश की बढ़ती आबादी के साथ-साथ आम जनजीवन में विद्युत की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विद्युत आपूर्ति के सुचारू संचालन हेतु विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र, रूधौली के ग्राम-असनहरा बड़ी बाजार होने के साथ-साथ एक घनी आबादी वाली बस्ती है। असनहरा बाजार के आसपास तीन विद्युत सब-स्टेशन

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रमशः 1. भानपुर, 2. डुमरियागंज एवं 3. रूधौली स्थापित हैं वर्तमान में असनहरा बाजार की विद्युत आपूर्ति भानपुर उपकेन्द्र से की जा रही है। तीनों विद्युत उपकेन्द्रों से असनहरा बाजार से प्रत्येक विद्युत लाइन की दूरी 100 कि0मी0 है। तीनों विद्युत उपकेन्द्रों के मध्य क्षेत्र में होने के कारण विद्युत आपूर्ति में लो-वोल्टेज की समस्या तथा ब्रेकडाउन एवं फाल्ट के कारण अक्सर विद्युत बाधित होती है जिससे असनहरा बाजार के आस-पास के गांव के लोगों को असुविधा होती है। विद्युत उपकेन्द्र दूर होने के कारण क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिये यदि उक्त ग्राम असनहरा या आस-पास के गांवों में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कर दिया जाय तो ऊपर लिखित समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जायेगी। प्रकरण महत्वपूर्ण एवं जनहित का है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी की डाला से मारकुंडी तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

[मान्यवर,

जनपद सोनभद्र में स्थित मेरा दुद्धी विधान सभा जो कि एक गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खनिज सम्पदा की बहुलता होने के कारण यह गाजियाबाद के बाद दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। यहां डाला से लेकर मारकुण्डी तक की मुख्य सड़क की हालत अत्यन्त खराब है, जिसकी तत्काल मरम्मत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण मुख्य सड़क पर कई प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल, इण्टर कालेज एवं महाविद्यालय स्थापित हैं। जिनमें पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल/विद्यालय आने-जाने में असुविधा होती है। इस क्षेत्र के लोगों को गम्भीर रोगियों को लेकर इमरजेन्सी में हास्पिटल जाने तथा खराब सड़क के कारण इस क्षेत्र में आये दिन दुर्घटनाएं होने के कारण उक्त सड़क लम्बाई लगभग 15 कि0मी0 का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज-शाही शेरगढ़ बहेड़ी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुल्तान बेग-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज पश्चिमी (भिटौरा) से शाही शेरगढ़ बहेड़ी मार्ग जो अत्यन्त जीर्ण अवस्था में है जिस पर आवागमन पूर्णतया अवरूद्ध है। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस मार्ग से जनपद बरेली की 5 चीनी मिलों जे0के0

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी मिल मीरगंज, केशर चीनी मिल बहेड़ी, सेमीखेड़ा सहकारी चीनी मिल बरेली, ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज और द्वारकेश चीनी मिल फरीदपुर को गन्ना केन्द्रों द्वारा अथवा क्षेत्रीय कृषकों द्वारा अपने निजी वाहनों के माध्यम से गन्ना आपूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कारणवश क्षेत्रीय कृषकों में आक्रोश है। साथ ही इसी मार्ग पर बसों, टैम्पों आदि का परिचालन भी पूर्णतया अवरुद्ध है जिससे क्षेत्रीय जनता को जिला मुख्यालय, अथवा तहसील मुख्यालय तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण, उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकण कराना नितान्त आवश्यक है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अति विलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पद सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट-भट्ठे के लाइसेंस निर्गतीकरण में पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार शाक्य-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्ठे का लाईसेंस जिला पंचायत द्वारा निर्गत होने वाले नवीन लाईसेन्स व लाईसेन्स नवीनीकरण की शुल्क कितनी होनी चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क प्रथम बार लिये जाने वाले शुल्क से कम नहीं होना चाहिए। जिसे पंचायती राज विभाग द्वारा नियमों एवं उप नियमों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूँ कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्ठे का लाईसेन्स जिला पंचायत द्वारा निर्गत होने वाले नवीन लाईसेन्स व लाईसेन्स नवीनीकरण की शुल्क तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियमों एवं उप नियमों में कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

पत्रकारिता जगत में कार्य करने वालों को कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

[महोदय,

अवगत कराना है कि आज की विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता का कार्य किया जाना कितना दुरूह कार्य हो गया है। पत्रकार समाज के दर्पण के साथ-साथ देश का चौथा स्तम्भ माना जाता है। देश में कानूनी तौर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका को आजादी के बाद सभी प्रकार की मान्यताएं एवं सुविधाएं मिली किन्तु देश का चौथा स्तम्भ कहा जाने वाला पत्रकारिता को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित रखा गया। पत्रकारिता जगत में कार्य करने वालों को भी सभी प्रकार की सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूँ कि देश के चौथे स्तम्भ को भी सामाजिक आर्थिक मजबूती प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत सिरहिर अनुसूचित जाति बस्ती से सलैया यादव बस्ती तक 03 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोरांव जनपद-इलाहाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड मेजा में सिरहिर अनुसूचित जाति बस्ती से सलैया यादव बस्ती होते हुए लाल तारा, पाल पट्टी मार्ग तक सड़क न होने के कारण वहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को कई किलोमीटर चक्कर लगा कर आना-जाना पड़ता है। जिससे लोगों को अनावश्यक समय बर्बाद करना पड़ता है। उक्त सड़क न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता में असुविधा को लेकर के आक्रोश व्याप्त है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूँ कि जनहित में सिरहिर अनुसूचित जाति बस्ती से सलैया यादव बस्ती तक लगभग 03 किमी0 पक्की सड़क का कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय,

हमारी विधानसभा लालगंज, आजमगढ़ में नियम-301 के तहत निम्नलिखित कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक हैं।

1-ग्राम सभा सिधौना, वि0खं0-लालगंज में मुसहरिया से परसौना यादव बस्ती तक 3.5 किमी0 पिच एवं निर्माण कार्य।

2-ग्राम सभा भीटी, वि0खं0-पल्हना, में भीटी नहर पुलिया के बगल से नवपुरा राजभर बस्ती तक 3 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

3-ग्राम सभा नवापुरा, वि0खं0-पल्हना में पल्हना तरवां रोड के बीच से चिल्हर सिंह के घर तक 1 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

4-आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग से वि0खं0-ठेकमा में मुख्य सड़क से रोहुआं बाजार से डणार पासी बस्ती तक 2.5 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

5-ग्राम सभा धरहरा वि0खं0-पल्हना में धरहरा ग्राम सभा से जमुई चौहान बस्ती तक 2.5 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

6-ग्राम सभा मन्दूपुर विखं0-पल्हना में उमाशंकर के घर से लेकर मेहानाजपुर पल्हना मुख्य मार्ग ग्राम-भटौली तक 2 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-ग्राम सभा उदियावां वि0खं0-ठेकमा में जिवली देवगांव मार्ग से चकअसवनियां होते हुए उदियावां सम्पर्क मार्ग तक 2.5 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

8-ग्राम सभा लोधापुर वि0खं0-पल्हना में पतिराम यादव लहुआं खुर्द के घर से लालमणि यादव के घर तक 2.5 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

9-ग्राम सभा चौकी वि0खं0-ठेकमा में बरदह मार्ग से दुर्गा माता मन्दिर होते हुये पासी बस्ती होते हुये राय बस्ती तक 1.5 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

10-ग्राम सभा नरवां, वि0ख0-तरवां मढ़ी माता के धाम से राजीपुर बार्डर तक 1 कि0मी0 पिच व निर्माण कार्य।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी स्थित सीते विहार कालोनी बेगरिया खेड़ा में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर कुमार-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद-लखनऊ के विकास खण्ड-काकोरी स्थित सीते विहार कालोनी बेगरिया खेड़ा में चन्दर चक्की के पीछे गली में लगभग 50 मकान हिन्दू मुस्लिम आदि सभी वर्ग के है। परन्तु अभी तक यहां पर कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है। इस रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये है जिससे आये दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते है। विशेष रूप से पढ़ने-लिखने वाले बच्चे स्कूल आने-जाने में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मान्यवर आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग अत्यन्त जीर्ण-जीर्ण अवस्था में होने के कारण राहीगीरों को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग के निर्माण कराये जाने के लिये वहां के निवासियों ने कई बार शासन-प्रशासन को अवगत भी कराया परन्तु अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। उक्त मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण बरसात में पानी भर जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ-साथ उक्त सड़क/मार्ग का यथाशीघ्र निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आदिल शेख-

[महोदय,

हमारी विधान सभा दीदारगंज, आजमगढ़ में नियम-301 के तहत निम्नलिखित कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है :-

1-विधान सभा दीदारगंज, आजमगढ़ के विकास खण्ड-महमदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-वि0ख0-मार्टिनगंज में तहसील के गठन के सम्बन्ध में।

3-वि0ख0-फूलपुर कुशलगांव में प्रा0 स्वा0 केन्द्र को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में।

4-दीदारगंज अम्बारी रोड पर पत्थी से शाहगंज रोड को चौड़ीकरण के सम्बन्ध में 10 किमी0 पिच व निर्माण का कार्य।

5-ग्राम महुजा वि0ख0 मार्टिनगंज के पूर्व में भड़सारी मिल की जमीन 7 एकड़ खाली है। कृपया इस जगह पर उद्योग या कुटीर उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

6-जौनपुर से मुहम्मदपुर रोड पर बरदह से बड़गहन चौड़ीकरण छुटा हुआ है आगे बरौना होते हुये जमुहाई जौनपुर बार्डर तक।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र छपरौली, जनपद बागपत की 433/11 विद्युत सब स्टेशन निर्माणाधीन है। जिनमें करीब 1 वर्ष से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सभी विद्युत स्टेशनों पर कुछ न कुछ कार्य अधूरा है। क्षेत्र के अन्य विद्युत स्टेशन ओवर लोड है। जिस कारण 2 घण्टे मात्र बिजली किसानों को मिलती है। उक्त अधूरे कार्य कराना अति आवश्यक है।

अतः मैं चाहूंगा कि इन उक्त सब स्टेशनों के अधूरे कार्य अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां की विभिन्न ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लाल अकेला-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महराजगंज, शिवगढ़, हसवां एवं फिरोजाबाद ड्रेन सर्वाधिक प्रभावित करती है। इस क्षेत्र की हजारों बीघे जमीन जल भराव के कारण बेकार पड़ी रहती है। जिसके कारण यहां के किसानों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्षेत्रीय किसानों ने सपा सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है। किन्तु अब तक इन ड्रनों पर कोई कार्य न होने से किसान निराश हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से उक्त ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी की मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में मुरवार से डेटा जलालपुर सम्पर्क मार्ग पर बना कलुओ बेलोट रजवाहा पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर,

जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास में मुरवार से डेटा जलालपुर सम्पर्क मार्ग पर बना कलुआ बेलोट रजवहा का पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण इस पुल से आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। इस पुल से कुछ वाहन मोटर साइकिल आदि निकलने की कोशिश करते है। पुल के टूट जाने से कोई बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण गम्भीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सा सुविधा तुरन्त कराने में भी कठिनाइयां आ रही है।

अतः मैं चाहूंगा कि उक्त पुल की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर (अलीगढ़) की निम्न पुलों का नव निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है :-

1-खैर बाई पास पुराना गोडा तक

2-करवन नदी पर खैर से सोमना की तरफ बाई पास

3-गगई व अजनिया के बीच करवन नदी पर

4-मजूपुर कसेरू के बीच में करवन नदी पर

5-सुदेशपुर पर करवन नदी पर

अतः मैं चाहूंगा कि उक्त पुलों का नव निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र लालगंज एवं सरेनी में पेयजल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर,

मैं सरकार का ध्यान 182, सरेनी विधान सभा क्षेत्र जनपद रायबरेली के विकास खण्ड लालगंज व विकास खण्ड सरेनी के सर्वेक्षण उपरान्त 70% हैण्डपम्प के पेयजल नमूनों में फलूओराइड की

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिक मात्रा में पायी गयी है की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। फलूओराइड की ज्यादा मात्रा होने से स्थानीय जन स्वास्थ्य एवं मवेशियों के लिये अत्यधिक हानिकारक है। दिन प्रति दिन उपरोक्त समस्या गम्भीर होती जा रही है एवं दूरगामी परिणाम घातक होंगे।

अतः मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि इस लोकमहत्व के विषय पर एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हैं अविलम्ब जनपद रायबरेली के विकास खण्ड लालगंज व सरेनी में पेयजल को फलूओराइड रहित करने हेतु वैकल्पिक योजना लागू करने की कृपा करें।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के ग्राम गधिगाँव में मुख्य मार्ग से 800 मी0 की लिंक रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह-

[मान्यवर जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के अन्तर्गत ब्लाक करछना के ग्राम गधियांव में इलाहबाद-मिर्जापुर मुख्य सड़क से श्री धर्मराज द्विवेदी के मकान तक लिंक सड़क (लगभग 800 मी0) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गये है तथा बरसात में गड्ढ़ों में पानी भर जाता है। ग्रामवासियों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह प्रकरण जनहित से संबंधित है।

अतः मैं चाहूंगा कि उक्त सड़क को अविलम्ब मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के ब्लाक जवां में मुख्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलवीर सिंह-

[मान्यवर विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) में ब्लाक जवां खण्ड विकास मुख्यालय भवन विहीन है। विकास खण्ड जवां के सभी कर्मचारी वहां स्थित मण्डी परिषद् के मण्डी स्थल पर बैठ कर कार्य करते हैं। वहां कर्मचारी एवं अधिकारियों के बैठने हेतु जगह पर्याप्त न होने के कारण काफी परेशानी होती है।

अतः मैं चाहूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ब्लाक मुख्यालय पर नव भवन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है इन मार्गों पर भारी मात्रा में लोगों का आवागमन रहता है, जिससे क्षेत्रवासियों एवं किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यह जनहित से सम्बधित मामला है। इन मार्गों को लेकर किसानों व क्षेत्रीय जनता में काफी रोष हैः-

1- एन0एच0 58 अबूपुर गेट से अबूपुर नहर तक

2- एन0एच0 58 सीकरी रोड से ग्राम कलछीना तक

3- एन0एच0 58 काजमपुर गेट से ग्राम दौसा बंजारापुर तक

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4- ग्राम नाहली से ग्राम अमीपुर तक

5- ग्राम ईसापुर से ग्राम भदौला होते हुए ग्राम त्यौड़ी-13 तक

6- मोहद्दीनपुर खरखौदा रोड पर खरखौदा मार्ग से ग्राम तलहैटा तक

7- ग्राम याकूतपुर मवी से ग्राम सिखैड़ा होते हुए ग्राम सारा तक

8- ग्राम भोजपुर से फरीदनगर होते हुए पिलखुवा तक मार्ग का निर्णय

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने एवं उक्त मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बांदा की अतर्रा तहसील में रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर-

[महोदय, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि जनपद बाँदा शहर के बाद सर्वाधिक आबादी वाला व्यस्ततम शहर तहसील मुख्यालय अतर्रा है। जो झाँसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग (एन0एच0-34) व बहराईच-फतेहपुर-बबेरू करतल राजमार्ग (एस0एच0-71) के परस्पर क्रासिंग पर स्थित है। दोनों मार्ग एक दूसरे को मध्य शहर की घनी आबादी पर क्रास करते हैं। इस शहर में दो दर्जन से ज्यादा इण्टर कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, मुंसिफ न्यायालय, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अनेकों प्रशासनिक व विभागीय उप खण्डीय कार्यालय, कृषि उत्पादन मण्डी व समुन्नत बाजार, रेलवे स्टेशन आदि की सुविधायें हैं। प्रतिदिन दसियों हजार छोटे व भारी वाहनों के आवागमन व रेलवे फाटकों के अक्सर बन्द रहने से जाम की स्थिति दिन-रात बनी रहती है, परिणामतः जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। शहर में स्टेट हाई-वे 71 पर स्थित रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि यह मार्ग सघन बाजार के मध्य से गुजरता है। यदि शहर की परिधितः डबल लेन का मार्ग व रेलवे फाटकों पर उपरिगामी सेतुओं का निर्माण करा दिया जाये तो दिन-रात वाहनों के निरन्तर जाम से होने वाली बाधाओं व संकट से आम जनमानस को मुक्ति मिलेगी और शहर के विकास व उन्नति हेतु बेहतर अवसर मिलेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि अतर्रा शहर के परिधितः बाईपास व रेलवे फाटकों पर दो अद्द उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु उ0प्र0 सरकार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।]

प्रदेश में शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राजस्व ग्रामों के अभिलेखों में अंकित श्रेणी-3 को निरस्त कर श्रेणी-5 में अंकित न किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरन लाल-

[महोदय,

ससम्मान संज्ञान में लाना है कि सम्पूर्ण प्रदेश की लगभग भूमि प्रबन्धक समितियों ने अपने अधिकार क्षेत्र सीमा में स्थित ग्राम समाज की श्रेणी-5 से सम्बन्धित भूमि को पात्र/भूमिहीनों की पर्याप्त संख्या होने के बाद भी उनके मध्य वितरण/आवंटन न करके गांव में सम्पन्न, समृद्ध व पहले

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से पर्याप्त कृषि भूमि के भू-स्वामियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम न्यूनतम वार्षिक लगान पर आसामी/फसली/श्रेणी-3 के पट्टे पर अधिक से अधिक भूमि दे दी गयी थी। आसामी पट्टे की अधिकतम वैध अवधि तीन वर्ष ही निर्धारित थी। निर्धारित लगान के नियमित जमा न करने व अवधि समाप्ति के बाद आसामी पट्टे का नवीनीकरण कराये बगैर अवैध व अनाधिकाररूप से अभिलेखों में इन्द्राज होने के कारण सम्बन्धित भूमि या अवैध कब्जों के अधीन बनी रही। शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों की उदासीनता व कर्तव्यहीनता के कारण आज भी सम्पूर्ण प्रदेश के अधिकांश राजस्व ग्रामों के अभिलेखों से श्रेणी-3 के अवैध इन्द्राज को निरस्त न करके ग्राम समाज के खाते श्रेणी-5 में अंकित न किये जाने की अक्षम्य साजिश करके ग्राम सभाओं की भीषण व अपूर्णनीय क्षति अद्यतन जारी है।

अतः विनम्र निवेदन है कि शासन के स्पष्ट आदेशों के परिपालन में की गयी अवहेलना के लिये दोषी व साजिश में संलिप्त व दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने हेतु उ0 प्र0 सरकार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।]

सीलिंग एक्ट से अतिरिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की शासन द्वारा समयबद्ध पैरवी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[महानुभाव,

ससम्मान संज्ञान में लाना है कि सीलिंग ऐक्ट 1960 व तद्सम्बन्धी नियमावली, 1961 में निहित प्राविधानों व शक्तियों का प्रयोग कर सीलिंग प्रभावित काश्तकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों/नियम प्राधिकारियों ने अधिकतम जोत सीमा के अधिक भूमि को घोषित कर सीलिंग प्रभावित काश्तकारों को उससे बेदखल कर राज्य सरकार ने अपने कब्जे की भूमि को नियमानुसार पात्र व भूमिहीनों के मध्य आवंटन कर भौतिक कब्जे दे दिये। सीलिंग प्रभावित काश्तकारों अथवा तथाकथित वारिसानों ने विभिन्न न्यायालयों से राहत न पाने की दशा में मा0 उच्च न्यायालयों में तथ्य छिपाकर उन्हें सम्बन्धित भूमि से बेदखल न किये जाने सम्बन्धी वाद योजित कर स्थगन आदेश ले लिये। इन वादों में प्रभावित आवंटीगण के पक्षकार न बनाकर राज्य सरकार व प्रशासन को पक्षकार बनाने से प्रत्येक जनपद की ओर से मान0 राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार द्वारा पैरवी के बहाने केवल तारीखें ही ली जाती है जिससे ऐसे वाद लिस्टेड न होने की दशा में अनवरत लम्बित रहते हैं। सीलिंग काश्तकारों द्वारा सीलिंग ऐक्ट से अतिरिक्त घोषित भूमि को पारिवारिक सदस्यों रिश्तेदारों काल्पनिक व्यक्तियों के नाम हिस्सेदारी अथवा विक्रय के नाम नामान्तरण कराकर अवैध कब्जे अथवा अनधिकृत उत्पादन लेते रहने की साजिश में कामयाब हो जाते हैं। अक्षम व समयबद्ध पैरवी के अभाव में अपर/अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीलिंग ऐक्ट के उद्देश्य व महत्व की उ0प्र0 में साजिशन हत्या की जा रही है। जिसके भविष्य में गम्भीर दुष्परिणाम होंगे।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सीलिंग ऐक्ट के उद्देश्य, महत्व व राज्य सरकार की हो रही अपूर्णनीय क्षति को रोकने हेतु उ0प्र0 सरकार को विधि सम्मत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय, अलीगंज की अधीक्षिका द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखनऊ के 100 वर्ष पुराने श्रीराम औद्योगिक अनाथालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीराम औद्योगिक अनाथालय, सेक्टर-आई, अलीगंज, लखनऊ की अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी ने अनाथालय में बहुत ही अराजकता व अनैतिकता का माहौल बना रखा है जो निम्नवत् है :-

1-अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी ने रसोइया गंगाधर दीक्षित तथा चौकीदार राकेश एवं शैलेन्द्र के साथ मिलकर वहां एक गिरोह बना रखा है जिसके चलते अनाथालय में रह रहे मन्दबुद्धि बच्चों को बाहर फिकवा दिया। जिसके चलते संवासिनी शिवानी (उम्र 4 वर्ष), नूरजहां (उम्र 10 वर्ष), आशा (उम्र लगभग 11 वर्ष), संवासी मुकेश (उम्र लगभग 18 वर्ष), संवासिनी पूजा उम्र 14 वर्ष, बिटलवा (उम्र 14 वर्ष) एवं दो अन्य बच्चे जिनका नाम ज्ञात नहीं है जो कि पूर्णतः मन्दबुद्धि एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे को अधीक्षिका द्वारा गंगाधर एवं शैलेन्द्र से मिलकर बाहर भिजवा दिया तथा उक्त बच्चों के भाग जाने की भ्रामक जानकारी अधिकारियों को दी।

2-अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी के अराजक व्यवहार एवं प्रताड़ना के कारण अनाथालय से बालक गुफरान उम्र 11 वर्ष पंकज उम्र लगभग 16 वर्ष दिनांक 8-12-2012 को अनाथालय से अधीक्षिका की प्रताड़ना से भाग गये तथा कुछ दिनों पहले संवासिनी कस्तूरी (उम्र लगभग 14 वर्ष) को कहीं भिजवा दिया है। इसके पहले चार बालक शरद, रमजान, रिजवान, गुफरान (द्वितीय), एवं दो लड़किया संगीता एवं आरती भागने की कोशिश कर चुके हैं जिसमें की लड़कियों को अलीगंज पुलिस द्वारा गश्त लगाते समय रात्रि 4 बजे संगम चौराहे के पास पकड़ा गया था एवं लड़कों को कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया था।

(उक्त सभी भागे गये बच्चों एवं फेके गये बच्चों की जानकारी अलीगंज थाने से पता की जा सकती है)

3-अधीक्षिका इतनी अराजक है कि उनके ऊपर बच्चे को गलत तरीके से उठा लाने तथा उस बच्चे को प्रदेश से बाहर (नियम विरुद्ध) गोद लेने का केस न्यायालय में चल रहा है तथा अनाथालय की मंद बुद्धि बालिका पिंकी की शादी कराने का, एक नवयुवक का एक्सीडेंट करने का केस दर्ज है।

4-अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी अनाथालय में बच्चों को गोद देने सम्बन्धी गलत तरीके से गुप्त तरीके से पैसा लेती हैं एवं गोद देने सम्बन्धी एक विजिट के बजाय 5 विजिट का पैसा लेती हैं।

- अनाथालय में आये दान की राशि में से कुछ राशि जिसकी रसीद काटी नहीं जाती है को वह अपने निजी उपयोग में लाती हैं।
- अनाथालय के फण्ड से फर्जी बिल बनाकर पैसा लेती हैं।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

- दान में आयी गाय का दूध बाहर कालोनी में बेच कर पैसा लेती हैं एवं बच्चों को दूध देने के नाम पर उसी दूध का पैसा अनाथालय फण्ड से लेती हैं।

5-अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी की मासिक आय 6,000 रु0 है, परन्तु अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी के पास ककौली क्षेत्र में 3600 स्क्वायर फिट का प्लाट, मयूर रेजीडेन्सी, इन्दिरानगर में 2,000 स्क्वायर फिट का डबल स्टोरी मकान एवं कई बैंकों में लाखों का बैंक बैलेंस एवं महिन्द्रा की जाइलो गाड़ी (10,00,000 रु0) है जो कि दर्शाता है कि अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी ने अनाथालय के पैसे का निजी उपयोग करती हैं।

6-अनाथालय में रुचि त्रिपाठी से मिलने अराजक प्रवृत्ति के लोग आते थे जिससे कि अधीक्षिका द्वारा गन्दे-गन्दे हंसी-मजाक किया करती थीं जो कि रात्रि भर अनाथालय में कभी-कभी रुक भी जाते थे। पूर्व स्टाफ द्वारा विरोध करने पर रुचि त्रिपाठी द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना के उक्त स्टाफ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया।

अधीक्षिका रुचि त्रिपाठी के उक्त कुकृत्यों की जानकारी उनके परिवार के सदस्यों से भी ली जा सकती है। जिसके चलते उनके परिवार द्वारा रुचि त्रिपाठी को घर से 10 वर्ष पहले ही निकाल दिया गया था, परन्तु उनका विवाह मात्र 3 माह पहले हुआ है एवं उनके पति भी अनाथालय परिसर में रह रहे हैं जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से अधीक्षिका द्वारा इस प्रकार की जा रही अवैध गतिविधियों की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही कर रुचि त्रिपाठी पर दण्डात्मक कार्यवाही कर तत्काल अधीक्षिका जैसे गरिमामय पद से मुक्त कर दिया जाये एवं अनाथालय में रह रहे मासूम बच्चों की रक्षा की जाये एवं आय से अधिक सम्पत्ति का केस भी दर्ज कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में तेजी से बढ़ रही वित्तीय अनियमितताओं एवं गम्भीर आडिट आपत्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनका मूल कारण निगम में लेखा कर्मियों की स्वस्थ एवं पारदर्शी स्थानान्तरण एवं तैनाती नीति का न होना तथा आन्तरिक अंकेक्षण के कार्य को वाह्य एजेन्सियों से कराना है। जहां एक ओर अनेक वरिष्ठ तथा बेदाग लेखाकर्मी दसियों साल से मुख्यालय या अंचलों के महत्वहीन या लिपिकीय पदों का कार्य करने को विवश हैं वहीं दूसरी ओर कनिष्ठ तथा दागी लेखाकर्मी वर्षों से निरन्तर महत्वपूर्ण इकाइयों पर तैनात होकर करोड़ों के भुगतान की चेकों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसी प्रकार से मुख्यालय/अंचलों/इकाइयों के पदों पर विगत दस-बीस वर्षों से निरन्तर जमें बैठे लेखाकर्मियों के कारण वहां की कार्य प्रणाली दूषित हो रही है, साथ ही ऐसे लेखा कर्मियों तथा उनके परिवारजनों की धन सम्पत्तियों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रबन्ध निदेशक की स्पस्ट पाबन्दी के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों पर बिना किसी लेखाकार के, केवल सहायक लेखाकारों के स्वतंत्र रूप से कार्य कराया जा रहा है। जिससे

कार्यकारी मैनुअल के अध्याय-(28) तथा पारदर्शिता विषयक विभिन्न शासनादेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसी कारण से अनेकों इकाइयों/कार्यालयों में मानक से बहुत अधिक या बहुम कम लेखाकर्मियों की तैनाती के कारण भयंकर भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था व्याप्त हो गई है। अनेकों लेखाकर्मी मुख्यालय से वेतन आहरित कर रहे हैं किन्तु इकाइयों से सम्बद्धता दिखाकर वहीं पर धड़ल्ले से करोड़ों के भुगतान भी कर रहे हैं।

उक्त सभी असमानताओं तथा मनमानियों के कारण सामान्य कर्मियों में व्यापक आक्रोश तथा घोर निराशा व्याप्त है जो किसी भी समय भयानक रूप ले सकती है।

अतः व्यापक जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर तत्काल निगम के निदेशक मण्डल की बैठक बुलवाये जाने की तथा प्रभावी कार्यवाही सहित वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में नेपाली नदियों से हो रहे नुकसान की रोकथाम करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र ''टेनी''-

[महोदय,

सीमा पर स्थित निघासन विधान सभा क्षेत्र के तिकुनिया गांव के पी0डब्लू0डी0 पुल खैरटिया रेलवे स्टेशन व बंधा रोड को नेपाली नदियों मोहाना कर्णाली व गेरुहा की विनाश लीला से अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। सीमा पर विनाश मचा रही इन नदियों ने उप स्वास्थ्य केन्द्र कुरुद्वारा व सूरत नगर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का वजूद समाप्त करने के बाद रेलवे स्टेशन, बंधा रोड खैरटिया व पी0डब्लू0डी0 पुल को निशाने पर ले लिया है। कटान की चपेट में आने के कारण तिकुनियां, इन्दरनगर, सूरत नगर, खैरटिया आदि गांवों के ग्रामीणों में हड़कम्प मचा है।

गौर तलब है कि जिम्मेदार अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं तथा शासन-प्रशासन ने भी अभी तक कोई सार्थक उपाय नहीं किये हैं, जिससे कटान प्रभावितों में गुस्सा है तथा जनता में रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर से गोरखपुर मार्ग पर सड़क से ग्राम पकड़ी (विकास खण्ड उस्का बाजार) तक लगभग 01 किलोमीटर तथा विकास खण्ड लोटन बाजार के ग्राम मैनहवा से गदहमरवा होते हुए रमवापुर बांध तक लगभग 02 किलोमीटर मिट्टी से लेपन तक कार्य एवं ग्राम गदहमरवा के पास कोडरा नाले पर एक पुलिया का निर्माण कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से उक्त कार्य प्राथमिकता पर कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नदीम जावेद-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र, जौनपुर सदर में जौनपुर शहर जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। शहर की आबादी बढ़ने के कारण शहर फैलता गया, किन्तु यहां पर शासन द्वारा समुचित विकास की योजना न चलाने के कारण, इसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस शहर में समुचित जल/सीवर निकासी तथा स्वच्छ पेयजल हेतु भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जेनर्म) की यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के तहत फेज-2 में इस शहर को शामिल किया गया है जिसमें शहर की पेयजल व्यवस्था के लिये नई पाइपलाइन डालना, ट्यूबवेल लगाना एवं स्टोरेज के लिये पानी की ओवरहेड टंकी बनवाने के साथ-साथ शहर की समुचित जल निकासी के लिये नाली एवं बड़े नालों का निर्माण कराना सम्मिलित है। इस हेतु शासन के आदेश के बावजूद भी कार्यदायी संस्था, जल निगम द्वारा अभी तक उक्त कार्यों का डी0पी0आर0 बनाकर सरकार को नहीं भेजा गया है जिससे उक्त योजना का कार्य ठप पड़ा हुआ है। छोटे शहरों के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना के तहत कार्य कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जल निगम को शीघ्र आदेशित करने तथा जौनपुर शहर में उक्त योजना के तहत कार्य कराने हेतु शीघ्र डी0पी0आर0 प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे छोटे शहर भी विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के नकुड़ ब्लाक स्थित शाकुम्बरी डिस्टलरी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर के नकुड़ ब्लाक में स्थित शाकुम्बरी देवी डिस्टलरी प्रा0लि0 नामक कम्पनी से निकलने वाले दूषित जल के कारण उसके आस-पास स्थित गांवों खेड़ा अफगान, बान्दूखेड़ी नकुड़ व नसरुल्लाह गढ़, ब्लाक नकुड़ में पेयजल दूषित हो गया है। कुआ, नहर आदि का पानी जानवरों के भी पीने योग्य नहीं रह गया है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर उक्त गांवों में पेयजल सप्लाई हेतु पानी की टंकी बनाये जाने पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगपाल सिंह-

[मान्यवर,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले उन अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को चयन वेतनमान उपरान्त 12 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के पश्चात् प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-36809/2006 सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 7-11-2012 तथा 20-11-2012 में प्रदेश में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के आदेश के पश्चात् भी शासन द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया गया है, जिस कारण शिक्षक संगठन एवं शिक्षकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रश्नगत शासनादेश तत्काल निर्गत कराने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना है कि जनपद हरदोई का मेरा विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर पांच नदियों से घिरा हुआ भयंकर बाढ़ की समस्या से ग्रस्त एवं आबादी व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में पेयजल एक विकट समस्या है। जनसंख्या के अनुपात में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की संख्या काफी कम है। वर्तमान स0पा0 सरकार के गठन के पश्चात् मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 50 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प उपलब्ध करवाये गये, जबकि जनपद के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में उपलब्ध करवाये गये हैण्डपम्पों की संख्या काफी अधिक है। जनपद के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में सरकार गठन के पश्चात् अभी तक दो से तीन बार में 200 से 300 तक हैण्डपम्प स्थापित करवाये गये जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक मात्र 50 हैण्डपम्प उपलब्ध करवाये गये। क्षेत्रीय जनता के साथ शासन द्वारा किए जा रहे असमान व्यवहार से काफी रोष है। तथा पेयजल की समस्या के कारण जनता में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि जनसंख्या के समानुपातिक आधार पर क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण किया जाय एवं जनपद को आवंटित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का समान आधार पर वितरण किया जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-बिजनौर के मेरे विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगर मिल के द्वारा किसानों का गन्ने का बकाया पैसा और आये दिन घटतौली की समस्या के सम्बन्ध में और गुरुसरांय तथा खाद्य को मनमाने ढंग से बेचने के सम्बन्ध में एवं नहटौर के धोइया नदी पर बने मोहित पेपर मिल के द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण युक्त पानी और धुयें से आये दिन बीमारी से समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में तथा नहटौर विधान सभा में पानी की बहुत ही परेशानी के कारण नलकूप व पानी की टंकी बनवाने के सम्बन्ध में एवं नहटौर में सरकारी स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक न होने के सम्बन्ध में एवं नहटौर के गांवों में बरात घर की कमी होने के सम्बन्ध में जिससे क्षेत्रीय जनता को उक्त कमियों के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त समस्याओं को दूरी कराने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर सीवर लाईन खोदने के उपरान्त क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1-नगला कली से सेमरी तक, 2-सेमरी ताल से ग्वालियर रोड तक, 3-नगला कली कोलक्खा से देवरी रोड तक, 4-सेमरी पचगाई पुलिया से देवरी रोड मधूनगर तक, 5-विचपुरी फाटक से चौहटना सदर बन तक, 6-धाधूंपुरा से नहल बादशाही आदि विगत वर्ष सम्पर्क मार्ग पर सीवर लाइन खोद करके डाल दी है सीवर लाइन खोदने के कारण आम रास्ता सड़क खोद करके डाल दी गयी है तथा सड़क ध्वस्त हो चुकी है तथा सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। जगह-जगह पर गड्ढे हो गये हैं। लोगों का आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का यथास्थिति में ढक्कनों को ढकते हुए मरम्मत/लेपन का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को विगत् 03 माह से चीनी न वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को विपणन विभाग द्वारा अप्रैल, मई, जून, 2013 तक आपूर्ति विभाग चन्दौली को कार्ड धारकों की चीनी उपलब्ध करायी थी। जो कि राशन कार्ड धारकों को इन तीनों महीनों की चीनी नहीं बांटा गया है। यह चीनी कहां गयी इसमें जिले की आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चीनी की ब्लैक मार्केटिंग की गयी हैं और अधिकारी आपसी मिलीभगत कर साक्ष्य मिटाने पर लगे हुए हैं इसकी जांच निचले स्तर से कार्ड धारकों से मिल कर किया जाये और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए जिससे जिले की गरीबों की 12 से 14 क्विंटल गायब चीनी का पता लगाया जा सके। जिससे क्षेत्रीय जनता गरीब राशन कार्ड धारकों को प्रशासन के प्रति भी भारी आक्रोश है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में टी0टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य मानकों के विपरीत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद-आगरा में वर्ष 2012-13 में टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत खारा पानी व भू-गर्भ जल काफी गहरा होने के कारण शासन द्वारा 10 हजार ली0 पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जो शासन के मानक के नियमानुसार निर्माण नहीं कराया जा रहा है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अति पिछड़े वर्गों को पीने के पानी का घोर संकट व्याप्त है जिससे गरीब जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से मानक के अनुरूप कार्य न करने के कारण अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में बाढ़ एवं बारिश से हुई हानि की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त राम कुशवाहा-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219 माधौगढ़ कोच जनपद जालौन सिन्ध पहूज, क्वारी चम्मल, यमुना नदी से घिरा होने के कारण अधिक बारिश बाढ़ से कोंच माधौगढ़ विधान सभा के प्रत्येक गांव में मकान ध्वस्त हो गये हैं। कोंच नगर पालिका के सात मुहल्लों में बाढ़ का पानी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घुस जाने के कारण मुहल्ले तबाह हो गये हैं। जिससे काफी मात्रा में जनहानि हो गयी है एवं जनहानि भी हुई है। सम्पूर्ण विधान सभा में एवं जनपद जालौन में किसानों की फसल नष्ट हो गयी है और बाढ़ आने के कारण लगभग 80 प्रतिशत रोड क्षतिग्रस्त हो गये हैं और पुल एवं पुलिया टूट कर गिर गये हैं। जिसके कारण बच्चे और अध्यापक विद्यालय आना-जाना बन्द हो गया है। जालौन बगरा रोड परवई से चाकी अमखेड़ा मार्ग का आवागमन बिल्कुल बन्द हो गया है। बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। सैकड़ों खम्भे व तार टूट गये हैं। ट्रान्सफार्मर पानी में डूबने के कारण जल गये हैं। महामारी फैली हुई है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए विशेष पैकेज के तहत माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र क्षतिपूर्ति एवं कार्य कराये जायें। क्योंकि क्षेत्रीय जनता काफी विपत्तियों से जूझ रही है। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र पलिया अन्तर्गत गोला कुमरा से लोहिया पुल तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र पलिया के अन्तर्गत गोला कुमरा मार्ग रेलवे क्रासिंग से लोहिया पुल तक सड़क अत्यन्त जर्जर है। निर्माण एवं उनका रिपेरिंग न होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त सड़क निर्माण की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत ईशानगर गन्ना क्रय केन्द्र से टेड़िया सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ईशानगर गन्ना क्रय केन्द्र (पुराना) से थाने के सामने होते हुए सैय्यद बाबा मजार होते हुए बिरसिंगपुर होते हुए टेड़िया, सरैया तक लगभग 4 कि0मी0 निर्मित पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर है। निर्माण एवं उनका रिपेयरिंग न होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त सड़क निर्माण की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में प्रस्तावित नये विकास खण्ड के मुख्यालय की स्थापना ग्राम सभा डीहा या बुबरा में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद में विधान सभा करछना के विकास खण्ड करछना को विभाजित करके नये विकास खण्ड की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त नवसृजित विकास खण्ड के मुख्यालय की स्थापना राजनैतिक कारणोंवश ग्राम सभा बरांव में की जा रही है जो कि वर्तमान विकास खण्ड मुख्यालय करछना से 5 कि0मी0 की दूरी पर ही स्थित है। विकास खण्ड मुख्यालय की आवश्यकता वर्तमान विकास खण्ड मुख्यालय से दूरस्थ गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र ग्राम सभा बबूरा अथवा डीहा में है जो वर्तमान विकास खण्ड मुख्यालय से 20 से 25 कि0मी0 की दूरी पर है। विकास खण्ड मुख्यालय की स्थापना यहां नहीं किये जाने से जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नवसृजित विकास खण्ड की स्थापना ग्राम सभा डीहा या बबुरा में किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में जिला योजना 2011-12 के अन्तर्गत कतिपय निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय, निम्न मार्ग :-

1-ऑतीपुर से खेरिया, ब्लाक-नारखी।

2-कल्याणगढ़ी से मिलिक तक, ब्लाक-नारखी।

3-गोथुआ मार्ग से मिलिक तक, ब्लाक-टुण्डला।

महोदय, उपरोक्त मार्ग जिला योजना 2011-12 फिरोजाबाद की योजना में स्वीकृत है, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने एक वर्ष से मौके पर अधूरा कार्य छोड़ दिया है जिससे जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के कार्य को सरकार से पूर्ण कराने की कार्यवाही चाहता हूं तथा सदन में इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का वक्तव्य चाहता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ-फैजाबाद सड़क मार्ग में मटियारी चौराहे से गणेशपुर तक सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। लखनऊ-फैजाबाद सड़क मार्ग पर मटियारी चौराहे के पास दाहिने तरफ पाल पी0सी0ओ0 से पार्क होते हुए यशोदानगर श्री जगदीश सिंह के घर तक तथा हिन्दुस्तान मोटर्स के बगल बाएं तरफ गैस गोदाम से लगा हुआ मोहल्ला रहमानपुर गनेशपुर में एडवोकेट रामबख्श सिंह के घर तक सीवर लाइन न होने से स्थानीय नागरिकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है।

मेरा सरकर से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानों पर नागरिकों की सुविधा के लिये जनहित में सीवर लाइन बिछाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश के 'आलिया स्तर' के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा 146 आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को मई माह, 2013 में पहली किश्त के 75 मदरसों को तत्काल अनुदान देने का अनुमोदन का निर्णय किया था लेकिन अफसोस के साथ आपको अवगत कराना है कि अभी तक फाइल रजिस्ट्रार कार्यालय में ही लम्बित है। जिससे आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से मदरसें के मुदर्रिसों का बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। मदरसें के टीचर्स बहुत दिनों से बहुत ही कम उजरत पर बच्चों को तालीम देते आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि अब उन्हें उनका वाजिब मेहनताना मिलेगा।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान दिलाये जाने का कष्ट करें।]

प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, उत्तर प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसमें कार्यरत कर्मचारी विभाग द्वारा वितरित होने वाले पोषाहार में आये दिन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। परन्तु शासन की उदासीनता के चलते कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है इसी भ्रष्टाचार एवं धन उगाही के चलते जो कर्मचारी बाल विकास परियोजना में 14 व 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। उन्हें आज तक नियमानुसार समय व प्रमोशन वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वरूप श्रीमती सन्तोष अस्थाना पत्नी स्वामी दया अस्थाना बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2004 में 14 वर्ष व 2008 में 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है परन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पत्रांक 4548 दिनांक 26-7-12 को दिये आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इस प्रकार से बाल विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बहुत से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के कतिपय इलाकों में सीवर की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद के इन्दिरापुरम् न्याय खण्ड-प्रथम, सुपरटेक, पत्रकार विहार के सामने ग्रीन बेल्ट के अन्दर अगल-बगल के क्षेत्रों के सीवरों एवं गन्दा पानी डाले जाने से वहां के पेड़-पौधे सब नष्ट हो गये हैं और उस पानी के एकत्रित होने से पानी के अन्दर जहरीले कीड़े सांप आदि पैदा हो गये हैं। जिनकी वजह से आने-जाने वाले लोगों को काफी भय बना रहता है और अनेक बीमारी फैल गयी है जिससे स्थानीय लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगर निगम के अधिकारियों को कई बार पत्र के माध्यम से एवं उनसे मिल कर समस्या को निपटने के लिए कहा गया लेकिन अधिकारियों एवं विभाग की उदासीनता के कारण वहां कोई हल नहीं निकला जिससे स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है कि सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारियों को समस्या का समाधान कराने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में महाराजगंज तराई से ललिया मार्ग में बारिश के कारण कूड़े के ढ़ेर इकट्ठा हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल मशहूद खां-

[मान्यवर, जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में महराजगंज तराई से ललिया मार्ग पर खरझार नाले पर बने पुल को छोड़कर अलग से नदी का बहाव घूम जाने एवं इसी मार्ग पर तेज बारिश से बड़ी भयावह स्थिति हो गयी है। लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

ललिया-महराजगंज तराई मार्ग पूरी तरह बन्द हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। जनमानस घोर परेशानियों से जूझ रहा है। अतः इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ मध्य क्षेत्रों के नालों की सफाई कराकर लोहे की जाली से ढ़के जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, लखनऊ मध्य क्षेत्र की अत्यधिक घनी आबादी में अनेक नाले बहते हैं जो लबालब भरे एवं चोक हैं, अक्सर इन नालों का पानी घरों में भर जाता है तथा इन नालों में हर वर्ष 12 से 15 बच्चों एवं बुजुर्गों के गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है तथा कभी-कभी घरों में पानी भर जाने से बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है।

लखनऊ शहर में घनी आबादी में बहने वाले इन नालों को साफ कराकर ढकने का कार्य पूरा कराया जाये तथा घनी आबादी के पहले और बाद में जाली लगा दी जाये जिससे ढके हुए स्थान पर मलबा ना आ सके तथा आबादी से पहले जाली में मलबा रुक जाये और वहां नाला खुला हो जिससे सफाई हो सके अनेकों आश्वासनों एवं घोषणाओं के बाद भी लखनऊ मध्य क्षेत्र में अभी तक नाले साफ होकर ढकने का कार्य नहीं हुआ है।

लखनऊ मध्य क्षेत्र से गौस नगर, मौलवीगंज, राजेन्द्रनगर सी0एम0 स्कूल के पीछे, मशकगंज वार्ड के अन्तर्गत अस्तबल चारबाग खटिकाना से मल्लाही टोला पुल तक तथा मशागंज वार्ड में इमामबक्श कोठी से लक्ष्मण प्रसाद रोड तक, मोती झील एस0एस0 कालोनी नाका चौराहे से बिरहाना पुल तक, तिलकनगर, रामनगर, वजीरगंज, गोलागंज, कैसरबाग बस स्टैण्ड के निकट वजीरगंज, प्रतापनगर कालोनी के पीछे रिवर बैंक कालोनी, राजाबाजार, कैसरबाग, पीर जलील खटिकाना, घसियारी मण्डी, ख्यालीगंज काकोरी कोठी के पीछे, कैन्ट रोड, कालीदास मार्ग चौराहे के पास समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पीछे, कालीदास मार्ग के पीछे सहित कई स्थानों पर घनी आबादी है और यहां नाले लबालब भरे हैं तथा इसमें बच्चों एवं बुजुर्गों के गिर कर डूबने की घटनायें होती रहती हैं।

यह अविलम्बनीय अत्यधिक लोकमहत्व का विषय है। जिस पर वक्तव्य की मांग के साथ-साथ नालों को तली तक साफ कराकर जहां घनी आबादी है वहां यथाशीघ्र नाले ढकने का कार्य शुरू कराने की मांग करता हूं जिससे भविष्य में बच्चों एवं बुजुर्गों की मौतें ना होने पाये।]

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की जर्जर सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में हैं। इन मार्गों पर हजारों की संख्या में जनता का आवागमन रहता है किन्तु इन सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने के कारण जनता को आवागमन में भयंकर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता द्वारा इन सड़कों की विशेष मरम्मत कराने का अनुरोध किया गया है।

1-एत्मादपुर-खंदौली मार्ग से गांव वास रिसाल तक।

2-जलेसर रोड से सेवरा तक।

3-बांधनू परिक्रमा मार्ग।

4-थलू गढ़ी मार्ग से तमाचगढ़ मार्ग।

5-अहारन परिक्रमा मार्ग।

6-अहारन से खरकना तक।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत यमुना नदी कटान रोके जाने हेतु पिचिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत यमुना नदी द्वारा कटान किये जाने से बहुत से ग्रामों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कुरारा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भौली के मजरा कोतूपुर, पटिया तथा ग्राम सभा हरौलीपुर के मजरा भैदन एवं यमुना पुल से पूरब तरफ भिलावां, मेरापुर होते हुए सिंह महेश्वरी मन्दिर तक यमुना के कटान से रोकने हेतु पिचिंग का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त ग्रामों को यमुना नदी के कटान से बचाने हेतु पिचिंग निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 222 बबीना (झांसी) में झांसी से बबीना तक हाई-वे रोड एवं पुलगहना से खजूरी तक सम्पर्क मार्ग एवं करगुवां से रामनगर तक सम्पर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। जिस पर आम जनमानस का चलना दूभर हो गया है एवं आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये सम्पर्क मार्ग वर्तमान में कागजों पर उपयोगी बताये गये हैं जबकि वास्तविकता में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन सम्पर्क मार्गों पर गिट्टी का नामोनिशान तक नहीं है और ये गड्ढों में तब्दील हो चुकी है जिससे आम जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सड़कें ठीक न होने की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में रोष एवं जनआक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार क ध्यान आकृष्ट कराने के साथ ही साथ इन सम्पर्क मार्गों को अविलम्ब बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम रायपुर में निर्माणाधीन पुल के निर्माण हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती चन्द्रा रावत-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम-रायपुर, पोस्ट-सरई गुदौली, ब्लाक-गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के पास लोनी स्केप (बड़ा नाला) जो शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 165.2 पर बांयी पटरी से निकलता है। इस लोनी स्केप के कि0मी0 2.00 पर कई वर्ष पूर्व एक विलेज रोड ब्रिज सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था। उस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पुल के पश्चिमी दिशा में एक नया पुल बनाये जाने की स्वीकृति हुई थी और उस पुल का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया था लेकिन धन की उपलब्धता न हो पाने के कारण उस पुल का निर्माण कार्य रुका हुआ है।

इस लोनी स्केप (बड़ा नाला) में शारदा सहायक नहर के अतिरिक्त पानी को छोड़ा जाता है तथा बरसात का भी काफी पानी इसमें आता है। पूर्व में बने क्षतिग्रस्त पुल से ही प्रत्येक दिन कई भारी एवं हल्के वाहन गुजरते हैं और लगभग 10 गांवों के हजारों लोगों का आवागमन इसी पुल से है, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

अतः अविलम्बनीय व्यापक लोकहित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करती हूं कि वहां पर निर्माणाधीन पुल के रुके हुए कार्य को पूरा कराये जाने हेतु शीघ्र बजट की व्यवस्था कराई जाए और उसे पूरा कराया जाय।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत मण्डी समिति के द्वारा निर्मित दो दर्जन सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राममगन-

[मान्यवर, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2002 में मण्डी समिति के द्वारा लगभग दो दर्जन सड़कों का निर्माण हुआ था। लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद सड़कों की स्थिति अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढा युक्त हो गयी हैं जिनकी अब तक किसी योजना से मरम्मत एवं नवीनीकरण नहीं हुआ है तथा आम जनमानस का चलना दुश्वार है क्योंकि गिट्टी/डामर कुछ बचा नहीं जिसकी मरम्मत/नवीनीकरण अत्यन्त जनहित में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत मण्डी समिति के द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने की कृपा करें। जिसके लिए क्षेत्र की जनता व मैं स्वयं आपके व सरकार के प्रति आभारी रहेंगे।]

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[महोदय, जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में आजादी के 66 साल बाद भी आवागमन की कोई सुविधा नहीं होने से भारी कठिनाई होती है। निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

1-सिराथू विकास खण्ड के ग्राम मलाक सद्दी से मिर्जा की चक होते हुए जलालपुर टेंगाई तक।

2-विकास खण्ड सिराथू के ग्राम सभा तेरहरा से बम्बूपुर तक, ससुर खदेरी नदी में सेतु सहित सड़क निर्माण।

3-विकास खण्ड सिराथू जलापुर तेंगाई से सेलरहा पूरब तक सड़क निर्माण।

4-विकास खण्ड सिराथू के बसोहनी से भड़ेसर तक ससुर खदेरी नदी में पुल सहित सड़क निर्माण।

5-विकास खण्ड कड़ा में जी0टी0 रोड कमासिन से ननसेनी तक सड़क निर्माण।

6-विकास खण्ड कड़ा के अथसराय भड़ेहरी मार्ग से हिसामपुर माढ़ो होते हुए सुनील पाण्डेय के घर तक सड़क निर्माण।

7-विकास खण्ड कड़ा के जी0टी0 रोड से मकरी बाग होते हुए कानवार मेड़ीपुर तक सड़क निर्माण।

8-विकास खण्ड कड़ा के ग्राम सभा शहजादपुर में रावण के पास से हनुमान मन्दिर एवं श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मार्ग का निर्माण।

9-विकास खण्ड कड़ा के हब्बूनगर सिपाह से नरवा घर होते हुए केसरिया ग्राम तक सड़क निर्माण।

10-विकास खण्ड कड़ा के ग्राम सभा कन्थुआ से भूइयां बाबा के मन्दिर तक सड़क निर्माण।

11-विकास खण्ड सिराथू के ग्राम सभा रसूलपुर पोरसा में श्री सन्तोष दूबे के भट्ठे से होते हुए रामपुर सुहोगा तक सड़क निर्माण।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत भवन संख्या 22/641, इंदिरा नगर में बरसात से होने वाले जलभराव को दृष्टिगत रखते हुये सड़क को ऊँचा किये जाने एवं सड़क का ढाल विपरीत दिशा में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लखनऊ के नगर निगम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, भवन संख्या-22/641 इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं इससे लगी 8 मीटर अतिरिक्त भूमि श्री जगराम यादव को आवास विकास परिषद् द्वारा आवंटित है। ये मकान काफी नीचे हैं जिससे बरसात में पानी भर जाता है। इधर से कोई रास्ता नहीं है। भवन संख्या-ए-1407/11 से आवास संख्या-22/641 तक रोड बन रही थी जिसे रोक दी गयी है। यह मकान इस लाइन में आखिरी मकान है। जिससे बरसात में पानी भर जाता है। जल निकासन की यहां से कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि भवन संख्या-ए-1407/11 ऊंचाई पर है एवं ये मकान काफी नीचे है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन संख्या-22/641 की तरफ सड़क ऊंचा कराते हुए पानी बहाव हेतु सड़क का ढलान आवास सं0-ए-1407/11 की ओर किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, गढ़ रोड की खाली पड़ी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, गढ़ रोड, मेरठ के कोरा उत्पादन शाखा व उत्पत्ति विभाग के पश्चिम दिशा में पड़ी खाली जमीन पर वर्तमान पदाधिकारियों एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से लगातार अवैध आवंटन कर दुकान आदि का निर्माण किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय नागरिकों एवं संस्था के कर्मियों में रोष व्याप्त है।

अतः मैं सदन का ध्यान उक्त तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर के वार्ड अम्बेडकरनगर में क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

[मान्यवर, निवेदन है कि जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर के अम्बेडकर नगर (सवापार) वार्ड में श्री घनश्याम वर्मा (लेखपाल) के घर से राम अचल बेलदार माध्यमिक विद्यालय होते हुए श्री मूरत पाण्डेय के घर तक का मार्ग एवं नालियां अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। जिससे उस मार्ग पर चलना कठिन हो गया है। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा उक्त मार्ग को ठीक कराने के काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग का एवं नालियों का पुनर्निर्माण करवाने की कृपा करें जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा हो सके।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जे, रेलनगर में श्रीराम पब्लिक स्कूल द्वारा पार्क पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेलाल रावत-

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जे, रेलनगर में भवन सं0-सी-1-169 से सी-1-173 के सामने स्थित पार्क की लगभग 1216.82 वर्ग मीटर जमीन निकट स्थित श्रीराम पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय जनता की तमाम शिकायतों के बाद हुई जांच में श्री ओ0पी0 मिश्र, अधि0 अभि0 जोन-5 ने जांच कर अपने पत्रांक-483/ईई-5/12 दिनांक 17-1-12 में पुष्टि की है और विभाग द्वारा अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करके पार्क का विकास करने का आश्वासन भी दिया गया परन्तु आज तक कब्जा यथावत् बना हुआ है। पार्क पर कब्जा होने के कारण विभाग इसका विकास कार्य भी नहीं करा रहा है जिससे स्थानीय जनता इस पार्क का उपभोग नहीं कर पा रही है। बार-बार प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद अवैध कब्जे को न हटाये जाने से स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त पार्क पर किये गये अवैध कब्जे को हटाकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और पार्क को शीघ्र ही विकसित कराया जाय।]

जनपद मथुरा में बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, जुलाई, अगस्त माह में हुई भारी बरसात तथा इससे यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण मथुरा-वृन्दावन में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो गयी। मथुरा-वृन्दावन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बाबूगढ़, सकराया, राजपुर, दामोदरपुरा, जयसिंहपुरा, औरंगाबाद इत्यादि पचासों गांवों में बाढ़ का पानी आने से उनकी खड़ी फसल बरबाद हो गयी। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर भागने को विवश हुए तथा कई गांवों में लोगों के कच्चे मकान गिर गये। मकान गिरने तथा बाढ़ के पानी में डूबने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण लोगों के जानमाल तथा फसल के बरबाद होने के साथ ही साथ काफी जन, धन इत्यादि की हानि भी हुई है, किन्तु सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन के तहत पर्याप्त राहत एवं बचाव का कार्य न के बराबर रहा। इसलिए मथुरा-वृन्दावन के बाढ़ प्रभावित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्र में आपदा राहत निधि के तहत लोगों को हुई क्षति का आंकलन कर उनको समुचित मुआवजा देने हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है, इससे बाढ़ पीड़ितों में सरकार के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सरकार आपदा राहत कार्य हेतु बनायी गयी मद में पर्याप्त धन आवंटित कर प्रभावित बाढ़ पीड़ितों की जन/धन हानि का आंकलन कराया जाना तथा उन्हें शासनादेश के अनुरूप समुचित मुआवजा प्रदान किया जाना लोकहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में दिनांक 09 अगस्त, 2013 को श्री भरत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने एवं आरोपी श्री रमेश वैश्य को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासी भरत सिंह, निवासी-ग्राम-डढ़िया, ग्राम सभा-भावां, ब्लाक-राजगढ़, थाना-मड़िहान, जनपद मिर्जापुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु दिनांक 09 अगस्त, 2013 को जिला अस्पताल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में हुई। भरत सिंह चोपन थाना, जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत एक पेट्रोल पम्प पर कैशियर के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 08 अगस्त, 2013 को कुछ असामाजिक तत्वों के साथ भरत सिंह अपने ग्राम-भावां, जनपद मिर्जापुर आये अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर मड़िहान तहसील जाकर अपनी पत्नी के नाम से 02 बिस्वा जमीन बैनामा कराकर पत्नी को वापस घर छोड़कर अपने कार्य स्थल पेट्रोल पम्प, चोपन, जनपद-सोनभद्र वापस चले गये। अगले दिन दिनांक 09 अगस्त, 2013 को अपराह्न 03.30 बजे उनके लड़के को पेट्रोल पम्प के कर्मचारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि आपके पिता बीमार हैं तथा जिला अस्पताल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में एडमिट हैं। भरत सिंह के पुत्र श्री अनूप तथा उनके परिवारीजन जब जिला अस्पताल सायं 05.30 बजे पहुंचे तो तत्कालीन एस0ओ0, चोपन श्री अशोक यादव वहां मिले तथा उन्होंने अनूप को बतलाया कि आपके पिता का अस्पताल में निधन हो गया तथा जिनको लावारिस घोषित कर 01 घण्टे के भीतर पोस्टमार्टम करा दिया गया जो कि किसी साजिश का ईशारा करता है।

एस0ओ0 चोपन द्वारा मृतक भरत सिंह के परिवारीजन को रु0 25,000/- देकर अन्तिम संस्कार करने तथा प्रकरण समाप्त करने को कहा गया। परिवार वालों ने अपनी आपत्ति जताई तथा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की मांग की गयी। इस प्रकरण पर देर रात तक पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनधिगण में रात्रि 11.30 बजे एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु खींचातानी होती रही। दूसरे दिन दिनांक 10 अगस्त, 2013 को प्रातः 07.00 बजे परिवार वालों को जब सूचना मिली कि चोपन थाने के एस0ओ0 एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कर रहे हैं तो गांव के लोगों ने भावां बाजार की मुख्य सड़क लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कुछ समय पश्चात् भरत सिंह के परिवार वालों ने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेट्रोल पम्प मालिक एवं प्रदेश स0पा0 कोषाध्यक्ष श्री रमेश वैश्य के विरुद्ध धारा-302 में मड़िहान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में मैने दिनांक 14 अगस्त, 2013 को डी0जी0पी0 एवं सचिव, मा0 मुख्य मंत्री श्रीमती अनीता यादव से मिलकर उन्हें पत्र के माध्यम से प्रकरण की जानकारी दी तथा उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग किया था, किन्तु अभी तक उक्त आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। **आरोपी रमेश वैश्य के एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच की सम्भावना बिल्कुल ही नहीं है। जनहित में उक्त आरोपी जिसके विरुद्ध मड़िहान थाने में धारा-302 में प्राथमिकी दर्ज है को गिरफ्तार किया जाय तथा प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराया जाना अति आवश्यक है।**

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त आरोपी रमेश वैश्य को गिरफ्तार करने तथा प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया से सोनौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बजट का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, जनपद बलिया में बलिया-सोनौली राज मार्ग जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क को बनाने की स्वीकृति वर्ष 2010-2011 में की गयी थी जिस पर धन भी आवंटित हो गया है। इस सड़क को बनाने का कार्य छात्र शक्ति कान्सट्रक्शन कम्पनी ने लिया है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दो वर्षों में बलिया-सिकन्दरपुर-बेल्थरा रोड तक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्राम सुंपुरा-खड़सरा, खेजुरी, बहेरी, पचखोरा के पास इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं कि बड़े वाहन तो जा ही नहीं सकते। छोटे वाहन भी चलना दूभर हो गया है। कई जाने एक वर्ष में जा चुकी हैं। आम जनता अब सिकन्दरपुर से बलिया रास्ता बदल कर बांसडीह से या रसड़ा होकर बलिया जाने पर विवश है। जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। धरना, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। दो वर्षों में बलिया सिकन्दरपुर-बेल्थरा मार्ग केवल 10 कि0मी0 ही बन पाया है। धन की अनुपलब्धता के कारण यह मेन सड़क नहीं बन पा रही है।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में तत्काल सिकन्दरपुर-बलिया मार्ग पर धन उपलब्ध करके मार्ग बनवाने की कृपा करें।]

जनपद मुरादाबाद के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौ0 इरफान-

[महोदय, शासन से तय मानक के अनुसार चयनित अल्पसंख्यक छात्रों की फीस आपूर्ति एवं छात्रवृत्ति एस0एम0 कालेज चन्दौसी जिला सम्भल कृषि औद्योगिक डिग्री कालेज अमरपुर काशी जिला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुरादाबाद आदि द्वारा नहीं की गयी है। जबकि सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस पूर्ति, छात्रवृत्ति अदा कर दी गयी है। बताया गया कि धन मिला ही नहीं है। दिनांक 24-11-12 की जिला योजना सम्भल में सभी को समान रूप से छात्रवृत्ति, फीस आपूर्ति दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। परन्तु अमल नहीं हो पाया और अल्पसंख्यक छात्र इससे वंचित हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अल्पसंख्यक छात्रों की फीस आपूर्ति, छात्रवृत्ति अन्य छात्रों की तरह दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से हजारों एकड़ फसल किसानों की बर्बाद हो गयी तथा हजारों की संख्या मकान गिर गये, सड़कें ध्वस्त हो गयीं। किन्तु अभी अपेक्षित सरकारी सहायता पीड़ितों को प्रदान नहीं की गई है जिससे जनमानस में भारी असन्तोष व्याप्त है। तत्काल राप्ती नदी पर बन्धे का निर्माण कराया जाय। फसलों के नुकसान की भरपाई की जाय, गिरे हुए मकानों को बनाने का अनुदान दिया जाय तथा क्षतिग्रस्त मार्गों एवं सड़कों का निर्माण कराया जाये, बरसात में मारे गये पशुओं का मुआवजा दिया जाए एवं बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रीय जनता का इलाज कराकर दवा वितरण किये जाने की व्यवस्था की जाये।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर अन्तर्गत आरोपुर से कटोखर चौराहे तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत आरोपुर से कटोखर चौराहा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनी सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस पर पूर्व में कुछ नाम मात्र के कार्य कराये गये और अधूरा कार्य छोड़ दिया गया। इस पर धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रस्ताव भी आ चुका है। परन्तु धन स्वीकृति के अभाव में कार्य नहीं हो पा रहा है। यह मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है और इसकी लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 है। तत्काल धन स्वीकृत कर अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है और जो नाम मात्र के घटिया कार्य कराये गये हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की भी आवश्यकता है। यह जनहित का विषय है।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के साधन सहकारी समिति द्वारा किये गये खाद घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद चन्दौली की तरफ कराना चाहता हूं कि जनपद में 1500 मीटरी टन DAP खाद जोकि साधन सहकारी समिति में बचा था और उसका मूल्य दर 905 रुपये था, इसी बीच साधन सहकारी समिति पर नये DAP खाद आ गया, जिसका मूल्य दर 1205 रुपये है पुराने बचे DAP खाद को भी साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों ने नये दर 1205 रुपये में किसानों को दिये, जिससे किसानों का करोड़ों रुपये साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से लिया गया है। उक्त मामले को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी आप से सादर अनुरोध है कि जनहित में उक्त प्रकरण की जांच कराकर किसानों से जो कि अधिक मूल्य लिया गया है, उसे वापस कराने और लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के ध्यानाकर्षण सूचना पर माननीय मंत्री जी के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् व देहात क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं की जा रही है। मात्र 4-5 घण्टे ही देहात क्षेत्र में व 7-8 घण्टे नगर क्षेत्र का वर्तमान रोस्टर संचालित किया जा रहा है। किसानों के सामने धान की फसल को बचाने के लिए सिंचाई की गम्भीर समस्या है। नगर एवं देहात क्षेत्र में दुर्गा पूजा व अन्य आयोजनों को करने वालों के सामने विद्युत का गम्भीर संकट है। रूदौली नगर के उपभोक्ता विद्युत बिल का भुगतान शहरी दर पर करते आ रहे हैं। जबकि आपूर्ति देहात क्षेत्र की आपूर्ति से भी कम की जा रही है। नगर क्षेत्र में इण्डस्ट्रियल कामर्शियल व अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 15 हजार से ज्यादा है। इस समस्या के निदान के लिए नगर वासियों द्वारा शहरी रोस्टर से विद्युत आपूर्ति की मांग वर्षों से की जा रही है। परन्तु अभी तक शहरी रोस्टर लागू नहीं किया गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए देहात क्षेत्र के लिए 16 घण्टे एवं नगर क्षेत्र के लिए 20 घण्टे के रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के वायरलेस कर्मियों का वेतन एवं अन्य सुविधायें मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुरूप सामान्य पुलिस कर्मियों से अधिक किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से कुम्भ मेला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान दिनांक 02 जनवरी, 2013 को कुम्भ मेला पुलिस कन्ट्रोल रूम के निरीक्षण के समय पुलिस वारयलेस कन्ट्रोल रूम की कार्य प्रणाली से अति प्रसन्न होकर मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि कन्ट्रोल रूम में कार्य करने वाले वायरलेस कर्मियों का वेतन हमारे सुरक्षा कर्मियों की भांति सामान्य पुलिस कर्मियों से अधिक कर दिया जाय एवं सभी पुलिस कर्मियों को एक जैसा जाड़े का जैकेट (यूनीफार्म) प्रदान किया जाय। उक्त घोषणा के क्रम में मुख्य मंत्री जी की अपेक्षानुसार मूल वेतन व विशेष वेतन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। उ0 प्र0 पुलिस रेडियो शाखा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति में रुपया 4200 ग्रेड पे की जगह रुपया 2800 का ग्रेड वेतन (विभाग में न होने के बाद भी) दिया जा रहा है। जिससे वायरलेस कर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह प्रदेश के पुलिस वायरलेस शाखा के लाखों कर्मियों के हितों से सम्बन्धित प्रश्न है।

अतः उक्त लोक महत्व के औचित्य के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत भवन संख्या 22/641, इंदिरा नगर के मालिक को आवास विकास परिषद् द्वारा कब्जा-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणजीत सुमन/अमित गौरव यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लखनऊ के आवास विकास परिषद् की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, भवन संख्या-22/641 इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं इससे लगी 8 मीटर चौड़ी अतिरिक्त भूमि श्री जगराम यादव को आवास विकास परिषद् द्वारा आवंटित की गयी है। परन्तु आवास विकास परिषद् द्वारा उक्त भूमि का कब्जा-पत्र अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। जिससे इनका परिवार काफी आक्रोषित है।

अतः लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर भवन संख्या-22/641 एवं इससे लगी 8 मीटर चौड़ी अतिरिक्त भूमि का कब्जा-पत्र निर्गत किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली की कतिपय सड़कों/गलियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र बरेली में आवास विकास राजेन्द्रनगर की सड़कें/गलियां, सिद्धार्थनगर की गलियां व नाली, नैनीताल रोड से शहीद अनिल सिंह द्वार रेलवे क्रासिंग शिवमंदिर डाक्टर भदौरिया के मकान कंजादासपुर पीर भौड़ा, पीलीभीत रोड तक सड़क, संजयनगर मुख्य मार्ग होली चौराहा गोसाईगौटिया जोगीनवादा रायल पब्लिक स्कूल मुख्य मार्ग हनुमान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मन्दिर तक सड़क व नाली, शास्त्रीनगर मुख्य द्वार से डाक्टर आफाक के घर के सामने हार्टमैन कालेज रोड तक सड़क व नाली निर्माण, पूर्वांचल नगर में मुख्य द्वार से पूर्वांचल नगर फेज-2 तक सड़क निर्माण, सीवीगंज के पास से चौक नं0-8 के आगे मन्दिर तक सड़क, मिथिलापुरी एवं अवधपुरी निकट डेलापीर के0के0 श्रीवास्तव के मकान वासुदेव के मकान अशोक मेहरा के मकान तक सड़क व नाली, डेलापीर रामबिहार कालोनी रोड नं0-3 वी0के0 सक्सेना के मकान राजाराम के मकान होली चौराहा तक सड़क काफी क्षतिग्रस्त होने से आम जनता को बहुत परेशानी होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त मोहल्लों की सड़कों/गलियों/नाली के निर्माण के लिये आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पेयजल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में आर्सेनिक युक्त पानी हैण्डपम्पों में आने के कारण तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। प्राइवेट पम्पों के अलावा सरकारी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में भी आर्सेनिकयुक्त पानी आ रहा है। चूंकि वर्तमान समय में क्षेत्र का काफी क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित भी है इसलिए भयंकर बीमारियों का प्रकोप बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में भी बार-बार यह प्रकरण शासन व जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। परन्तु उस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है। तत्काल विशेष पैकेज के तहत आर्सेनिक युक्त पानी से निदान दिलाये जाने हेतु पानी की टंकियों का निर्माण भी कराये जाने की आवश्यकता है। एक टीम गठित कर आर्सेनिक युक्त पानी से प्रभावित लोगों को राहत भी दिये जाने की आवश्यकता है। प्रकरण जनहित का है एवं आम जनता से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण का निदान कराने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई की कतिपय सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाशंकर वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत निम्न सड़कों का निर्माण कार्य/मरम्मत कराया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है।

1-उरई से कोच के सड़क बहुत ही खराब हो गयी है उच्चीकरण कराकर चौड़ीकरण लम्बाई लगभग 27 कि0मी0 चौड़ीकरण का कार्य।

2-कोच से कैलिया होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाता है सलइया पर पुल का निर्माण कार्य जनहित में बहुत ही आवश्यक है यह मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है। यह बहुत ही जर्जर एवं खराब हालत में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-उरई विधान सभा के क्षेत्र में भारी बारिस के कारण यहां की निम्न सड़कें बहुत जर्जर हो गयी हैं जिसका मरम्मत कराया जाना आवश्यक है।

4-उरई से जालौन तक की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं सड़क की लम्बाई 20 कि0मी0 है जोकि मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़कों को चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण/मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीगनर की नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज नगर पंचायत लगभग 1917 की बनी है जो बड़े कस्बे का रूप धारण कर चुकी है। जिसे तहसील बनाये जाने की मांग काफी दिनों से चल रही थी। जनहित को देखते हुए मा0 राजस्व मंत्री उ0 प्र0 सरकार ने 10 सितम्बर, 2013 को शहीद दिवस के अवसर पर जनभावनाओं को देखते हुए कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने की घोषणा की। कप्तानगंज को तहसील मुख्यालय बन जाने से लाखों जनता का फायदा होगा, जिससे तत्काल कप्तानगंज को तहसील के रूप में परिणित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मा0 राजस्व मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को तहसील बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु 100 हैण्डपम्पों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत पीने के पानी की अत्यधिक भीषण समस्या व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता को पीने हेतु शुद्ध पानी नहीं मिलने से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। मार्च, 2013 के सत्र में शासन स्तर पर हर विधान सभा क्षेत्र में 100 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापित किया जाना स्वीकृत हुआ था, मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में 100 हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को सूची उपलब्ध करा दी थी, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक क्षेत्र में एक भी हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं हो सके हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के कतिपय जर्जर सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव के विकास खण्ड बेहटा में शेखनापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम दोना घटपिलाई तथा दण्ड पुरवा, लहरपुर भदफर रोड से उमरिया खुर्द रुखारा से सेमरा पुरवा तक एवं ऑवा सम्पर्क मार्ग से लोनीपुरवा तक रास्ते अत्यन्त खराब व कच्चे होने के कारण ग्रामीणों के आवागमन में काफी कठिनाइयों व मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन गांव के रास्ते पेण्टेड न होने के कारण विकास में काफी पिछड़े हैं।

अतएव लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त उल्लिखित गांवों के सम्पर्क मार्गों को पक्का डामर रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत विकास खंड ईसानगर में नलकूप कनेक्शन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-ईसा नगर के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड प्रथम खीरी के द्वारा बेल्थुआ में सार्वजनिक नलकूप स्टीमेण्ट जमा होने के बाद तथा सरकार के निर्देशों के बाद भी नलकूप कनेक्शन नहीं हुआ है जबकि उसमें लगने वाले सभी उपकरण मौजूद हैं। उक्त नलकूप के चालू न हो पाने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पानी के अभाव में किसानों की फसलें सूख रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा नलकूप कनेक्शन किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु अभी तक नलकूप कनेक्शन हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहघाट में संचालित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के **ब्लाक ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहघाट में संचालित होने वाला कस्तूबरा गांधी बालिका विद्यालय वहां पर न संचालित होकर सिटी में संचालित हो रहा है,** जिससे ब्रह्मपुर की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्लाक ब्रह्मपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्रीय ग्राम सभा के छात्राओं को शिक्षा हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें शिक्षा हेतु अत्यधिक दूर स्थित बालिका विद्यालयों में जाना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहघाट में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक ब्रह्मपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालित करने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही किये जाने तथा **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को विकास खण्ड-ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डीहघाट में संचालित करने की मांग करता हूं।**]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन में नये सिरे से चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन की तहसील मधुवन, परगना नत्थूपुर, ग्राम सभा मोलनापुर का पंचशाला बन्दोबस्त 1370 फसली से हुआ। उक्त बन्दोबस्त में कार्यरत भ्रष्ट एवं गैर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चलते अभिलेख में 80 प्रतिशत गड़बड़ी कर दी गयी थी। क्षेत्रीय ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर 88-89 जिल्द बन्दोबस्त का राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी, मऊ के निर्देशन पर उप जिलाधिकारी, घोसी तथा तहसीलदार घोसी द्वारा जांच किया गया। जिसमें उक्त बन्दोबस्त में अत्यधिक अनियमिततायें बरती गयी थीं। दिनांक 27 अगस्त, 1993 को अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0-1634 (1-2) के माध्यम से जिलाधिकारी मऊ द्वारा अपने उक्त बन्दोबस्त को निरस्त करके नये सिरे से बन्दोबस्त किये जाने हेतु सिफारिश भी की गयी थी। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से पूर्व में की गयी चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कर नये सिरे से चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक चकबन्दी किये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद महोबा के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि में कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है जिस कारण बुन्देलखण्ड के लोग अलग प्रान्त बनाने की भी मांग लम्बे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय से करते चले आ रहे हैं। बुन्देलखण्ड की पीड़ा को देखते हुए पूर्ववर्ती भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने विकास की दृष्टि से अनेक निधियों की स्थापना कर बुन्देलखण्ड विकास निधि की भी स्थापना की थी। जिसके अन्तर्गत अनेक विकास कार्य होते हैं। पिछली ब0स0पा0 सरकार ने बुन्देलखण्ड को अनेक योजनाओं के अन्तर्गत विकास हेतु जहां पर्याप्त धन देने का कार्य किया वहीं बुन्देलखण्ड की जनता की भावनाओं को देखते हुए बुन्देलखण्ड को अलग प्रान्त बनाने हेतु विधान सभा से प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार से अविलम्ब अलग बुन्देलखण्ड राज्य बनाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर निर्णय लिये जाने की भी मांग की।

वर्तमान सरकार बुन्देलखण्ड के विकास को लेकर पूर्णतः उदासीन है। जिला योजना का धन रोका गया, साथ ही बुन्देलखण्ड की अन्य योजनाओं में भी कटौती की गई, यहां तक की मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा महोबा के ऐतिहासिक 833 वर्षों से अधिक अनवरत लगने वाले कजली मेला को राजकीय दर्जा दिये जाने के बाद भी कोई पैसा तथा सुविधा नहीं दी गयी। जबकि स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी ने महोबा जाकर कजली मेला को राजकीय मेला घोषित करके महोबा के विकास की अनेक बातें की थीं। वहीं मा0 लो0 नि0 मंत्री, मा0 पर्यटन मंत्री, मा0 प्रभारी मंत्री महोदय ने कजली मेले में उपस्थिति दर्ज कराकर महोबा के विकास की बातें की थीं। सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विधायकों की संस्तुति पर 100 हैण्डपम्प लगाने की घोषणा पर भी अमल नहीं हुआ, बल्कि बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि में भारी कटौती कर लेने से क्षेत्र के अनेक आवश्यक विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं।

मेरी राज्य सरकार से मांग है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के धन में कटौती न की जाय तथा विकास हेतु अतिरिक्त धन उपरोक्त निधि के अन्तर्गत शीघ्र निर्गत करने के साथ ही राजकीय एवं ऐतिहासिक कजली मेला स्थल को आकर्षक एवं पर्यटन की दृष्टि से महोबा को सुन्दर बनाकर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर भव्य रूप देने तथा पर्याप्त धन आवंटित करने हेतु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए राज्य सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र की सेमरा साऊं खोर टाडा मार्ग जमीन भीटी, मदरिया बरहजे मार्ग, मामखोर मार्ग, रामपुर गड़री मार्ग, चिलवा धौरहरा मार्ग, भरसी मार्ग, छपिया उमराव मार्ग, बैरियाखास मार्ग, सेमरा बुजुर्ग मार्ग, हाटा अहिरौली, टाडा मार्ग, पिडहनी बेलवा दाखिली पाण्डेय कोडर मार्ग, तीहा मुहम्मदपुर मार्ग, डेरवा लखनौरी मोहन पौहरिया वैरियाखास मार्ग, ददरी मार्ग, खुटभार मार्ग, बढ़या टीकुर मार्ग, संसारपार मरव मार्ग, भैंसवली मार्ग, ओझौली मार्ग, महुआपार मार्ग, नेवादा मदरहा मार्ग, घोड़ा लोटन गोड़सरी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग, मामखोर बेलसड़ा मार्ग, मदरिया मेहदरांव मार्ग, परसिया पड़ौली मार्ग, उरूवा धुरियापार मार्ग, तीहा मुहम्मदपुर ओझौली मार्ग, धुरियापार रतनपूरा गोपालपुर मार्ग जैसी सड़कें पूरी तरह टूट कर खत्म हो चुकी हैं। जिसकी मरम्मत की मांग बार-बार सरकार से की जाती रही मगर आश्वासन मिलने के सिवाय कुछ नहीं हुआ। जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिसके क्रम में हजारों लोग 02 अक्टूबर से इन सड़कों की मरम्मत के लिए पटना घाट से गोरखपुर 100 कि0मी0 लम्बा पैदल मार्च करेंगे।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से इन सड़कों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु कार्यवाही/व्यवस्था दिलाने की कृपा करें।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अर्न्तगत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला शाहजहांपुर के मेरी विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर के विकास खण्ड-सिधौली के अन्तर्गत बरौरा अखत्यारपुर से बचुइया तक सम्पर्क मार्ग तथा अखत्यारपुर से नया गांव, पलहनापुर, पाता तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उक्त मार्गों को अभी तक पक्का नहीं बनाया गया है जो कि वर्षा के कारण कई जगह पर बह गया है एवं उक्त कच्चे मार्ग ने जगह-जगह पर तालाब का रूप ले लिया है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूर्ण रूप से रुक गया है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन राहगीरों एवं क्षेत्रीय जनता के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग की मरम्मत करने हेतु उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक सड़क निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद ललितपुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 226 ललितपुर जनपद ललितपुर के अन्तर्गत भारी बरसात होने के कारण जिले भर की सड़कें एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। पैदल चलना दूभर हो गया है। जिसका मरम्मत/लेपन कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जो निम्नवत् है। 1-ललितपुर विधान सभा बांसी से बसन्तपुरा होते हुए ब्लाक वार तक डामरीकरण एवं पुल का निर्माण। 2-ललितपुर तहसील के तालबेहट से माताटीला तक डामरीकरण। 3-ललितपुर नगर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नेहरूनगर में पानी की टंकी बनवाये। 4-ब्लाक जखौरा से ग्राम सिरसी होते हुए ललितपुर तक डामरीकरण। 5-शहर ललितपुर से देवगढ़ तक डामरीकरण। 6-नगर ललितपुर में रपटा नाला का नया पुल एवं ग्राम गुढ़वार तक डामरीकरण। 7-ललितपुर नगर में जेल चौराहा के पास व्याना नाला का नवीनीकरण एवं नदीपुरा में शहजाद नदी का पुराने पुल का नवीनीकरण। 8-ललितपुर नगर में चन्देरा राष्ट्रीय मार्ग से नगर से घण्टाघर होते हुए नेहरू महाविद्यालय का डामरीकरण। 9-नगर में स्लाइट चौराहे से ग्राम राजघाट तक नवीनीकरण मेरे क्षेत्र में निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्रामों में सड़क एवं पुलों का निर्माण कार्य कराये जाने कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा-

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के निम्नलिखित गांवों को जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पक्की सड़क से जोड़ने की कृपा करें :-

1-विकास खण्ड तिलयानी के ग्राम अस्ता से कबीरपुर तक।

2-विकास खण्ड तिलयारी के ग्राम ईसापुर से असवार तारापुर तक।

3-विकास खण्ड खजुआ के ग्राम कंसा खेड़ा से नया पुरवा केवटहा तक।

4-विकास खण्ड मलवा के ग्राम रावतपुरा प्रधान मंत्री रोड से मोहनीपुरवा होते हुए पैगम्बरपुर तक।

अतः मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनमानस की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त गांवों में पक्की सड़क से तत्काल जोड़े जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, जनपद मेरठ में पेयजल योजना एवं सीवरेज योजना के कार्यों की दृष्टि से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना लागू हुई थी, उपरोक्त योजना अन्तर्गत कम चल रहा था इस मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ तथा काम की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है।

वर्तमान में निर्धारित समय-सीमा को लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया, लेकिन काम पूरा होता नहीं दिख रहा है। सारे शहर की सड़कें खुदी हुई हैं। लोगों का चलना दूभर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। नगर निगम जिसके क्षेत्र का काम हो रहा है। जिसकी सड़कें टूटी हैं, वह भी असहाय है क्योंकि कार्यदायी संस्था सीधे प्रदेश सरकार के अन्तर्गत हैं और कार्य से पूर्व नगर निगम बोर्ड की ओर से स्वीकृत परियोजना को लागू नहीं किया गया है। अतएव नगर निगम तो मजबूर है ही, मेरठ नगर निगम में कार्य न होने से यहां की जनता प्रतिदिन तथा प्रत्येक दिन घर से बाहर पैर निकाल रही है तो उसे परेशानी ही हो रही है। ऐसी स्थिति में मेरठ शहर में उक्त कार्य कराये जाने की सीमा यथाशीघ्र कम से कम समय में निर्धारित की जाय तथा कार्य पूर्ण कराकर सड़कें, नालियां बनाया जाना यहां नितान्त आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में कार्यरत कर्मियों की राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री सावित्री बाई फुले-

[महोदय, भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चयनित सामुदायिक सुविधादाता वर्ष 2004 से खण्ड विकास अधिकारी के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के हजारों सुविधादाता लाखों गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में गठित कर उन्हें विकास का रास्ता दिखाकर स्वरोगार व आत्मनिर्भर बनाने, गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का कार्य कर सेवा दे रहे हैं तथा ग्राम्य विकास विभाग के मुख्य योजना में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चयनित हैं जिन्हें ग्राम्य विकास विभाग में समायोजित किया जाना उचित है।

कार्यरत सामुदायिक सुविधादाताओं को एस0जी0एस0वाई0 के स्थान पर लागू की गयी पूर्ण समायोजन कर नियमित वेतनमान दिलाया जाय। सामुदायिक सुविधादाताओं के समान कार्य, समान वेतन व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति में आयु एवं योग्यता को शिथिल करते हुए समायोजन किया जाय तथा राज्य कर्मचारियों की तरह समस्त सुविधायें प्रदान की जायें। अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक सुविधादाता विगत एक सप्ताह से अनशन पर हैं। आन्दोलनकारियों में सात की स्थिति अत्यन्त नाजुक चल रही है। अपनी मांगों के लिए समस्त आन्दोलनकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सामुदायिक सुविधादाताओं की मांगों को पूरा कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ से जलेसर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद हाथरस के मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ से पुरदिल नगर, जरेरा होते हुए जलेसर तक की सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवस्था में है। उक्त सड़क दो जनपदों हाथरस एवं एटा से गुजरती है। उक्त सड़क से प्रतिदिन 500 गांवों से अधिक के निवासियों का आवागमन होता है और प्रतिदिन हजारों वाहन उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरते हैं। वर्षा के कारण सड़क ने जगह-जगह पर तालाब का रूप ले लिया है। जिसके कारण सड़क पर पैदल चलना भी अत्यन्त दूभर हो गया है। राहगीरों के साथ आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक सड़क निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के गांवों तथा बंधे को बचाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र-357 बेल्थरा रोड, जनपद-बलिया घाघरा नदी के किनारे स्थित है जहां पर हाहा नाला बांध है, जिसके सटे चैनपुर गुलौरा, मठिया एवं सहियां गांव बिल्कुल नदी के किनारे बसे हैं। घाघरा नदी के दबाव के कारण बाढ़ के दिनों में पानी के दबाव होने से बंधा तथा चैनपुर गुलौरा पम्प कैनाल व गांव के आस-पास के किनारों की कटान तेजी से हो रही है जिससे इन गांवों, बांध तथा पम्प कैनाल का नदी में विलीन होने का खतरा हमेशा बना है तथा किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अब तक घाघरा में विलीन हो चुकी है इन गांवों की आबादी 5 से 6 हजार के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत की है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त गांवों तथा बंधे को बचाने हेतु सरकार से समुचित कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में वन विभाग में रेन्जर द्वारा फर्जी वृक्षारोपड़ व बिक्र गार्ड लगवाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, गढ़ मुक्तेश्वर में NH-24 हाइवे पर रेन्जर वन विभाग द्वारा सैन्चुरी मैं विभिन्न होटलों आदि का निर्माण बिना NOC के तथा 2009 से 2013 तक वृक्षारोपण तथा घटिया मानक के ब्रिक गार्डों के लगवाने में भरी अनियमिततायें तथा घोटाला भारी धनराशि का सरकारी राजस्व की हानि की गई फर्जी गाड़ी, ड्राइवरों व फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर सरकार राजस्व से भुगतान लिया गया है। जनपद से बाहर शासन से जांच समिति भेजकर गहन जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध जांच कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सीतापुर, जनपद सीतापुर में विद्युत सप्लाई समयबद्ध तरीके से नहीं हो पा रही है। ट्रांसफार्मर जो काफी संख्या में खराब हैं और उनकी क्षमता भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पिछड़ा क्षेत्र है, छोटे तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। तत्काल समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई दिये जाने एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदले जाने की एवं उनकी क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह काफी महत्वपूर्ण एवं जनहित का विषय है।

अतः इस पर तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ स्थित देवस्थान आवासीय योजना एवं उससे सटी आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान फैजाबाद रोड मार्ग पर इन्दिरा नहर से ठीक पहले स्थित 'देवस्थान आवासीय योजना' के आश्रम रोड पर ''शिव योग आश्रम'' लखनऊ के दक्षिण पश्चिम कोने से तिरछी दिशा में नहर की ओर एवं उसके पूर्व में लखनऊ से सटी आवासीय आवादियों के ऊपर से गुजर रही बिजली की पुरानी एवं जर्जर हाइटेंशन लाइन व खम्भों से, यहां के निवासियों में भय व्याप्त है। मान्यवर, ज्ञातव्य है कि हाइटेंशन लाइन पुरानी हो जाने पर उसके तारों में तनाव व घर्षण के कारण तार कमजोर भी हो जाते हैं, जिससे उनके गिरने से कभी भी कोई अप्रिय घटना की सम्भावना बनी रहती है। इस सम्भावित दुर्घटना से वहां के निवासियों में जन आक्रोश है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन की नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त हाईटेंशन लाइन को हटाया जाना है।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की किसी अन्य योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान-

[महोदय, मैं आपका ध्यान उ0प्र0 के लगभग 60 हजार बेरोजगार जन स्वास्थ्य रक्षकों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1977 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य रक्षकों की भर्ती की गयी थी। इन लोगों को 2002 में बिना किसी कारण एवं नोटिस के हटा दिया गया। तब से आज तक ये लोग भटकते फिर रहे हैं। इन्होंने सैकड़ों बार अपना ज्ञापन प्रार्थना-पत्र शासन को दिया है। कई प्रार्थना-पत्र मा0 विधायकों के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री को भी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिये गये हैं। जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये हैं। इन लोगों ने मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय की भी शरण ली है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17-11-06 को उ0प्र0 सरकार को बेरोजगार जन स्वास्थ्य रक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की किसी अन्य योजना में समायोजित करने का आदेश दिया था, परन्तु आज तक बेरोजगार जन स्वास्थ्य रक्षकों को किसी भी विभाग की योजना में समायोजित नहीं किया गया है। जिससे प्रदेश सरकार के 60,000 सरकारी रूलर हेल्थ वर्कर बेरोजगार हो गये उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी। बेरोजगारी के 12 सालों में बच्चे जवान हो गये हैं परन्तु बेरोजगार जन स्वास्थ्य रक्षक अपने बच्चों की बुनियादी तालिम, स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य की बुनियाद नहीं रख पाये हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में बेरोजगार जन स्वास्थ्य रक्षकों के सामने जीते-जी मरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। बेरोजगारी के कारण लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय है। 60,000 जन स्वास्थ्य रक्षकों एवं उनके परिवार में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं उक्त लोक महत्व अविलम्बनीय विषय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-06 के क्रम में जन स्वास्थ्य रक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की किसी अन्य योजना में सम्मलित करने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बरेली नगर निगम क्षेत्र में नये जुड़े ग्रामीण पृष्ठ भूमि के अविकसित क्षेत्र में सड़क निर्माण आदि न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर, बरेली महानगर बनने के बाद बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र जो शहर से लगे हुए थे, महानगर के अंग बना दिये गये। **दलित व मलीन बस्तियों की श्रेणी में आने वाले** मढ़ीनाथ, शान्ति बिहार, सनैया, सिठौंरा आदि ऐसे प्रमुख स्थान हैं जो महानगर में होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र से बदतर हैं। खेद का विषय है कि यहां अभी तक बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत सुविधायें पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। बारिश में स्थिति नरकीय हो जाती है।

वर्तमान में आवागमन की सुगमता हेतु मानावीर [मानावीर का थान (मन्दिर)] से बेनीपुर होते हुए सिठौरा तक, सुभाष नगर भगवान दास की चक्की से नाले के किनारे राजीव कालोनी होते हुए वीर भट्टी (वाल्मिकी बस्ती) तक, मढ़ीनाथ बंशी नगला मठिया से सिठौरा तिराहे तक, गणेश नगर में बदायूं रोड से मढ़ीनाथ शिव मन्दिर तक, मढ़ीनाथ मन्दिर से बेनीपुर तक, होली चौक से सिठौरा आश्रम तक, शान्ति विहार आर्यव्रत कालोनी में पूर्व सैनिक आर0 पी0 सिंह के मकान से सिठौरा रोड तक, विश्वनाथपुरम् में मुन्ना पाठक के मकान से धोबी बस्ती होते हुए सिठौरा रोड तक मिट्टी भराव, सड़क/सीमेन्ट टाइल्स/खड़न्जा निर्माण व्यापक जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अवगत कराना है कि माननीय मंत्री संसदीय कार्य व नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27-02-2013 को उक्त कार्य हेतु नगर निगम बरेली को निर्देशित किया गया था किन्तु अभी तक उक्त कार्य नहीं हो पाये हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम 301 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मैनुपरी के पूर्व संभागीय खाद्य नियंत्रक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, श्री हृदयशंकर चतुर्वेदी, संभागीय खाद्य नियंत्रक, जो जनपद मैनपुरी में तैनात थे, के विरुद्ध खाद्यान्न घोटाले में सी0बी0आई0 द्वारा चार्जशीटेड किया हुआ है तथा उनके विरुद्ध अभियोजन की तैयारी किया जाना विचाराधीन है किन्तु अभी तक नहीं की गई है। जिसे कब तक कर दिया जायेगा। सी0बी0आई0 द्वारा चार्जशीटेड अधिकारी श्री चतुर्वेदी को वर्तमान में संभागीय खाद्य नियंत्रक के पद पर जनपद वाराणसी में तैनात कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध जन-प्रतिनिधियों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, किन्तु अभी तक श्री चतुर्वेदी को जनपद वाराणसी से दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित न करते हुए सचिव, नियुक्ति द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त अधिकारी की कार्यशैली के कारण स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है, जिसके निराकरण हेतु आवश्यक है कि श्री चतुर्वेदी का जनपद वाराणसी से अन्यत्र दूरस्थ स्थान पर प्रथमतः स्थानान्तरित करते हुए तदोपरान्त इनके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ किया जाना जनहित में नितान्त अपरिहार्य हो गया है।

मा0 अध्यक्ष जी लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत चर्चा कराने की कृपा करें।]

[12.29 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 15 सूचनायें प्राप्त हुई। इसमें एक भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती।

मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

आपका बहुत बाद में आया है। आपका टाइम से नहीं आया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय नियम 300 के अन्तर्गत आता है। सुन तो लीजिये। यह विधान सभा के सदस्यों से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में एक परम्परा है कि ....

श्री अध्यक्ष-

लेकिन उसकी नोटिस आपने बाद में भेजी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरा नोटिस टाइम पर है। मेरा आप विनम्रतापूर्वक निवेदन सुन तो लीजिये। सदन के सदस्यों से संबंधित है। यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है मान्यवर। डिले कन्डोल तो न्यायालय में हो जाती है। माननीय अध्यक्ष पीठ से तो हो ही जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आप कम कराते हैं, पहले बहुत डिले कराते रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। इस सदन में यह परम्परा है कि चाहे किसी भी माननीय सदस्य के संबंध में चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के संबंध में हो, कोई चर्चा यदि आ जाती है तो माननीय सदस्य को अपना विषय रखने का अवसर दिया जाता है। अभी माननीय राजा भैय्या जी का विषय आया था तो उनको भी अवसर दिया गया था, सदन में अपना पक्ष रखने का। आप ही के पीठ द्वारा निर्देशित हुआ था। अभी एक स्टिंग आपरेशन हुआ है, उसमें भी माननीय नगर विकास मंत्री जी ने सदन में अपना पक्ष रखा लेकिन हमारे पक्ष के कुछ सदस्यों का नाम एक लम्बे समय से बराबर अनर्गल तरीके से लिया जा रहा है, उन्हें आपकी तरफ से कृपापूर्वक अवसर नहीं मिला कि वह अपना पक्ष रख सकें। मैं आपसे यह चाहता हूं कि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है, पीठ के आदेश से चलता है और पीठ का काम सभी सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण करने का भी है। पीठ का काम सबको समान अवसर प्रदान करने का भी है। जहां आपका दाहिना हाथ सत्तारूढ़ दल पर है लेकिन आंख विपक्ष की ओर रखने की भी सामान्य परम्परा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज सदन समाप्त होने जा रहा है और उन माननीय सदस्यों को सदन में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं हुआ तो मुझे आपसे निवेदन करना है कि इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं कि आखिर माननीय सदस्यों के इस अधिकार की उपेक्षा क्यों की जा रही है, वह अनावश्यक रूप से आरोपित हो रहे हैं और स्टिंग आपरेशन के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जो कुछ मुजफ्फरनगर में पुलिस के द्वारा हुआ, वह सब फर्जी है, ऐसी परिस्थिति में उन माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाना उपयुक्त होगा, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर एवं भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 998-ए के अन्तर्गत निर्दोष हजारों महिलाओं व उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रमोद तिवारी जी की सूचना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 998-ए के अन्तर्गत निर्दोष हजारों महिलाओं तथा उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह कहां से नियम-300 में बनता है। ये नहीं, अब नहीं, नियम-300 में आपने कहा मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरे द्वारा एक सूचना नियम-300 में दी गई है। उत्तर प्रदेश में धनगर को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता, आप जबरिया कोई बात बताते हैं, यह नियम-300 में नहीं आता है। मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

प्रथम सत्र 2013 में दिनांक 22 मार्च, 2013 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

सलिल विश्नोई जी मैंने आपका पढ़ लिया है आपका नम्बर-1 पर है 100-100 हैण्डपम्पों का मामला है यह सरकारी काम है यह विधान सभा से सम्बन्धित मामला नहीं है। विधान सभा में यदि कोई घोषणा हो जाए और पूरी न हो तो इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 998-ए के अन्तर्गत निर्दोष हजारों महिलाओं व उनके अबोध बच्चों को बेगुनाही के बाद भी जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका नम्बर-1 पर है लेकिन मेरा किस नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष-

आपका दूसरे नम्बर पर है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उसमें क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे प्रदीप माथुर जी की जगह पर पढ़ दिया था। यह कहां नियम-300 में आता है। हर सत्र में मा0 तिवारी जी आप इसे उठाते हैं और आपको उठाने का अधिकार है लेकिन यह नियम-300 में आता ही नहीं है। आप इसे नियम-56 में देते, नियम-51 में देते तो सरकार कोई जवाब देती।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में दिया नहीं, 51 में दिया नहीं और मैंने दिया है नियम-300 में, मान्यवर, मेरी भावनाओं को सुन लें, इसे मत स्वीकार करें।

प्रथम सत्र 2013 में दिनांक 22 मार्च, 2013 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाने की घोषणा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिए शासनादेश जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग क्यों खड़े हैं। हैण्डपम्प देने का मामला औचित्य का सवाल नहीं बनता है, इसे हम नहीं मानेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग चलते-चलाते ऐसा कुछ न करो कि हमें भी कोई कठोर कदम उठाना पड़े। ऐसा मत कीजिए। यह सौ-सौ हैण्डपम्पों का मामला कहां औचित्य में आता है यह मुझे बताओ, कम से कम अपने नेताओं से तो पूछ लो। सरकार आपको दे या न दे, इसके लिए सरकार से बात करो, हमसे क्यों पूछते हो। आप करते रहो, हम बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप ऐसा कोई काम न करें जिससे कि मुझे भी कुछ सोचना पड़े, आप लोग वापस जाएं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (सदन के वेल से)-

सरकार या तो हैण्डपम्प दे या यह स्पष्ट कर दे कि हमें नहीं देना है।

श्री अध्यक्ष-

यह सौ हैण्डपम्पों का मामला औचित्य में कैसे आता है क्या हम दिलायेंगे हैण्डपम्प। यह औचित्य में नहीं आता है, हम इसे नहीं सुनेंगे। माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी आप अपने मा0 सदस्यों को बुला लें यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मा0 विश्नोई जी आप अपनी सीट से जो कुछ पूछना है पूछिए। आपको मिला या नहीं मिला इससे हमसे क्या मतलब है, यह औचित्य का प्रश्न कहां बनता है। बैठो भदौरिया जी, बैठो, बहुत ज्यादा नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, विधान सभा में दण्ड की भी व्यवस्था है और दण्ड बहुत बड़ा-बड़ा मिल जाता है, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, विनम्रता के साथ मेरा निवेदन है कि खुशी से कोई नहीं जाता यहां पर (वेल में), दुखी हो करके गये। पीने के पानी का संकट है और अगर उस संकट को जनप्रतिनिधि नहीं हल कर पायेगा तो अपने क्षेत्र में क्या वह मुंह दिखाने लायक रहेगा ? आज जो लोग आये हैं परेशान हो करके आये हैं, सदन की घोषणा है। कम से कम सदन की घोषणा का तो आदर होना चाहिए। अभी तक इनके क्षेत्रों में हैण्डपम्प चले जाने चाहिए थे, नहीं गये। आज सत्र का अंतिम दिन है। अगर अंतिम दिन में भी कुछ समाधान नहीं होगा तो क्या ले करके जायेंगे। कोई पूछेगा इनसे कि सदन में रहे हो क्षेत्र के लिए क्या ले करके आये हो जब आपके क्षेत्र के लिए घोषणा की गयी थी।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह मानेंगे नहीं, इनकी सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह-

तो उस घोषणा का भी सम्मान नहीं हुआ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार यहां बैठी भी है, कम से कम भावनाओं को देख करके इसके बारे में आज आप सुनिश्चित एलान करें कि कब तक इनके यहां हैण्डपम्प पहुंच जायेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अंदाजा तो यही है कि सब जगह पहुंच गये होंगे और हो जाना भी चाहिए। (लोकदल के कुछ सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि हैण्डपम्प पहुंच गये हैं।) अगर नहीं हुए हैं तो यह थोड़ा चिंता का विषय है। यह दिखवाया जायेगा कि क्यों नहीं पहुचे ? जो घोषणा माननीय नेता सदन ने की है उसको पूरी तरह से शत-प्रतिशत लागू किया जायेगा।

(श्री सलिल विश्नोई जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

विश्नोई जी अब क्या बाकी रह गया ?

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, डी0आर0डी0ए0 विभाग का यह कहना है कि शहरी क्षेत्र को हैण्डपम्प नहीं मिलेंगे। इस पर सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे।

श्री वंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, आगे का मद लेने दीजिए।

(श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

[12.37 बजे] मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष-

सुरेश राणा जी, आपको क्या कहना है ?

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस संगीन विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो स्पष्टीकरण का पत्र लिखा है उसी तक अपने को सीमित रखिये, अपने बारे में जो कहना है वह कह लीजिए, भाषण मत दीजिएगा।

श्री सुरेश राणा-

अध्यक्ष जी, समाचार-पत्रों और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि मेरे खिलाफ मुजफ्फरनगर में मुकदमा कायम हुआ है। वास्तव में जो दंगे के दोषी हैं उन्हें छिपाने का प्रयास हो रहा है और जिन लोगों का दोष नहीं हैं उन्हें दोषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा कायम हुआ है और मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी इन्जीनियर हैं, पढ़े-लिखे हैं, यदि सरकार के पास कोई ऐसी सी0डी0 है जिसमें मैंने भाषण दिया है तो सदन के सामने स्पष्ट करें, जो भी सरकार सजा तय करेगी उसे हम भुगतने के लिए तैयार हैं और बिना किसी कारण के, केवल राजनीतिक आधार पर मुकदमे कायम किये जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था उन्होंने जो विषय रखा। कवाल में दो नौजवानों सचिन और गौरव की कैसे निर्मम हत्या की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने बारे में कहिये। आपको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, उसको दोहराइये नहीं।

श्री सुरेश राणा-

अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जांच होनी चाहिए उनकी जिन लोगों ने जो 7 मुल्जिम पकड़े गये, उन्हें छुड़ाया, वहां 30 तारीख में समाजवादी पार्टी के....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, बात बढ़ा रहे हैं। आपका स्पष्टीकरण आ गया।

श्री सुरेश राणा-

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद....

श्री अध्यक्ष-

अब आपका लिखा नहीं जायेगा, आपको जो स्पष्टीकरण देना था आपने दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठिए आपका स्पष्टीकरण हो गया कि आपका इन्वाल्वमेंट नहीं है। अब जो आप बोलेंगे न वह लिखा जाएगा न कार्यवाही का अंग बनेगा। आपका इन्वाल्मेंट है या नहीं इसके बारे में स्पष्टीकरण देना था वह हो गया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश राणा-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही कह दिया कि आपका लिखा नहीं जाएगा।

चूंकि इन पर आरोप लगा था। एक स्पष्टीकरण देने के लिए आपने एक आवेदन दिया कि सदस्यों के बारे में जब कोई आरोप लगे तो सदन के समक्ष उनको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। उसी के तहत आपको अपना स्पष्टीकरण देना था आपने स्पष्टीकरण दे दिया कि सी0डी0 मंगा ली जाए अगर मैं दोषी हूं तो मेरी सजा की जाए नहीं तो मेरे ऊपर आरोप न लगाए जाएं। अब वह बात खत्म हो गई अब बात को बढ़ाते क्यों हैं। अब पूरा भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान के मध्य)

[12.42 बजे] ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापा नहीं गया।

प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अग्रवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान के कारण श्री राजेश अग्रवाल अपनी बात नहीं रख सके)

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं।

(इसी मध्य श्री दलवीर सिंह व श्री वीरपाल राठी अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन के वेल में आ गए तथा बाद में अपने स्थान पर वापस चले गये। तदुपरान्त श्री राजेश अग्रवाल ने अपनी बात रखी)

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी पंचायती राज के लेखा प्रतिवेदन आज सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं इस पर जांच किये जाने हेतु विधायिका की कोई समिति गठित नहीं है समिति के अभाव में इस प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व में मैं लोक लेखा समिति का सदस्य रहने के नाते यह तथ्य हमारे संज्ञान में है कि वर्ष 1979-80 में लोक लेखा समिति ने लोक लेखा समिति की भांति लोकल फण्ड, सहकारी समितियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने और उसकी जांच हेतु अलग से समिति के गठन करने की संस्तुति की थी किन्तु उस पर शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 1985-86 में समिति ने अपनी पूर्व संस्तुति पर बल देते हुए समिति के गठन हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की संस्तुति की थी किन्तु सदन की उक्त समिति अभी भी अस्तित्व में नहीं है ऐसी स्थिति में इन पांच वर्ष के प्रतिवेदनों जिन्हें सदन में रखा जा रहा है इस पर कैसे विचार किया जा सकता है ?

---

† छापा नहीं गया।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह राणा को बोलने का समय दिये जाने की मांग करने लगे)

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन), नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

[12.44 बजे] लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन साहित) †

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(माननीय सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर बोलते रहने से व्यवधान)

[12.45 बजे] उप लोका युक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2013 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2013 (उपलो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

(भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह राणा को सुने जाने की मांग करते रहने तथा सरकार विरोधी नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग अपनी सीट पर चलिये। वहां से कहिये जो कहना है। इस तरह से हम नहीं सुनेंगे। सदस्यता समाप्त करा देंगे आप बहुत ज्यादा न करें।

श्री अध्यक्ष-

अनुप्रिया जी आप अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

[12.46 बजे] जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम करौता, डोमरी पड़ाव तथा मण्डुआडीह मोढैला में जल निकासी हेतु बड़े नालों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम करौता, डोमरी पड़ाव तथा मण्डुआडीह मोढैला में जल निकासी हेतु बड़े नालों का निर्माण/मरम्मत

---

† छापा नहीं गया।

कराये जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद व श्री नागेन्द्र पटेल निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम मुड़ादेव पोस्ट टिकरी तथा ग्राम सुसवाही के आवागमन हेतु खड़न्जा/आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र पटेल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम मुड़ादेव पोस्ट टिकरी तथा ग्राम सुसवाही में आवागमन हेतु खड़न्जा/आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र पटेल व श्री कुशनाथ पटेल निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन के ग्राम बसन्त पट्टी निएसीपुर (तोहफापुर), कपरफोरवा (पूरब का पुरा) तथा बन्देपुर पोस्ट बच्छांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव शंकर पटेल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन के ग्राम बसन्त पट्टी निएसीपुर (तोहफापुर), कपरफोरवा (पूरब का पुरा) तथा बन्देपुर पोस्ट बच्छांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिव शंकर पटेल व श्रीमती रेखा कौशल निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम अमरा खैरा चक कन्दवा, मण्डवाडीह सरकारी पुरा, विशोखर बाईपास तथा बभनियांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेश जायसवाल आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम अमरा खैरा चक कन्दवा, मण्डवाडीह सरकारी पुरा, विशोखर बाईपास तथा बभनियांव में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेश जायसवाल व श्री कुशनाथ पटेल निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(माननीय सदस्यगण के सदन के वेल में खड़े होकर माननीय सदस्य सुरेश सिंह राणा को सुनने की मांग करते रहे एवं जो दंगा करवाते हैं के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग अपनी सीटों पर चलें। वहां से कहिये जो कहना है। मैंने उनको, जो उन्होंने समय मांगा, मैंने स्पष्टीकरण का समय दिया। स्पष्टीकरण अपने बारे में देना रहता है, घटनाओं के बारे में भाषण नहीं दिया जाता है। कोई विधायक अपने बारे में स्पष्टीकरण देता है। उन्होंने अपने बारे में स्पष्टीकरण दिया कि मेरे बारे में कहा गया है, लेकिन मैं इसमें इन्वाल्व नहीं हूं,

अगर हूं तो मुझे दंड दें। तो अब उनका स्पष्टीकरण आ गया है, बात खत्म हो गई है, तो अब भाषण क्या देना है। यह स्पष्टीकरण नहीं है। आप नहीं मानते हैं तो न मानिये। देखिये ऐसा है स्पष्टीकरण अपने बारे में दिया जाता है उसमें कोई भाषण नहीं दिया जाता है। इसका एक नियम है।

(विपक्ष के अनेकानेक मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे और दंगा करवाने वाले मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, स्पष्टीकरण हो गया है वह अपने बारे में दिया जाता है।

[12.50 बजे] जनपद गाजियाबाद के नन्दग्राम, सिहानी, (वि0स0क्षे0 साहिबाबाद) की टूटी सड़कें व पानी निकासी का कार्य कराये जाने विषयक श्री नूर मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के नन्दग्राम, सिहानी, (वि0स0क्षे0 साहिबाबाद) की टूटी सड़कें व पानी निकासी का कार्य कराये जाने विषयक श्री नूर मोहम्मद व श्री विनोद त्यागी निवासीगण दीन दयाल पुरी, नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक नियम है राजा भैया भी बोले थे उन्होंने भी अपने बारे में कहा था कि मेरा इन्वाल्वमेंट नहीं था। आपने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेरा उसमें इन्वाल्वमेंट नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत थाना-इन्द्रापुरम् व साहिबाबाद व लिंक रोड के अन्तर्गत सी0सी0 कैमरे लगाये जाने विषयक श्री के0 के0 मिश्रा आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत थाना-इन्द्रापुरम् व साहिबाबाद व लिंक रोड के अन्तर्गत सी0सी0 कैमरे लगाये जाने विषयक श्री के0 के0 मिश्रा वह अन्य निवासीगण साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 व सेक्टर-5 बसुन्धरा व डी0एल0एफ0 बैशाली कालोनी की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अशोक त्यागी आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 व सेक्टर-5 बसुन्धरा व डी0एल0एफ0 बैशाली कालोनी की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अशोक त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत भोपुरा से गरिमा गार्डन पसौंडा से होते हुए करैहडा तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बाबू सिंह आर्य आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत भोपुरा से गरिमा गार्डन पसौंडा से होते हुए करैहडा तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बाबू सिंह आर्य व श्री जसविन्दर सिंह निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब इनको समय दिया गया तो इनको अपने बारे में कहना चाहिए था यह भाषण देने लगे, घटनाक्रम के बारे में बताने लगे। सफाई देने का मौका दिया उसका लाभ नहीं उठा पाए तो मैं क्या करूं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बलवन्त सिंह आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अमर पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के विधान सभा साहिबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बलवन्त व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(विपक्ष के मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे, घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

उनको समय तो दिया गया था लेकिन वह पूरे घटनाक्रम पर भाषण देने लगे उन्हें अपने बारे में बताना था कि मैं निर्दोष हूं आ गया स्पष्टीकरण। अब बार-बार कितना स्पष्टीकरण देंगे। आप लोग अपनी सीट पर चलें। वहीं से कहें जो कहना है।

[2.53 बजे] जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-2 सिकन्दरा से बाईपुर गढ़ी तक तथा नगला कली से सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड आदि विभिन्न मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री उत्तम सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-2 सिकन्दरा से बाईपुर गढ़ी तक तथा नगला कली से सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक

---

† छापी नहीं गयी।

स्कूल ग्वालियर रोड आदि विभिन्न मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री उत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य एवं दोनों किनारों पर नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बन्टी धाकरे आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य एवं दोनों किनारों पर नाली का निर्माण कराये जाने विषय श्री बन्टी धाकरे व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य सदन के वेल में नारे लगा रहे थे दंगा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार बदलनी है।)

श्री अध्यक्ष-

मैनें उनको स्पष्टीकरण के लिए समय दिया, स्पष्टीकरण अपने बारे में दिया जाता है घटनाक्रम पर नहीं दिया जाता है। स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है अब आप लोग अपनी सीटों पर जाएं।

जनपद बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री तनुज कुमार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)

(वेल में रहने के कारण)

श्री अध्यक्ष-

अरूण कुमार जी नहीं हैं।

मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीटों पर चलिए मैंने पूरा मौका दिया, उसका लाभ वह नहीं उठा पाए तो मैं क्या करूं, जो बात कहनी है वह कह नहीं रहे हैं जो बात कही जा चुकी है उसी को वह दोहरा रहे हैं जो बात उन्हें अपने बारे में कहनी थी वह कहा, अब जिस बात पर यहां चर्चा हो गई उसको दोहराया नहीं जाएगा। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, आपके इस दबाव से नहीं होगा, मैंने उनको कहा कि अपनी बात कहिए फिर वह घुमाने लगे। उनको सफाई का मौका दिया। आप अपनी सीटों पर चलें। उन्होंने कह दिया कि वह निर्दोष हैं उसके बाद वह घटनाक्रम पर बोलने लगे तब मैंने रोका कि जिन घटनाओं के बारे में यहां चर्चा हो चुकी है वह न कहें अपने बारे में जितना बोलना है वह बोल लें। आप लोग अपनी सीटों पर जाएं।

---

† छापी नहीं गयी।

(घोर व्यवधान)

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी बात कहने के लिए जोर दे रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया साहब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपनी सीट पर चलिए, बहुत ज्यादती नहीं करनी चाहिए, जब बहुत अती हो जाती है तो उसका परिणाम भी बड़ा गंभीर होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग अपनी सीटों पर चलिए। मैंने राणा जी को बोलने का समय दिया, लेकिन वह एक घण्टा कैसे बोलेंगे, यह कौन सा टाइम है, क्या वह उस घटना को दोहरायेंगे ? आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आप जानते हैं, विधायक को स्पष्टीकरण देने का समय अपने बारे में होता है। यह पूरी घटना दोहराने लगे कि ऐसे मरा, वैसे मरा तो यह बातें नहीं आनी चाहिए जिसकी चर्चा यहां हो चुकी है। उसको फिर यहां नहीं कहना चाहिए। अपने से सम्बन्धित जितनी बातें थीं, वह उन्हें कहना चाहिए था, मैं गया था, मैं नहीं गया था। यह कोई तर्क नहीं है कि वह एक घण्टा बोल सकते हैं तो एक घण्टा हम भी बोल सकते हैं। इन्होंने आरोप की सफाई तो दे दी कि मेरा इन्वाल्वमेंट नहीं हो सकता, मैं उससे मतलब नहीं रखता हूं।

(वेल में आए हुए कुछ सदस्य कह रहे थे कि एक घण्टे अगर गन्ना मंत्री बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकता हूं)

हम आपको पूरा संरक्षण दे रहे हैं लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्या करूं। मैंने उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन जब वह उससे अलग जाने लगे तब मैंने कहा। माननीय खन्ना जी, जिस घटना की चर्चा यहां हो चुकी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं थी, अपने बारे में जितना कहना चाहते, कहते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्हें 10 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप लोग सीट पर खड़े होकर अपनी बात कहिए।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से वापस अपनी सीटों पर चले गए)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपनी बातें सिर्फ अपने सन्दर्भ में रखना चाहते हैं, आप उन्हें रखने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, मैंने उन्हें अनुमति दी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आपके नेताओं ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया और मैंने उनको समय दिया तो अपने तक सीमित रखना चाहिए, वह घटना-क्रम का वर्णन करने लगे लेकिन जिसकी चर्चा यहां एक बार हो चुकी है, उसकी फिर नहीं

होती है, अपने बारे में जितना आपको कहना हो कहिए लेकिन उन घटनाओं को जिनकी चर्चा हो चुकी है, उनको नहीं दोहरा सकते हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो विषय रखा था, मेरा कहने का हेतु केवल इतना था क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं केवल उस विषय को रख रहा था कि हो सकता है कि कुछ जानकारी उनके संज्ञान में न हो क्योंकि वह गंभीर हैं इसलिए मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा था।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शान्त रहें, आप अपनी बात जल्दी से कह लें।

श्री सुरेश राणा-

अध्यक्ष जी, कल विषय आया कि शामली में कुछ लोगों ने छोटी सी घटना को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अध्यक्ष जी, मैं आपकी कृपा चाहता हूं।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

(समाजवादी पार्टी के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर शराबा उत्पन्न हो गया। शोर शराबे के मध्य)

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी कृपा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण शांत रहें। आप लोग शांत रहें।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। शामली के अंदर घटना हुयी। सारी जानकारी है। वहां आदरणीय बाबू श्री हुकुम सिंह जी की और मेरी गिरफ्तारी की बात कही गयी, पूरे जिले के अंदर 17 जगह जाम थे। हम लोग शांति व्यवस्था न चाहते, हम शांति के पुजारी न होते, हम लोग मौके पर गये अधिकारी मौके पर गये अधिकारी ने हमसे कहा, आप मौके पर चलिये जाकर के जाम खुलवाइये। हमने और बाबू जी ने जाकर मौके पर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन कर रहा हूं, हमने मौके पर जाकर जाम खुलवाया। शांति व्यवस्था कायम की। मा0 अध्यक्ष जी, जिस 07 तारीख की बात है, 07 तारीख में प्रातः अखबार में पढ़ा गया, अखबार के माध्यम से जानकारी हुयी।

(समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों के लगातार बोलते रहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, जल्दी खत्म हो जाने दो।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, 06 तारीख में अखबार में छपा कि वहां कुछ लोग किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। (मा0 श्री सुरेश राणा जी ने वाक्य पूरा नहीं कहा।)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपने उदारतापूर्वक जो समय दिया है और मान्यवर, इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। आपने समय दिया सफाई के लिए और मान्यवर, उस प्रकरण पर जिस पर, एक मिनट यार बात तो सुन लो।

[श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य उठकर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।]

श्री अम्बिका चौधरी-

एक मिनट केशव जी या तो आप बोल लें या मैं बोल लूं अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। आपसे नहीं पूछूंगा।

(श्री उपेन्द्र तिवारी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

बैठ जाओ। अभी बहुत लगेगा। अभी उम्र लगेगी, बैठो। [x x x] माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो उदारतापूर्वक समय दिया है। वह समय स्पष्टीकरण के लिए है और माननीय अध्यक्ष जी, उसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं हम लोग यह सुनने को तैयार हैं इनका अगर कोई स्पष्टीकरण है तो।

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्य वेल में आ गये। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। भा0ज0पा0 के सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे।)

श्री अम्बिका चौधरी-

किसको, क्या कहा। नहीं कहा है। नहीं कहा है किसी को नहीं। नहीं मान्यवर, यह इनसे पूछते रहिये आप। ये छोड़िये इनकी [x x x] बहुत देखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अरे बाजपेयी जी, आप चलो न।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए भा0ज0पा0 के सभी सदस्य नारे लगाते रहे)

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इसी मध्य भा0ज0पा0 एवं सपा सदस्यों के मध्य सदन में धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी और विधान सभा के सुरक्षा गार्डों ने बीच बचाव किया।)

(01 बजकर 18 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 01 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

[1.28 बजे] लोकतांत्रिक परम्पराओं की अक्षुण्णता हेतु आज सदन में घटित घटना पर खेद व्यक्त करते हुए आपत्तिजनक अंशों को कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था है मा0 तिवारी जी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं, व्यवस्था का प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि मान्यवर आज सदन में कुछ टेम्परेचर दिखवा लीजिये। यहां जो कुछ भी हुआ, थोड़ी गरमा-गरमी, ये हम लोगों की वजह से नहीं हुयी, ये आपकी कृपा से हुयी है। ये टेम्परेचर इसका बढ़ा रखा है आज। आज हीटिंग ज्यादा है ये देखो न, सब लोग देखो, आज हीटिंग ज्यादा है कुछ। मान्यवर, माथे पर पसीना आ रहा है और जब माथे पर पसीना आयेगा तो कुछ बूंदें तो निकलेंगी ही। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना विनम्र अनुरोध है कि आज सदन का अन्तिम दिन है, इसका टेम्परेचर आपको कल से कुछ कम ही रखना चाहिये था, आपने कुछ ज्यादा रखवा दिया इसलिये कुछ थोड़ा बहुत अगर गरमा-गरमी हो गयी है आपके जाने के बाद चूंकि आपने देखा नहीं सदन में, समझ नहीं पाये, नहीं होना चाहिये था। मान्यवर, जो कुछ भी हुआ और जो नहीं हुआ वो और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ और जो हुआ, वो नहीं होना चाहिये था। मैं सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करता हूं अपने सदस्यों को जिनकी भावनाओं को चोट लगी है। क्षमा याचना इधर करता हूं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को देखते हुये बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज आप कार्यवाही दिखवा लें। कार्यवाही में जो अनुचित शब्द आया हो, उसे आप सिर्फ दृढ़ता से निकाल न दें, कहीं अनुचित शब्द जिसने प्रयोग किया हो, उसे व्यक्तिगत रूप से आप कहें कि अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। सदन, सदन की मर्यादा के अनुसार चलना चाहिये। मान्यवर, इन विनम्र शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो विषय बीत गया, उसे बीत जाने दें। सदन की कार्यवाही आगे ले लें और उसके बाद इसका टेम्परेचर जरा ठीक करा दें जिससे जितने बचे-खुचे क्षण हैं, वे ठीक हो जायें। मान्यवर, अब आपका तो पता नहीं, क्या खा के आप आते हैं क्या आप पीते हैं। क्या आप पीते हैं और कुछ तो आप पीते नहीं हैं, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन जो आपका नर्म स्वभाव बना रहता है, लेकिन जरा आप उनका भी तो अंदाजा लगाइये, जो थोड़ा गर्म हैं लोग। थोड़ा अंदर से भी गर्म हैं, थोड़ा आप बाहर से गर्म कर देते हैं,

मान्यवर। तो सारी गर्मी यहीं निकलती है, मेहरबानी करके उचित है कि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करवा दें। मैं हाथ जोड़कर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं और अनुरोध करता हूं कि सदन की गौरवशाली परम्परा की रक्षा के लिए, जहां तक जो कुछ हो चुका है इसे यही छोड़कर आगे बढ़ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इस बात को इतना हल्का नहीं करना चाहता कि टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए। यदि कोई बात सदन में कही गई है जो नहीं कहीं जानी चाहिए थी, और जो शायद कभी न कही गई हो। अगर ऐसी बात कही गई है मान्यवर, अगर मैं उसे दोहराऊंगा तो फिर वह हिस्सा बनेगा कार्यवाही का जानकारी में आपकी भी है कि उत्तेजना क्यों बढ़ी और क्या कहा गया। अगर वह कहा गया अनुचित है और नहीं कहा जाना चाहिए था तो मान्यवर, उसका समाधान भी होना चाहिए। जिसने कहा है अगर थोड़ी बहुत भी सदन को चलाने की इच्छा उनकी है और चाहते हैं गरिमा बनी रहे, इस सदन की मर्यादा बनी रहे तो खड़े होकर कम से-कम सदन के सामने क्षमा याचना तो वह कर सकते हैं। इतना तो होना चाहिए कम-से-कम यदि उन्होंने कहा है या ये कह दें खड़े होकर कि मैंने नहीं कहा। उत्तेजना तो वहीं से पैदा हुई, मान्यवर। मैं भी आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूं देखिए लीपा-पोती से काम नहीं चलता है, काम चलता है समस्या का समाधान करने से। समस्या का समाधान तभी होगा, जब समस्या की जानकारी हमें हो। समस्या की जानकारी मान्यवर, निश्चित रूप से आपके संज्ञान में आ चुकी है। उस समस्या का समाधान करिए, समाधान करना ही अच्छा होगा। आज के लिए भी और आगे के लिए भी, यह मेरा अनुरोध आपसे है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि आज इस सत्र का अंतिम दिन है। सौहार्दपूर्व वातावरण में हम लोग यहां से उठना चाहते हैं लेकिन कुछ घटनाक्रम आपके जाने के बाद यहां ऐसी स्थितियां पैदा हुईं, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और ऐसे जब भी मौके आते हैं, केवल हम ही निंदा नहीं करते, बल्कि सदन के बाहर जनता भी उसकी निंदा करती है। वैसे भी जनप्रतिनिधियों के व्यवहार कार्यशैली पर जनता की नजर तेज रहती है और इसकी छोटी गलतियां जनता में बड़ा गलत संकेत देती हैं। यहां जो कुछ भी हुआ हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, लेकिन वह खेदजनक है, लोकतांत्रिक परम्पराओं पर कहीं न कहीं वह कुठाराघात है और साथ-ही-साथ मा0 सदन के सभी मा0 सदस्यों को इस बात का हमेशा आभास होना चाहिए कि इस सदन के सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों हिस्से हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्तापक्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका इसीलिए बनाई गई है, जिससे की सत्तापक्ष का ध्यान ज्वलंत समस्याओं की ओर, जनता से जुड़े मुद्दों की ओर यदि सरकार की कार्यनीति में कहीं कोई गलतियां हैं तो उसकी ओर समय-समय पर इंगित करता रहे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक परम्पराओं में मान्यवर, विपक्ष के नेता विरोधी दल का पद आप ही के द्वारा घोषित किया जाता है, नामित किया जाता है और इसीलिए अगर एक-दूसरे के सप्लीमेंटरी नहीं होते, तो अलग से नेता विरोधी दल को चिन्हित करने का कोई मतलब नहीं था, औचित्य नहीं था, तो ये लोकतांत्रिक

परम्पराएं हैं। अब चौधरी साहब की वरिष्ठता में कोई शक-शुबा नहीं है, वे वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन उनकी जो जुबान फिसली, वह कहीं-न-कहीं एक वरिष्ठ मंत्री के लिए, नये मंत्री होते, पहली बार के कोई सदस्य होते और मंत्री बनकर आए होते, तो शायद उस पर हम लोग इतने गंभीर भी नहीं होते, गौर भी नहीं करते।

मान्यवर, यह चौधरी साहब वरिष्ठतम मंत्रियों में से हैं। आप काफी संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता है। वाक पटु हैं। समय-समय पर किसी सदस्य की गलतियों को इंगित भी करते हैं। जब चौधरी साहब के द्वारा सदन के किसी सदन के किसी भी माननीय सदस्य को चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनके द्वारा भूल से भी यदि कहीं कोई बात निकलती है तो चौधरी साहब संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होने के नाते उसे समय-समय पर इंगित भी करते हैं संज्ञान में लाते हैं और सावधान भी करते हैं। तो आज जो भी बातें हुई हैं जाने में हुई अनजाने में हुई चाहे हुई अनजाने में हुई कैसे हुई बिना इस पर गये मान्यवर इस पर खेद आना चाहिए। यह इनकी गरिमा के अनुकूल होगा। और यह कोई इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलती की भूल-चूक से उनकी जुबान फिसली है। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा आज हम अच्छे वातावरण में यहां से उठे, चार दिन के सत्र में हम लोगों ने कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा सदन चलाने का और सत्ता पक्ष और विपक्ष चारों दिन बड़ी संख्या में सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। तो मान्यवर हम उसी अच्छे वातावरण में यहां से उठे यह स्वाभाविक है कि किसी भी माननीय सदस्य की कोई गिला शिकायत होती है आपकी अनुमति से अपनी बात दर्ज कराता है इसलिए कि आपका भी संरक्षण मिले और सत्ता पक्ष का भी उस पर ध्यान जाये। जिससे कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उस ज्यादती पर अंकुश लगे। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी अच्छे वातावरण में यहां से उठें और साथ ही साथ आपसी तनाव की स्थिति पैदा हुई वह पहले खत्म भी हो फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज सदन की आगे की कार्यवाही भी चले। और साथ ही साथ हम अपने वरिष्ठ साथियों से यह कहना चाहते हैं। अब मालूम नहीं कुछ ऐसा भी दोष है कि हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री के बगल में जो भी बैठता हो उसका टैम्परेचर बढ़ जाता हो यह भी हो सकता है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के बगल में बैठने वाली कुर्सी को लगता है कि खाली कराना पड़ेगा। यहां जो भी बैठता है उसका कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कल भी यह देखने को मिला आज भी देखने को मिला। तो इसलिए यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर मुख्य मंत्री जी के शरीर में कोई ऐसा यंत्र है जो अगल-बगल प्रभावित करता है तो मुख्य मंत्री जी को भी हम समझते हैं कि उसमें सावधान रहना चाहिए कि उनके सदस्य उनसे कहीं प्रभावित न हों। क्योंकि उनके बैठने से उनका तापमान बढ़ता है। अगर वह नहीं बैठे तो सारे अगल-बगल बैठने वाले भी बिल्कुल शान्त रहते हैं। नम्बर ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में, मुख्य मंत्री जी को ज्यादा अच्छा लगने के चक्कर में तो कुछ न कुछ यह खूबी है तो मुख्य मंत्री जी को अपने अगल बगल के वातावरण को ठीक करने के लिए भी गंभीर होना पड़ेगा और बगल में बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी मा0 मुख्य मंत्री जी के सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस अच्छे वातावरण में हम फिर उठेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी ने जिस ओर इशारा किया है माननीय हुकुम सिंह जी ने अपनी बात रखी है और सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। यह सच है कि इस सदन में ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं जिन स्थितियों को अच्छा नहीं माना जा सकता है तो उन स्थितियों को समाप्त करनें के लिए जो भी प्रयास किये जा सकते हैं वह किये जाने चाहिए और मैं आज उद्धरित करना चाहता हूं अपने नेता माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को वह बार-बार यह कहते हैं कि अगर किसी बिन्दु पर किसी सवाल पर अगर कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को स्वीकार करने से कोई छोटा होता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हुकुम सिंह जी को इस बात के लिए कि उन्होंने जो बात कही है उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल भी कारण नहीं है कि अगर कोई त्रुटि हो उस त्रुटि को स्वीकार किया जाये तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। श्रीमन आप जितनी उदारतापूर्वक हमेशा पक्ष और विपक्ष आवश्यकता उदारता की विपक्ष को ज्यादा होती है क्योंकि सरकार की ओर से जो विषय होने हैं वह ज्यादातर पहले से चिन्हित हैं और उसमें बातें पहले से तयशुदा हैं। विपक्ष की ओर से जो बातें आती हैं वह मान्यवर ज्यादा होती हैं। हम लोगों ने मैं आज उसका उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन मौर्या जी आप भी हैं हुकुम सिंह जी भी थे प्रमोद तिवारी जी भी थे तमाम कई सदस्य रहे हैं। हम लोगों ने मान्यवर सदन में उस दौर में भी देखा है जब यह माईक हटा दिये गये। दूसरा दौर भी देखा है कि इन खिड़कियों के शीशे जितने बेलजियम ग्लासेस थे वह सारे के सारे ग्लासेस टूट गये। वह दौर भी देखा है मान्यवर कि इस गरिमामय पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को उठाकर के स्ट्रेचर पर ले जाने की आवश्यकता इस सदन में पड़ी है। लेकिन वह हमारे लिये शर्मनांक स्थितियां हैं। जब भी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पर कोई बात आती है सारी दुनिया में तो हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा की वह तस्वीर बार-बार दिखाई जाती है। किसी भी हालत में वह तस्वीर दुबारा न दिखाई जायें या ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न हों। हम सब लोगों का जो इस सदन में बैठे हैं सरकार का विपक्ष का, सबका यह कर्तव्य है और इस कर्तव्य का सम्यक निर्वहन प्रत्येक स्थिति में सबको करना चाहिए इसमें कोई संशय और संकोच की बात नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है एक शब्द भी कोई भी किसी के द्वारा कहा गया माननीय हुकुम सिंह जी के द्वारा कहा गया, माननीय मेरे द्वारा कहा गया, माननीय किसी भी सदस्य के द्वारा कहा गया कोई शब्द सदन की गरिमा को कम करता है तो निश्चित रूप से उसको तुरन्त निकाल दिया जाना चाहिए और उसमें कोई दोराय और बहस की गुजाइश नहीं हो सकती। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो इशारा किया है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैंने निश्चित रूप से कोई अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं किया है और फिर भी, फिर भी अगर कोई शब्द आपको उसमें पूरी प्रोसिंडिंग में मेरे द्वारा कहा गया या किसी के द्वारा कहा गया है, मैं जिम्मेदारी से, अगर सिर्फ इस सीट की बात आई है तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं अगर आपकी दृष्टि में कोई शब्द अनुचित है तो श्रीमन्, उसको निकाल दें कोई आपत्ति का कोई विषय ही नहीं है और न ऐसा करने की कोई मंशा है। मैं एक बात पर चूंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे इंगित किया है मैं अपनी बात कहना चाहता हूं मैं इस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के प्रत्येक चैप्टर के एक-एक अक्षर का

छात्र हूं सीखने के लिए, आज भी सीखता हूं और सीखने का जहां तक मान्यवर, मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ वरिष्ठ सदस्यों से ही नहीं वरिष्ठ सदस्यों से तो उनके कक्षों में जाकर के तमाम विषयों पर आज भी बात करता हूं बिना इस बात का संकोच किये हुए कि मैं मंत्री हूं, नहीं हूं तमाम लोगों के विधान मंडलों के कार्यालयों में जाकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय भाजपा के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में आप लोगों के यहां जाकर तमाम विषयों को और जो आजीवन इस व्यवस्था में है उसको आजीवन मैं अपने को छात्र मान करके चलता हूं मान्यवर, छोटे बड़े का सवाल नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसलिए अगर कोई बात अनुचित है श्रीमन्, तो यह आपका विवेक है, आप निकाल दीजिए। मैं अपनी ओर से यह बात स्पष्टतया कहना चाहता हूं और फिर भी उसके अतिरिक्त भी अगर आपकी नजर में यह साबित ही किया जाय कि नहीं मैंने कहा है तो मुझे कभी कोई खेद प्रकट करने में कोई संकोच का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए श्रीमन, अगर कोई बात अनुचित है तो उसे कार्यवाही से निकाल दे। आज इस सत्र का अंतिम दिन है हर हालत में हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए, हर हालत में यह प्रयास होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

ज्यादा बोलने में गड़बड़ होता है, बैठ जाओ।

[1.43 बजे] मुजफ्फरनगर दंगों में पुलिस की फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेश राणा का स्पष्टीकरण (क्रमागत)

(श्री सुरेश राणा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब राणा साहब, अब आप बहस समाप्त कर दो, इतनी बात हो गयी इसको ले करके। अब तो समाप्त कर दो। फिर आप बात बढ़ायेंगे।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल विषय इसलिए रख रहा था मेरा मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय को लेकर गम्भीर हैं। इसलिए मैं सारा विषय उनके सामने रखना चाह रहा था और रख रहा था। जिस पंचायत को ले करके, भड़काऊ भाषण को लेकर के मुकदमा कायम किया उस विषय में मैंने बोल दिया। (शोर)

यह इसी कारण से विवाद होता है मैं कह रहा हूं मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो मुझे मौका क्यों नहीं मिलता अध्यक्ष जी। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं तो भी मौका नहीं मिलता।

मैंने केवल यह निवेदन किया है कि जिस पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा कायम किया गया है, मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूं यदि कोई सी0डी0 कोई तथ्य सरकार के पास है तो वह बतायें उसमें हर सजा भुगतने को हम तैयार हैं। अगर कोई तथ्य नहीं है कोई

विषय नहीं है और उसके बावजूद केवल एक पार्टी विशेष को लेकर चिन्हित किया जाय और आक्रमण किया जाय तो मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी गम्भीरता से जांच होनी चाहिए।

[1.44 बजे] जनपद अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज की घटना तथा छात्रों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें वापस लिये जाने की मांग

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय है। जनपद अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में कल लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर। (टोकाटाकी होने पर)

अरे बोलने दो यार, तुम्ही बोलोगे या हमें बोलने दोगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह बिना नियम के बोल रहे हैं, यह जो बोलते लट्ठमार बोलते हैं, इन्हें बोलने दें।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में मंगलायतन विश्वविद्यालय में कल लाठीचार्ज हुआ धारा-144 लागू है।

श्री अध्यक्ष-

इसको जीरो आवर में कहते।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, छात्रों के खिलाफ जबरदस्ती 307 के संगीन अपराध दर्ज किये गये, उसे वापस लिया जाय।

उसे वापस लिया जाय।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय नेता, लोकदल ने जो बात कही है, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वंय उपस्थित हैं, इसका संज्ञान ले लिया है, उसको गंभीरता से दिखवा लेंगे और जांच करवा लेंगे। घटना की रिपोर्ट तो आ जाये जैसा उन्होंने अनुरोध किया है, सरकार विचार कर लेगी।

[1.45 बजे] आज सदन के पटल पर रखी गई सी0ए0जी0 रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक संसदीय जांच समिति गठित किये जाने का अनुरोध

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, एक विधायी मामला है जो हमने औचित्य का प्रश्न पूछा था जो प्रश्न अभी उठा था, आप मुझे आधा मिनट सुन लें। अभी पंचायती राज मंत्री जी ने सी0ए0जी0 की रिपोर्ट सदन में रखी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में यदि सदन के द्वारा कोई संसदीय जांच समिति नहीं होगी तो इस रिपोर्ट का वजूद क्या है और सारी रिपोर्टों की विधान सभा की जांच समितियां हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट पंचायती राज विभाग की आयी है, इसके लिये भी एक संसदीय समिति बनाई जाये जिससे उसकी जांच होकर कार्यवाही तो हो सके। क्योंकि बार-बार केन्द्र पत्र लिखता है कि इस पर आप लोग कुछ कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष-

इस पर प्रक्रिया चल रही है, नियम समिति में प्रस्ताव गया है, समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया है, अब आपकी सहमति से कमेटी बनाई जायेगी।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

इस पर चर्चा हो जाये।

[1.46 बजे] आज सदन में घटित घटना के सन्दर्भ में महिला गार्डो के साथ हुयी धक्का-मुक्की का पीठ द्वारा संज्ञान में लेना

श्री अध्यक्ष-

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिला गार्डो के साथ कुछ धक्का-मुक्की हुयी है, यह बहुत अच्छी बात नहीं है, इस संबंध में मैं अपना संज्ञान लेता हूं।

[1.47 बजे] विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है :-

1-मा0 श्री रवीन्द्र जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री बी0 के0 सिंह, उपाध्यक्ष एवं श्री दिनेश राय, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012,

2-मा0 श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आलोक सिंह, इंस्पेक्टर, सिविल लाइन, मेरठ के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 04 अप्रैल, 2013,

3-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के प्रति प्रयुक्त की गयी आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए श्री अमित तिवारी, सम्पादक/प्रोपराइटर, इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0 लि0, राजनगर, जनपद-गाजियाबाद एवं श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया, कैली हास्पिटल कैम्पस, जनपद-बस्ती के विरुद्ध सूचना।

उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेंगी।

श्री रवीन्द्र जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा श्री बी0के0 सिंह उपाध्याय एवं श्री दिनेश राय, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण व अन्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री रविन्द्र जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री बी0के0 सिंह, उपाध्यक्ष एवं श्री दिनेश राय, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण व अन्य के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार

हनन के प्रश्न की सूचना, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ में बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन द्वारा वांछित स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराये जाने तथा प्रश्नगत प्रकरण में उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 11 जून, 2013 को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

श्री प्रभु दयाल बाल्मिकी, स0वि0सभा श्री आलोक सिंह, इंस्पेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आलोक सिंह, इंस्पेक्टर, सिविल लाइन, मेरठ के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 04 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में शासन द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने में उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22 अगस्त, 2013 को विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति भ्रामक एवं तथ्यों से परे समाचार प्रसारित करने के संबंध में इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0लि0 रामनगर, जनपद गाजियाबाद एवं श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता इण्डों विजन मीडिया, कैली हास्पिटल कैंम्पस जनपद बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के प्रति इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया, कैली हास्पिटल कैम्पस, जनपद-बस्ती द्वारा ''माननीय अध्यक्ष के पी0आर0ओ0 द्वारा की गई मारपीट'' विषयक प्रसारित भ्रामक एवं तथ्यों से परे समाचार के सम्बन्ध में श्री अमित तिवारी, सम्पादक/प्रोपराइटर, इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0 लि0, राजनगर, जनपद गाजियाबाद एवं श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता द्वारा श्री विजय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से प्रेषित-पत्र दिनांक 15 जून, 2013 में प्रयुक्त की गयी आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए उनके विरुद्ध निर्मित अवमानना के प्रश्न के सन्दर्भ में बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद वांछित स्पष्टीकरण निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध न कराये जाने तथा उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित

मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं :-

1-माननीय श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 30 जून, 2012

2-माननीय श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शोएब इकबाल, पुलिस उपाधीक्षक, सदर एवं श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, पुलिस उपाधीक्षक, बड़ागांव तथा श्री इन्द्रजीत सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 02 जुलाई, 2012

3-श्री अगयश राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष- बड़खेड़ा कला, बीसलपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 11 जुलाई, 2012

4-माननीय श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा डा0 सुनील तिवारी, चिकित्सक, ओपेक हास्पिटल, जनपद बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2012

5-माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2012

6-माननीय श्री आलोक कुमार शाक्य, तत्कालीन सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति एवं सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वीरपाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 01 नवम्बर, 2012

7-माननीय श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गौरव, थानाध्यक्ष, थाना-कलान, जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2012

8-माननीय श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 अभिसूचित की गयी।

9-माननीय श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री उमेश गर्ग, लेखपाल, तहसील-बिल्सी, जनपद-बदायूं के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 19 मार्च, 2013

उपर्युक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अम्बिका चौधरी, राजस्व मंत्री उ0प्र0 के विरुद्ध दिनांक 30 जून, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 श्री अम्बिका चौधरी, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 30 जून, 2012 को विशेषाधिकार हनन की सूचना अभिसूचित की गयी।

मा0 श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने अपनी सूचना के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 31 मई, 2012 को सदन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मा0 श्री अम्बिका चौधरी, मा0 राजस्व मंत्री द्वारा उनके ऊपर कुछ अनर्गल एवं मिथ्या आरोप लगाये गये थे जो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित थे एवं असत्य थे। उन्होंने उक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण भी प्रस्तुत किये। माननीय सदस्य ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप एवं उनका स्पष्टीकरण देते हुए उल्लेख किया है कि :-

आरोप-1-मा0 राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पी0आई0एल0 फाइल किया था जो खारिज हो गया।

स्पष्टीकरण : मा0 सदस्य ने पी0आई0एल0 सिर्फ थाने की जमीन पर कब्जा के सम्बन्ध में दाखिल किया था। ग्राम समाज द्वारा पकड़ी गयी किसी जमीन के सम्बन्ध में कोई पी0आई0एल0 दाखिल नहीं की गयी थी।

आरोप-2-मा0 राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने माननीय सदस्य की दो-दो बार जमानत जब्त करायी है, जो असत्य है।

स्पष्टीकरण : मा0 सदस्य वर्ष 2012 में विधान सभा के आम चुनाव में फेफना विधान सभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इससे पहले वह दो बार चुनाव लड़े। वर्ष 2007 में उनकी जमानत जब्त नहीं हुयी थी। मा0 मंत्री का बयान असत्य है।

आरोप-3-मा0 राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर ढेर सारे मुकदमें हैं।

स्पष्टीकरण : मा0 सदस्य ने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर जो भी मुकदमें हैं वह उनके द्वारा व्यक्तिगत अथवा किसी निजी हित में कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने जनसेवा के माध्यम से गलत कामों को रोकने का प्रयत्न किया अथवा जनता के हित में लड़ाई लड़ी जिस सम्बन्ध में उनके ऊपर मुकदमें लगे हैं उनमें किसी में भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-289 (2) (ख) में निहित प्राविधानों के आधार पर मा0 मंत्री द्वारा गलत बयानी की गयी है।

आरोप-4-ग्राम सभा कपूरी में दिनांक 17 अगस्त, 2005 को पंचायत चुनाव में जिसमें मा0 मंत्री के चाचा श्री बंका चौधरी प्रधान पद के उम्मीदवार थे, में हुई घटना के सम्बन्ध में मा0 मंत्री का कथन है कि वह लखनऊ में थे बलिया में मौजूद नहीं थे।

स्पष्टीकरण : उक्त घटना की जो चार्जशीट दाखिल हुयी उसमें उनके पक्ष के गवाह श्री मदन सिंह ने बयान दिया कि श्री अम्बिका चौधरी उस वक्त अपनी गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे तो भीड़ देखकर वहां रुक गये। मा0 मंत्री ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह करने का काम किया है।

माननीय सदस्य द्वारा उक्त बिन्दुओं का परीक्षण करने तथा विशेषाधिकार हनन की सूचना स्वीकार करने तथा सदन में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी गयी।

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री से उनका अभिकथन प्राप्त किया गया जिसमें उन्होंने आरोपवार उनका स्पष्टीकरण निम्न रूप में दिया है :-

1-आरोप संख्या-एक-माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पी0आई0एल0 दाखिल करने की बात को अस्वीकृत नहीं किया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि वह पी0आई0एल0 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है। इसलिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

2-आरोप संख्या-दो-श्री तिवारी ने वर्ष 2007 में 23700 मत पाने का उल्लेख तो है किन्तु यह उल्लेख नहीं है कि उनके विरुद्ध किसी चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है अथवा नहीं कितनी बार जमानत जब्त हुयी, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उत्तर तभी दिया जा सकता है कि जब श्री तिवारी इस बात का उल्लेख करें कि उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की स्थिति में उनकी कभी भी जमानत जब्त नहीं हुई है।

3-आरोप संख्या-तीन-श्री तिवारी ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि मा0 राजस्व मंत्री ने जिन मुकदमों का उल्लेख अपने भाषण में किया था वह उनके विरुद्ध दर्ज नहीं है। जहां तक उनके द्वारा गलत कामों को रोकने के प्रयत्न का सवाल है, उनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन जनपद इलाहाबाद में एक जूता की दुकान में लूट का मुकदमा तथा महिला छात्रावास में घुसकर उसके वार्डेन और अध्यासियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला भी विचाराधीन है। इस प्रकार के आरोप जनहित से कितने जुड़े हैं यह आरोप की प्रकृति से स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

4-आरोप संख्या-चार-माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं है बल्कि तफ्तीश करने के बाद इसमें पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गयी।

माननीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि मा0 श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा सदन के सम्मुख मर्यादाहीन आचरण करते हुए नियम और परम्पराओं के विपरीत उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों व अनर्गल कथन के लिए सम्पूर्ण सदन, जिसमें उनके दल के नेता भी शामिल हैं, का संज्ञान लिया जा सकता है। माननीय मंत्री द्वारा प्रश्नगत सूचना को तथ्यों एवं नियमों के आलोक में अग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की सूचना एवं उसके परिप्रेक्ष्य में प्राप्त माननीय राजस्व मंत्री के अभिकथन का परिशीलन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31 मई, 2012 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मा0 श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय राजस्व मंत्री पर लगाये गये कुछ आरोप तथा उनके उत्तर में मा0 राजस्व मंत्री के कथनों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 30 जून, 2012 को विशेषाधिकार हनन की प्रश्नगत सूचना दी गयी, जो अत्यधिक विलम्बित है। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य द्वारा मा0 राजस्व मंत्री के ऊपर लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध किसी शासकीय विधायी कार्य, सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य अथवा माननीय सदस्य के विधायी कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। मा0 सदस्य की प्रश्नगत

सूचना में लगाये गये आरोप उनके व्यक्तिगत एवं राजनैतिक जीवन से सम्बन्धित हैं। मा0 सदस्य के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में मा0 राजस्व मंत्री से प्राप्त उनके अभिकथन के आलोक में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शोएब इकबाल पुलिस उपाधीक्षक एवं श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, पुलिस उपाधीक्षक, बड़गांव तथा श्री इन्द्रजीत सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी के विरुद्ध दिनांक 02 जुलाई, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुशील सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री शोएब इकबाल, पुलिस उपाधीक्षक, सदर एवं श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, पुलिस उपाधीक्षक, बड़ागांव तथा श्री इन्द्रजीत सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 02 जुलाई, 2012 को अभिसूचित की गयी।

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि 26 जून, 2012 को रात्रि करीब 6-7 बजे उनके कपसेठी आवास पर राजनीतिक विरोधियों की साजिश में आकर पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री शोएब इकबाल व बड़ागांव पुलिस उपाधीक्षक श्री मुकेश चन्द्र उत्तम व थानाध्यक्ष कपसेठी श्री इन्द्रजीत सरोज काफी पुलिस बल व 01 ट्रक पी0ए0सी0 के साथ उनके आवास पर आये। उस समय आवास पर मा0 सदस्य की पत्नी श्रीमती किरन सिंह, पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत, वाराणसी, मा0 सदस्य के छोटे भाई की पत्नी श्रीमती इन्दू सिंह, ब्लाक प्रमुख, सेवापुरी तथा उनके वृद्ध व गम्भीर रूप से बीमार पिता, पूर्व विधान परिषद् सदस्य, श्री उदयनाथ सिंह घर पर मौजूद थे। पुलिस बिना कारण बताये उनके आवास के अन्दर घुस गई और आवास पर उपस्थित सभी औरतों को एक कमरे में बन्द कर दिया और सम्पूर्ण कमरे की तलाशी ली। पुलिस दल में कोई महिला अधिकारी नहीं थी। मा0 सदस्य के पिता द्वारा तलाशी का कारण पूछने पर पुलिस बल द्वारा अपमानजनक व अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। पुलिस कर्मियों का यह ताण्डव करीब एक घण्टे तक चला। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को न तो घर से बाहर जाने दिया गया और न अन्दर आने दिया गया। घर के नौकरों को पुलिस कर्मियों ने थप्पड़ों से पीटा। पुलिस वाले जाते-जाते यह कहकर गये कि फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल में डाल देंगे। इस प्रकार पुलिस द्वारा बिना कारण बताये मा0 सदस्य के पूरे परिवार को अपमानित व प्रताड़ित किया गया जबकि उनके पिता जी दो बार विधान परिषद् सदस्य रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ने मीडिया में कहा कि श्री सुशील सिंह, मा0 सदस्य चन्दौली का माफिया व गुण्डा बदमाश है। उक्त घटना स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की गयी। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि इस घटना से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है और उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। मा0 सदस्य द्वारा विशेषाधिकार-हनन व सदन की अवमानना के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री शोएब इकबाल, पुलिस उपाधीक्षक सदर, श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, पुलिस उपाधीक्षक, बड़ागांव तथा श्री हरिश्चन्द्र सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी, जनपद-वाराणसी से उनके स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये।

श्री शोएब इकबाल, क्षेत्राधिकारी, चेतगंज तथा श्री हरिश्चन्द्र सरोज, थानाध्यक्ष, कपसेठी, वाराणसी ने अलग-अलग किन्तु एक समान दिये गये अपने-अपने स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26 जून, 2012 को श्री दशमी पुत्र स्व0 गया, निवासी ग्राम-गोपपुर, थाना-चोलापुर, वाराणसी ने थाना-चोलापुर, वाराणसी पर मु0अ0सं0-160/2012 धारा-365/343 भादवि बनाम 1-श्री सुशील कुमार सिंह व 2-श्री सुजीत कुमार सिंह पुत्र श्री उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह निवासी ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-कपसेठी, वाराणसी के विरुद्ध इस आशय से अभियोग पंजीकृत कराया कि वादी की बहू श्रीमती माया कनौजिया (जिला पंचायत सदस्य) पत्नी श्री संजय कनौजिया पति-पत्नी दोनों पिछले 10 दिनों से लापता हैं। दिनांक 17 जून, 2012 को श्री सुशील कुमार सिंह व श्री सुजीत कुमार सिंह निवासी ग्राम-रघुनाथपुर, थाना कपसेठी, वाराणसी वादी के घर पर आकर वादी के बहू-बेटे को यह कहकर ले गये कि एक घण्टे बाद पहुंचा देंगे किन्तु वादी के बहू-बेटे का उसी दिन से पता नहीं है।

उसी दिन श्री हरीश चन्द्र सरोज थानाध्यक्ष कपसेठी को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 28 जून, 2012 के होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर श्री सुशील सिंह, मा0 विधायक के भाई श्री सुजीत कुमार सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र चुलबुल सिंह ने अपने रघुनाथपुर कपसेठी स्थित आवास पर हथियारबंद व्यक्तियों के साथ कुछ जिला पंचायत सदस्यों को जबरन रोक रखा है। जिस पर कार्यवाही हेतु श्री हरिश्चन्द्र सरोज ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की। इस प्रकरण में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वह थानाध्यक्ष कपसेठी श्री हरीश चन्द्र सरोज व थानाध्यक्ष जंसा, श्री सुरेन्द्र पाण्डेय द्वारा मय फोर्स तथा महिला पुलिस बल एवं पी0ए0सी0 बल के साथ सुजीत कुमार सिंह उर्फ डाक्टर के यहां दबिश हेतु प्रस्थान किया गया। सुजीत कुमार सिंह के ग्राम रघुनाथपुर स्थित आवास के चारों तरफ से घेराबंदी करके देखा गया तो घर पर सुजीत कुमार सिंह के पिता चुलबुल सिंह मौजूद मिले। वहां मौजूद लोगों तथा अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि वहां पर कोई व्यक्ति निरुद्ध नहीं किया गया। तदुपरान्त थानाध्यक्ष कपसेठी हमराह फोर्स के साथ वापस आ गये। श्री इकबाल ने यह भी उल्लेख किया कि मा0 विधायक, श्री सुशील सिंह थाना कपसेठी के मजारिया एच0एस0 नं0 5 बी है। इनके पिता श्री उदय नाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह, इनके भाई सुजीत सिंह उर्फ डाक्टर के विरुद्ध जनपद वाराणसी व आस-पास के जनपदों में कई अभियोग पंजीकृत हैं। वास्तविक तथ्यों का लोप कर असत्य एवं निराधार कथनों को अंकित कर मात्र स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से माननीय विधायक द्वारा कतिपय आरोप लगाये गये।

श्री मुकेश चन्द्र उत्तम, क्षेत्राधिकारी, बड़ागांव ने अपने स्पष्टीकरण, दिनांक 31 अगस्त, 2012 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 27 जून, 2012 को स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी ड्यूटी जनपद चन्दौली में लगी होने के फलस्वरूप दिनांक 26 जून, 2012 को वह चन्दौली गये थे इसलिए

श्री सुशील सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा के आवास पर वे नहीं गये थे और न ही उन्हें कोई जानकारी है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन से विदित हुआ कि थाना कपसेठी पुलिस द्वारा की गयी जांच पड़ताल की कार्यवाही विधिक थी। इसमें माननीय सदस्य के प्रति किसी प्रकार की अभद्रता का आभास नहीं होता है। माननीय सदस्य के घर पर छापा मारने से पुलिस द्वारा माननीय सदस्य के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ। समाचार-पत्र में किसी घटना के प्रकाशन मात्र से किसी माननीय सदस्य की अवमानना का प्रश्न नहीं बनता। पुलिस द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी वह विधि सम्मत एवं प्रक्रियात्मक थी। प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य के किसी विधायी एवं सदन अथवा सदन की किसी समिति के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मा0 सदस्य की प्रश्नगत सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री अगयश रामसरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री अगयश राम सरन वर्मा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बड़खेड़ा कला, पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद-पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 11 जुलाई, 2012 को विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमान की सूचना दी गयी है जिसके माध्यम से मा0 सदस्य ने अवगत कराया कि दिनांक 03 जुलाई, 2012 के स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को उनके विरुद्ध जनपद पीलीभीत के थाना बड़खेड़ा कला में धारा-188 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है, जबकि वे दिनांक 02 जुलाई, 2012 को विधान सभा के सत्र की कार्यवाही में उपस्थित रहे हैं तथा उनकी उपस्थिति अभिलेखों में अंकित है। माननीय सदस्य द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि थानाध्यक्ष बड़खेड़ा कला एवं पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर उनसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं तथा मा0 अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, पूर्व राज्य मंत्री के निर्देश पर उनके विरुद्ध षड़यंत्र रचने में सम्मिलित रहते हैं। जनपद के विधान सभा क्षेत्र सं0-130 बीसलपुर में घटी कई आपराधिक घटनाओं का मा0 सदस्य द्वारा विरोध करने पर उक्त लोग रंजिश मानते हैं। माननीय सदस्य द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष बड़खेड़ा कला, पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक का स्पष्टीकरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, डा0 अरविन्द भूषण पाण्डेय द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 22 नवम्बर, 2012 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे नगरपालिका

परिषद्, बड़खेड़ा, पीलीभीत के अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री अशोक कुमार गुप्ता उर्फ पप्पन तथा विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर, पीलीभीत के भा0ज0पा0 समर्थित विधायक माननीय श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा 50-55 मोटर साइकिलों सहित 150-200 व्यक्तियों के साथ बिना आज्ञा व अनुमति प्राप्त किये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला गया। जिसके फलस्वरूप उसी दिन पूर्वाह्न 12.30 बजे थाना बरखेड़ा पर वादी श्री तेजपाल द्वारा मु0अ0सं0-424/12 धारा-126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत तथा भारती, प्रत्याशी अध्यक्ष नगर निकाय निवासी वार्ड नं0-2 कस्बा व थाना बरखेड़ा, पीलीभीत द्वारा धारा-188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उप निरीक्षक, श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत द्वारा की जा रही है। आरोपित पुलिस अधिकारियों ने उक्त कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में पुलिस के उच्चाधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के निर्देशानुसार बिना किसी द्वेष भावना के विधि सम्मत रूप से की है। माननीय विधायक के गनर कां0 388 ना0पु0, श्री ललतेश कुमार यादव, थाना-बिलसण्डा, जनपद पीलीभीत ने अपने अभिकथन में बताया कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को माननीय विधायक ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में उक्त जुलूस में सम्मिलित होने के उपरान्त पीलीभीत आकर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत महोदय के आवास पर 12.00 से 13.00 बजे के मध्य मुलाकात/वार्ता की। तत्पश्चात् वे सीधे लखनऊ चले गये थे। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के आवास पर टेलीफोन ड्यूटी पर नियुक्त रहे कां0 244 ना0पु0, श्री रूप नरायन सिंह रिपोर्टिंग पुलिस चौकी घुघचिहाई, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत ने अपने अभिकथन में बताया कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को मध्याह्न 12.00 बजे से 13.00 बजे के मध्य माननीय विधायक, श्री अगयश रामसरन वर्मा अपने गनर कां0 388 ना0पु0, श्री ललतेश कुमार यादव के साथ आये थे और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात/वार्ता करके चले गये थे। उक्त कथनों से श्री अगयश रामसरन वर्मा के बरखेड़ा क्षेत्र में उपस्थित रहने की पूर्ण संभावना है। मा0 विधायक के विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष भावना से षड़यंत्र रचने तथा श्री अनीस अहमद खां, पूर्व राज्य मंत्री के निर्देश पर थाना-बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कराने के कथित आरोप अनर्गल तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये हैं।

श्री तौकीर हुसैन, क्षेत्राधिकारी, बीसलपुर, पीलीभीत ने भी अपने स्पष्टीकरण दिनांक 08 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को श्री तेजपाल भारती, प्रत्याशी, अध्यक्ष नगर निकाय 2012 कस्बा व थाना-बरखेड़ा, पीलीभीत द्वारा दी गई लिखित तहरीर पर कि कस्बा बरखेड़ा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक कुमार गुप्ता के समर्थन में मा0 विधायक द्वारा 50-60 मोटर साइकिल व 150-200 कार्यकर्ताओं के साथ आचार संहिता का उल्लंघन कर जुलूस निकालने के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाये। इस सूचना पर दिनांक 02 जुलाई, 2012 को मध्याह्न 12.00 बजे मु0अ0सं0-424/12 धारा-126 लोक प्रतिनिधित्व अधि0-1951 व धारा-188 भादवि बनाम श्री रामसरन वर्मा, विधायक, अशोक कुमार उर्फ पप्पन कस्बा थाना बरखेड़ा, प्रत्याशी अध्यक्ष, नगर निकाय बरखेड़ा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा, उ0 नि0 द्वारा की जा रही है। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रत्याशियों

द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाने तथा थाना घेरे जाने की सूचना पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे तो प्रत्याशियों द्वारा उन पर भी उक्त लोगों की गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया गया जिसे उन्होंने किसी तरह से शान्त कराया। मा0 विधायक के विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष भावना एवं श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, पूर्व राज्य मंत्री के निर्देशानुसार षड़यंत्र रचने तथा थाना-बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत करने के उन पर लगाये गये कथित आरोप अनर्गल तथ्यों पर आधारित हैं। मा0 विधायक के विरुद्ध न तो कोई षड़यंत्र रचा गया है और न ही लिखित अथवा मौखिक रूप से इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु थानाध्यक्ष बरखेड़ा को निर्देशित किया गया। मा0 विधायक उन पर समय-समय पर अपने तथा अपने कार्यकर्ताओं के अनुचित कार्य हेतु दबाव बनाते रहते हैं जिन पर ध्यान न देने पर उनके द्वारा इस तरह के अनर्गल आरोप लगाये गये हैं।

श्री हरेन्द्र पाल सिंह, थानाध्यक्ष, बरखेड़ा, पीलीभीत ने अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया है कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे माननीय विधायक, श्री रामसरन वर्मा तथा नगर पालिका परिषद् बरखेड़ा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी, श्री अशोक कुमार गुप्ता उर्फ पप्पन द्वारा बरखेड़ा में 50-55 मोटर साइकिल एवं 150-200 समर्थकों के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर जुलूस निकालने के लिए वादी श्री तेजपाल भारती पुत्र श्री रामचन्द्र लाल, निवासी वार्ड नं0-2 कस्बा व थाना बरखेड़ा, पीलीभीत, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, नगर पालिका परिषद्, बरखेड़ा द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0-424/2012 धारा-126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व धारा-188 भादवि थाना बरखेड़ा की विवेचना उप निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आरोप-पत्र संख्या-160/12, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को समाप्त की गयी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में श्री अगयश रामसरन वर्मा, विधायक द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तहरीरी सूचना के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मा0 विधायक के विरुद्ध व्यक्तिगत द्वेष भावना अथवा श्री अनीस अहमद खां, पूर्व राज्य मंत्री के निर्देश पर षड़यंत्र रचने तथा अभियोग पंजीकृत करने के कथित आरोप अनर्गल तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा उनके विरुद्ध थाना-बरखेड़ा में मुकदमा पंजीकृत होने पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना के सम्बन्ध में डा0 अरविन्द भूषण पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, श्री तौकीर हुसैन, क्षेत्राधिकारी, बीसलपुर तथा श्री हरेन्द्र पाल सिंह, थानाध्यक्ष बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि दिनांक 02 जुलाई, 2012 को मा0 सदस्य, श्री वर्मा द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मा0 सदस्य व अन्य के विरुद्ध दिनांक 02 जुलाई, 2012 को अपराह्न 12.30 बजे थाना बरखेड़ा पर वादी श्री तेजपाल की तहरीर पर मु0अ0सं0-424/12 धारा-126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 व धारा-188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मा0 विधायक के विरुद्ध किसी द्वेष भावना अथवा श्री अनीस अहमद खां, पूर्व राज्य मंत्री के निर्देश पर अभियोग

पंजीकृत करने की कार्यवाही नहीं की गयी है। पुलिस अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्य के दिनांक 2 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे बड़खेड़ा कस्बा, पीलीभीत में जुलूस में शामिल होने तथा 12.00 से 13.00 बजे मध्य पीलीभीत आकर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के आवास पर मुलाकात/वार्ता करने का उल्लेख किया गया है। विधान सभा का दिनांक 02 जुलाई, 2012 का उपवेशन रात्रि 8.00 बजे के बाद तक चला था। उक्त तिथि की उपस्थिति पंजिका में मा0 सदस्य के हस्ताक्षर हैं परन्तु इससे न तो उनके सदन में आने का समय निर्धारित किया जाना संभव है और न ही सदन में उनकी पूर्णकालिक उपस्थिति ही प्रमाणित होती है। अतः दिनांक 02 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे बड़खेड़ा में जुलूस में मा0 सदस्य की उपस्थिति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रश्नगत सूचना में माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के सापेक्ष अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर तथा थानाध्यक्ष, बड़खेड़ा कला द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरणों में उल्लिखित तथ्यों तथा उक्त तिथि को पुलिस प्रशासन की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2012 को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए बड़खेड़ा, पीलीभीत पुलिस प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही विधि संगत है। प्रश्नगत प्रकरण न तो माननीय सदस्य के विधायी कार्य से और न ही सदन अथवा सदन की किसी समिति के कार्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत मामले को अग्राह्य किया जाता है।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा डा0 सुनील तिवारी, चिकित्सक, ओपेक हास्पिटल, जनपद बस्ती के विरुद्ध दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत डा0 सुनील तिवारी, चिकित्सक, ओपेक हास्पिटल, जनपद-बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को दी गयी जिसमें मा0 सदस्य द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को उन्होंने अपने कार्यकर्ता, श्री परवेज अहमद के साथ श्रीमती बसन्ती देवी, श्रीमती रीना तथा श्री अवधेश कुमार को इलाज हेतु ओपेक अस्पताल भेजा और पर्चा बनवाकर डा0 सुनील तिवारी के कक्ष में जमा करा दिया। जब डाक्टर ने अपराह्न 2.00 बजे तक मरीजों को नहीं देखा तो श्री परवेज की सूचना पर मा0 सदस्य ने डा0 तिवारी से बात कराने के लिए कहा। इस पर डा0 तिवारी ने श्री परवेज से कहा कि वह किसी विधायक/मंत्री से बात नहीं करते हैं। जब विधायक आयेंगे तो उनके मरीजों को देखेंगे। उक्त जानकारी मिलने पर जब मा0 सदस्य अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि डा0 तिवारी अपने घर पर प्राइवेट मरीजों को देख रहे थे तथा उनके बुलवाने पर भी वह नहीं आये। मा0 सदस्य द्वारा अस्पताल प्रभारी, डा0 योगेन्द्र यती को प्रश्नगत प्रकरण से अवगत कराने पर उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त की। मा0 सदस्य जब डा0 सुनील तिवारी के घर पर

उक्त मरीजों के साथ पहुंचे तो वह रु0 200/-फीस लेकर मरीजों को देख रहे थे। माननीय सदस्य ने डाक्टर की मेज पर से मरीजों की सूची उठा ली। इस पर डा0 तिवारी ने समस्त मर्यादाओं को भूलकर उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और मरीजों की सूची छीनने का प्रयास किया तथा असफल होने पर फोन करके जे0डी0 फार्मा के मालिक, श्री राकेश दुबे, उनके भाई अजय दुबे तथा उनके समर्थकों को भी बुलवा लिया। वे सभी लोग सेंट्रो कार नं0 यू0पी0-51 एच-3132 से अस्पताल पहुंचे और मा0 सदस्य से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया। बाद में डा0 तिवारी भी वहां पहुंच गये और सभी मिलकर मारपीट करने लगे। मा0 सदस्य के अंगरक्षक द्वारा किसी तरह से माननीय सदस्य की सुरक्षा की गयी। माननीय सदस्य द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट भी स्थानीय थाना कोतवाली में दर्ज करायी गयी और जिला प्रशासन तथा शासन को भी फैक्स द्वारा अवगत कराया गया। माननीय सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार-हनन की सूचना देते हुए कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से डा0 सुनील तिवारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। डा0 सुनील तिवारी आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 22 नवम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने किसी भी मरीज को कभी भी अपमानित नहीं किया और न ही देखने से मना किया और वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। चिकित्सालय में भर्ती उनके मरीज प्रायः अपनी जांच रिपोर्ट दिखाने उनके आवास पर आ जाया करते हैं। सभी मरीजों को उनके द्वारा चिकित्सालय की ही दवायें लिखी जाती हैं। उनका सम्बन्ध किसी भी दवा व्यवसायी से नहीं है। डा0 तिवारी ने यह भी उल्लेख किया है कि वह मा0 विधायक जी का सम्मान करते हैं फिर भी यदि उनकी भावनाओं को आघात लगा हो तो वह इसके लिये क्षमा प्रार्थी हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री संजय प्रताप जायसवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा लगाये गये आरोपों के सापेक्ष में डा0 सुनील तिवारी के स्पष्टीकरण के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा0 सदस्य द्वारा जिस कार्य के लिए डा0 तिवारी को फोन किया गया उसका सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सदन अथवा उसकी किसी भी समिति के कार्यों से नहीं था अपितु क्षेत्रीय समस्या से था। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य के विधायी अधिकार भी प्रभावित नहीं हुए हैं। डा0 तिवारी द्वारा माननीय सदस्य के प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उन्हें हुयी असुविधा के लिए किये गये खेद प्रकाश के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण समाप्त किया जाता है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः इसे देखते हुए प्रश्नगत प्रकरण को अग्राह्य किया जाता है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन व अवमानना की सूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को दी गयी, जिसके द्वारा मा0 सदस्या ने अवगत कराया कि दिनांक 15 अगस्त, 2012 को उन्होंने अपने मो0 नं0-9415607458 से श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर को उनके मो0 नं0-9454403610 पर फोन कर थानाध्यक्ष से जानना चाहा है कि थाने में लाकर गरीब श्री काजू की उनके द्वारा की गयी बर्बरता पूर्वक पिटाई का कारण क्या है तो थानाध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि मुस्लिम आपका वोटर नहीं है। यदि इसी तरह पैरवी करती रहेंगी तो अगली बार विधान सभा का मुंह नहीं देखेंगी। थानाध्यक्ष ने मा0 सदस्या से यह भी कहा कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं, उनकी पहुंच ऊपर तक है जिसके फलस्वरूप उनकी तैनाती वहां दुबारा की गयी है। माननीय सदस्या ने यह भी सूचित किया कि उक्त थानाध्यक्ष द्वारा यहां तक कहा गया कि उन जैसे विधायक को ठीक करना उनका काम है। तब से उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। दिनांक 02 सितम्बर, 2012 को भी मा0 सदस्या द्वारा फोन करने पर थानाध्यक्ष द्वारा अभद्रता की गयी और कहा गया कि उन्हें दुबारा इस क्षेत्र से जीतने लायक नहीं छोड़ेंगे। मा0 सदस्या ने उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री राघवेन्द्र सिंह ने अपने स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया कि उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जनसमस्याओं के सम्बन्ध में एक गोष्ठी की जिसमें सभी ने मुगरा बादशाहपुर की सड़कों पर ठेलों द्वारा किये गये अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही जाम की समस्या से अवगत कराते हुए इससे निजात दिलाने की अपेक्षा की।

इसी क्रम में दिनांक 06 अगस्त, 2012 को क्षेत्र के निवासी एवं जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, श्री सत्येन्द्र सिंह तथा दिनांक 12 अगस्त, 2012 को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, मुगरा बादशाहपुर में क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और उचित कार्रवाई करते हुए नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया।

जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही दिनांक 15 अगस्त, 2012 को गश्त के दौरान कस्बे में सड़क पर ठेला लगाकर जाम की स्थिति पैदा करने वाले श्री काजू पुत्र इदरीश, निवासी लल्लू का तालाब एवं श्री मदनलाल साहू पुत्र गोपाल साहू, निवासी साहबगंज, थाना मुगरा बादशाहपुर का चालान धारा-34 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया एवं मौके पर ही जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया। उक्त थानाध्यक्ष के कथनानुसार उन्होंने किसी को भी मारा नहीं। श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 विधायिका जी से फोन पर बहुत संक्षेप में बात हुई और उनसे कोई अभद्रता नहीं की। मा0 विधायिका जी ने श्री काजू का चालान न करने के लिए कहा जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा विनम्रतापूर्वक बताया गया कि 'मैडम', चालान तो लिखा जा चुका है। पुलिस मैनुअल के दिशा-निर्देश के अनुसार जनप्रतिनिधियों द्वारा उठायी जा रही जनसमस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु कार्यवाही के क्रम में यह कार्य किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा यह भी उल्लेख

किया गया है कि 28 वर्षों की पुलिस सेवा में उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान किया है। इस अवधि में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी उनकी कोई शिकायत नहीं की। मा0 विधायिका जी भी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। उनका भी वह सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे।

प्रश्नगत मामले में श्रीमती सीमा द्विवेदी द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, मुगरा बादशाहपुर, जनपद-जौनपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री राघवेन्द्र सिंह के स्पष्टीकरण के परिशीलन से विदित होता है कि श्री राघवेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष द्वारा श्री काजू आदि के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गयी वह पुलिस मैनुअल के दिशा-निर्देश के तहत जनसमस्याओं के निराकरण एवं जन सुविधा की दृष्टि से नियमानुसार ही की गयी और माननीय सदस्या से विनम्रतापूर्वक बात की गयी तथा माननीय सदस्या का भविष्य में यथोचित सम्मान करने का आश्वासन भी दिया गया है। नियमानुसार की गयी विधिक कार्यवाही पर विशेषाधिकार-हनन का मामला नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य द्वारा थानाध्यक्ष से की गई वार्ता उनकी क्षेत्रीय समस्या के विषय में है, जिसका सम्बन्ध सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य से नहीं है। अतएव वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री आलोक कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा श्री वीरपाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के विरुद्ध दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री आलोक कुमार शाक्य, तत्कालीन सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति एवं सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री वीरपाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दी गयी जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को उन्होंने कई जनहित के कार्यों के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी से फोन पर बात कर उनसे मिलने के लिए समय मांगा। श्री सिंह ने कहा कि इस समय उनके पास समय नहीं है। माननीय सभापति के अनुरोध पर उन्हें कार्यालय में मिलने के लिए कहा गया। काफी समय तक श्री सिंह द्वारा रिंग बैक न किये जाने पर वह शाम लगभग 4.00 बजे उनके कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने न तो किसी शिष्टाचार का प्रदर्शन किया और न ही उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने खड़े-खड़े ही अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि उन्होंने तो कहा था कि जब समय मिलेगा तो वह बात कर लेंगे फिर भी वह चले आये। मा0 सभापति ने खड़े-खड़े ही अपनी बात कहनी चाही किन्तु उन्होंने बगैर कुछ सुने हुए झल्लाते हुए कहा कि आप लोग बेवजह जब देखो तब चले आते हैं। वह बहुत ही आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, फिर कभी आइयेगा। माननीय सभापति की बात सुने बिना ही श्री सिंह चले गये। मा0 सभापति ने श्री सिंह द्वारा किये गये उक्त अमर्यादित व्यवहार के लिए उनके विरुद्ध नियम-63/64 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से श्री वीरपाल सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। मा0 मंत्री ने श्री वीरपाल सिंह के स्पष्टीकरण के आधार पर अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री वीरपाल सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है कि दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 को मा0 विधायक जी से फोन पर वार्ता हुई थी, जिसमें मा0 विधायक महोदय ने घर पर मिलने के लिए समय मांगा था इसलिए उन्होंने दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को घर पर मिलने हेतु अनुरोध किया। मा0 विधायक जी सहमत हो गये किन्तु दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को अपराह्न 3.15 बजे मा0 विधायक जी ने फोन पर मिलने के लिए कहा। श्री सिंह ने उनको सादर अवगत कराया कि इस समय वह कार्यालय में हैं, एक घण्टे बाद कार्य समाप्त करके आवास पर जायेंगे। परन्तु सम्भवतः मा0 विधायक जी के समझने में भ्रम हो गया और उन्होंने कहा कि वह अभी उनके कार्यालय आ रहे हैं। लगभग 3.30 बजे अपराह्न मा0 विधायक जी कार्यालय आ गये। मा0 विधायक जी को ससम्मान बैठाया गया तथा उन्हें भली-भांति प्रोटोकाल के अनुसार सम्मान दिया गया। उन्होंने मा0 विधायक जी से ससम्मान जनहित के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी चाही तथा अनुरोध किया कि उनकी जो भी समस्याएं हों, बता दें, वे उन्हें यथासम्भव निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। इस पर मा0 विधायक जी ने कहा कि इस समय कार्यालय में कई लोग बैठे हुए हैं, अतः बाद में उनसे वार्ता कर लेंगे। अभी यह जल्दी में हैं उन्हें अन्यत्र जाना है। इतना कहकर मा0 विधायक जी कार्यालय से चले गये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मा0 विधायक जी को ससम्मान कार्यालय के बाहर तक छोड़ने गये। श्री वीरपाल सिंह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि वह जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकाल का पूर्ण ध्यान रखते हैं, जिम्मेदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कदाचित मा0 विधायक जी को उनके सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी हो गयी थी इसलिए उन्होंने भावावेश में उनके विरुद्ध शिकायत की। बाद में फोन पर हुई वार्ता में मा0 विधायक जी ने स्वीकार किया कि उनके सम्बन्ध में उन्हें कुछ गलतफहमी हो गयी थी परन्तु अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त मा0 विधायक जी को हुई किसी असुविधा के लिए श्री वीरपाल सिंह द्वारा खेद व्यक्त करते हुए क्षमा मांगी गयी है।

माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने श्री वीरपाल सिंह के स्पष्टीकरण के आधार पर यह भी अवगत कराया है कि श्री सिंह द्वारा मा0 सदस्य के विशेषाधिकार का हनन नहीं किया गया है। फिर भी श्री वीरपाल सिंह को विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा भविष्य में मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने का निर्देश देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए सचेत कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य की सूचना के सापेक्ष माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सदन अथवा उसकी किसी समिति से सम्बन्धित नहीं है तथा इसमें मा0 सदस्य के विधायी अधिकार भी प्रभावित नहीं हुए हैं जिसके फलस्वरूप विशेषाधिकार-हनन एवं अवमानना का प्रश्न नहीं बनता है। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री वीरपाल सिंह यादव को मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने का निर्देश देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए सचेत भी कर दिया गया है। अतः

प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत मामले को अग्राह्य किया जाता है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गौरव, थानाध्यक्ष, थाना-कलान, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गौरव, थानाध्यक्ष, थाना-कलान, जनपद-शाहजहांपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दी गयी जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को मा0 सदस्य द्वारा श्री गौरव, थानाध्यक्ष, कलान, शाहजहांपुर से उनके सी0यू0जी0 नं0-9454404207 पर अपने सी0यू0जी0 नं0 9415607332 से बात की तो उक्त थानाध्यक्ष ने मा0 सदस्य से उन्होंने ठीक से बात नहीं की। मा0 सदस्य ने उसी दिन दुबारा उक्त थानाध्यक्ष को एक समस्या बतानी चाही तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनका उपहास किया, जिसकी जानकारी उन्होंने एस0पी0, शाहजहांपुर को उनके फोन पर दी। एस0पी0 ने थानाध्यक्ष से स्वयं बात करने का आश्वासन दिया। दिनांक 25 नवम्बर, 2012 को जब मा0 सदस्य ने थानाध्यक्ष से बात करनी चाही तो उन्होंने मा0 सदस्य से कहा कि वह उनका कुछ नही कर पायेंगे, जहां चाहें शिकायत कर लें और अपशब्द कहने लगे। इस पर मा0 सदस्य ने फोन काट दिया। बाद में थानाध्यक्ष ने स्वयं फोन करके कहा कि उन्होंने फोन क्यों काट दिया अभी उनके (मा0 सदस्य के) खिलाफ मुकदमा लिखते हैं। उनकी विधायकी बताते हैं। मा0 सदस्य को फोन पुनः काटना पड़ा। इसके उपरान्त थानाध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य के विरुद्ध थाना-कलान में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया।

मा0 सदस्य का कथन है कि इस पूरे घटनाक्रम से सदन का अपमान हुआ है। मा0 सदस्य ने इस घटना का ध्यान आकृष्ट करते हुए थानाध्यक्ष, श्री गौरव के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग व सदन की अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री गौरव, थानाध्यक्ष, थाना-कलान, जनपद शाहजहांपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री गौरव ने अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न मा0 विधायक, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य कस्बा कलान में सेवानिवृत्त अध्यापक, श्री रतिराम के यहां विवाह समारोह में शामिल होने आये थे। गाड़ी-चालक, श्री लियाकत अली ने मा0 विधायक की गाड़ी श्री होशियार सिंह यादव के मकान के सामने सड़क पर खड़ी कर दी और मा0 विधायक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए चले गये। कुछ समय बाद मकान मालिक, श्री होशियार सिंह यादव तथा उनके भाई श्री सोनपाल यादव के घर से बाहर आने और मकान के सामने खड़ी गाड़ी को ड्राइवर, श्री लियाकत अली से गाड़ी हटाने के लिए कहने पर उन लोगों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गया। इसकी जानकारी होने पर जब मा0 विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे तो

श्री होशियार सिंह व श्री सोनपाल सिंह यादव ने उन्हें भी बुरा-भला कहा। माननीय विधायक ने अपने मो0 नं0-9415607372 से उन्हें (थानाध्यक्ष, श्री गौरव को) उनके मो0 नं0-9454404207 पर उक्त घटना की जानकारी दी तो वह हमराह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक माननीय विधायक जी अपने समर्थकों के साथ मौके से जा चुके थे और श्री होशियार सिंह यादव के मकान में ताला बन्द मिला। माननीय सदस्य द्वारा फोन पर दी गयी सूचना के आधार पर उसी दिन 16.11 बजे थाना हाजरपुर एन0सी0आर0-नं0 219/12 धारा 504 आई0पी0सी0 वादी मा0 श्री नीरज मौर्य विधायक, जलालाबाद बनाम होशियार सिंह, नि0 कस्बा व थाना-कलान, शाहजहांपुर पंजीकृत किया गया और होशियार सिंह यादव व सोनपाल यादव के खिलाफ धारा 107/116/116 (3) सी0आर0पी0सी0 के तहत चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजी गयी। दिनांक 25 नवम्बर, 2012 को उक्त घटना से सम्बन्धित श्री होशियार सिंह यादव पुत्र श्री गंगा सिंह, ग्राम बहेटी हाल, नि0 कस्बा व थाना कलान, शाहजहांपुर द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसके आधार पर उसी दिन अपराह्न 12.30 बजे थाना कलान पर एन0सी0आर0 नं0-220/12 धारा 504/506 आई0पी0सी0 विरुद्ध श्री नीरज मौर्य, मा0 विधायक, जलालाबाद व उनके समर्थक पंजीकृत की गयी।

श्री गौरव, थानाध्यक्ष, कलान ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि इसी बात से नाराज होकर मा0 विधायक, श्री नीरज मौर्य उनसे बुराई मानते हैं और उनके (श्री गौरव के) यादव जाति का होने के कारण माननीय सदस्य द्वारा मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद आरोप लगाते हुए विधान सभा में नियम-301 के माध्यम से सूचना मांगी गयी है। श्री गौरव ने आगे यह उल्लेख किया है कि वह माननीय विधायक जी का हृदय से सम्मान करते हैं तथा उचित न्याय संगत मदद करते हैं। उनके ऊपर लगाये गये आरोप औचित्यपूर्ण नहीं हैं।

उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय सदस्य, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य ने अपनी प्रश्नगत सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे श्री गौरव, थानाध्यक्ष, कलान से किस विषय पर बात करना चाहते थे और सूचना से यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह थानाध्यक्ष से किस समस्या का समाधान चाहते थे। आधार विहीन सूचना पर विशेषाधिकार-हनन का मामला उठाया जाना तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत नहीं है। प्रश्नगत सूचना के सन्दर्भ में श्री गौरव के स्पष्टीकरण के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को कस्बा-कलान, जनपद शाहजहांपुर में सेवानिवृत्त अध्यापक, श्री रतिराम के यहां विवाह समारोह में शामिल होने गये माननीय सदस्य के समर्थकों एवं श्री होशियार सिंह यादव तथा उनके भाई श्री सोनपाल यादव के बीच मकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। थानाध्यक्ष द्वारा पहले माननीय सदस्य की शिकायत पर तथा दूसरे दिन श्री होशियार सिंह की तहरीर पर एन0सी0आर0 में एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही जान बूझकर अथवा किसी द्वेष भावना से नहीं बल्कि विधि सम्मत ढंग से की गयी है।

प्रश्नगत घटना का सम्बन्ध सदन अथवा सदन की किसी समिति से नहीं है बल्कि परिस्थितिवश घटित हुयी है। सूचना में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में श्री गौरव, थानाध्यक्ष, कलान द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने एवं विधायक के अवमान की सूचना दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 अभिसूचित की गयी।

माननीय श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र की निवासिनी श्रीमती चम्पा देवी उम्र 66 वर्ष एवं शिवसरन वर्मा उम्र 69 वर्ष ग्राम बहसुआ, ब्लाक बड़हलगंज के लिये वृद्धावस्था पेंशन हेतु उन्होंने दिनांक 15 सितम्बर, 2012 को खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, श्री ओ0पी0 दुबे से उनके मोबाइल नं0-945549686 पर बात करने का प्रयास किया परन्तु उनके द्वारा न तो मोबाइल रिसीव किया गया और न ही बाद में प्रत्युत्तर देना उचित समझा गया। माननीय सदस्य ने उसी दिन पीड़ित को एक पत्र देकर खण्ड विकास अधिकारी के पास भेजा। पीड़ित व्यक्ति ने वापस आकर बताया कि उक्त अधिकारी ने उनके पत्र को फेंक दिया और मा0 सदस्य के प्रति अमर्यादित पूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया। माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि इसके पूर्व भी अगस्त, 2012 को उन्होंने इन्दिरा आवास हेतु एक पत्र के साथ एक व्यक्ति को भेजा था तब भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत मा0 सदस्य ने जिलाधिकारी, गोरखपुर से की थी। माननीय सदस्य द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग होने एवं मा0 सदस्य, विधान सभा की अवमानना के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग द्वारा श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज, गोरखपुर का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्री ओ0पी0 दुबे द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्रीमती चम्पा देवी एवं शिवसरन, ग्राम बहसुआ आज तक उनके समक्ष पेंशन या अन्य किसी शासकीय सुविधा की प्राप्ति हेतु कभी भी उपस्थित नहीं हुए। यदि यह लोक समस्या के समाधान हेतु उनसे सम्पर्क करते तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाता। जहां तक दिनांक 15 सितम्बर, 2012 को दूरभाष सं0-945549686 पर मा0 विधायक जी द्वारा बात न करने एवं फोन रिसीव न करने की बात है, इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी का कहना है कि उक्त टेलीफोन नम्बर उनका नहीं है। श्री दुबे के अनुसार उनके पास दो दूरभाष नं0-8765487196 एवं 9455491686 हैं। इन दोनों नम्बरों पर जब कभी भी किसी मा0 जनप्रतिनिधि एवं किसी जनसाधारण का फोन आता है तो उनके द्वारा तत्काल रिसीव कर सम्बन्धित को उत्तर दिया जाता है। पुनः मा0 विधायक जी के पत्र को फेंकने एवं मा0 विधायक जी के प्रति तिरस्कारपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में श्री दुबे ने कहा है कि उक्त दोनों व्यक्ति जब उनके पास आये ही नहीं तो इस तरह का कृत्य उनके द्वारा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इसी प्रकार श्री लक्ष्मी प्रसाद, ग्राम-गायघाट के निवासी को इन्दिरा आवास हेतु मा0 विधायक जी का पत्र फेंकने तथा उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करने के सम्बन्ध में भी श्री ओ0पी0 दुबे ने अवगत कराया है कि श्री लक्ष्मी प्रसाद ने आज तक इन्दिरा आवास की मांग के सम्बन्ध में उनके समक्ष मा0 विधायक जी का कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया। यदि वे उनके पास आते तो निश्चित रूप से आवास देने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी होती। श्री दुबे के अनुसार मा0 विधायक जी के प्रति कभी भी उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं की गयी। जब भी माननीय विधायक का फोन आता है तो तत्काल उनके द्वारा रिसीव कर उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है अथवा आवश्यकतानुसार उनसे समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से ससम्मान सम्पर्क भी किया जाता है।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की सूचना के सापेक्ष श्री ओ0पी0 दुबे, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य के प्रति श्री दुबे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जो मा0 सदस्य की गरिमा के विपरीत हो। माननीय सदस्य स्वयं न तो श्री दुबे से मिले और न ही टेलीफोन पर उनकी बात हुयी। प्रश्नगत सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर माननीय सदस्य द्वारा दी गयी है। प्रश्नगत प्रकरण न तो मा0 सदस्य के विधायी कार्य से और न ही सदन अथवा सदन की किसी समिति से सम्बन्धित है। जनसाधारण व्यक्ति एवं एक लोक सेवक के मध्य हुयी वार्ता को विशेषाधिकार भंग होने का आधार बनाया जाना नियम संगत नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत मामले को अग्राह्य किया जाता है।

श्री मुसर्रत अली बिट्टन, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री उमेश गर्ग, लेखपाल, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के विरुद्ध दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री उमेश गर्ग, लेखपाल, तहसील-बिल्सी, जनपद-बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना 9 दिसम्बर, 2012 अभिसूचित की गयी जो इस सचिवालय में दिनांक 19 मार्च, 2013 को प्राप्त हुयी।

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बदायूं में उनके विधान सभा क्षेत्र बिल्सी की तह0 बिल्सी में कार्यरत श्री उमेश गर्ग, लेखपाल से दूरभाष पर उन्होंने ग्राम सब्दलपुर निवासी, श्री मोहम्मद अली की भूमि की पैमाइश के विषय में बात की तो लेखपाल ने अशोभनीय तरीके से अभद्रता पूर्वक कहा कि ''ऐसे विधायक बहुत देखे हैं।'' लेखपाल के इस कथन से एक जनप्रतिनिधि का घोर अपमान हुआ है। उन्होंने उक्त लेखपाल के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री के माध्यम से श्री उमेश गर्ग, लेखपाल का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, बदायूं की दिनांक 7 जून, 2013 की आख्यानुसार प्रकरण में उप

जिलाधिकारी, बिल्सी के स्तर से जांच करायी गयी तथा श्री उमेश गर्ग, लेखपाल, क्षेत्र भीकमपुर हरदोपट्टी, तह0-बिल्सी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि वह लगभग 03 वर्षों से तह0-बिल्सी में कार्यरत हैं। दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 को क्षेत्र के ग्राम सब्दलपुर में ग्रामवासियों के बीच वह उपस्थित थे। सायंकाल लगभग 3.00 बजे मा0 विधायक, श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन का फोन उनके मोबाइल पर आया। मा0 विधायक जी ग्राम सब्दलपुर निवासी, श्री महमूद अली पुत्र मकसूद अली की भीकमपुर हरदोपट्टी स्थित भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर है की पैमाइश करने के लिए दबाव डाल रहे थे। संक्रमणीय भूमिधर भूमि की पैमाइश से मना करने पर मा0 विधायक जी काफी गुस्से में बात करने लगे जिसके कारण उनके हाथ-पैर कांपने लगे तथा मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया और स्विच आफ हो गया। मा0 विधायक को ऐसा प्रतीत हुआ कि मोबाइल फोन काटकर स्विच आफ कर दिया गया है। माननीय विधायक के साथ मोबाइल फोन पर किसी प्रकार की अभद्र या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया और न ही ''ऐसे विधायक बहुत देखें हैं'' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य, श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन की सूचना के सापेक्ष श्री उमेश गर्ग, लेखपाल के स्पष्टीकरण तथा जिलाधिकारी, बदायूं की सूचना के आधार पर मा0 राजस्व मंत्री से प्राप्त आख्या का परिशीलन किया गया। मा0 सदस्य द्वारा श्री उमेश गर्ग, लेखपाल से किसी अन्य की एक संक्रमणीय भूमिधर भूमि की पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में मोबाइल पर बात हुयी। श्री गर्ग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उक्त कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर माननीय सदस्य द्वारा असंतुष्ट होकर प्रश्नगत शिकायत की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न तो सदन अथवा सदन के किसी कार्य से सम्बन्धित है और न ही विधान सभा की किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण माननीय सदस्य के किसी विधायी कार्य से भी सम्बन्धित नहीं है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न होने के फलस्वरूप प्रकरण को अग्राह्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-15 एवं 16 में कुछ नहीं है। मद संख्या-17

[1.48] उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 2013[†]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[†] दिनांक 20-9-2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

अब इसे आज ही लेना है इसलिए एक प्रस्ताव कर देता हूं कि यदि यह सदन सहमत हो तो आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के विचार एवं उसके पारण से सम्बन्धित मदें आज ही सदन में विचारार्थ ले ली जाएं, क्या इससे सदन सहमत है?

(सदन ने अपनी सहमति प्रदान की।)

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 2013 (क्रमागत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्वांचल का एक नव प्रतिष्ठित और गुणवत्तायुक्त महाविद्यालय रहा है। एक ऐसे दौर में जब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा विद्यालय रहा जिसने सीमित संसाधनों के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखा है और नेशनल रैंकिंग में इसने हमेशा प्रमुखतम स्थान पाया है। शैक्षणिक विकास की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है यह हम सब जानते हैं और उसमें जो प्रयास हुआ है मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज को एक विश्वविद्यालय का स्वरूप देने का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिक इससे बहुत उल्लासित हैं। जब यह घोषणा हुई थी तब भी हम सबने इसका स्वागत किया था, कल के अनुपूरक बजट में हम लोगों ने इसके लिए प्रतीकात्मक धनराशि भी मुक्त की है और साथ में सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो भी धन कम पड़ेगा, उसे बजट की बचत से सम्पूर्ण धन की व्यवस्था कर लेगी। उसके ही अनुपालन में आज यह विश्वविद्यालय का विधेयक आया है, मैं पूर्वांचल के नागरिकों की ओर से इस सरकार को इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसा डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा है इसमें हां और ना की स्थिति ही नहीं है, इससे पूरा सदन सहमत है और सरकार के इस कदम की सराहना विपक्ष ने की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि ऐसे सकारात्मक कदम की सराहना होनी भी चाहिए, इसलिए मान्यवर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-48 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध शिक्षा में अध्ययन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उद्भवन, उत्पादन सम्बन्धी नवाचार एवं विस्तार कार्य को सुकर बनाने एवं प्रोन्नत करने के लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित करने और गोरखपुर में उसे एक गैर-सम्बद्धक अध्यापन और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूंकि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है जो गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूंकि उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्ध के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सम्बन्धी, सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिए वेहतर कार्यक्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य धारा-24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' का तात्पर्य कर्मचारी की ऐसी श्रेणीयों से है जिसे परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो;

(ग) ''प्रबंध बोर्ड'' का तात्पर्य धारा-22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड से है ;

(घ) ''कैम्पस'' का तात्पर्य शिक्षण या शोध या दोनों के लिए व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;

(ङ) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'', और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' से है;

(च) ''सभा'' का तात्पर्य धारा-20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सभा से है;

(छ) ''विभाग'' का तात्पर्य धारा-27 के उपबंध के अधीन गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन विभाग से है;

(ज) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है;

(झ) ''विद्यमान कर्मचारी'' का तात्पर्य पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के किसी कर्मचारी से है, जो धारा-5 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो जाता है;

(ञ) ''वित्त समिति'' का तात्पर्य धारा-26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(ट) ''छात्र निवास'' या ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या संगठित जीवन की किसी इकाई से है;

(ठ) ''अवचार'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित किसी अवचार से है;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''कुल-सचिव'' का तात्पर्य धारा-15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल-सचिव से है;

(ण) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' या ''विनियम'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश या विनियम से है;

(त) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा-4 के अधीन स्थापित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाए, और परिनियम द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया हो ।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3-(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, सभा के प्रथम सदस्य, प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय की वित्त समिति और विद्या परिषद् और ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें आगे ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय या सदस्य के रूप में जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, सम्मिलित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा के विकासशील क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान कार्य में रत रहेगा एवं इन क्षेत्रों और सम्बद्ध सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्तर-शाखीय शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा ।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4-इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही :-

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को किया गया कोई सन्दर्भ विश्वविद्यालय को किया गया सन्दर्भ समझा जायेगा;

(ख) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की या उससे सम्बन्धित समस्त चल और अचल सम्पत्ति विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी;

(ग) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिये जायेंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व हो जायेंगे।

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति पेंशन, छुट्टी, आनुतोषिक, भविष्य निधि और अन्य मामलों के सम्बन्ध में उसी कार्यकाल तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर और उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ विश्वविद्यालय में अपना पद और सेवा धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय या उसने विश्वविद्यालय के नियोजन सम्बन्धी निबन्धन एवं शर्तों के लिये विकल्प न दे दिया हो।

(ङ) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के ऐसे वर्तमान छात्र जिन्होंने इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व क्लास ज्वाइन किये हो, वे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय के नामांकन और सम्बद्धता के अधीन जारी रखेंगे जो उनके लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके द्वारा वर्तमान में वहां अनुसरण किये जा रहे पाठ्यक्रमों और अध्याय कार्यक्रमों के पूर्ण कर लेने पर उन्हें उपाधियां प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(1) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंध और सहबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक उच्चतर शिक्षा का विकास करना एवं उसे प्रदान करना;

(2) अध्ययन को सुकर बनाना और प्रोत्साहन देना जिसमें उपाधियां, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को प्रदान किया जायेगा।

(3) आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्च अध्ययन की व्यवस्था करना और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करना;

(4) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना;

(5) एक परिवर्तन अभिकरण बनकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के सम्बन्धित क्षेत्रों को इस प्रकार समर्थ बनाने में योगदान प्रदान करना कि वे अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट उत्पादों एवं सेवाओं का विकास कर सकें ।

(6) सुसंगत उद्योग बनना और भारत तथा विदेश में शैक्षणिक समुदाय पर प्रभाव बनाना;

(7) एक खुली संस्था बनकर विश्व के उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना और वैश्विक रूप से पूर्णतः समेकित होना;

(8) प्रौद्योगिकी उद्यमिता, नवाचार एवं नव उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, ज्ञान पार्कों और प्रौद्योगिकी ऊष्मायिलों (इन्क्यूबेटर्स) की स्थापना करना;

(9) अभिभाषणों, संगोष्टियों, परिसंवादों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके राष्ट्रीय विकास में ज्ञान एवं प्रक्रिया एवं उनकी भूमिका का प्रसार करना;

(10) व्यावसायिक नैतिकता, अनुसंधान सत्यनिष्ठा, वैश्विक रूप से ग्राह्य व्यापार नीतिशास्त्र को प्रोन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक एवं नीतिपरक मूल्यों को प्रोन्नत करना एवं प्रोत्साहन देना;

(11) भारत एवं विदेश में उच्चतर ज्ञान और अनुसंधान की संस्थाओं से सम्पर्क करना;

(12) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों पर आवधिक पत्रिका, शोध प्रबन्ध, अध्ययन-लेख, पुस्तकें, रिपोर्ट, दैनिकी एवं अन्य साहित्य प्रकाशित करना;

(13) परीक्षाओं का आयोजन करना और उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(14) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित अध्ययन एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं के कार्य का दायित्व लेना;

(15) अध्ययन केन्द्रों और विभागों की स्थापना करना;

(16) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषांगिक, आवश्यक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

6-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(एक) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान कार्यो तथा ज्ञान एवं कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(दो) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र देना और परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की अन्य विधि के आधार पर उपाधियां एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(तीन) मानद् उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(चार) विस्तार सेवाएं आयोजित करना और उनका उत्तरदायित्व लेना;

(पांच) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन एवं शैक्षिक पद सृजित एवं संस्थित करना और ऐसे तथा अन्य शैक्षिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(छः) व्यक्तियों को आचार्यों, सह-आचार्यों या सहायक आचार्यों के रूप में एवं अन्य लोगों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(सात) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षिक या प्रशासनिक स्टाफ के अध्यापकों और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों एवं निबन्धनों के लिए प्रावधान करना;

(आठ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(नौ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(दस) किसी अन्य विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षा के प्राधिकरण या संस्था से और किसी विदेशी विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार या सहयोग करना अथवा सहयुक्त होना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(ग्यारह) शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों कार्य करने के लिए किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के सहकार, सहयोग या सहयोजन को विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध करना;

(बारह) शैक्षिक कृत्यों के निष्पादन के लिए शैक्षिक नियामक का गठन करना और उन्हें विहित रीति से पारिश्रमिक प्रदान करना;

(तेरह) केन्द्रीय सुविधाएं यथा कम्प्यूटर केन्द्र साधन विनियोग केन्द्र, केन्द्रीय कार्यशाला, केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रेक्षागृह आदि स्थापित करना;

(चौदह) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ स्थापित करना;

(पन्द्रह) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों को अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या चयन की कोई अन्य पद्धति भी हो सकती है;

(सत्रह) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(अठारह) फीस और अन्य प्रभार विहित करना, मांगना और उनके भुगतान को प्राप्त करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन की व्यवस्था करना;

(बीस) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसी विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण को विनियमित करना;

(बाईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे आनुशासनिक उपाय करना जैसा आवश्यक समझा जाय;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के सम्बर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(पच्चीस) व्यक्तियों से धर्मदान, दान और उपहार प्राप्त करना और पीठों, संस्थाओं, भवनों एवं तत्सदृश को ऐसे नाम प्रदान करना जैसा विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों के नाम से अवधारित करे जिनके द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये उपहार या दान विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित की गयी धनराशि के समतुल्य हो;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय के लिए संग्रह निधि का सृजन करना और उसे भूतपूर्व छात्रों, उद्योगों और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाय, से प्राप्त दोनों को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित करना और ऐसे संग्रह निधि के प्रयोग के ढंग का विनिश्चय करना;

(सत्ताईस) सरकार की सहायता से अर्जित भूमि या निर्मित भवन को छोड़ कर, जिसके मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, किसी सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यास सम्पत्तियां भी है, का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(अट्ठाईस) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर प्रतिभूति पर उधार लेना;

(उनतीस) विषयों, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों और प्राविधिक जनशक्ति के प्रशिक्षण, जो लघुकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधार का होगा, के अनुसार आवश्यकता का निर्धारण करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;

(तीस) पूरक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उद्योग और अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के उपाय करना;

(इकतीस) अपने कर्मचारियों के लिए नीति संहिता, आचार संहिता और आनुशासनिक नियम और छात्रों के लिए आनुशासनिक संहिता निर्धारित करना; और

(बत्तीस) ऐसे अन्य सभी कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो या विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय सभी वर्ग जातियों और मतावलम्बियों के लिए होगा

7-(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

(2) इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

8-(1) विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में अध्यापन का संचालन नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार किया जायेगा;

(2) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या और ऐसे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाय।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुलसचिव;

(च) वित्त नियंत्रक;

(छ) परीक्षा नियंत्रक और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

विश्वविद्यालय का कुलाधिपति

10-(1) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और यदि वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) मानद उपाधि प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख जिनकी कुलाधिपति द्वारा माँग की जाय, प्रस्तुत करे।

(5) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जैसी विहित की जायं।

विश्वविद्यालय का कुलपति

11-(1) कुलपति अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंध के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा, जिसके पास उच्चतर शिक्षा के परास्नातक उपाधि स्तरीय संस्थान में प्रशासनिक अनुभव हो।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन नामों वाले एक पैनल से की जाएगी जिसकी संस्तुति एक अन्वेषण-सह-चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कुलाधिपति का एक नाम निर्देशिती, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या उसका नामनिर्देशिती जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो और प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, जो समिति का संयोजक भी होगा, सम्मिलित होंगे। अन्वेषण और चयन की प्रक्रिया समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(3) कुलपति के रूप में चयन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। कुलपति अपना पद तीन वर्ष की अवधि के लिये या 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण करेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(5) कुलपति की नियुक्ति की निबन्धन, शर्तें, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी विनिर्दिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच के अनुध्यात रहने पर कुलाधिपति अग्रतर आदेश दिये जाने तक यह आदेश दे सकते हैं कि,-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निष्पादन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह उपधारा (5) के अधीन अन्यथा हकदार था।

(ख) कुलपति पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) वह प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) उसको विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(5) कुलपति को सभा, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी, परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति से भिन्न, जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करतेः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों, उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाय।

विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति

13-(1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाय।

(5) प्रतिकुलपति को यथाविहित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संकायाध्यक्ष

14-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कुलसचिव

15-(1)कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित की जाय।

(3) कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्रबंध बोर्ड का पदेन सचिव होगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या प्रबंध बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, सिवाय उसके जो विहित किया जाय, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

वित्त नियंत्रक

16-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक, प्रबंध बोर्ड के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे प्रबंध बोर्ड की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबंधनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

(6) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

परीक्षा नियंत्रक

17-(1) कुलपति, आचार्यों में से किसी एक को परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो एक आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसको विहित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों।

(4) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या प्रबंध बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(7) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबंध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

अन्य अधिकारी

18-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियाँ, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जायं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) सभा;

(ख) प्रबंध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

सभा

20-(1) विश्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध की शाखा से पाँच विख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे;

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त) पदेन;

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) पदेन;

(च) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा) पदेन;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि ।

(2) सभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति अपना पद धारण करने या नियुक्त रहने के कारण सभा का सदस्य बन गया हो वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेगी।

(4) सभा का कोई सदस्य सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह त्याग-पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमा से अन्तर्ग्रस्त किसी दांडिक अपराध लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है। कोई सदस्य जो कुलपति से भिन्न हो, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सभा की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न, सभा का सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और उसके द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(6) सभा में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जाएगा।

सभा की शक्तियाँ कृत्य और अधिवेशन

21-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा, विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देगा। सभा की अन्य शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात-

(क) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं तथा ऐसे लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ख) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा निर्धारित किया जाय।

(2) सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होगा।

(3) सभा का वार्षिक अधिवेशन ऐसे दिनांक को होगा जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत किया जाय, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य दिनांक नियत न कर दिया गया हो और सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा, जब वह उपस्थित हो, किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं साथ में वार्षिक लेखा यथा संपरीक्षित तुलन पत्र को कुलपति द्वारा सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में रखा जायेगा ।

(5) वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त, सभा का अधिवेशन कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा अपनी ओर से या सभा के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है।

(6) सभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिए-

(क) सामान्यतः 15 दिनांक की सूचना दी जायेगी;

(ख) सभा की नामावली पर विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(ग) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि सभा द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हों तो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का अतिरिक्त रूप में एक निर्णायक मत होगा।

(घ) सदस्यों के मध्य राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) यदि सभा द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय, तो कुलपति सभा के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक सभा के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सभा के सभी सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

22-(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और इस रूप में उसके पास इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन वे समस्त शक्तियाँ होगीं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये आवश्यक हैं और उक्त प्रयोजन के लिये एवं तद्धीन प्रदत्त विषयों के सम्बन्ध में भी अध्यादेश एवं विनियम बना सकता है। प्रबन्ध बोर्ड

(2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध शाखा के तीन विख्यात व्यक्ति जो सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(ग) विश्वविद्यालय के दो आचार्य, जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(ङ) किसी उद्योग संख्या का एक प्रतिनिधि जो सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(च) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त)- पदेन;

(छ) सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा)- पदेन;

(ज) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा)- पदेन;

(झ) ऐसे अन्य सदस्य या सदस्यगण जो विहित किये जायें।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य बन जाता है, वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेगी।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का कोई सदस्य सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह त्याग-पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दीवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाता है। कोई सदस्य, जो कुलपति, आचार्य या संकायाध्यक्ष से भिन्न हो, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलपति की अनुमति के बिना प्रबन्ध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

(6) पदेन सदस्य से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और कुलपति द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(7) प्रबन्ध बोर्ड में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरी जायेगी और शक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा।

प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और अधिवेशन

23-(1) प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकारी होगा और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस रूप में उसके पास वह समस्त शक्तियाँ होंगी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं और वह उक्त प्रयोजन के लिए अध्यादेश और विनियम बना सकता है ।

(2) प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विभिन्न शैक्षिक विभागों, विद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और आवश्यक समझे जाने पर सुधार के लिए निर्देश देना;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अनुदेश और अनुसंधान विहित मानकों को पूरा करते हैं और विश्वविद्यालय के स्नातक उच्चतर शिक्षा के लिए लाभप्रद सेवायोजन या अवसर प्राप्त करने के योग्य हैं और इस सम्बन्ध में आवधिक रूप से प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ग) निम्नलिखित को सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करना :-

(एक) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट; और

(दो) वार्षिक लेखा;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्तियों, कारबार और अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध एवं विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति, जिसमें अप्रयुक्त आय भी है, को भारत में अचल सम्पत्ति में या उसके क्रय में निवेश करना एवं साथ में उसी प्रकार उसमें परिवर्तन करने की शक्ति रखना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें परिवर्तन करना, उसे कार्यान्वित और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना जैसा वह उचित समझे;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर एवं साधित्र और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, न्याय निर्णयन करना और यदि वह उचित समझे तो उनको दूर करना;

(झ) सरकार के अनुमोदन से संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ञ) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य भत्तों का निर्धारण करना;

(ट) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जायं या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये जायं ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की नोटिस दी जाएगी।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक कुलपति के अनुदेश से या प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(7) बोर्ड के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे। प्रबन्ध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर-बराबर हो तो, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा।

(8) यदि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय तो कुलपति प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा। यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विद्या परिषद्

24-(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसका नियंत्रण और विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियाँ का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् को विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर प्रबन्ध तंत्र बोर्ड को सलाह देने का अधिकार होगा ।

(3) विद्या परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबन्ध की शाखा से ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विद्वानों या उद्योगपतियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट हों;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम-निर्देशिती;

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नाम-निर्देशिती;

(ङ) उद्योग संघ का एक नाम-निर्देशिती;

(च) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष;

(छ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन आचार्य;

(ज) विद्यालयों/विभागों के समस्त प्रधान;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट अध्यापन कर्मचारीवृंद के दो सदस्य, जिनमें से एक क्रमशः सह-आचार्य और सहायक आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ट) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं।

(4) विद्या परिषद् के सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियाँ, कृत्य और अधिवेशन

25-(1) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों तथा प्रबंध बोर्ड के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद् शैक्षणिक कार्यकलापों और विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करेगी और विशिष्टतः उसके निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा स्वयं को निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी मामले पर रिपोर्ट देना;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों एवं उससे सम्बद्ध कर्तव्यों के संबंध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना;

(ग) संकायों के संगठन के लिये स्कीमें बनाना और उपान्तरित करना या उनका पुनरीक्षण करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषय प्रदान करना और किसी संकाय के समापन या उपविभाजन की समीचीनता अथवा एक संकाय को दूसरे संकाय से संयुक्त करने के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड को रिपोर्ट भी प्रदान करना;

(घ) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण और परीक्षा के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियों का निर्धारण करना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों या संस्थाओं के डिप्लोमा और उनकी उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालयों के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमा और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समकक्षता का अवधारण करना;

(झ) प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अन्य पारितोषिक के लिये प्रतियोगिता हेतु समय, रीति और शर्तों का निर्धारण करना, और उनके लिये पुरस्कार की संस्तुति करना;

(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यकता हुयी, तो उनके हटाये जाने और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य व्ययों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना;

(ट) परीक्षाओं के संचालन और उनके आयोजन के दिनांक के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना;

(ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या उनका पुनर्विलोकन करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियों, सम्मान डिप्लोमा, लाइसेंस, पदनाम और सम्मान सूचक चिन्ह प्रदान या स्वीकृति करने के संबंध में संस्तुति प्रदान करना;

(ड) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पारितोषिक संस्तुति करना और विनियमों एवं ऐसी अन्य शर्तों जो पुरस्कारों से सम्बद्ध हो, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(ढ) निर्धारित पाठ्यक्रम के लिये पाठ्य विवरण का अनुमोदन करना निर्धारित या संस्तुत पाठ्य-पुस्तक की सूचियों को अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(ण) ऐसे परिपत्रों और पंजिकाओं को अनुमोदित करना जो अध्यादेशों और विनियमों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों;

(त) विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्य-विवरण की रूपरेखा बनाने में पालन किये जाने वाले शिक्षा के वांछित मानकों को समय-समय पर तैयार करना;

(थ) शैक्षिक और अनुसंधान विषयक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और अध्यादेशों एवं तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।

(2) विद्या परिषद् एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार बैठक करेगी जितनी बार आवश्यक हो, परन्तु बैठक तीन बार से कम नहीं होनी चाहिये।

(3) विद्या परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

(4) विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) विद्या परिषद् के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे। विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर-बराबर हों तो, यथास्थिति, विद्या परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा।

(6) यदि विद्या परिषद् द्वारा आत्ययिक कार्यवाही अत्यावश्यक हो जाये तो विद्या परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा। यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

वित्त समिति

26-(1) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गठित एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त)- पदेन;

(ग) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा)- पदेन;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो;

(ङ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(च) वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव होगा;

(छ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) उपधारा(1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य केवल तभी तक पद धारण करेंगे, जब तक वे प्रबंध बोर्ड के सदस्य बने रहते हैं;

(3) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की परीक्षा और संविक्षा करना और प्रबंध बोर्ड को वित्तीय मामलों पर संस्तुति प्रदान करना;

(ख) नये व्यय के लिये प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना;

(ग) ग्रेड के पुनरीक्षण वेतनमान के उच्चीकरण और उन मदों जो बजट में सम्मिलित नहीं हैं, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रबंध बोर्ड द्वारा उन पर विचार किये जाने के पूर्व वित्त समिति द्वारा किया जायेगा;

(घ) विश्वविद्यालय के ऐसे वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना जो वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये हों और अनुमोदन के लिये वित्त समिति के समक्ष रखे गये हों और तत्पश्चात् प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये हों;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति के अनुमोदन के बिना इस प्रकार नियत सीमा से अधिक कोई व्यय उपगत नहीं किया जायेगा;

(च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर स्वप्रेरणा से या प्रबंध बोर्ड या कुलपति के निर्देश पर अपने विचार प्रदान करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना।

(4) वित्त समिति वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। किसी बैठक में वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में चयनित कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा। सदस्यों में भिन्न-भिन्न राय होने की दशा में सदस्यों की बहुमत की राय अभिभावी होगी।

अन्य प्राधिकारी

27- अन्य प्राधिकारियों जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाये, के गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य उसी प्रकार होंगे जैसा विहित किये जायें।

परिदर्शन

28-(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करायी गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा;

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रदान करे, वहाँ विश्वविद्यालय को ऐसी नोटिस के प्राप्त होने पर ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, ऐसा अभ्यावेदन, जैसा वह आवश्यक समझे, करने का अधिकार होगा;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण या जाँच करा सकती है;

(4) यदि, निरीक्षण या जाँच करवा ली गयी हो तो विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा जिसको ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा;

(5) राज्य सरकार उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा;

(6) यदि प्रबंध बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करता है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा;

(7) यदि राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन कोई जाँच या निरीक्षण का आदेश किया गया है तो राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (3) के अधीन किये गये आदेश की जाँच या निरीक्षण, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अनुरूप न होः

परन्तु यह कि ऐसा आदेश देने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और बताये गये कारण पर यदि कोई हो, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विचार करेंगे।

परिनियम

29-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकते हैं अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका गठन किया जाना आवश्यक पाया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों के सदस्यों के पद का चयन और उसकी निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उनसे सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए उपबन्ध करना विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझा जाय;

(ग) पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के नियोजन में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बने रहने की निबन्धन और शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों एवं उपलब्धियों की निबन्धन और शर्तें;

(ड.) विश्वविद्यालय के अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके साथ संविदा;

(च) किसी संयुक्त परियोजना, को प्रारम्भ करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उपलब्धियाँ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य-निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना;

(ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धान्त;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या किसी छात्र द्वारा किसी अपील के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ठ) मानद उपाधियाँ प्रदान किया जाना;

(ड) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन राशि को संस्थित किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ण) पीठों, विद्याशाखाओं और विभागों की स्थापना;

(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(थ) ऐसे समस्त विषय जो इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें या किये जा सकेगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

30-(1)विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) प्रबंध बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड किसी ऐसे परिनियम को तब तक नहीं बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार न कर लिया गया होः

परन्तु यह और कि प्रबन्ध बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे परिनियम को न बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, नियोजन के निबन्धन एवं शर्तों और उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता हो।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या उनमें किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा स्वयं द्वारा किये गये संप्रेक्षण, यदि कोई हो, के आलोक में विचार करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को भेज सकता है।

(4) विद्यमान परिनियमों को संशोधित या निरसित करने वाला कोई नया परिनियम या परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसके लिए कुलाधिपति की अनुमति न प्राप्त हो जाय, जो मामले का विनिश्चय करते समय सम्बन्धित विभाग के विचारों को ध्यान में रखेगा।

अध्यादेश

31-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उसके लिए शुल्क, उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं प्रदान करने से सम्बन्धित अर्हताएं, अध्येतावृत्ति और पुरस्कार एवं तत्समान को प्रदान करने के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों के पद एवं उनकी नियुक्ति की सेवा शर्तें भी हैं;

(ग) छात्रों के निवास की शर्तें और उनका सामान्य अनुशासन;

(घ) कर्मचारियों और विश्वविद्यालय या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(ङ) कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(च) किसी व्यथित कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील की प्रक्रिया;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाए रखना;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन और विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण का विनियमन;

(झ) अवचार की श्रेणी जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है;

(ञ) कोई अन्य विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अध्यादेशों द्वारा उपलब्ध किये जाएंगे या किये जा सकते हैं।

विनियम

32-विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते हैं जैसा कि अपने कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में उपलब्ध नहीं किया गया है।

मानद उपाधि

33-यदि विद्या परिषद् के दो तिहाई सदस्य से अन्यून सदस्य यह संस्तुत करते हैं कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर दे दी जाय कि वह उनकी राय में विशिष्ट उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्य और उपयुक्त है, तो कुलाधिपति किसी आदेश द्वारा यह विनिश्चिय कर सकते हैं कि उक्त उपाधियाँ संस्तुत व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं।

उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना

34-(1) प्रबन्ध बोर्ड विद्या परिषद् की संस्तुति पर किसी व्यक्ति को प्रदान या स्वीकृत किये गये किसी सम्मान, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार का बोर्ड के उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा वापस ले सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें, बोर्ड की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो या वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) आधार (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गये विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुशासन

35-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। उस निमित्त कुलपति के निर्देशों का कार्यान्वयन विभाग, छात्रावासों और संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र का किसी परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय से निष्कासित करने के किसी शास्ति पर कुलपति की रिपोर्ट पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा या उसे अधिरोपित किया जायेगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी शास्ति सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

36-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम भी हैं।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष शैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र विधान सभा में रखवायेगी।

वार्षिक लेखा

37-(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति प्रबंध बोर्ड के प्रेक्षण सहित, यदि कोई हो, कुलाधिपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कोर्ट द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण प्रबंध बोर्ड के ध्यान में लाया जायेगा और इन संप्रेक्षणों पर की गयी कार्यवाही को कोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोर्ट और कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा।

(4) कुलाधिपति को यथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदनों के समक्ष रखवायेगी।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्ध और शर्तें एवं परिलब्धियां

38-विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, के नियोजन के निबन्धन और उनकी शर्ते उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

39-(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त किया गया हो के साथ विश्वविद्यालय एक लिखित सेवा संविदा करेगा और संविदा के निबन्धन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

40-(1) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के मध्य, अथवा धारा-4 के उपबन्धों के निबन्धन में विश्वविद्यालय और विद्यमान कर्मचारियों के मध्य, धारा-40 में निर्दिष्ट किसी रोजगारपरक संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और एक अम्पायर (निर्णेता) होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक निर्देश को प्रवृत्त माध्यस्थम् विधि के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् को किया गया प्रस्तुतीकरण समझा जायेगा और उक्त विधि के समस्त उपबंध, उसकी धारा-2 को छोड़कर, तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चत किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

भविष्य निधि और पेंशन निधि

41-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जैसी विहित की जाये, ऐसी भविष्य-निधि या पेन्शन निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा वह उचित समझे। विद्यमान संकाय और कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में प्रचलित भविष्य एवं पेंशन योजनायें लागू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

42-यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या वह सदस्य होने का हकदार है तो उस विषय को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

43-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति, यथाशीघ्र सुविधानुसार, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो उन सदस्यों को नियुक्त, चयनित या सहयोजित करता है जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, चयनित या सहयोजित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

44-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमान्यता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

45-कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे वाद के बारे में जो इस अधिनिमय या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के विरुद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध किसी न्यायालय में संस्थित नहीं होगी।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

46-विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि इस प्रकार पदाभिहित कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उसमें विनिर्दिष्ट विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

47-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

48-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेशों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेशों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्य तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-48 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 18 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा अपने भाषण में असंसदीय शब्द का प्रयोग किये जाने पर खेद व्यक्त करना

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह 18 तारीख की कार्यवाही है जिसे मैंने आज देखा और सम्भवतः आपने संज्ञान भी लिया होगा, क्या इसके ऊपर कुछ निर्देश आपका है।

श्री अध्यक्ष-

हां, हां, जो आपने मुझे दिखाया था। मेरी बात हुई है, इसमें हम अभी आपसे पूरी बात करेंगे। .....

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात संसदीय कार्यमंत्री जी से हुई है और संसदीय कार्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो [x x x] शब्द है उसे निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहां पर हैं।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी में आया है कि पार्लियामेण्टरी लैंग्वेज में झूठ शब्द नहीं है, असत्य शब्द तो है पार्लियामेण्टरी लैंग्वेज में। तो वह शब्द वापस ले लिया जाये। मैं खेद भी प्रकट करता हूं।

लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह न समझा जाये कि जिन्होंने दंगा कराया है या जिन्होंने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयी।)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बार-बार चुनौती नहीं देनी चाहिए, किसने कहा है कार्रवाई रोकने के लिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई चुनौती नहीं है लेकिन इसका कोई संदेश गलत न निकाल लें।

[1.58] विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम मंगलवार दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को श्री उपेन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर

बाल विकास पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री उपेन्द्र तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम मंगलवार दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 23 जनवरी, 2013 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168(2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का ''संशोधित उत्तर'' सदन को देता हूं।

मान्यवर, इसमें हमने कार्रवाई कर दी है। जिसने असत्य उत्तर दिया है उसके खिलाफ प्रविष्टि कर दी गयी है तथा जो भी और कार्रवाई उसके खिलाफ करनी होगी, हम करेंगे।

एक सदस्य-

मा0 अध्यक्ष पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
[क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संतोष वर्मा पुत्र स्व0 भगवान वर्मा, सहायक अध्यापक, निवासी-सन्त विनोबा नगर, गली नं0-4 सादाबाद, हाथरस की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 12-06-12 के क्रम में की गयी है ?	जी नहीं।	जी नहीं।	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये संबंधित सहायक श्री वी0पी0 पटेल को बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय के आदेश सं0-बे0शि0प0/1370, दिनांक 10-9-2013 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।
यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक की जायेगी ?	स्व0 भगवान वर्मा, सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0 लखनपुरा, खेरागढ़, जनपद आगरा की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 25-7-1999 को हुई और उनके आश्रित श्री संतोष वर्मा द्वारा	स्व0 भगवान वर्मा, सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0 लखनपुरा, खेरागढ़, जनपद आगरा की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 26-7-1999 को हुई और उनके आश्रित श्री संतोष वर्मा द्वारा सेवायोजन हेतु अपना प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 06-7-2007 को दिया	

1	2	3	4
	सेवायोजन हेतु अपना प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 24-6-2010 को दिया गया, जो सेवायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं है। प्रकरण के कालबाधित होने और इस विलम्ब हेतु युक्तियुक्त औचित्य नहीं होने के कारण श्री संतोष वर्मा के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु निर्धारित समयावधि में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।]	गया, जो सेवायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं है। प्रकरण के कालबाधित होने और इस विलम्ब हेतु युक्तियुक्त औचित्य नहीं होने के कारण शासनादेश सं0-5193/15-5-2000, दिनांक 04-9-2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री संतोष वर्मा के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु निर्धारित समयावधि में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।	

[2.00 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और यह विधान सभा के कार्य से संबंधित है। अभी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन ने सर्व-सम्मति से पारित किया और उसका एजेण्डा अब हमें बंट रहा है जब हम उसे पारित कर चुके हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मद सं0 20क और 20 ख पारित हो गया, कार्य-स्थगन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

महाना जी कार्य-स्थगन अब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 20-09-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम 04 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की, बस्ती चीनी मिल जो बजाज समूह की सह ईकाई फेनिल शुगर लिमिटेड द्वारा चलायी जा रही है, को कपोल कल्पित आधार पर बंद किये जाने की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं। यह 50 हजार किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई समस्या है। बस्ती शुगर मिल और वाल्टरगंज नारंग ग्रुप ने 84-85 साल पहले लगाया था तथा निर्बाध गति से मिल चल रही थी। इसका आधुनिकीकरण भी हुआ। 2005 में बजाज ग्रुप ने इसे खरीदा और बड़े भव्य समारोह में उसका उद्घाटन हुआ। बजाज ग्रुप के लोगों ने, जो प्रबन्धक हैं उन लोगों ने किसानों के बीच में कहा कि इसमें बिजली बनाने का कारखाना, आबकारी फैक्टरी, किसानों को सस्ती खाद बनाने का कारखाना लगाने का काम करेंगे। लेकिन 2013-2014 का जो सत्र आ रहा है उसमें उसे बंद करने का, उसका कुछ सामान हटा लेने का, उसके कुछ अधिकारियों को स्थानान्तरण कर देने का काम किया जा रहा है और किसी प्रकार की मरम्मत का काम मिल में नहीं हो रही है। बस्ती जनपद की पूरी जनता तथा 50 हजार किसान और मजदूर आन्दोलित हैं। पहले से ही मुण्डेरवा चीनी मिल बंद पड़ी थी। फिर दूसरी बस्ती की मिल बन्द हो रही है इससे किसानों पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है किसान की रोजी रोटी केवल गन्ने से ही चलती है। किसान के बच्चे की पढ़ाई और उसी से शादी व्याह करने का काम किसान करता है। मान्यवर, आप जानते हैं आप तो उसी जमीन से हैं याद है आपको 1985 में वाल्टरगंज की मिल बन्द हुई थी तो बड़ी लड़ाई आपके नेतृत्व में लड़ी गई थी तमाम रास्ता जाम, रेल जाम तमाम लोगों पर उस समय मुकदमें कायम हुए थे उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय के मुख्य मंत्री ने दबाव देकर नेता थे उस समय जिनके आशीर्वाद से आज सरकार बनी हुई है उस समय विरोधी दल के नेता थे उनका भी आर्शीवाद सहयोग उस आन्दोलन को था और उस समय वाल्टरगंज की मिल चलाई गई थी आज ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है उसके बाद भी किसानों का अहित हो रहा है बस्ती में चीनी मिल बन्द करने से जो भयावह स्थिति किसानों की होगी वह सोचा भी नहीं जा सकता है। मान्यवर, आप जानते हैं कि जैसे किसान के परिवार में बालिग बेटी होती है तो उस परिवार को रात दिन चिन्ता लगी रहती है उसके शादी ब्याह की। उसी तरह से किसान की गन्ना की फसल है जब तक वह खेत से खाली नहीं हो जाता है किसान बिल्कुल चिन्तित रहता है इस नाते आपसे अनुरोध है कि यह मामला लोक महत्व का है और तत्कालिक है क्योंकि इसका सीजन आ रहा है इस नाते हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस बस्ती की मिल को बन्द न होने दें चलाने का निर्देश देने का कष्ट करें इस समय हम यही अनुरोध आपके माध्यम से करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद में जो बजाज ग्रुप मिल बन्द करने का ऐलान कर चुकी है बार-बार आता है कि मिल घाटे में चल रही है घाटा बताते हैं और जो मुनाफा कमाते हैं उससे किसानों का नुकसान करके मिल बन्द कर रहे हैं। मिल बन्द करने के साथ-साथ जो वहां के श्रमिक हैं उनका समायोजन कहां करेंगे किसानों का तो नुकसान कर ही रहे हैं पिछले जो कई सालों से इनका मुनाफा है उसका बोनस भी श्रमिकों को नहीं दिया गया है। शासनादेश है उसके विपरीत भी उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो किसानों की दुर्गति है जब मिल बन्द हो जाएगी क्योंकि बजाज ग्रुप की वहां पर तीन मिलें हैं बार-बार यही कहा जा रहा है कि घाटे में जा रही हैं। दो ग्रुपों के साथ इनका घाटा नहीं हो रहा है बस्ती चीनी मिल बन्द करके यह किस घाटे का प्रदर्शन करना चाहते हैं। रेलवे को दिखाते हैं कि रेलवे जमीन नहीं दे रही है। ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है अभी तक इनके यार्ड चल रहे थे ऐसी चीजों को दर्शा रहे हैं जिन चीजों का इनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यह गुमराह कर रहे हैं किसानों का अहित चाहते हैं मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हित में उस मिल को बन्द न किया जाय। और श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाय जो इनका बोनस है सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित न किया जाय।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अध्यक्ष जी यह जो चीनी मिल की समस्या उठाई गई है तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बहुत गम्भीर और बड़ी समस्या है। माननीय सदस्यगण ने जो बात रखी है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो इसमें अवगत कराना है कि यह स्थितियां क्यों आ रही हैं एक परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आई थी जिस समय तमाम चीनी मिलें बन्द हो रही थीं और पिछली समाज वादी पार्टी की सरकार में तमाम नई चीनी मिलें लगने का काम एक अरसे बाद हुआ था सरकार की नीतियों के कारण और किसान खुशहाल हुआ एक वह दौर था जिसमें किसान भी खुशहाल था और मिल मालिकों ने 23 नई मिलें लगाने का काम इस उत्तर प्रदेश में किया। आज जो परिस्थितियां आई हैं उस पर सदन को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक नई स्थिति है रा सुगर जो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट के पहले आ रहा है तमाम बन्दरगाहों पर उतरकर और विभिन्न राज्यों में जो आस-पास के प्रदेश हैं तो उन जगहों से यह रा सुगर फिनिश प्रोडक्ट बनकर जा रहा है वह चीनी सस्ती पड़ती है और हमारे यहां गन्ना को पेरकर सुगर बनाने की जो स्थिति है वह चीनी उसके मुकाबले में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मंहगी हो रही है। इस कारण उनकी जो प्रतियोगिता है जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कठिनाई इस बात की है कि हमारे यहां जो चीनी बनाने वाले कारखाने हैं। उनको मजबूरी में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। जहां गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान के बारे में सरकार ने मजबूत प्रयास किया है और श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का मात्र 74.8 करोड़ रुपये बकाया रह गया है और इसके लिये हमने सप्लीमेन्टी बजट में प्राविधान भी किया है। यह भी सारा भुगतान उनका हम शतप्रतिशत पूरा का पूरा कर देंगे। सप्लीमेन्टी बजट कल ही पास किया है। (व्यवधान) अरे सुन तो लीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, जो परिस्थितियां हैं, वह मैं

रखना चाहता था सदन के समक्ष, जो आपने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा है। श्रीमन्, इन परिस्थितियों में जो भी कठिनाई आ रही है, बावजूद इसके सरकार अपने स्तर पर इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि ऐसा माहौल क्यों न बनाया जाय कि यह मिलें बन्द न हो सकें और निजी मिल मालिकों पर भी सरकार अपने स्तर से दवाब बनाने का प्रयास करेगी कि वह मिलें बन्द न हों। यह सरकार किसानों की हितैषी है। यह दूसरों के भरोसे चलने वाली सरकार नहीं है। अब तो धन्यवाद दीजिये।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

नेता जी ने आन्दोलन किया था वहां एक मिल बन्द हुई थी तो मैंने पहले धन्यवाद दिया। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने राम प्रसाद चौधरी जी को सुना और माननीय अम्बिका चौधरी जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और इनके साथ तमाम सदस्यों श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री राजबलि जैसल, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री फेरन लाल अहिरवार, श्री ममतेश शाक्य, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री रविन्द्र भड़ाना की प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अर्न्तगत प्रदेश के गन्ना किसानों से संबंधित सूचना को आपके माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वर्तमान में चूंकि पिछले पेराई सत्र का गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मान्यवर, दूसरा पेराई सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है और अभी प्रचण्ड बाढ़ से लाखों-लाख किसान अलग से प्रभावित हुए। विशेष रूप से गन्ना क्षेत्र के किसान उस क्षेत्र में आने वाली नदियों से सीधे प्रभावित हुए। आज उनके सामने समस्या है, लड़के लड़कियों की पढ़ाई की, फीस की, किताब की, कपड़े की, शादी और विवाह की और साथ ही साथ उनके अपने रोजमर्रे की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की। लेकिन मान्यवर, सरकार भी बार-बार यह आश्वासन देती है कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान जल्दी कराया जायेगा और कुछ प्रयास भी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने समय-समय पर निर्देश भी दिया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि दूसरा पेराई सत्र आरम्भ हो रहा है, इसके पहले के पेराई सत्र का गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अगर दूसरा पेराई सत्र भी प्रारम्भ हो जायेगा तो इस बार के भी पेराई सत्र का गन्ना किसानों का बकाया इसी प्रकार से बना रहेगा जिससे किसान भुखमरी की कगार पर खड़ा हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में इस चीज को लाना चाहता हूं कि यह मामला गम्भीर इसलिये है कि अभी मान्यवर, परसों यानि बुधवार वाले सत्र के दिन माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आया था कि सहकारी चीनी मिलों पर बकाया 741.02 करोड़ और निजी क्षेत्रों में 5,602.71 करोड़ रुपया अभी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दूसरा पेराई सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, इसके पहले इस भुगतान को करा दें

जिससे कि किसान की हालत जो आज कहीं बरसात के नाते, कहीं बाढ़ के नाते, कहीं पैसों के अभाव में उसकी अपनी निजी परेशानियां आ रही हैं, वह न आ सकें और वह उससे प्रभावित न हो सके। इसी के साथ ही साथ जैसा कि अभी चौधरी साहिब ने भी अभी इंगित किया था मिल मालिकों के प्रति। उनका जो कहना है मिल मालिकों का, कि आज जो गन्ने का समर्थन मूल्य है 280 रुपया इस पर अभी उत्तर प्रदेश के जो समस्त मिल मालिक हैं, इनका जो एसोसिएशन है, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इस समर्थन मूल्य पर इस आगामी पेराई सत्र में हम गन्ना की पेराई नहीं कर सकते।

क्योंकि उससे हमें जो चीनी प्राप्त होती है इससे हमारा लाभ नहीं हो रहा है हम आर्थिक घाटे में जा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी चीनी मिलों से 6 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व के रूप में मिलता है इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की अपेक्षा की है कि 40 रुपये से 50 रुपये प्रति कुंतल सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाए यानि साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया उनकी अपेक्षा के अनुसार, उनकी मांग के अनुरूप सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश शुगर मिल मालिकों की एसोसिएशन के द्वारा यह कहना कहीं इस बात को तो इंगित नहीं करता है कि वह अपनी देनदारी से बचना चाहते हैं इसलिए वह कहीं अपने बचाव में घेराबन्दी कर मामले की पेशबन्दी कर मामले में कहीं सरकार पर इस बात को थोपना तो नहीं चाहते हैं इस बात को भी सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। कोई बहाना बना करके किसानों के बकाए भुगतान को यह चीनी मिल मालिक और उसको लम्बित न कर सकें इसलिए इस पर गम्भीरता से इस पर ध्यान देना है समय रहते उनका भुगतान कराना है और साथ ही साथ अगले पेराई सत्र से पहले शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराना है चूंकि मान्यवर, यह लाखों-लाख किसानों से सीधा जुड़ा मामला है लोक महत्व का भी है अविलम्बनीय महत्व का भी है इसलिए मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो कार्य-स्थगन की सूचना के माध्यम से जो विषय उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कोई सन्देह की बात नहीं हैं लेकिन मान्यवर, अच्छा यह लगा कि जैसे कोई वधशाला का मालिक अचानक करूणा की बात करने लगे, अहिंसा की बात करने लगे, तो आश्चर्य होता है। इस प्रदेश के किसानों की रीढ़ तोड़ने वाले लोग इस प्रदेश में किसानों के हित में जो मिलें चल रही थीं और मान्यवर, उसमें सहकारी और कारपोरेशन की मिलें थीं उनको औने पौने दामों पर बेचने वाले लोग अगर किसानों की चिन्ता करते हैं तो मौर्या जी अच्छा लगता है कि वास्तव में अब किसानों की चिन्ता हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर किसानों की चिन्ता करें लोगों को जरूर आश्चर्य हो रहा है मान्यवर हम अवगत कराना चाहते हैं आपने गन्ना मूल्य की बात कही है, श्रीमन् 5 हजार 696 दशमलव 63 करोड़ रुपया आपके कार्यकाल का हमने बकाया भुगतान किया है इतने बकाए का जो आप छोड़कर चले गए उसका भुगतान हमारी सरकार ने किया इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि वह किसानों के शुभचिन्तक हैं यह सरकार किसानों की शुभचिन्तक है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्रीमन् इसी के साथ जैसा मैंने पहले उद्धृत किया आपने कहा कि मिल मालिकों की व्यथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर मिलें चलेंगी नहीं तो जितना अहित किसानों का होगा उतना अहित और किसी का नहीं होगा, मिल मालिकों का गुजर तो हो जाएगा लेकिन गन्ना किसान अगर किसी कारण से यह मिलें बन्द हो जाएंगी तो वह बिल्कुल बरवाद हो जाएगा, प्रदेश में उद्योग बढ़िया रहे, यह हमारी चेष्टा है और इसीलिए हमने यह बात कही है कि रा-शुगर का इम्पोर्ट पूरे प्रदेश में बन्द हो जाना चाहिए और वह बन्द हो जाएगा तभी हमारी देशी मिलें चाहे वह कर्नाटक में चाहे महाराष्ट्र में हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हों, तभी मान्यवर, उनका भला हो सकेगा, इसीलिए हमने वह बात उद्धृत की थी पुनः हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कल ही आपने सप्लीमेंटरी बजट पास किया है हम सहकारी चीनी मिलों का पैसा शत-प्रतिशत पाई-पाई भुगतान कराने जा रहे हैं और गन्ना के किसानों के भले के लिए जो राशि की बढ़ोत्तरी की है गन्ना मूल्य में, वह मान्यवर, ऐतिहासिक है इसके पहले भी मा0 नेताजी जब मुख्य मंत्री थे और इस कुर्सी पर बैठते थे तब उन्होंने इस कार्य को किया था और पुनः मा0 अखिलेश जी जब आज प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं तो ऐतिहासिक अन्तर से 40 रुपये प्रति कुंतल के रेट से बढ़ाने का काम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह सरकार किसानों की सरकार है, किसानों की चिन्ता करने वाली सरकार है इसलिए यह कार्य-स्थगन स्वीकार करने योग्य नहीं है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको अस्वीकार करें।

(दो सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम इसमें नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

मंत्री जी ने जो इस सूचना पर उत्तर दिया है वह नितान्त भ्रामक है मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद यह स्वीकारा है कि सात हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों के बकाए का भी भुगतान है तो फिर यहां पिछली सरकार के बकायों की बात क्यों कर रहे हैं वह बकाए तो परम्परागत रूप से आपकी सरकार से चले आ रहे हैं।

मान्यवर, हमने तो ब्याज सहित उनको भुगतान कराया था लेकिन आज यह समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के बकाया भुगतान से कतरा रही है और इस पर हीलाहवाली कर रही है, इसलिए सरकार के किसान विरोधी इस रवैये को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह शर्मिन्दा हो गए हैं, अपने कृत्य से इसलिए जा रहे हैं।

(इस समय 02 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

(श्री सुदेश शर्मा और श्री वंशी सिंह पहाड़िया बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अधिष्ठाता-

अभी आप बैठ जायें।

श्री सुदेश शर्मा-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

पहाड़िया जी आप बैठ जायें।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, कल भी मैंने इस मामले को नियम-56 के तहत् जो गन्ने के भुगतान का मामला है, उसको उठाया था। मैं आपके संरक्षण से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मैंने कल भी कहा था कि यू0पी0 सरकार के महाधिवक्ता ने यह शपथ-पत्र हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में लगाया है कि किसान ब्याज का अधिकारी नहीं होगा। मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सूचना हो चुकी है। इस पर निर्णय हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर अध्यक्ष जी की मौजूदगी में यह निर्णय हो चुका है। मैं तो समझ रहा था कि आप व्यवस्था का कोई प्रश्न उठा रहे हैं। यह प्रश्न समाप्त हो गया है। जो सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या और अन्य की सूचना थी, उसे अग्राह्य करता हूं। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है।

अगली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पूरे प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस सन्दर्भ में यह विषय यहां उठाने की अनुमति दी। अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में विद्युत के उपभोक्ताओं से जो दर वसूला जायेगा, उसकी एक बहुस्थापित प्रक्रिया हो चुकी है। अब यह तय हो गया है कि सरकार को करीब-करीब इसका अधिकार नहीं होता कि वह बिजली की दर तय करे। सरकार एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है, बिजली की लागत कितनी है, लागत मूल्य कितने हैं, सरकार कितना लाभ ले रही है और उसके आधार पर बिजली का क्या दर तय होगा, यह सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के माध्यम से एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जाता है और उस कमीशन की जो भी रिपोर्ट आती है, अगर सरकार उससे सहमत होती है तो उसे लागू करना उसकी बाध्यता होती है। अगर सरकार उससे असहमत होती है तो सरकार के पास यह अधिकार होता है कि यू0पी0ई0आर0सी0 ने जो कुछ भी अपना प्रतिवेदन दिया है, उस पर वह अपनी आपत्ति यू0पी0ई0आर0सी0 को पुनः दे सकती है। यह विषय मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा अन्याय है, प्रदेश के करोड़ों

उपभोक्ताओं के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक ऐसा आदेश दिया है, जिसे लागू करने से पहले उ0 प्र0 पावर कारपोशन को अपनी आपत्तियों यू0पी0ई0आर0सी0 को देनी चाहिए थी। यह जो आदेश दिया गया है, प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता के ऊपर 3.71 प्रतिशत का रेगुलेटरी चार्ज लगाने का आदेश है। यू0पी0ई0आर0सी0 का आदेश 31 मई, 2013 को आया है, अभी कुछ ही महीने बीते हैं। और इस आदेश को इस सरकार ने जून से लागू भी कर दिया। जो अपने प्रदेश के सारे विद्युत उपभोक्ता है। उनके फिक्स चार्ज और उनके एनर्जी चार्ज के ऊपर 3.71 प्रतिशत रेगुलेटरी चार्ज जोड़ दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि रेगुलेटरी चार्ज की यह स्थितियां क्यों उत्पन्न हुयीं। मुझे खुशी है कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी इस सदन में हैं और इस नाते इनके अधिकारियों की जो गैरजिम्मेदारी और लापरवाही हुयी है वह उसको संज्ञान में लेंगे। यह रेगुलेटरी चार्ज लगाने की स्थिति इसलिए पैदा हुयी क्योंकि इसके पूर्व जो एनुअल रेवन्यू रिपोर्ट जमा की जाती थी उस रिपोर्ट के प्रतिवेदन सही नहीं थे। यू0पी0 विद्युत नियामक आयोग ने अपनी जांच में पाया कि 2000 से लेकर 2008 तक के आपके 08 वर्षों तक की जो एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी उसमें जो विद्युत की लागत बतायी गयी थी वह ज्यादा बतायी गयी थी और इस नाते जो वसूली की गयी थी वह कम की गयी थी और यह आंकड़ा कुल 2487 करोड़ रुपये का निकला। नियामक आयोग का कहना था कि यह 2487 करोड़ रुपये नागरिकों से कम वसूले गये हैं इसको रेगुलेटरी सरचार्ज लगाकर वसूल लिया जाये। मेरा प्रश्न यहीं पर है। यह जो पैसा कम वसूला गया वह वर्ष 2000 से 2008 तक के जो विद्युत उपभोक्ता थे उनसे कम वसूला गया और यह जो रेगुलेटरी चार्ज लगा दिया वह हमने वर्ष 2000 से लेकर आज तक अर्थात 2009 से लेकर 2013 के बीच में जो नये उपभोक्ता बने थे उनके ऊपर भी लगा दिया। हमने जो कम पैसा वसूला है वह वर्ष 2000 से 2008 तक जो उपभोक्ता थे उनसे वसूला। अगर हमको यह रेगुलेटरी चार्ज लगाना चाहिए था तो जो 2008 के पहले के उपभोक्ता थे उनके ऊपर लगाना चाहिए था। हमने इसे 2008 के बाद से जो आज तक नये उपभोक्ता बने हैं उनके ऊपर भी यह सरचार्ज लगा दिया। अधिष्ठाता महोदय, यह संख्या छोटी-मोटी नहीं है। मेरे पास मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का एक आंकड़ा है जिसके हिसाब से 2009 से लेकर 2013 के बीच में 36 लाख नये उपभोक्ता बने हैं। करीब-करीब 30 प्रतिशत। अगर इसी आंकड़े को पूरे प्रदेश में बाकी चारों जो विद्युत वितरण निगम हैं अगर उनके ऊपर लागू कर दिया जाये तो यह आंकड़ा करोड़ों में चला जाएगा। अर्थात इस प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को हम उन्हें एक ऐसे अपराध का दण्ड दे रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसलिए मेरा मा0 ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह होगा कि यह जो अनियमितता हुयी है उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के इस निर्णय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की जगह पर उनके निर्णय को पूरी तरह मान लिया है उसे लागू कर दिया है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे। उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि यदि 2009 के बाद के उपभोक्ताओं से कम पैसा नहीं वसूला गया है तो उनके ऊपर यह रेगुलेटरी चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, मा0 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि विद्युत नियामक आयोग की जो अधिकारिता है और इस संबंध में उसके जो निर्देश हैं उसमें सरकार की कितनी भूमिका है उसका स्वयं उन्होंने उल्लेख किया है। श्रीमन्, यह नियम-56 में नहीं आता है। किंतु मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है और यह नियम 56 में नहीं आता है। कृपया इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी यह जो 2009 से लेकर 2013 तक की बात कही गयी है इस संबंध में कुछ कहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

बता दिया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है। हम उत्तर तब देते जब यह नियम-56 में आता। यह ग्राह्य ही नहीं है।

श्री वंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, हमको बोलने के लिए समय दिया था। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

एक मिनट। मैंने इस सूचना पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। इसके बाद चौथी सूचना उ0प्र0 में माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय राय, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री वंशी सिंह पहाड़िया, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दिलनवाज खां, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल व श्री राधेश्याम की है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

हां व्यवस्था का प्रश्न बतायें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका संरक्षण मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, हमारी किसान हितैशी सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में जहांगीरपुर चीनी मिल की स्थापना 1988 में हुई।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, वह अर्ध निर्मित चीनी मिल आज भी पेण्डिंग है, वहां अरबों रुपये की सम्पत्ति बरबाद हो रही है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस चीनी मिल के बारे में इस किसान हितैशी सरकार का क्या कहना है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पहाड़िया जी, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मा0 माथुर जी आप अपनी बात रखें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इस सरकार में बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी, मा0 मुख्य मंत्री जी की कड़ाई के बावजूद भी अवैध रूप से खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन परिहार नियमावली, 1963 संशोधित माह मार्च, 2013 में तत्काल प्रभाव से लागू कर देने के उपरान्त भी प्रदेश में माफियाओं द्वारा खनिज नियमावली एवं पर्यावरण सुरक्षा को दरकिनार करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है। जितनी भी प्रदेश में नदियां हैं, जितने भी बालू के और चीजों के भण्डार हैं वहां बेखौफ होकर जो खनन माफिया हैं, वह खनन कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में जब अधिकारियों के ऊपर कड़े रूख अख्तियार किये गये और उनको निलम्बित किया गया, जिलाधिकारी का तबादला किया गया, तब से खनन माफियाओं के हौंसले और बुलन्द हो गये हैं। आज स्थिति यह है कि जिलाधिकारी के और खनन अधिकारियों के ऊपर कड़ाई के बावजूद भी खनन माफियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे सीधे-सीधे यह मैसेज जाता है कि सरकार का संरक्षण ऐसे खनन माफियाओं को प्राप्त है। गुण्डा टैक्स, वी0वी0आई0पी0 टैक्स, सारे टैक्स अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं और स्थिति यह हो गई है, अराजकता फैल गई है, पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों ने, खनन अधिकारियों ने, एस0एस0पी0 ने अपने हथियार डाल रखे हैं। इस कदर दबाव है कि पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है, वहां अवैध खनन करने को बैठा हुआ है और जंगलराज हो रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है, क्योंकि जहां कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश इमेज डाऊन हो रही है, वहां खनन माफियाओं द्वारा जो उद्वेलित किया जा रहा है पूरा प्रदेश और जो माफिया लोग खुले होकर अराजकता के साथ यह काम कर रहे हैं, उस पर यदि अंकुश नहीं लगा तो प्रदेश बिल्कुल गर्त में चला जायेगा। यदि आप देखें, गौतमबुद्धनगर, मथुरा-वृन्दावन, लखनऊ, गाजियाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी में अवैध खनन का काम जोरों पर चल रहा है। जो ईमानदार अफसर हैं, उनकी आफत है यदि वह खनन माफियाओं को रोकते हैं तो प्रदेश सरकार का डण्डा उन पर पड़ता है और खनन माफियाओं को नहीं रोकते तो अवैध खनन चल ही रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि

मा0 मुख्य मंत्री जी यहां जो बैठे हुए हैं, वह इस पर कड़ा कदम उठायेंगे और प्रदेश की इमेज को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों पर अंकुश लगायेंगे, क्योंकि यह खबरे आपके ही सत्ताधारी दल के ही लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं और उन लोगों के ऊपर मुख्य मंत्री जी सख्ती करें जिससे कि प्रदेश में खनन माफिया का काम रूके और माफियाओं के कदम रूकें, अधिकारी चैन से काम कर सकें और प्रदेश की अस्मिता हर तरीके से सुरक्षित रहे, क्योंकि कुछ भी काम हो सकता है, ऐक्सीडेण्ट भी होते हैं, लोग मारे भी जाते हैं और एक माफियावार भी प्रदेश में चलती है।

यह बड़ा गम्भीर विषय है। इसे खनिज नियमावली के अनुसार खनन हेतु पट्टा देते हुये उसकी कड़ी निगरानी हेतु निर्देश पारित किया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत संक्षेप में बोलियेगा, ग्राह्यता पर बोल रही हैं आप।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में अपने जनपद सोनभद्र के बारे में लाना चाहती हूं। जनपद सोनभद्र को वनांचल, सोनांचल और उद्यांचल के नाम से जाना जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी, जनपद सोनभद्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में पहले भी इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया था, पर अफसोस कि अभी भी अवैध खनन बड़े जोरों से है और नदियों का संकट है, वहां पर्यावरण असंतुलित हो गया है। आये-दिन खदानों में लोग मारे जाते हैं, पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जनपद सोनभद्र के अधिकारी, चाहे डी0एम0 हों, एस0डी0एम0 हों या खनन अधिकारी हों, कार्यवाही करने से डरते हैं, उन्हें अपने स्थानान्तरण का डर होता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपके संज्ञान में लाना पड़ रहा है कि अवैध खनन होने से राजस्व की ही क्षति होती है और सरकार की भी छवि खराब होती है। मैं विनम्रतापूर्वक रूप से आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस अवैध खनन पर उचित कार्यवाही और कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है। जो भी बाहर के खनन माफिया आकर के जनपद सोनभद्र को लूटने का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये और ऐसे अफसरों पर भी लगाम कसने की जरूरत है जो इस अवैध खनन को कराने में संलिप्त होते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में इसलिये लाना चाहती हूं कि लोग कहते हैं और वहां के अधिकारी, कर्मचारी दबी जुबान से कहते हैं कि सरकार भी इसमें संलिप्त है। हमें तो यह लगता है कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी इतने सुलझे और इतने अच्छे विचार वाले हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि आप इसमें कुछ कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, जो सूचना आयी है, आप खुद देख लेंगे। नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना दी जा सकती है वो एक विषय से सम्बन्धित और सुनिश्चित सूचना होनी चाहिये। ये पूरा विस्तार है मान्यवर और इस सूचना से ये लग ही नहीं रहा है कि किसी अधिकारी की तरफदारी के लिये ये नोटिस दी गयी है या अवैध खनन से सम्बन्धित ये नोटिस है। मान्यवर, इसमें सरकार की ये स्पष्ट राय है और जहां कहीं भी सूचना मिलेगी अवैध खनन को सख्ती से रोका जायेगा, रोका गया है, उस पर कार्यवाही इसके पहले बहुत मजबूती से हुयी है, आगे भी कार्यवाही होगी और एक अधिकारी के निलम्बन के मामले को खनन से जोड़ करके जिन लोगों ने प्रयास किया था, उसको इतना मीडिया हाइप दिया था, उस बारे में जांच चल रही है और उसको इतनी बड़ी समस्या जिन लोगों ने साजिशन बनाने का काम किया, वो सब लोग बेनकाब होंगे। मान्यवर, ये नियम-56 में नहीं आता इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस कार्य-स्थगन की सूचना पर मा0 प्रदीप माथुर जी को सुना, श्रीमती रूबी प्रसाद को सुना तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य की जाती है। इसके अतिरिक्त, मा0 श्री काली चरण सुमन तथा डा0 धर्मपाल जी आगरा की सूचना जनपद आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत डेंगू वायरल, मलेरिया आदि भयंकर बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(सदस्य श्री काली चरण सुमन एवं डा0 धर्मपाल के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया।

श्री काली चरण सुमन-

मान्यवर, जनपद आगरा में इससे बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग मर रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, वहां स्थिति बहुत खराब है।

श्री अधिष्ठाता-

ये मा0 अध्यक्ष जी की व्यवस्था है, इस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री अध्यक्ष-

बोल लेने दें। 2 मिनट बोल लें।

(श्री काली चरण सुमन एवं डा0 धर्मपाल सिंह के एक साथ बोलने पर)

अब दोनों लोग एक साथ बोलेंगे क्या? कोई एक व्यक्ति बोले।

श्री काली चरण सुमन-

मान्यवर, आगरा के ग्रामीण भागों में वहां के गांवों में बहुत भयंकर बीमारी फैल रही है, जिसके कारण बूढ़े-बच्चों की दर्जनों की संख्या में मृत्यु हो रही है और इसमें सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। क्षेत्रीय शासन प्रशासन इससे अनभिज्ञ है इसलिए मैं मा0 अध्यक्ष जी

आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कि आगरा जनपद के अन्तर्गत और खास तौर से मेरी आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की तरफ से ग्राम दिगनेर कबूलपुर, भिजामही, भिसारना, भोगलपुर, गढ़ीदेवरी, भरौनी, गूर्जर नंगला, सांबला, गरौढ़ा नूरपुर, दसेरी राढ़ सलेमबाग, अमरौनी, कटारा, सहमो, नगला, गारे, हचपुरा, सीताराम की मड्इया आदि गांव में भयंकर बीमारी है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, जिससे लोग जान-माल की हानि से बच सकें और इस समस्या को लेकर के आए दिन धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज जाम कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है, भयंकर बीमारी का विषय है, इस अविलंबनीय विषय पर सदन की सारी कार्यवाही को रोककर के चर्चा करने की मांग करता हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, आगरा में डेंगू और वायरस से पिछले 15 दिनों में 35 लोगों की मौत हो गई है। हमारी विधान सभा में एक छकोकर गांव है वहां पिछले 15 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई है। पारसोना गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है, शेखपुरा में एक महिला की मृत्यु हो गई है। मा0 अध्यक्ष जी, वहां के जो अधिकारी हैं, वह इस बीमारी पर काबू नहीं पा पा रहे हैं। यह बीमारी धीरे-धीरे महामारी का रूप धारण करती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसका संज्ञान लेने का अनुरोध करता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में हैं। अगर इस बीमारी को तुरन्त नहीं रोका गया, तो स्थिति विकट हो जाएगी। निश्चित रूप से अभी भी जिले का मा0 अध्यक्ष जी, कोई भी गांव ऐसा नहीं है और गांव का कोई घर ऐसा नहीं है, जहां कोई आदमी बीमार न हो। एक-एक गांव से 200-200 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी अस्पताल भरे पड़े हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो। मा0 अध्यक्ष जी, वहां यह स्थिति है कि जब गांव से मरीज आता है तो डॉक्टर कहता है कि अपनी चारपाई जरूर संग ले आना। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत भयंकर रूप से यह बीमारी फैल रही है। यह विषय बहुत अविलंबनीय है, लोक महत्व का है। कृपया सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसमें कुछ बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने ये जो सूचना दी है यह नियम-56 में नहीं आती, किसी एक सुनिश्चित घटना से सम्बन्धित नहीं है। किन्तु इस बारे में सरकार स्वयं बहुत गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बारे में निर्देश भी दिए हैं और उस पर समुचित कार्यवाही भी हो रही है और कहीं से अगर विशेष तौर पर इसकी सूचना आएगी मान्यवर, तो उसे अलग से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सदस्य को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं, यह नियम-56 में नहीं आता।

श्री सुशील कुमार सिंह जी का जनपद चन्दौली में भीषण बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों को मुआवजा व आवास की सुविधा न दिलाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें आप बोले या न बोले मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं।

(सदस्य के बोलने की इच्छा व्यक्त करने एवं खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, हमने ध्यान आकृष्ट कर दिया, क्या कहना है कह लो दो मिनट में।

श्री सुशील सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम यह कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक दैवीय आपदा है। इस बात को हम मानते हैं, सारा समाज मानता है, लेकिन जनपद चन्दौली के 111 गांव प्रभावित हुए इस बाढ़ से और प्रदेश के राहत आयुक्त ने यह आदेश दिया और यह घोषणा किया और 20 जनपदों को उन्होंने बाढ़ पीड़ित जनपदों में रखा लेकिन जनपद चन्दौली जिसके 111 गांव प्रभावित हुए, उसमें से लगभग 56 गांव इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि कई लोग घर से बेघर हो गए और दो बच्चे एक 18 साल की उम्र का और एक 15 साल की उम्र का, बाढ़ की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। इसमें कुछ पैसा शासन के द्वारा तो मिला लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं जिनकी तमाम हजारों एकड़ खेतियां खराब हो गईं, और गरीबों के आवास, जो उनके घर डूब गए, बर्बाद हो गए, उनको कम-से-कम बेघरों को आवास दिए जाएं और जो किसान हैं, उनको कम-से-कम मुआवजा देने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं हम, यही कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करने दें, बहुत-से मा0 सदस्यों को जाना है।

कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं मौके पर गया था और हम लोग घूम-घूम कर देखें हैं। जिनके घर गिरे हैं उनकी बात चल रही है, चेक सबको दिया गया है। मैं खुद नाव से सब जगह पूरे दिन गया हूं। जो बात यहां पर चल रही है वह पता नहीं उस समय दिल्ली में कहां-कहां घूम रहे थे। मैं खुद नाव से गया हूं और राहत बंटवाने का काम किया हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर माननीय सदस्यों को सुना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं।

श्री नदीम जावेद-

मैं माननीय अध्यक्ष जी विशेष रुप से आपका शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे नियम 56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आने वाला जो समय है और किसी भी देश के लिए राज्य के लिए नेतृत्व का मतलब होता है कि विजन उसके पास हो और विजन का मतलब है वह यह है कि उसके पास आने वाले समय की चुनौतियां दिखाई दें और इस राज्य में जो आने वाली चुनौती है वह पानी की है और पानी में खासतौर से जो नदियों का सवाल है वह खड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप कार्य-स्थगन पर बोलें।

श्री नदीम जावेद-

जो हमारा शहर है वहां पर गोमती नदी है। गोमती नदी जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तक आती है। नदी की हालत बहुत खराब है और भारत सरकार ने एक योजना बनायी है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी। पांच राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि अगर गंगा की सफाई के लिए 15 हजार करोड़ रुपये आने वाले दस सालों में लगेंगे। अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं तो आपको गोमती को भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि गोमती गंगा में जाकर मिलती है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि गोमती को इस मिशन में शामिल किया जाये ताकि आने वाले समय में पानी की जो चुनौती है उसका समाधान हम कर सकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जिस मिशन की बात आपने कही है उस मिशन की शुरुआत राज्य सरकार नहीं कर सकती है। उसमें हमारा जो कम्पोनेंट है उसके लिए 30 प्रतिशत का बजट प्राविजन पहले से कर रखा है और जो स्कीम हमारी सबमिटेड हैं पहले से उन पर केन्द्र सरकार से पैसा आना है अभी तक आया नहीं है। जो पहले से स्वीकृत परियोजनायें हैं और गोमती को भी और उसकी सहायक नदियों को भी स्वच्छ रहना चाहिए यह तो सरोकार है सरकार का। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं पर्यावरण में इनकी जितनी रुचि है उसके हिसाब से नदियां स्वच्छ रखी जायें इसके लिए हमारी सरकार का पूरा का पूरा सरोकार है। यह कार्यस्थगन की सूचना नहीं है कृपया अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नदीम जावेद जी को और माननीय मंत्री जी को सुना मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की सूचना पर ध्यान आकृष्ट करता हूं

शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं। 1-श्री प्रमोद तिवारी 2-श्री सतीश महाना 3-श्री सुरेश कुमार खन्ना 4-श्री मनीष असीजा 5-श्री राम चन्द्र यादव 6-श्री रविन्द्र भड़ाना 7-श्री सुल्तान बेग 8-श्री जगन प्रसाद गर्ग 9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री वीरपाल राठी 10-श्री सलिल विश्नोई 11-श्री अगयश राम सरन वर्मा 12-पं0 सुदेश शर्मा 13-श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू 14-श्री ओम कुमार 15-श्री ललितेशपति त्रिपाठी 16-श्री बब्बन सिंह चौहान 17-श्री छोटेलाल वर्मा 18-श्री महावीर सिंह राणा 19-श्री अजय कुमार लल्लू 20-श्री दलजीत सिंह 21-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत 22-श्री केशव प्रसाद मौर्या 23-श्री गेंदा लाल चौधरी 24-डा0 अरुण कुमार 25-श्री उमाशंकर सिंह 26-श्रीमती अनुप्रिया पटेल 27-श्री राम हेत भारती 28-श्री बाला प्रसाद अवस्थी 29-श्री राजेश त्रिपाठी 30-श्री रोशन लाल वर्मा।

[2.44 बजे] शहीद कासिद खान को शहीद का सम्मान दिये जाने का प्रकरण

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, मेरी सूचना है महत्वपूर्ण है सुन लें। यह शहीद से जुड़ा मामला है। यह 13 सितम्बर, 2012 का है। पत्र भी आया है। (व्यवधान) शहीद कासिद खान को शहीद का सम्मान देने की बात है इसमें राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सुल्तान बेग जी। इनका कष्ट यह है कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी शहीदों का सम्मान करते हैं जो शहीद हुए हैं उनको उन्होंने सम्मानस्वरुप कुछ धनराशि दिये हैं। इसलिए जब सभी शहीदों को कुछ न कुछ सम्मान मिला है राज्य सरकार शहीद फौजी मोहम्मद कासिद खान साहब हैं इनको राज्य सरकार से वही सम्मान और गौरव मिलना चाहिए यही इनकी मांग है और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपने संज्ञान में ला दिया खत्म हो गयी बात।

[2.45 बजे] जनपद आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

शहीद कासिद खान को शहीद का सम्मान दिये जाने का प्रकरण

(श्री सुलतान बेग के द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका यह 51 में वक्तव्य लगा है यह आयेगा। तो जब आपका वक्तव्य आयेगा तब कहियेगा नियम तो आप समझते नहीं हैं आप जबरदस्ती बात करते हैं, बेकार टाइम बेस्ट करते हैं। मौर्य जी, यह इनका वक्तव्य लगा है इनका नियम 51 में स्वीकार किया है वही विषय नियम 51 में मद संख्या 37 पर लगा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इनकी वेदना यह नहीं है जो उत्तर आया है वह संतोषजनक इसलिए नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा इसमें संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी सहयोग और सम्मान नहीं दिया गया। केवल यही पीड़ा आपकी है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उत्तर ठीक करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, वह आपकी पीड़ा आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष-

अब आपने तो पहुंचा दिया अब क्या बाकी रह गया अब इनको तो बैठाइये।

जनपद आगरा के युमना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या है आप नेता हैं, यह क्या वहां धकेल करके कर रहे हैं, आप नेता हैं आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए। जब अस्वीकार हो गया तो जबरदस्ती करेंगे। अगली बार हम श्लाका निकालेंगे सारे नेताओं को बैठाकर जिसका आयेगा उसी का लिया जायेगा।

[2.48 बजे] बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लें में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजय नगर, गोपाल नगर, गोसाई गौटिया, दुर्गा नगर,

सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

[2.49 बजे] जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध, तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी जी स्थगन दे गये हैं, यह स्थगित रहेगा।

[2.50 बजे] मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गये लोगों की शान्ति हेतु नियम-110 के अन्तर्गत शोक-प्रस्ताव लाने एवं शान्ति की अपील

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप दूसरा मद लें मैं बहुत ही विनम्रता से बैठा रहा एक मद के बीच में नहीं बोलना चाहता था मैं सिर्फ दो अनुरोध करना चाहता हूं आपसे व्यवस्था के माध्यम से। मान्यवर, आप कृपापूर्वक नियम 110 देख लें विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली का, आखिर इस सदन का

कुछ कर्तव्य भी तो होगा, इस सदन की कुछ जिम्मेदारी तो होगी इतनी बड़ी त्रासदी मुजफ्फरनगर में हुई है। कल जब यह विषय उठाया गया तो मान्यवर, यह बात आई थी कि आज इस सदन से एक अपील होगी एक प्रस्ताव जारी होगा और हम उन मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे यही नहीं मान्यवर, यहां से एक अपील होनी चाहिए कि चारो तरफ शांति हो, एक मिनट लगेगा। मैं खुद नहीं रखना चाहता माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल अगर वह जो लोग मरें हैं उनके लिए एक मिनट के लिए शांति हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह सदन अपने कर्तव्य का पालन करेगा। यह सबसे बड़ी पंचायत है, पूरा प्रदेश देख रहा है।

हम यहां से क्या संदेश दे रहे हैं। हम कम से कम शान्ति की अपील तो कर लें। तो मैं चाहता हूं कि नेता सदन और नेता विरोधी दल हैं, मान्यवर, नियम-140 में यह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों की सहमति से मिलकर रखा जाता है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब आप इसमें आग्रह करें, हम इसमें क्या करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं नेता सदन और नेता विरोधी दल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर की घटना के संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता काग्रेंस, माननीय नेता भाजपा, माननीय मुख्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी प्रत्येक व्यक्ति और माननीय मंत्रीगण ने सबने वहां शान्ति की अपील की और जो लोग वहां मारे गये हैं, सबने उनके प्रति अपनी भावना का इजहार कर दिया है, मान्यवर, अब आप अगली मद ले लें।

[2.51 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-9-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 119 सूचनायें प्राप्त हुईं और सारी सूचनायें स्वीकार की गयीं। इन सभी पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1	डा0 अरुण कुमार	जनपद बरेली के अन्तर्गत आने वाले बिजली ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम देउम, थरिया, भुइसरनाथ में से किसी स्थान पर लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री जी0एम0 सिंह, श्री इकबाल, श्री मुसर्रत अली बिट्टन	उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही कथित धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4	श्री नदीम जावेद	जनपद जौनपुर के जौनपुर सदर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त लुम्बिनी-दुद्धी राज्य-मार्ग डिवाइडर सहित न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5	श्री सुरेश बंसल	विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद अन्तर्गत विजय नगर सेक्टर-11, 12 में बिजली के गले पोलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद मिर्जापुर में दिनांक 08 जुलाई, 2013 को महेश कोल पुत्र रघुनाथ कोल की नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी पटेहरा कला में पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।
7	श्री मनीष रावत	जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् स्थित मोहल्ला अशोक नगर में टूटी-फूटी सड़कों व नालियों के न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री सुशील सिंह	जनपद चन्दौली में बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	जनपद मेरठ में किसानों एवं व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री राज नारायण बुधौलिया	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण हुई तबाही से हुई क्षति का आंकलन कराकर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री सुनील कुमार लाला	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतनमान के एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री आशीष कुमार यादव	जनपद सिद्धार्थनगर के श्री विद्यासागर वर्मा, शिक्षामित्र प्राथमिक पाठशाला संग्रामपुर को विज्ञापन तिथि के पूर्व की गई नियुक्ति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर पवई, आजमगढ़ में मीरजापुर, माहुल, बिलवाई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री राजेश त्रिपाठी	उ0प्र0 के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों एवं ब्लाक प्रमुखों को जनप्रतिनिधि होने का सम्मान एवं उनके निधि एवं पेंशन के साथ सुरक्षा बीमा का प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में।

15	श्री रोशन लाल वर्मा	शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत जहानपुर में वर्ष 2009-10 में राजकीय महिला पालीटेक्निक कालेज के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में मण्डी परिषद् द्वारा बनाये जा रहे सम्पर्क मार्ग को पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री आरिफ अनवर हाशमी	जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज के ग्राम प्रधान मोहम्मद एयाज को जमानत के उपरान्त पुनः कार्यभार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री अजय मिश्र 'टेनी'	विधान सभा क्षेत्र निघासन, लखीमपुर खीरी के सिंगाही देहात में अनियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।
19	श्री राजबली जैसल	जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरावं में ट्रांसफार्मर के रिपेयर/मरम्मत की कार्यशाला न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
20	श्री सिनोद शाक्य	जनपद बरेली के थाना अलीगंज में सुरजभान द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2013 को दर्ज कराये गये मुकदमें में अपराधियों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री विजय कुमार पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर की विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के सिंचाई विभाग के निर्माण खण्ड में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे बांध का कार्य सुचारू रूप से न कराये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री बावन सिंह	जनपद गोण्डा के विधान सभा कटरा बाजार के अन्तर्गत गोण्डा लखनऊ मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल टूटने से एवं भारी वाहनों के जलप्लावन से प्रभावित सड़कों की जर्जर हालत के सम्बन्ध में।
23	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	गोरखपुर महानगर में अत्याधिक विद्युत कटौती तथा ट्रांसफार्मरों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
24	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गांवों में बार-बार फुंक रहे विद्युत ट्रांसफार्मरों की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
25	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद मेरठ के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हापुड़ रोड एवं दिल्ली रोड को मिलाने वाले बिजली बम्बा बाई पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

26	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा में वर्तमान सत्र 2013-14 में अधिकांश डिग्री कालेजों में विशेषकर आर्यन पब्लिक कालेज आवास विकास कालोनी आगरा में लड़कियों को कालेज में पैंट-कमीज की बाध्यता हटाये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री अगयश रामसरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के उप निबंधक कार्यालय बीसलपुर में विलेख लेखकों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने एवं कूटरचित दस्तावेजों का निष्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।
28	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई	मेरठ नगर निगम में जलभराव एवं जल निकासी हेतु नालों का शेपिंग करके जल ग्रहण क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री राज कुमार रावत	लखनऊ के सूडा एवं डूडा में वर्षों से जमे अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदेश के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री रविदास मेहरोत्रा	लखनऊ में घनी आबादी एवं मलिन बस्तियों में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने एवं समुचित इलाज दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री गोरख पासवान	जनपद बलिया के ग्राम पंचायत नगरा स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र में 5 एम0वी0ए0 का पोषक एवं ट्रांसफार्मर जर्जर होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
32	श्री दयाशंकर वर्मा	जनपद जालौन के अन्तर्गत कांशीराम योजना में गलत ढंग से आवासों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के ग्राम हासूमऊ निवासी माताफेर के पुत्र अर्जुन को दिनांक 12 जुलाई, 2013 को बंधक बनाकर गांव के लोगों द्वारा पीटे जाने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	जनपद वाराणसी के विधान सभा रोहनिया में 16 घण्टे विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय गांवों की टूटी हुई सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री सुल्तान बेग	जनपद कौशाम्बी के थाना महेवाघाट मंझनपुर के खसरा सं0-153 से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

37	श्री राधेलाल रावत	पूर्व विधायक श्री सुन्दर लाल लोधी जनपद उन्नाव को सुरक्षा हेतु निजी व्यय पर गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने में नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के नगर पालिका परिषद् में ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री इन्द्रपाल सिंह	जनपद सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्दन पारा निवासी धर्मेन्द्र कुमार के 15 वर्षीय भतीजे की नृशंस हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में।
41	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मंझवा के अन्तर्गत गांवों में समुचित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री शमशेर बहादुर	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम लखनऊ के 15-20 वर्षों से रह रहे निवासियों/अध्यावासियों के भू-खण्ड-भवनों की रजिस्ट्री निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।
43	श्री रामहेत भारती	जनपद बुलन्दशहर निवासी श्री गंगा सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, कस्बानगर खुर्जा की भूमि खसरा सं0-953 पर बाउन्ड्रीवाल न बनाये जाने एवं वहां के फायर स्टेशन अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत वर्णित जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के थाना चौरी-चौरा के ग्राम पिपराइच में दिनांक 8-6-2013 को भट्ठे मालिक द्वारा श्री शुभ नारायण की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
46	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में समुचित विद्युत आपूर्ति न किये जाने एवं ट्रान्सफार्मर के मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

47	श्री भगवती प्रसाद	जनपद अलीगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र चण्डौस से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री त्रिलोकी राम	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इग्लास के विकास खण्डों के भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा में एन0एच0-2 मार्ग के मध्य (मथुरा आगरा) ग्राम महुवन (फरहा) में स्थापित टोल टैक्स पर वहां के स्थानीय निवासियों/किसानों के वाहनों से जबरन टोल टैक्स की वसूली एवं कर्मचारियों द्वारा असामाजिक तत्वों के साथ वाहनों में बैठी महिलाओं के साथ अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में मा0 काशीराम राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0, बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 की कक्षायें संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	पं0 सुरेश शर्मा	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के सोन्दा-डबाना मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री विजय बहादुर यादव	गोरखपुर महानगर स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर से हावर्ट बांध गोरखपुर तक गड्ढेयुक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्रीमती सीमा	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में खेतों की सिंचाई एवं भयंकर गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए समुचित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 श्यामनगर पी0ए0सी0 रोड एन0एच0-2 से मंगला विहार मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री रवीन्द्र जायसवाल	वाराणसी नगर की सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
56	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती की मेंहदावल रोड के 06 कि0मी0 से 16 कि0मी0 तक की सड़क का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी नियम-301 के अन्तर्गत दी गई ध्यानाकर्षण सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

57	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी नगर निगम की कार्यप्रणाली से वहां की सड़कों एवं गलियों की सफाई की समुचित सफाई न किये जाने एवं पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
58	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	श्री हरिशंकर सिंह पुत्र श्री शोहरत निवासी ग्राम धरमपुर, पो0-दुधोरा जनपद बस्ती व बुद्धिसागर गुप्त पुत्र स्व0 हरीराम निवासी कसेहरी बुजुर्ग थाना कैसरगंज, बहराइच को जेल में सुविधायें न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
59	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत समस्या का समाधान समय से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
60	साध्वी निरंजन ज्योति	जनपद जालौन के मण्डी समिति पुखरायां में दिनांक 18-7-2013 को 17 वर्षीय दीपांजलि को आसिफ पुत्र अशरफ व अंजुम पुत्र इरशाद निवासी ग्राम उमरिया थाना भोगनीपुर द्वारा जबरन उठा ले जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत विभाग द्वारा बिल संशोधन के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली तथा सरकारी राजस्व की करोड़ों-करोड़ों रुपये की हानि व गबन की जांच 2009 से 2013 तक कराये जाने के सम्बन्ध में।
62	श्री जय प्रकाश अंचल	विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकारी व्यवस्था के तहत जमीन उपलब्ध कराकर बसाये जाने के सम्बन्ध में।
63	श्री अनिल वर्मा	जनपद हरदोई के बालामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई के प्रतापनगर चौराहे से सण्डीला तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
64	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	निर्वाचन क्षेत्र बबीना जनपद झांसी में नहर पटरियों पर ईसागढ़ से रनगुवां, बल्लमपुर से रक्सा रोड, सुकवा-ढुकवा बांध से गनेशपुरा हाइवे तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री अजय कुमार लल्लू	जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में जो कि पिछड़ा एवं बाढ़ प्रभावित है, को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

66	श्री गेंदा लाल चौधरी	जनपद हाथरस के मेडू नगर पंचायत में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्रीमती रूबी प्रसाद	जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामगढ़ को तहसील व दुद्धी को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
68	श्री संत प्रसाद	घाघरा नदी के विखारीपुरा बंधा कट जाने के कारण गोरखपुर खजनी विधान सभा की क्षेत्र पंचायत बेलघाट एवं आंशिक उरुवा में बाढ़ से आये संकट से वहां के किसानों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
69	श्री राजेश अग्रवाल	लखनऊ विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम में विशेष रचना कर के रूप में राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त के अध्ययन को अब पाठ्य क्रम से निकाले जाने की तैयारी किये जाने के सम्बन्ध में।
70	श्री मनोज कुमार सिंह	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैय्यदराजा के अन्तर्गत गंगा नदी के उफान से वहां की सड़कों की उंचाई बढ़ाये जाने व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
71	श्री सतीश महाना	उत्तराखण्ड प्रदेश में 16/17 जून, 2013 को आई दैवीय आपदा में उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 निवासी लापता परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के कांठ विधान सभा क्षेत्र में नगर पंचायत कांठ से पड़ियों वाली पुलिया तक गुजरने वाली 11000 वोल्ट की लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
73	डा0 रीता बहुगुणा जोशी	प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्री दिलनवाज खान	जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के ब्लाक मल्लावां के ग्राम राघवपुर निवासी यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी की जमीन पर वहीं के निवासी श्री सत्य नारायण द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री नीरज कुशवाहा मौर्य	प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में।
76	डा0 धर्मपाल सिंह	इनर रिंग रोड हेतु किये जा रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को उनकी जमीन के दिये जा रहे मुजावजे को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

77	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भनोरा से रामनगर रोड तक की सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
78	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री राममगन रावत	जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत कोठी धौरहरा, मंगलपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
80	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	जनपद लखनऊ के चारों तरफ बिल्डरों द्वारा किये जा रहे आवासों के निर्माण एवं उनकी रजिस्ट्री आवास विकास एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।
81	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर नगर के काफी मोहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
82	श्री अलगू प्रसाद चौहान	जनपद संतकबीरनगर के पंचायत हरिहरपुर के वार्ड अम्बेडकरनगर (सवापार) एवं हरिहरपुर बाजार में बन्दरों के उत्पात के सम्बन्ध में।
83	श्री आशीष यादव, श्री मनोज कुमार सिंह	जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के मकान सं0-22/641 के पास आवास विकास परिषद् द्वारा अतिरिक्त भूमि के आवंटन के बावजूद कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में।
84	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय	जनपद इलाहाबाद में ट्रांसफार्मर के रिपेयर करने का वर्कशाप संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
85	श्री भीम प्रसाद सोनकर	संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मण्डल माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में लिपिक श्री दिनेश के लम्बे वर्षों की तैनाती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
86	श्री संत राम	लखनऊ के वशीरतगंज वार्ड सं0-96 थाना नाका हिण्डोला के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र के म0नं0-136/209/12 दुर्विजयगंज में अवैध होटल के निर्माण के सम्बन्ध में।
87	सुश्री सावित्री बाई फूले	उ0प्र0 में वन माफियाओं द्वारा वनों का अवैध कटान किये जाने के सम्बन्ध में।
88	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विधायक निधि से दिसम्बर, 2012 में ग्राम सभा हिन्दवारी के लिये बिजली विभाग प्रथम चन्दौली में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

89	श्री प्रदीप माथुर	मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे के समीप डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में।
90	श्री केशव प्रसाद मौर्य	जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र की नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी छोड़े जाने एवं नहर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
91	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के तिन्दवारी में वर्ष 1992 में स्वीकृत राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की धनराशि स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में।
92	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	शासन द्वारा अधिसूचित ड्राइविंग स्कूलों द्वारा परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाये जाने एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों को लीज पर परिसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
93	श्री मो0 आसिफ जाफरी	बी0बी0एल0सी0 इण्टर कालेज खमरिया, लखीमपुर खीरी की प्रबन्ध समिति द्वारा अवैध रूप से नियुक्तियों एवं फर्जी चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में।
94	श्री राम सिंह	जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत शारदा सहायक निर्माण खण्ड-51 के अन्तर्गत मदारफपुर, सकरा, अस्थरा माइनर नहर को खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।
95	श्री जमील अहमद	समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रितों को नियुक्तियां प्रदान किये जाने में हुई धांधली के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
96	श्री गजराज सिंह	लखनऊ के जानकीपुरम् 60 फिटा रोड के निकट स्थित वशिष्ठपुरम् आवासीय कालोनी में नगर निगम द्वारा स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
97	श्री अमरपाल शर्मा	विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में कूड़ा उठाने की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
98	श्री सुनील कुमार लाला	निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 व अन्य पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से चयन/नियुक्ति।
99	श्री मुकेश श्रीवास्तव	जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले दो एवं चार सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा छः सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत कराने की प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

100	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा टुण्डला के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने एवं टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
101	श्रीमती रजनी तिवारी	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में कतिपय मार्गों/पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
102	श्री पूर्णमासी देहाती	लखनऊ के गोमती नगर के भवन सं0-1/812 से 1/848 के मध्य डिगडिगा गांव के सीवर का पानी बहने से फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में।
103	श्री दीपक पटेल	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा करछना में गंगा एवं टोन्स नदी के तटवर्ती क्षेत्र के गांव में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
104	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेन्द्र सिंह	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत श्री सोनू पुत्र श्री शिवपूजन तिवारी की दिनांक 17-6-2013 को हुई हत्या की पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
105	श्री हरविन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र पलिया के अन्तर्गत अनियमित एवं मनमानी तरीके से विद्युत कटौती के सम्बन्ध में।
106	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मऊ मानिकपुर के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के निर्माण की अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
107	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा के फतेहाबाद में विधायक निधि से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
108	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय सड़कों के निर्माण में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।
109	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा	जनपद सोनभद्र के पूर्व सांसद श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की दिनांक 24-6-2013 को दारूलशफा में सफारी गाड़ी से हुई चोरी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में।

110	श्री ओम कुमार	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटोर व हल्दौर अस्पताल में उपकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
111	श्री रवीन्द्र कुमार	उ0 प्र0 के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो उच्चीकृत हो गये हैं, में प्रधानाध्यापक पदों की प्रतिपूर्ति पूर्व की भांति वेतन वितरण अधिनियम 1978 के अनुसार कराये जाने के सम्बन्ध में।
112	डा0 धर्म सिंह सैनी	जनपद सहारनपुर में आई बाढ़ के कारण कतिपय ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
113	श्री जगपाल सिंह	उ0 प्र0 के अन्तर्गत वर्ष 2006 में अनुदान सूची में आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हो रहे सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
114	श्री राधेश्याम जायसवाल	बाढ़ कार्य खण्ड फैजाबाद, उपखण्ड 2 में तैनात अभियंताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
115	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के बाढ़ प्रभावित ग्रामों के किसानों, भूमिहीनों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
116	श्री विनय तिवारी	फरवरी, 2009 में होम्योपैथी निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा विज्ञापित फार्मासिस्टों के पदों पर चयन/नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
117	डा0 मोहम्मद मुस्लिम	होम्योपैथी चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 के रजिस्ट्रार पद को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पदभार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
118	श्री मुहम्मद गाजी	लखनऊ में आवास विकास परिषद् द्वारा वृन्दावन योजना सं0-2 सेक्टर 8 सी में स्ववित्त पोषित प्रक्रिया के तहत आवंटित आवासों की जर्जर हालत एवं विकास कार्यों में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद के ग्राम लोहरवा निवासी श्री हरनाम वर्मा की पुत्री के हुये अपहरण के सम्बन्ध में श्री राधे लाल रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 18-09-2013 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया था..

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कि श्रीमती सीमा पुत्री श्री हरनाम वर्मा की विदाई 24-06-2013 तय होने के कारण श्रीमती सीमा दिनांक 22-06-2013 को ग्राम लोहरवा से मोटर साइकिल द्वारा अपने बहनोई के साथ कपड़े तथा गहने लेने के लिये बाराबंकी जा रही थी। रास्ते में श्रीमती सीमा व बृजेश व विमल पुत्रगण होली प्रसाद तथा उसके बहनोई अवधेश, राजू तथा 03 अन्य व्यक्तियों ने दिन-दहाड़े अपहरण कर लिया। अभी तक न तो एफ0आई0आर0 लिखी गई और न सीमा को बरामद किया गया। अतः मा0 सदस्य द्वारा प्रकरण में तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराने तथा लगभग 05 माह से गायब श्रीमती सीमा को बरामद करने तथा दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 18-5-2013 को श्री अरविन्द पुत्र हरनाम वर्मा द्वारा मौखिक सूचना अंकित कराई गई कि उसकी बहन सीमा पत्नी संजीव कुमार उर्फ गुड्डू का विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था, जो मायके में रह रही थी। पड़ोसी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र होली उसकी बहन को बहला-फुसलाकर लोहरवा से भगा ले गया था। बहन को भगाने में धर्मेन्द्र के भाई बृजेश और विमल ने भी मदद की थी। सीमा अपने साथ जेवरात भी ले गई थी। उक्त सूचना पर थाना जहांगीराबाद पर एन0सी0आर0 संख्या-46/13, धारा-498 भा0दं0वि0 दिनांक 18-05-2013 को पंजीकृत की गई। जांच के दौरान अपहृता सीमा को बरामद कर दिनांक 20-5-2013 को एस0डी0एम0 नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां पर अपहृता का बयान अंकित कर उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया गया था।

दिनांक 22-06-2013 को पुनः अपहरण किये जाने की घटना के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत धारा-156 (3) दं0प्र0सं0 में दिनांक 18-09-2013 को थाना जहांगीराबाद, बाराबंकी पर मु0अ0सं0-154/13 धारा-395/397/364/308 भा0दं0वि0 बनाम बृजेश, धर्मेन्द्र व विमल पुत्रगण होली, नि0 ग्राम लोहरवा, अवधेश वर्मा, नि0-ठकुरिया व 03 अन्य व्यक्ति नाम-पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। विलम्ब से अभियोग पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अलग से जांच कराई जा रही है।]

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गौल्हौरा में बढ़ते अपराध पर पुलिस द्वारा नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 18-09-2013 को उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार बहरैची ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[पुत्र आगर्दी निषाद ग्राम मऊ टोला घुसिया, थाना गौल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर का विपक्षी से जमीनी विवाद है जिसके कारण आवेदक द्वारा राम अजोर, सचिन्दर, देवेन्दर व गगनू आदि पर घर का शटर तोड़कर ट्रैक्टर व टाटा मैजिक की बैटरी व सैल्फ तथा उसमें लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम और डिग्गी में रखा हुआ रुपये 1500/- नकद उठा ले जाने, गाड़ी का शीशा व शोपीस तोड़ डालने व गाड़ी के पम्प को बरबाद कर देने एवं कुल मिलाकर रु0 1,50,000/- का नुकसान पहुंचाने तथा आवेदक द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना दिये जाने पर प्रार्थना-पत्र को अपने तौर तरीके से जबरन बदलवा देने एवं आवेदनकर्ता व उनके बेटे रघुराज को धारा-107, 116, 151 में चालान कर दिये जाने तथा आरोपी अपराधी के खुलेआम घूमने एवं उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने के आरोप लगाये गये हैं। जो निराधार हैं। पुरानी रंजिश के कारण परेशान करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा दिनांक 31-08-2013 को एक प्रार्थना-पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध अपने लड़के रघुराज को गाली-गुप्ता व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना-गौल्हौरा में दिया गया था, जिसकी जांच में दोनों पक्षो के पुरानी रंजिश/जमीनी विवाद की जानकारी हुई, जांच के दौरान ही दोनों पक्ष मार-पीट कर आमादा हो गये, जिसमें शान्ति व्यवस्था को देखते हुए आवेदक व उसके पुत्र रघुराज एवं विपक्षी देवेन्दर नाथ त्रिपाठी, गगनू व लौटू प्रसाद को अन्तर्गत धारा-151 दं0प्र0सं0 में गिरफ्तार कर 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही कर धारा-116 (3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबन्द करा दिया गया है। जांच से टैक्टर व टाटा मैजिक से बैटरी की चोरी एवं उसे क्षतिग्रस्त करने तथा उसमें रखे रुपये 1500/- निकाल लेने की बात सत्य नहीं पाई गई।

थाना-गौल्हौरा के ग्राम एकडेंगवा के प्रधान पति अलीमुल्लाह के साथ कुछ अराजक व शरारती तत्वों द्वारा बुरी तरह से मारकर घायल करने के सम्बन्ध में इनके द्वारा थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर सम्बन्धित सियाराम यादव आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0-391/13 धारा-394, 323, 504, 506 भादंवि0 थाना-गौल्हौरा, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है जिसमें विवेचना के दौरान अपराध 394 का नहीं पाया गया बल्कि 323, 504, 506 भादंवि0 पाया गया। आवेदक की चोटों की एक्स-रे रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही उचित धाराओं की बढ़ोत्तरी की जायेगी। विवेचना प्रचलित है। थाना गौल्हौरा तथा जनपद में पुलिस की सक्रियता से अपराधों पर अंकुश लगा है तथा जनता की शिकायतों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया में बैरिया क्षेत्रान्तर्गत घाघरा एवं गंगा नदी की कटान से कतिपय ग्रामों को बचाये जाने हेतु बन्धे एवं ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18.09.2013 को नियम-51 के अन्तर्गत यह .....

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[यह सूचना दी गई थी कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में घाघरा नदी के कटान से इब्राहिमाबाद नौबरार गांव के पुरवे नौकाटोला, भूरीटोला, नई बस्ती, सुफलटोला, रामेश्वर टोला, सक्कू टोला व ग्राम दतहा, जमधरवा, शिवपुर आदि ग्राम प्रभावित हैं। इस प्रकार गंगा नदी की कटान से ग्राम पचरूखिया रामगढ़, श्रीनगर, केहरपुर दुबेछपरा, उदईछपरा, जगदीशपुर, नरदरा, भुसौला, शिवपुर कपूर दियर आदि गांव प्रभावित हैं। एन0एच0-31 पर यह गांव स्थित है जो बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच गया है। यहां पर स्थित 03 ठोकर जो कट चुके हैं लाखों एकड़ जमीन किसानों की गंगा व घाघरा की नदियों में विलीन हो चुका है। गांव का अस्तित्व भी समाप्त हो रहा है जिला प्रशासन अपने स्तर से कुछ सुविधायें तो दे रहा है, परन्तु उसमें और शासन स्तर पर विशेष धनराशि उपलब्ध कराकर रिंग बांधों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है व दर्जनों ठोकरों का भी निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है और तत्काल प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज के माध्यम से बसाये जाने व अन्य सुविधायें दिये जाने की भी आवश्यकता है। यह गम्भीर एवं जनहित का विषय है अतः इस गम्भीर विषय पर तत्काल वक्तव्य दिये जाने एवं पीड़ित परिवारों को सुविधायें मुहैया कराये जाने व बंधे व ठोकरों का निर्माण जनहित में कराये जाने की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद नौबरार आदि के पुरवे नौका टोला, भूरी टोला, नई बस्ती, सुफलटोला, रामेश्वर टोला, लछु टोला, बकुलहा संसार टोला, बांध व घाघरा नदी के मध्य स्थित है, बाढ़ काल में घाघरा नदी के अत्यधिक दबाव के कारण इन ग्रामों में कटान हुई है जहां तत्कालीन बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है। डूब क्षेत्र/फ्लड जोन में रिंग बांध बनाने की नीति सिंचाई विभाग की नहीं है। ग्राम दतहा, जमधरवा आदि ग्राम तुर्तीपार-श्रीनगर बांध के दायें तट पर स्थित है इन ग्रामों की आबादी बाढ़ से प्रभावित नहीं है। ग्राम पचरूखिया, रामगढ़, बलिया-बैरिया बांध के बायें तट पर स्थित है तथा ग्राम बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं। ग्राम श्रीनगर गोपालपुर, दुबे छपरा, उदयी छपरा, बलिया-बैरिया बांध के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गंगा नदी के मध्य स्थित हैं, जो इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हैं। डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को न कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शासनादेश सं0-1417बी/09-27-सिं-2-181बाढ़/09 दिनांक 16-3-2010 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनेल द्वारा अप्लीकेशन सं0-89/2013 में अपने आदेश दिनांक 20-5-2013 में यह व्यवस्था दी गई है कि डूब क्षेत्र में निर्माण प्रतिबन्धित है। इस प्रकार के निर्माण न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावति करते हैं अपितु मानव जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न करने के साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा करते हैं। अतः डूब क्षेत्र में स्थित ग्रामों को बचाने के स्थान पर उनको अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाना उपयुक्त होता है। विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जिला बलिया में गंगा एवं घाघरा नदी के किनारे बसी हुई बस्ती के मकान नदी के कटान के कारण नदी में समाहित होने के दृष्टिगत 170 प्रभावित परिवारों/विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि के नियमानुसार क्रय किये जाने के लिये शासनादेश दिनांक 06-08-2013 द्वारा रुपया 30,60,000/- (रुपया तीस लाख साठ हजार) की धनराशि मात्र स्वीकृत की जा चुकी है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रु0-495.11 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

3-बाढ़ काल में गंगा नदी के अत्यधिक दबाव के कारण बलिया-बैरिया बांध के किमी0 25.700, 26.300 व 26.500 पर क्रमशः स्पर सं0-17, 21, 22 क्षतिग्रस्त हुयें हैं तथा किमी0 26.00, 26.100 पर निर्मित स्पर सं0-19 और 20 के नोज क्षतिग्रस्त हुयें हैं। राज्य आपदा मोचक निधि से बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत के कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई गाइड-लाइन्स/मार्ग निर्देशों के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है।

इस प्रकार मामले में पूरी तत्परता एवं सजगता से बाढ़ नियंत्रण एवं राहत के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है।]

जनपद चन्दौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री मनोज कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 सदन में दिनांक 18.09.2013 को नियम-51 के अन्तर्गत....

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[यह सूचना दी गई है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा, जनपद चन्दौली की जनता जीवन-मृत्यु से संघर्ष कर रही है, जिसका मूल कारण स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था है। यह भी अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्र में क्रमशः 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं :-धानापुर, अमरा, बरहनी एवं ओयरचेक। धानापुर में अधीक्षक की मनमानी एवं लापरवाही से सभी स्वास्थ्य सेवायें बाधित हैं, जनता को समय पर उपचार एवं दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। यही हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरा एवं बरहनी का भी है, यहां पर तो चिकित्सक आते ही नहीं हैं और यदि आते हैं तो माह में केवल 01 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओयरचेक में अस्पताल 32 बेड का था, जो अब मात्र 02 बेड का रह गया है। जनता के स्वास्थ्य के साथ इन सभी अस्पतालों के चिकित्सक एवं अधीक्षक बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सक ईश्वर का दूसरा रूप है, जो उसे जीवन देता है एवं उसकी रक्षा करता है, परन्तु यहां पर तो रक्षक ही भक्षक बन गया है। जनता की आंखों में आक्रोश है, जो कभी भी फूट सकता है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानापुर के चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल हटाकर जांच कराये जाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरा एवं बरहनी के चिकित्सकों को निलम्बित कर अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने ओयरचेक के बेड को पुनः 32 बेड करते हुए इन सभी अस्पतालों में चिकित्सा हेतु सभी मूल भूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं इन सभी अस्पतालों में पिछले डेढ़ साल के अन्दर कराये गये सभी मेन्टिनेंस वर्क की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गई है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सैय्यदराजा के अन्तर्गत सामु0 स्वा0 केन्द्र धानापुर में चिकित्सकों के 07 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 04 चिकित्सक तैनात हैं, नया प्रा0स्वा0केन्द्र अमरा में चिकित्सकों के 02 पद स्वीकृत हैं तथा 02 चिकित्सक तैनात हैं। प्रा0स्वा0के0 बरहनी में चिकित्सकों के 02 पद स्वीकृत हैं तथा 02 चिकित्सक तैनात हैं तथा ओयरचेक (संयुक्त चिकित्सालय 24 बेड) में 04 चिकत्सकों के पद स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष 02 चिकित्सक तैनात हैं। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत उपुर्यक्त 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती नहीं हो पाई है। सभी अस्पतालों में दवाओं की समुचित व्यवस्था है तथा आम जनता को दवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में यदि विशिष्ट शिकायत सप्रमाण प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराई जायेगी।]

जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ग्राम अतरौली के निर्दोष बुजुर्गों, बच्चों महिलाओं पर श्री अमित नागर, सी0 ओ0 पिलखुवां द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 की सूचना में यह कहा गया है कि जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र, मोदीनगर .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के ग्राम अतरौली में दिनांक 20-08-2013 को श्री अमित कुमार नागर, क्षेत्राधिकारी, पिलखुवा द्वारा सादी वर्दी में जाकर निर्दोष लोगों बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों पर अत्याचार किये जाने तथा उन पर झूठे मुकदमें दर्ज कर जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र के ग्रामीणों तथा किसानों में भारी आक्रोष है। सदन में चर्चा की मांग करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने की मांग की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, हापुड़ से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 20-08-2013 को ग्राम अतरौली, थाना पिलखुवा में राजेन्द्र की परचून की दुकान पर हरियाणा से तस्करी कर लाई गई प्रतिबन्धित अवैध शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री की सूचना पर श्री अजय कुमार यादव, आबकारी निरीक्षक व श्री अमित कुमार नागर, क्षेत्राधिकारी, पिलखुवा, दोनों अधिकारियों द्वारा मय हमराही फोर्स के दबिश दी थी, जिसमें समय करीब 08.45 बजे रात्रि में राजेन्द्र पुत्र हुकुम सिंह ठाकुर व धीरज पुत्र ओमपाल को पकड़ लिया। दुकान की तलाशी ली तो दुकान में रखी वैस्टो व्हिस्की की दस पेटियां, प्रत्येक में 48 पव्वे (180 एम0एल0) व एक गत्ते की पेटी में (जिसमें रखकर बिक्री कर रहे थे) 08 पव्वे वैस्टो व्हिस्की के बरामद हुए। उक्त शराब के पव्वों पर उ0प्र0 राज्य को अभिकर देयता के प्रमाण-स्वरूप होलोग्राम नहीं लगे थे, जिससे यह लोग राज्य सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचा रहे थे। इसी बीच राजेन्द्र और धीरज ने शोर मचा दिया कि बचाओ हमें आबकारी और पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तभी 50-60 लोगों की भीड़ जिनमें ओमपाल उर्फ पप्पू, ओम प्रकाश, वीरेन्द्र व वीर सिंह पुत्रगण नगीना, राजेश पुत्र मूला, आदेश पुत्र रामौतार, नरेश व कन्हैया पुत्रगण ओम प्रकाश, जितेन्द्र पुत्र सुरजन, देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, मुकेश पुत्र विजयपाल तथा धीरेन्द्र व 30-40 अज्ञात व्यक्तियों ने आबकारी व पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डों व ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया तथा मारपीट करते हुए राजेन्द्र व धीरज को छुड़ाकर अभिरक्षा से भगा दिया, इसमें श्री अजय कुमार यादव, निरीक्षक आबकारी व सिपाही विपिन कुमार शर्मा, आबकारी विभाग व श्री अमित कुमार नागर, क्षेत्राधिकारी पिलखुआ उनके हमराहियों को काफी गम्भीर चोटें आईं तथा क्षेत्राधिकारी पिलखुवा की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। अतिरिक्त फोर्स मंगाये जाने की बात सुनते ही ये लोग मौके से भाग गये, ज्ञात हुआ कि यह शराब गांव में ओम प्रकाश उर्फ पप्पू, पूर्व प्रधान व अनुज पुत्र राजेन्द्र जो अवैध शराब लेकर आते हैं और गांव अतरौली तथा आस-पास के गांवों में संगठित रूप से अवैध शराब की सप्लाई व बिक्री करते हैं। इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घटना के सम्बन्ध में निरीक्षक, आबकारी श्री अजय कुमार यादव ने थाना पिलखुवा पर अभियुक्तगण राजेन्द्र पुत्र हुकुम सिंह ठाकुर, धीरज पुत्र ओमपाल, ओमपाल उर्फ पप्पू ओम प्रकाश, वीरेन्द्र व वीर सिंह पुत्रगण नगीना, राजेश पुत्र मूला, आदेश पुत्र रामौतार, नरेश व कन्हैया पुत्रगण ओमप्रकाश जितेन्द्र पुत्र सुरजन, देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, मुकेश पुत्र विजयपाल तथा धीरेन्द्र व 30-40 अज्ञात साथी समस्त निवासीगण ग्राम अतरौली के विरुद्ध मु0अ0सं0 337/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 147, 148, 437, 332, 353, 323, 307, 224 भा0दं0वि0 व धारा 07 क्रि0ला0ए0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा की जा रही है। अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र सुरजन, देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, मुकेश पुत्र विजयपाल दिनांक 28-08-2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं एवं अभियुक्त आदेश पुत्र रामौतार दिनांक 13-09-2013 में व अभियुक्त ओमपाल उर्फ पप्पू दिनांक 16-09-2013 में मा0 न्यायालय में हाजिर हो चुके हैं। विवेचना में अभियुक्त सोनू पुत्र कृष्णपाल, कुलदीप, सुभाष पुत्रगण रामवीर, कमल पुत्र सगवा, अरुण पुत्र कमल निवासीगण ग्राम अतरौली, थाना पिलखुवा प्रकाश में आये हैं। विवेचना अभी प्रचलित है। पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनके घरों में दबिश दी गई है परन्तु कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है।]

जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लाक के ग्राम सभा जौरास निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य राममनोरथ वर्मा के हत्या के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 18.09.2013 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया ...

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[था कि जनपद बाराबंकी में दिनांक 05-09-2013 को बालू खनन के विवाद में लोनी कटरा थाना क्षेत्र के टेलिया जौरास घाट के निकट छबिल चौकी जौरास निवासी भट्ठा मालिक गोमती यादव, नन्द किशोर यादव व अन्य बालू खनन रोकने पर बी0डी0सी0 राम मनोरथ वर्मा को सिपाही शिव प्रसाद यादव व सदानन्द यादव की मौजूदगी में लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्याकर शव को नदी में फेंक दिया जिसकी लाश दो दिन बाद मिली। मा0 सदस्य द्वारा नामजद अभियुक्तों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गिरफ्तारी अविलम्ब कराने तथा इस काण्ड की न्यायिक जांच कराने तथा पुलिस के जवानों पर संगीन धारायें लगाकर कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 05-09-2013 को थाना लोनी कटरा क्षेत्रान्तर्गत धौरहरा घाट में बालू खनन को लेकर हुए विवाद में राम मनोरथ वर्मा को विपक्षीगण द्वारा मारपीट कर गोमती नदी में फेंक दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सदाशिव वर्मा की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-205/13 धारा-147/148/149/302/364 भा0दं0वि0 थाना-लोनी कटरा, बाराबंकी पर गोमती यादव, नन्द किशोर, आशीष यादव, लल्लू यादव एवं उमेश उर्फ गुड्डू के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, किन्तु अभी तक दस्तयाब नहीं हुए हैं। धारा-82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी की आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त अभियोग की निष्पक्ष विवेचना कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 16-09-2013 द्वारा अभियोग की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दी गई है।]

जनपद वाराणसी में गंगा व वरूणा में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-33 स्थगित रहेगी।

जनपद गोरखपुर में इंसेफलाइटिस महामारी के रोकथाम के लिये टीकाकरण अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जिला गोरखपुर में इंसेफलाइटिस जैसी महामारी अब तक 50 हजार मासूम बच्चों की मौत दे चुकी है ...

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[इस बीमारी से पीड़ित बच्चे एक-एक बेड पर तीन-तीन, चार-चार मरीज के रूप में पड़े हैं। गोरखपुर मेडिकल कालेज के अलाव कहीं भी सरकारी दावे के बावजूद इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था नहीं है। इस बीमारी के उन्मूलन हेतु जो टीकाकारण अभियान 2012 में चलाया गया

वह अपर्याप्त था। उस टीका की दूसरी खुराक दुबारा नहीं लगायी गयी। सरकार स्वच्छता जागरण अभियान गॉव-गव चलाने में कोताही बरत रही है जिससे बड़े पैमाने पर मासूमों की मौतें हो रही हैं। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन के लिए 2011 में होमियोपैथिक विधि से आन्ध्र प्रदेश की तरह इस बीमारी के खात्मे के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज में शोध संस्थान स्थापित किया गया, परन्तु आज तक एक भी शोध नहीं किये गये और बच्चे मरते रहे। 35 वर्षों से यह बीमारी तबाही मचाई हुई है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है और जनमानस पल्स पोलियो अभियान की तरह इस बीमारी के टीकाकरण का भी अभियान चलाने, महामारी घोषित करने एवं मेडिकल कालेज गोरखपुर के अलावा अन्य जनपदों एवं सी0एच0सी0 केन्द्रों पर इलाज/आई0सी0यू0 की मुकम्मल व्यवस्था कराने व अन्य समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में 02 अक्टूबर, 2013 को पैदल मार्च भी करने जा रही है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति असहज भी सकती है।

<u>वक्तव्य:-</u>

- पूरे उत्तर प्रदेश में मष्तिष्क ज्वर का प्रकोप वर्ष 1978 से आरंभ हुआ। वर्ष 2005 की भीषण विभीषिका के उपरान्त राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा मष्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु बहुआयामी योजनायें बनाई गई एवं क्रियान्वित की गई जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान(एन0आई0वी0), पुणे की स्थापना के पश्चात यह तथ्य प्रकाश में आया कि मष्तिष्क ज्वर कई प्रकार के होते हैं। मच्छरों के काटने से फैलने वाले ज्वर को जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0) व अन्य कारणों से होने वाले मष्तिष्क ज्वर को एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (ए0ई0एस0) के नाम से जाना जाने लगा।
- ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में वर्ष 2006 से शनैः शनैः वृद्धि हुई है, वर्ष 2012 में यह स्थिर रही परन्तु वर्ष 2013 में इनकी संख्या में निश्चित कमी आई है। इन रोगियों में जे0ई0 रोगियों की संख्या वर्ष 2005 में लगभग 19 प्रतिशत थी, वर्ष 2012 में कम होकर 3.99 प्रतिशत रह गई है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि जे0ई0 के रोगियों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। यह कमी विभाग द्वारा की गई निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप हुई है, जिसमें वर्ष 2006 से 2010 तक कराये गये विशेष जे0ई0 टीकाकरण अभियान का भी योगदान रहा है। वर्ष 2011 से प्रदेश के 36 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण को नियमित टीकाकारण के अन्तर्गत सम्मिलित कर दो वर्ष तक की आयु के बच्चों को जे0ई0 वैक्सीन से आच्छादित किया जा रहा है। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 36 जनपदों में दो वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों को जे0ई0 वैक्सीन की दो डोज़ (प्रथम डोज़ 09 माह की आयु पर एवं द्वितीय डोज़ 16 से 24 माह की आयु पर) देना आरम्भ किया गया है।

वर्ष 2013-14 में माह अगस्त, 2013 तक 09 माह एवं 16 से 24 माह आयु वर्ग के वार्षिक लक्ष्य 2994532 के सापेक्ष 1171446 (39.12 प्रतिशत) बच्चों को नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत जे0ई0 वैक्सीन से आच्छादित किया जा चुका है।

- वर्ष 2013 में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 तक ए0ई0एस0 रोग के कुल 1389 रोगी एवं 262 मृतक सूचित हुये हैं एवं वर्ष 2012 में उक्त तिथि तक इस रोग के कुल 1986 रोगी एवं 296 मृतक सूचित हुये थे। इस प्रकार उक्त अवधि में वर्ष 2013 में विगत् वर्ष की तुलना में ए0ई0एस0 रोग के 597 रोगी एवं 34 मृतक की गिरावट आई है। इसी प्रकार वर्ष 2013 में दिनांक 18 सितम्बर, 2013 तक जे0ई0 रोग के कुल 102 रोगी एवं 19 मृतक सूचित हुये हैं एवं वर्ष 2012 में उक्त तिथि तक इस रोग के कुल 62 रोगी एवं 15 मृतक सूचित हुये थे।
- वर्ष 2013 में ग्राम स्तर पर आशा/ आंगनबाड़ी/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा फीवर ट्रैकिंग कर ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था मे ही ज्वर रोगी को त्वरित उपचार हेतु निकटतम उपचार केन्द्र तक पहुंचाने के प्रयास किये गये हैं एवं रोगी हेतु नि:शुल्क एम्बुलेन्स सुविधा के फलस्वरूप विगत् वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालयों में अधिक संख्या में रोगी उपचार हेतु आये हैं। प्रदेश के कुल 1389 रोगियों में से 539 रोगी आरम्भिक अवस्था में जनपदीय चिकित्सालयों में भर्ती एवं उपचारित हुये हैं जबकि विगत वर्ष 2012 में प्रदेश के कुल 3484 रोगियों में से 392 रोगी उपचारित हुये थे।
- प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित 9 जनपदों (गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बहराईच एवं लखीमपुरखीरी) के 10 चिकित्सालयों में 10 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 वार्ड इस प्रकार कुल 102 शैय्यायुक्त आई0सी0यू0 वार्ड जनपदों में एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक वार्ड की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 202 अतिरिक्त शैय्यायें मस्तिष्क ज्वर के रोगियों के उपचार हेतु उपलब्ध होंगे।
- प्रदेश सरकार द्वारा बी0आर0डी मेडिकल कालेज गोरखपुर में बालरोग विशेषज्ञ की स्नातकोत्तर स्तर की संख्या 03 से बढ़ा कर 10 कर दी है जो मेडिकल कालेज में अध्ययन के साथ-साथ बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के बालरोग विभाग में चिकित्सा सेवा भी प्रदान करते हैं।
- शासन द्वारा जनपद बाराबंकी से 06 एवं जनपद इलाहाबाद से 03 कुल 09 बालरोग विशेषज्ञ बी0आर0डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु

सम्बद्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा विभिन्न सी0एच0सी0/पी0एच0सी से 10 चिकित्सक एवं जिला चिकित्सालय गोरखपुर से 02 परामर्शदाताओं को तैनात किया गया है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा विभिन्न सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 से 32 स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है।

- रोग के प्रसार/सर्वेक्षण के संबंध में फीवर ट्रैकिंग का कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ए0एन0एम0/आंगनबाड़ी/आशा के माध्यम से कराया जा रहा है। ए0ई0एस0/जे0ई0 की कार्ययोजना के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित 09 जनपद (गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बहराईच एवं लखीमपुरखीरी) में प्रत्येक में एक बड़ी फॉगिंग मशीन तथा प्रत्येक ब्लाक स्तर पर छोटी फॉगिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की है तथा पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक उपलब्ध कराया गया है जिससे रोग के प्रसार पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके।
- जनपदीय चिकित्सालयों में सेन्टीनल प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है जिससे प्रत्येक जनपद में परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर स्थित एन0आई0वी0 पुणे फील्ड यूनिट, एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित रीजनल प्रयोगशाला में भी यह जॉच सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।
- प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित 9 जनपदों (गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बहराईच एवं लखीमपुरखीरी) के 10 चिकित्सालयों में 10 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 वार्ड की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है, जिसके माह अक्टूबर में क्रियाशील होने की सम्भावना है।
- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक वार्ड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के सहयोग से 164 पद एवं राज्य सरकार द्वारा 56 पद पर चिकत्सक/पराचिकित्सक कर्मी संविदा के आधार पर बी0आर0डी मेडिकल कालेज गोरखपुर के बालरोग विभाग में विशेष रूप से मस्तिष्क ज्वर रोगियों के उपचार एवं देख-रेख हेतु स्वीकृत किये गये हैं। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्तमान समय में कुल 33 वेन्टीलेटर कार्यरत् हैं।100 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक वार्ड में स्थापित किये जाने वाले 24 वेन्टीलेटर क्रय किये जा चुके हैं जिसमें से 06 वेन्टीलेटर पूर्व से क्रियाशील आई0सी0यू0 वार्ड में स्थापित कर प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 500 शैय्यायुक्त बाल रोग चिकित्सालय एवं शोध संस्थान तथा एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना का कार्य आरम्भ हो गया है।

- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के एस0पी0एम0 विभाग में जे0ई0/ए0ई0एस0 सर्विलेन्स यूनिट क्रियाशील कराई गई है जो रोग एवं रोग वाहक के सर्वेक्षण पर सर्वेक्षण एवं शोध कार्य कर रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे(एन0आई0वी0,पुणे) की फील्ड इकाई, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्थापित कराई गई है जो रोगियों के सीरम/सी0एस0एफ0 नमूनों की सुविधाजनक प्रयोगशाला जॉच कर कारकों की पुष्टि कर रही है और इसके अतिरिक्त नये कारकों की पहचान पर भी शोध कार्य कर रही है। समय-समय पर एस0जी0पी0जी0आई0 के तकनीकी विषय विशेषज्ञ भी रोग का अध्ययन कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
- प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से ए0ई0एस0/जे0ई0 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प/टी0टी0एस0पी0 की स्थापना, व्यक्तिगत वाटर सील्ड शौचालय की स्थापना, सूकर पालकों का प्रशिक्षण व सूकरों का सीरो सर्विलेन्स कार्य, लार्वाभक्षी गम्बूसिया मछली का संचयन आदि का भी कार्य किया जा रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जे0ई0/ए0ई0एस0 की रोकथाम एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ठोस कार्यवाही की जा रही है।]

सहारनपुर के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि जनपद सहारनपुर में विगत ...

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[2 वर्षों से गन्ना किसानों के बकाये गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। विशेषकर दया शुगर फैक्ट्री, गागल हेड़ी में गन्ना किसानों के लगभग रूपये 12.00 करोड़ के मूल्य का भुगतान बकाया है। उक्त के सम्बंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय सदस्य द्वारा सहारनपुर के गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि पेराई सत्र 2011-12 में जनपद सहानपुर के अन्तर्गत संचालित चीनी मिलों द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है तथा पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों पर दिनांक 18.09.2013 की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य रू0 2317.04 लाख बकाया है।

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण कर कार्यवाही की जा रही है। गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के चीनी स्टाक व अन्य सह-उत्पादों की बिक्री करें, उससे प्राप्त धनराशि से गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित करायें। तदक्रम में निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलों का स्टॉक अभिरक्षा में लिया गया है। अध्यासियों द्वारा की गई स्टॉक की बिक्री का जिला गन्ना अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किया जा रहा है ताकि चीनी मिलें स्टाक बिक्री से प्राप्त धनराशि का अन्यत्र व्यावर्तन न कर सकें।

पेराई सत्र 2010-11 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के कारण चीनी मिल गागल हेड़ी के विरूद्ध वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। वसूली प्रमाण पत्र के विरूद्ध चीनी मिल गागल हेड़ी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका सं0 4053(एम0बी0)/2011 योजित की गयी। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान 15 जून, 2011 तक करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश का अनुपालन चीनी मिल द्वारा न कर पुन: माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गई जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 30.06.2011 में प्रश्नगत चीनी मिल को बकाया गन्ना मूल्य एवं कमीशन का भुगतान दिनांक 21 जुलाई, 2011 तक करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय का भी अनुपालन प्रश्नगत चीनी मिल द्वारा नहीं किया गया। वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में तहसीलदार, बेहट के द्वारा प्रश्नगत चीनी मिल के कालूवाला फार्म की नीलामी हेतु दिनांक 22.07.2012, 29.01.2013 एवं 28.02.2013 तिथियां निर्धारित की गयी, किन्तु नीलामी की तिथियों में पर्याप्त संख्या में बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न न हो सकी। उक्त फार्म की नीलामी हेतु शीघ्र ही नई तिथि पुन: घोषित कराई जा रही है।

प्रश्नगत चीनी मिल के मिल मालिक द्वारा दायर एफ0आई0आर0 में गिरफ्तारी से बचने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 10987/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 में प्रश्नगत चीनी मिल को पेराई सत्र 2007-08 एवं 2010-11 से सम्बंधित समस्त बकाया धनराशि का व्याज सहित भुगतान एक महीने के अन्दर तक के अन्दर करने के निर्देश दिए है। उक्त का अनुपालन न करने पर विवेचक चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार करने हेतु स्वतंत्र होंगे। चीनी मिल द्वारा उक्त आदेशों का भी अनुपालन नहीं किया गया है। तद्क्रम में

विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विवेचक के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर विवेचना की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।]

जनपद बस्ती में संचालित बस्ती चीनी मिल को बंद किये जाने से रोकने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, ने अपनी सूचना में जनपद बस्ती में बजाज समूह की सहयोगी कम्पनी फेनिल शुगर कम्पनी द्वारा फर्जी ...

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[आंकड़ों एवं तथ्यों द्वारा अपने समूह की बस्ती चीनी मिल को वर्तमान पेराई सत्र से बन्द किए जाने की घोषणा का उल्लेख करते हुए उक्त शुगर मिल को यथावत चलाए जाने एवं साथ ही फेनिल शुगल लि0 द्वारा प्रस्तुत फर्जी आंकड़ों एवं भ्रामक तथ्यों की सक्षम एजेन्सी से जॉच कराए जाने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बस्ती में स्थित उक्त चीनी मिल मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 की एक सहयोगी चीनी मिल है। चीनी मिल बस्ती का स्थलीय निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि आगामी पेराई सत्र हेतु चीनी मिल का रिपेयर व मेन्टीनेन्स नहीं कराया जा रहा है। चीनी मिल के अधिकारियों ने जिलाधिकारी बस्ती को सूचित किया कि लगातार घाटे आदि की स्थित को दृष्टिगत रखते हुए चीनी मिल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने यह निर्णय लिया है कि बस्ती चीनी मिल पेराई सत्र 2013-14 में नहीं चलायी जाएगी।

बस्ती चीनी मिल के आगामी पेराई सत्र में संचालन हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा, जिलाधिकारी बस्ती को निर्देश दिए गए है कि गन्ना किसानों के गन्ने के निस्तारण आदि के दृष्टिगत अपने स्तर से समीक्षा करते हुए समय से चीनी मिल का आफ सीजन मरम्मत कार्य सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित समयावधि में चीनी मिल के संचालन हेतु प्रभावी कार्यवाही कराएँ।]

शहीद फौजी मो0 कासिद खान निवासी कंजादासपुर जनपद बरेली को आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध मे श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है 'शहीद फौजी मो0 कासिद खान पुत्र रिटायर्ड फौजी महमूद खान निवासी कंजादासपुर, थाना इज्जतनगर ...

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री रियाज अहमद)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[तहसील व जनपद बरेली जो सेना में 15वी गार्डस बटालियन्स में कार्यरत थे। दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को युद्ध अभ्यास के दौरान फिरोजपुर पंजाब में शहीद हो गये हैं जिनका पैत्रक गांव कंजादासपुर थाना इज्जतनगर, तहसील व जनपद बरेली में राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। जिस प्रकार से प्रदेश के अन्य फौजी शहीदों को मा0 मुख्यमंत्री जी ने खुद उनके घर जाकर सान्तवना व आर्थिक मदद देने का काम किया है उससे शहीद फौजी मो0 कासिद खान व उसका परिवार पूर्णतया वंचित है यहॉ तक के शहीद के जनाजे में शरीफ होने के लिए उ0प्र0 सरकार का कोई भी नुमांइदा न मैयत में शरीक हुआ और न ही उसके घर सान्तवना देने आया और आज तक मान्यवर सरकार की तरफ से कोई भी सान्तवना व आर्थिक मदद प्रदान नही की गई है जिससे शहीद मो0 कासिद खान का पूरा परिवार सदमें में है। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2012 में फौज में जो भी फौजी शहीद हुये हैं उसमें कासिद खान उपरोक्त अकेला अल्पसंख्यक (मुसलमान) है। मैं चाहूंगा कि शहीद के परिवार को अन्य शहीदों की भांति भरपूर आर्थिक मदद व सांत्वना स्वयं अथवा सरकार के किसी नुमाइंदे द्वारा प्रदान करें।'

2- मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि स्व0 सैनिक मो0 कासिद खान पुत्र भूतपूर्व सैनिक महमूद खान निवासी कंजा दासपुर थाना इज्जतनगर तहसील व जनपद बरेली जो 15वी गार्डस बटालियन में सेवारत थे, दिनांक 13-09-2012 को रात्रि कालीन युद्धाभ्यास के दौरान (सैन्य प्रशिक्षण) बी0आर0डी0 एम0 (एस) (फौजी वाहन) से गिरकर घायल हो गये थे और उसी रात 10:35 पर उनकी मृत्यु हो गयी। ब्रिगेड ऑफ दी गार्डस के अभिलेख कार्यालय ने सिगनल द्वारा सूचित किया है कि उनकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।

स्व0 मो0 कासिद खान की मृत्यु सेवा में रहते हुए युद्धाभ्यास के दौरान हुई थी, अत: उनकी पत्नी श्रीमती सबीना को उनके स्व0 पति के पूरे वेतन को पेंशन के रूप में प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उन्हे नौकरी दिलाये जाने हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि स्व0 मो0 कासिद खान की यूनिट द्वारा वीर नारी को आर्मी वेल्फेयर फण्ड से रू0 30,000/- यूनिट से रू0 40,000/- रेजिमेन्टल फण्ड से रू0 10,000/- (कुल रूपये अस्सी हजार मात्र) की सहायता दी जा चुकी है।]

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्र-गान।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 20 सितम्बर, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ-37 पर।)

रबी विपणन वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत गेहूं क्रय के अन्तिम आंकड़े (दिनांक 30-06-2013 तक) दिनांक 05-07-2013

(एक दृष्टि में)

(मात्रा मी0 टन में)

क्रम	नाम एजेन्सी	स्वीकृत क्रय केन्द्र	स्थापित क्रय केन्द्र	क्रय लक्ष्य (लाख मी0टन में)	क्रमिक गेहूं खरीद	गतवर्ष क्रमिक खरीद	लक्ष्य के सापेक्ष %	भा0खा0नि0 में सम्प्रदान	भा0खा0नि0 में अवशेष सम्प्रदान	किसानों को देय भुगतान (करोड़ रु0 में)	किसानों को किया गया भुगतान (करोड़ रु0 में)	अवशेष भुगतान	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	खाद्य विभाग	450	468	12.50	93502.41	1104164.36	7.48	93502.41	0.00	126.228	126.228	0.000	19104
	आढ़तियां					869278.10							
2	पी0सी0एफ0	3500	3515	25.00	363260.51	1500448.37	14.53	361934.28	-1326.23	490.402	490.402	0.000	115650
3	यू0पी0एग्रो	250	275	4.00	37026.59	357233.62	9.26	37026.59	0.00	49.986	49.986	0.000	6510
4	यू0पी0एस0एस0	1000	1000	7.00	114185.26	546912.08	16.31	114161.73	-23.53	154.150	154.150	0.000	31160
5	एस0एफ0सी0	150	150	2.50	27379.96	188974.00	10.95	27379.96	0.00	36.963	36.963	0.000	5163
6	नैफेड	200	203	2.00	8296.29	115079.40	4.15	8243.59	-52.70	11.200	11.200	0.000	1860
7	कल्याण निगम	200	208	3.00	19429.81	278427.99	6.48	19297.01	-132.80	26.230	26.230	0.000	3889
8	एन0सी0सी0एफ0	175	183	2.00	10449.77	78433.60	5.22	10442.97	-6.80	14.107	14.107	0.000	2246
	योग :	**5925**	**6002**	**58.00**	**673530.60**	**5038951.51**	**11.61**	**671988.54**	**-1542.06**	**909.266**	**909.266**	**0.000**	**185582**

केन्द्रीय पूल

9	भा0खा0नि0	75	75	2.00	9432.54	23930.10	4.72	9432.54	0.00	12.734	12.734	0.000	1740
	महायोग	**6000**	**6077**	**60.00**	**682963.14**	**5062881.61**	**11.38**	**681421.08**	**-1542.06**	**922.000**	**922.000**	**0.000**	**187322**

न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1350 प्रति कुन्तल

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3-प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश शासन।

4-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

5-महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 क्षेत्र, लखनऊ।

6-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

मण्डी परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार गेहूं की आवक की दैनिक सूचना (क्रय केन्द्रों की खरीद छोड़कर)

मण्डी परिषद् द्वारा सूचित आवक दिनांक 30-06-2013 तक 14.30 लाख मी0टन

वर्ष 2012-13 में उक्त तिथि तक आवक 12.49 लाख मी0टन

(प्रभारी अधिकारी)

खाद्य नियंत्रण कक्ष।

नत्थी ''ख''

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ-37-38 पर।)

रबी विपणन वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत गेहूं क्रय के अन्तिम आंकड़े (दिनांक 30-06-2012 तक)

(एक दृष्टि में)

दिनांक 01-07-2012

(मात्रा मी0 टन में)

क्रम	नाम एजेन्सी	खोले केन्द्र		क्रय लक्ष्य (लाख मी0टन में)	गेहूं खरीद क्रमिक	गतवर्ष इस तिथि तक कुल क्रय	लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का प्रतिशत	भा0खा0नि0 में सम्प्रदान	खरीद के सापेक्ष डिलीवरी का प्रतिशत	अवशेष गेहूं डिलीवरी	किसानों को देय धनराशि (करोड़ में)	किसानों को भुगतानित धनराशि (करोड़ में)	अवशेष भुगतान (करोड़ में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या
		स्वीकृत	स्थापित											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	खाद्य विभाग	600	600	12.25	1104164.36	891503	156.54	786092	71.19	-318073	1418.85	1,418.85	0.00	201993
2	आढ़तियां	0	0	0.00	868221.85	0		761662	87.73	-106560	1115.67	1,115.67	0.00	109452
3	पी0सी0एफ0	2250	2554	12.75	1500658.37	1138748	117.70	1203802	80.22	-296856	1928.35	1,928.35	0.00	404477
4	यू0पी0एग्रो	300	328	3.50	357933.62	340541	102.27	325470	90.93	-32464	459.94	443.00	16.94	57775
5	यू0पी0एस0एस0	720	780	4.00	546912.08	454043	136.73	487000	89.05	-59912	702.78	702.78	0.00	121252
6	आ0व0निगम	190	179	3.00	188974.00	188766	62.99	169796	89.85	-19178	242.83	242.83	0.00	27996
7	क0क0निगम	225	301	2.00	278427.99	196825	139.21	240234	86.28	-38194	357.78	357.78	0.00	46901
8	नैफेड	100	108	1.50	115079.40	162841	76.72	106056	92.16	-9023	147.88	147.88	0.00	20837
9	एन0सी0सी0एफ0	60	76	1.00	78433.60	15793	78.43	71317	90.93	-7117	100.79	100.79	0.00	11853
	योग :	**4445**	**4926**	**40.00**	**5038805.27**	**3389060**	**125.97**	**4151429**	**82.39**	**-887376**	**6474.86**	**6457.92**	**16.94**	**1002536**

केन्द्रीय पूल

10	भा0खा0नि0	55	52	2.00	23930.10	72203	11.97	23930	100.00	0	30.75	30.75	**0.00**	**429**
	महायोग	**4500**	**4978**	**42.00**	**5062735.37**	**3461263**	**120.54**	**4175359**	**82.47**	**-887376**	**6505.61**	**6488.67**	**16.94**	**1002965**

न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1285 प्रति कुन्तल

मण्डी परिषद् द्वारा सूचित आवक दिनांक 28-06-2012 तक 11.10 लाख मी0टन

वर्ष 2011-12 में उक्त तिथि तक आवक 14.59 लाख मी0टन

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3-प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश शासन।

4-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

5-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6-महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश।

7-प्रमुख सचिव,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश।

(प्रभारी अधिकारी)
खाद्य नियंत्रण कक्ष,
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।
फोन/फैक्स नं0 2286046

पी0एस0यू0पी0-एल0 188 विधान सभा (349)-19-12-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।